रजि० सं० डी०-(डी०)-73 REGISTERED No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 13, 1976 (कार्तिक 22, 1898)
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 13, 1976 (KARTIKA 22, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1976

सं० पी०/1551-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा के० स० से० के चयन ग्रेड के स्थायी अधिकारी तथा स्थानापन्न परीक्षा नियंत्रक संघ लोक सेवा आयोग श्री डी० आर० कोहली की डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में गठित भर्ती नीति एवं चयन पद्धति समिति के सचिव के रूप में 1 अप्रैल 1976 के पूर्वाह्न से 22 अप्रैल, 1976 तक 22 दिन की सेवावधि बढ़ा दी गई है ।

बढ़ी हुई सेवावधि की समाप्ति पर श्री कोहली को 22 अप्रैल, 1976 के अपराह्न से सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान कर दी गई है ।

दिनांक 15 अक्तूबर 1976

सं० पी०/1827-प्रशा०-1—इंजीनियरी कालिज, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम में भूतपूर्व सिविल इंजीनियरी के लेक्चरर डा० ए० सी० मथाई, जो संघ लोक सेवा आयोग में अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे, को 30 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से या आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है ।

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव, कृते अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० पी०/271-प्रशा०-1—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के स्थायी अवर सचिव, श्री एस० पी० चक्रवर्ती को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 4 अक्तूबर, 1976 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक, विशेष कार्य अधिकारी (गोपनीय) के पद पर नियुक्त किया गया है ।

प्र०ना० मुखर्जी
अवर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली 110011, दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० ए० 11013/2/74-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3-8-76 के अनुक्रम में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में के० स० से० संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों/सहायकों को 1-10-76 से दो महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयोग के

कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (विशेष) के पद पर तदर्थ आधार में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	नाम	के० स० से० संवर्ग में धारित पद	
1.	श्री वी० एस० रियात	अनुभाग	अधिकारी
2.	श्री वी० एस० जगोपोता	अनुभाग	अधिकारी
3.	श्री जे० पी० गोयल	अनुभाग	अधिकारी
4.	श्री आर० एन० खुराना	अनुभाग	अधिकारी
5.	श्री एस० श्रीनिवासन	अनुभाग	अधिकारी
6.	श्री एस० के० अरोड़ा	सहायक	

2. पूर्वोक्त अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी (विशेष) के रूप में नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर होगी और उनका वेतन समय-समय पर यथा संशोधित वित्त मंत्रालय के का० ज्ञा० संख्या एफ० 10 (24) ई०-III/60 दिनांक 4-5-61 के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

प्र०ना० मुखर्जी
अवर सचिव, कृते सचिव, संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

सं० ए० 32014/1/76-प्रशा०-III—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एच० एस० भाटिया को राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 4-10-76 से 18-11-76 तक 46 दिन की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

प्र०ना० मुखर्जी,
अवर सचिव (प्रशासन प्रभारी) संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

सं० पी०/1827-प्रशा०-1—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त होने के बाद डा० ए० सी० मथाई, जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे, ने दिनांक 30-9-1976 के पूर्वाह्न से अवर सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० पी०/271-प्रशा०-1—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (गोपनीय) के पद पर नियुक्त होने के बाद श्री एस० पी० चक्रवर्ती, जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अवर सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे, ने दिनांक 4-10-1976 (पूर्वाह्न) से अवर सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

मंत्रिमंडल सचिवालय
(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1976

सं० ए०-19036/11/76-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिदेक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, कलकत्ता शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री बी० पी० रायचौधरी को दिनांक 27-9-76 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में अस्थायी रूप से पुलिस उप-अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत करते हैं ।

दिनांक 15 अक्तूबर 1976

सं० टी०-36/69-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना तथा पदेन सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, एतद्द्वारा तमिलनाडु पुलिस के अधिकारी श्री टी० जोन देवसरवथम् को दिनांक 6-10-76 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न पुलिस उप-अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० पी०एफ०/आर-9/65-प्रशा०-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री राजेन्द लाल, वरिष्ठ लोक-अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण को दिनांक 7-10-76 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो विशेष पुलिस स्थापना में अस्थायी रूप से उप-विधि सलाहकार के पद पर प्रोन्नत करते हैं ।

उन्होंने दिनांक 7-10-76 के पूर्वाह्न में वरिष्ठ लोक-अभियोजक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो आर्थिक अपराध स्कंध दिल्ली के पद का कार्यभार त्याग दिया ।

दिनांक 20 अक्तूबर 1976

सं० पी० एफ०/जे०-53/67-प्रशा०-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा श्री जवाहर लाल, लोक-अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सामान्य अपराध स्कंध, नई दिल्ली, को दिनांक 7 अक्तूबर 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में तदर्थता के आधार पर वरिष्ठ लोक-अभियोजक के पद पर प्रोन्नत करते हैं ।

दिनांक 26 अक्तूबर 1976

स० आर०-5/70-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना तथा पदेन सचिव, भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, एतद्द्वारा श्री आर० एस० जमुआर, लोक-अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (मुख्यालय) को दिनांक 7 अक्तूबर,

1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए तदर्थ के आधार पर वरिष्ठ लोक-अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, के पद पर प्रोन्नत करते हैं।

दिनांक 27 अक्तूबर 1976

सं० पी० एफ०/के०-10/65-प्रशा०-5—केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रांची शाखा में पद-स्थापित वरिष्ठ लोक अभियोजक श्री के० एन० वर्मा का दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 को स्वर्गवास हो गया।

पी० एस० निगम
प्रशासन अधिकारी
(स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर 1976

सं० 2/14/76-प्रशासन—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्-द्वारा श्री आर० राजगोपालन, सहायक अभियंता, रेलवे मंत्रालय, को 8 अक्तूबर, 1976 अपराह्न से आगामी आदेश तक केन्द्रीय सर्तकता आयोग में स्थानापन्न रूप से सहायक तकनीकी परीक्षक नियुक्त करते हैं।

स० 2/14/76-प्रशासन—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री डी० आर० अहुजा, कार्यपालक अभियंता, भारतीय डाक तार विभाग को 30 सितम्बर, 1976 पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग में स्थानापन्न रूप से तकनीकी परीक्षक नियुक्त करते हैं।

श्री निवास
अवर सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस दल

नई दिल्ली-11001, दिनांक 16 अक्तूबर 1976

स० ओ० दो 217/69-स्थापना—श्री जागीर सिंह चिमा, उप-पुलिस अधीक्षक (कम्पनी कमांडर) एक बटालियन, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस दल को सेवा निवृत्तिपूर्व छुट्टी समाप्त होने पर सरकारी सेवा से 14-8-1976 (अपराह्न) से निवृत्त समझा जाए।

दिनांक 21 अक्तूबर 1976

सं० O II-1033/75-स्थापना—डाक्टर श्रीमती श्यामा रैना कनिष्ट चिकित्सा अधिकारी बैस हास्पिटल, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस दल नई दिल्ली की सेवाएं 21-8-76 पूर्वाह्न से समाप्त की जाती हैं।

सं० O-II-1036/75-स्थापना-1—महानिदेशक केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस दल निम्नलिखित डाक्टरों को तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिए केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पद पर उनके सामने लिखी तिथियों से नियुक्त करते हैं :—

1.	डाक्टर श्रीमती एस० अरुना देवी	7-9-76 पूर्वाह्न
2.	डाक्टर वी० दलीप मूर्थि	13-9-76 पूर्वाह्न
3.	डाक्टर कोशी ऐयापन	15-9-76 पूर्वाह्न

दिनांक 26 अक्तूबर 1976

सं० ओ० दो० 1331/76-स्थापना—राष्ट्रपति, भूतपूर्व मेजर जगसीर सिंह को पुनः नियुक्ति पर अस्थायी रूप में अगले आदेश जारी होने तक उप-पुलिस अधीक्षक (कम्पनी कमांडर) (क्वार्टर मास्टर) के पद पर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस दल में नियुक्त करते हैं।

2. उन्होंने उप-पुलिस अधीक्षक (कम्पनी कमांडर) के पद का कार्यभार ग्रुप सेन्टर, के० रि० पु० दल, हैदराबाद में 1-10-76 पूर्वाह्न को संभाल लिया।

ए० के० बन्द्योपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

सं० ई०-38013(2)/7/76-कार्मिक—के० औ० सु० ब० यूनिट, के० सी० पी०, खेतरी से स्थानान्तरित होने पर, श्री जी० आर० खोसला, कमांडेंट ने दिनांक 23 सितम्बर 76 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० प्रशिक्षण रिज़र्व बल के कमांडेंट नं० 1 का कार्यभार सम्भाल लिया। उनका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

सं० ई०-32015(2)/8/76-कार्मिक—राष्ट्रपति, पुनर्नियुक्त पर ले० कर्नल सी० एस० मूर्ती को दिनांक 1 सितम्बर 76 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के० औ० सु० ब० यूनिट एस० एच० ए० आर० परियोजना, श्री हरि कोटा रेंज का कमांडेंट नियुक्त करते हैं।

सं० ई०-38013(3)/16/76-कार्मिक—राउरकेला को स्थानान्तरित होने पर श्री एस० के० मुखर्जी, सहायक कमांडेंट ने 2 दिसम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट आई० ओ० सी० हल्दिया के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया और तलचर से स्थानान्तरित होने पर श्री आर०

एम० दाश ने उसी तारीख के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

यह दिनांक 7-1-1976 के अन्तर्गत जारी की गई सम-संख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करती है ।

सं० ई०-38013(3)/13/76-कार्मिक—थुम्बा को स्थानान्तरित होने पर, श्री पी० आर० पिल्ले, सहायक कमांडेंट, के० औ० सु० ब० यूनिट एफ० ए० सी० टी० (कोचीन डिवीजन) कोचीन ने दिनांक 19-8-76 के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्य-भार छोड़ दिया ।

थुम्बा से स्थानान्तरित होने पर, श्री के० जी० थामस, सहायक कमांडेंट, ने दिनांक 19 अगस्त 1976 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट एफ० ए० सी० टी० (कोचीन डिवीजन) कोचीन, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/13/76-कार्मिक—कोचीन से स्था-नान्तरित होने पर, श्री पी० आर० पिल्ले, सहायक कमांडेंट ने दिनांक 27 अगस्त 1976 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, आई० एस० आर० औ०, थुम्बा, त्रिवेन्द्रम, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/14/76-कार्मिक—के० औ० सु० ब० यूनिट एच० ई० सी० रांची को स्थानान्तरित होने पर, श्री बी० मिश्रा, सहायक कमांडेंट ने दिनांक 3 अगस्त 1976 के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/17/76-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री एन० राम दास को के० औ० सु० ब० ग्रुप मुख्यालय का स्था-नापन्न रूप से सहायक कमांडेंट तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं और उन्होंने 10 सितम्बर 1976 के अपराह्न से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० 38013(3)/17/76-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री वी० एस० गोविन्दास्वामी को के० औ० सु० ब० यूनिट कोचीन शिप यार्ड, कोचीन का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं और उन्होंने 17 सितम्बर के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/17/76-कार्मिक—राष्ट्रपति, निरी-क्षक एस० के० ऋषि को दिनांक 8 सितम्बर 76 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के० औ० सु० ब० ग्रुप मुख्यालय, पटना का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने उसी दिनांक से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/17/76-कार्मिक—राष्ट्रपति, निरी-क्षक सी० रामा स्वामी को दिनांक 7 सितम्बर 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के० औ० सु० ब० यूनिट कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन, का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने उसी दिनांक से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/17/76-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री ओ० पी० भसीन को के० औ० सु० ब० यूनिट, आई० पी० सी० एल०, बड़ौदा का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं और उन्होंने 9 सितम्बर 76 के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/17/76-कार्मिक—राष्ट्रपति, निरी-क्षक श्री एस० के० चक्रवर्ती को के० औ० सु० ब० ग्रुप मुख्यालय कलकत्ता का स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर सहायक कर कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने दिनांक 17 सितम्बर 76 के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/17/76-कार्मिक—के० औ० सु० ब० नं० 1 प्रशिक्षण रिजर्व बल में स्थानान्तरित होने पर, श्री श्री ए० एस० भट्टी, सहायक कमांडेंट ने दिनांक 14 सितम्बर 1976 के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया । उनका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

दिनांक 27 अक्तूबर 1976

सं० ई०-16016/3/76-कार्मिक—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित होने पर उस मंत्रालय के स्थाई सहायक श्री तिलक राज गुजराल ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली के महानिरीक्षक के कार्यालय में 21 अक्तूबर, 1976 के पूर्वाह्न से अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

ली० सिंह बिष्ट,
महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 अक्तूबर 1976

सं० पी०/जेड०(1)-ए० डी०-1—इस कार्यालय की अधि-सूचना सं० पी०/जेड० (1)-ए० डी०-1 दिनांक 13 जून, 1975 की अनुवृती में राष्ट्रपति, श्री जे० एन० जुत्सी के जम्मू एवं काश्मीर के जनगणना निदेशक एवं पदेन जनगणना अधीक्षक के पद पर की पुनः नियुक्ति को दिनांक 20 अक्तूबर, 1976 से एक वर्ष की और अवधि के लिए सहर्ष बढ़ाते हैं ।

श्री जुत्सी का मुख्य कार्यालय श्रीनगर में होगा ।

दिनांक 25 अक्तूबर 1976

सं० 11/10/76-प्रशा०-एक—राष्ट्रपति, तमिल नाडु में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक जन-गणना (तकनीकी) श्री ए० एस० डांगे को 16 अक्तूबर, 1976 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक जो भी समय इनमें पहले हो, सिक्किम में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

श्री डांगे का मुख्यालय गंगटोक में होगा ।

सं० 11/10/76-प्रशा०-एक—राष्ट्रपति, केरल में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) श्री एम० थंगाराजू को 4 अक्तूबर, 1976 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक जो भी समय इनमें पहले हो, तमिल नाडु में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री थंगाराजू का मुख्यालय मद्रास में होगा।

सं० 11/4/76-प्रशा०-एक (3)—राष्ट्रपति, पंजाब में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में अन्वेषक श्री जी० एस० पाबला को 14 अक्तूबर, 1976 के पूर्वाह्न से 48 दिनों की अवधि या अगले आदेशों तक जो भी समय इनमें पहले हो, उसी कार्यालय में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री पाबला का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा।

दिनांक 26 अक्तूबर 1976

सं० 11/4/76-प्रशा०-एक(2)—राष्ट्रपति, बिहार में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में अन्वेषक श्री आर० बी० सिंह को 23 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से 28 फरवरी, 1977 तक उसी कार्यालय में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री आर० बी० सिंह का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा।

सं० 11/4/76-प्रशा०-एक (1)—राष्ट्रपति, इस कार्यालय की तारीख 28 अगस्त, 1976 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में पंजाब में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में श्री जी० एस० पाबला की सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 30 सितम्बर, 1976 तक सहर्ष बढ़ाते हैं।

श्री पाबला की तदर्थ नियुक्ति के विस्तारित अवधि के दौरान में मुख्यालय चण्डीगढ़ में ही रहेगा।

दिनांक 27 अक्तूबर 1976

सं० पी०/एस० (74)-प्रशा०-एक—उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के अधिकारी श्री डी० पी० सक्सेना ने 30 सितम्बर, 1976 के अपराह्न से उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उप निदेशक जनगणना कार्य के पद का कार्यभार छोड़ा।

श्री सक्सेना की सेवाएं उक्त तारीख से ही उत्तर प्रदेश सरकार के सुपुर्द की गई।

बद्री नाथ
भारत के उप महापंजीकार और
पदेन उप सचिव

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 8 अक्तूबर 1976

सं० 928/ए०—दि० 4-9-76 के क्रम में, श्री० एस० टी० पवार को उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर चलार्थ पत्र मुद्रणालय में 8-1-1977 तक नियुक्त करते हैं।

दिनांक 14 अक्तूबर 1976

सं० 954/ए०—श्री एस० एम० नागपाल, निम्नांकित अधिकारी को चलार्थ पत्र मुद्रणालय में (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद) उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर सुधारित वेतन श्रेणी द० 650-30-740-35-810-ई० बी०-35-880-40-1000-ई० बी०-40-1200 में तदर्थ रूप में 11-10-76 से 8-1-1977 तक नियुक्त किया जाता है।

ना० राममूर्ति
ज्येष्ठ उप महा प्रबंधक,
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 12 अक्तूबर 1976

सं० पत्र क्रमांक बी० एन० पी०/ई०/8/एम०-8—इस कार्यालय की दिनांक 11-7-76 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में श्री एस० के० माथुर को तदर्थ आधार पर उप-नियंत्रण अधिकारी के पद पर की गई नियुक्ति 13 अक्तूबर 1976 (पूर्वाह्न) से 3 माह की अवधि तक या पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो निरन्तर की जाती है।

डी० सी० मुखर्जी,
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

संख्या 4981-रा० स्था० I/III-76

1. सं० 3976-रा० स्था० I/जे०-14/पी० एफ० II दिनांक 11-8-76—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर

श्री डी० पी० जैन, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा, लेखा नियन्त्रक, कार्यालय मुख्य लेखा नियन्त्रक, पूर्ति विभाग, नई दिल्ली 31-7-76 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत हो गए हैं ।

2. सं० 4261-रा० स्था०-I/जे०-4/पी० एफ० V दिनांक 30-8-76—श्री डी० डी० जेरथ, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा ने 14-8-76 से महालेखाकार, असम, मेघालय, मिजोराम तथा अरुणाचल प्रदेश, शिलांग के रूप में कार्यभार संभाल लिया है । उन्होंने श्री आर० सी० सूरी, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा को उनके स्थानान्तरण पर कार्यभार से मुक्त किया ।

3. सं० 4408-रा० स्था० I/पी० 25/पी० एफ० III दिनांक 4-9-76—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री बी० जी० पांडसे भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा सरकारी सेवा से (8-5-76 से 31-8-76 तक की निवृत्ति पूर्व छुट्टी समाप्त होन पर) 31-8-76 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए हैं ।

4. सं० 4601-रा० स्था० I/एम० 30/पी० एफ० IV दिनांक 16-9-76—श्री एस० सी० मुखर्जी, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा ने 4 सितम्बर 1976 (अपराह्न) से मुख्य लेखापरीक्षक, रेलवे उत्पादन यूनिट, कलकत्ता के रूप में कार्यभार संभाल लिया है । उन्होंने कुमारी अमृता ग्रोवर, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा को उनके स्थानान्तरण पर कार्यभार से मुक्त किया ।

श्री मुखर्जी को उसी तारीख से अगले आदेश तक महालेखाकार के ग्रेड के स्तर II में स्थानान्तरण रूप में नियुक्त किया जाता ।

5. संख्या 4625-रा० स्था० I/ए०-2/पी० एफ० IV दिनांक 16-9-76—श्री यू० डी० आचार्य, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा ने 4-9-76 (अपराह्न) से मुख्य लेखापरीक्षक, पूर्व रेलवे, कलकत्ता के रूप में कार्यभार संभाल लिया है । उन्होंने श्री एन० जी० सेन, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा को कार्यभार से मुक्त किया ।

6. सं० 4626-रा० स्था० I/एस० 65/ पी० एफ० IV दिनांक 16-9-76—श्री वी० के० सुब्रामनियन, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा ने 4-9-76 (अपराह्न) से निदेशक, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा स्टाफ कालेज, शिमला के रूप में कार्यभार संभाल लिया है ।

श्री सुब्रामनियन को उसी तारीख से अगले आदेश तक महालेखाकार के ग्रेड के स्तर II में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है ।

7. सं० 4722-रा० स्था० I/पी० 33/पी० एफ० दिनांक 20-9-76—कुमारी भारती प्रसाद, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा को दिनांक 4-9-76 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है ।

8. सं० 4723-रा० स्था० I/बी० 77/पी० एफ० दिनांक 20-9-76—श्री उत्पल भट्टाचार्य, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा को दिनांक 4-9-76 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा के वरिष्ठ वेतनमान (1100-1600 रु०) में स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है ।

9. सं० 4941-रा० स्था० I/बी० 25/पी० एफ० III दिनांक 7-10-76—श्री एच० बी० भड़, भारत के उप-नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक 4 सितम्बर 76 से 31 जनवरी 78 तक की निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चले गए हैं ।

एम० एम० बी० अन्नावी
सहायक नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
(कार्मिक)

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियन्त्रक

नई दिल्ली-22, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

सं० 86016 (14)/76/प्रशा०-II—राष्ट्रपति, भारतीय-रक्षा लेखा सेवा के श्री के० राधाकृष्णन को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (रु० 1500-60-1800-100-2000) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए 30-8-76 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश पर्यन्त, सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 25 अक्तूबर 1976

सं० 18217/प्रशा०-II—58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आर० के० वधावन, रक्षा लेखा उप नियन्त्रक को पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा और उनका नाम, 30 अप्रैल, 1977 (अपराह्न) से, विभाग की नफरी से निकाल दिया जाएगा ।

पी० के० रामानुजम,
रक्षा लेखा अपर महा नियन्त्रक (प्रशा०)

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डनैन्स फैक्टरियां सेवा

महानिदेशालय, आर्डनैन्स फैक्टरियां

कलकत्ता-16, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

सं० 74/76/जी०—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को अस्थायी सहायक प्रबन्धक के पद पर, प्रत्येक के सामने दर्शायी तारीख से आगामी आदेश न होने तक नियुक्त करते हैं :—

1. श्री मुरलीधर कण्डवाल—26 जुलाई, 1973/पूर्वाह्न
2. श्री बाल भूषण—1 अक्तूबर, 1973/पूर्वाह्न
3. श्री धीरेन्द्र प्रकाश सक्सेना—16 अगस्त, 1973/पूर्वाह्न
4. श्री एस० सलीम रजा जायदी—29 अगस्त, 1973/(पूर्वाह्न)
5. श्री वी० हरिहर अय्यर —28 जून, 1973/पूर्वाह्न

दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० 75/76/ए०/जी०—सेवा निवृत्ति-पूर्व-अवकाश की समाप्ति पर, श्री एम० के० मेनन, मौलिक एवं स्थायी उप-प्रबन्धक, दिनांक 31 जुलाई, 1976 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए ।

एम० पी० आर० पिल्लाय
सहायक महानिदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरियां

श्रम मन्त्रालय

(कोयला खान कल्याण संस्था)

धनबाद–826003, दिनांक 25 अक्तूबर 1976

सं०-प्रशासन 12(9)76—श्री विनेश प्रसाद, स्थायी प्रधान लिपिक को कोयला खान कल्याण आयुक्त धनबाद के सहायक सचिव के पद पर दिनांक 2-9-76 (पूर्वाह्न) से रु० 550-25-750-दक्षता रोध-30-900 के वेतनमान में अस्थायी रूप से अगला आदेश होने तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है ।

आर० पी० सिन्हा
कोयला खान कल्याण आयुक्त, धनबाद

श्रम ब्यूरो

शिमला-171004 दिनांक 5-11-76

5 नवम्बर 1976

सं० 23/3/76—सी० पी० आई०—सितम्बर, 1976 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) अगस्त, 1976 के स्तर से चार अंक बढ़कर 302 (तीन सौ दो) रहा । सितम्बर, 1976 माह का सूचकांक 1949 आधार वर्ष पर परिवर्तित किए जाने पर 367 (तीन सौ सड़सठ) आता है ।

सु कुमार रे
उप निदेशक

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण (स्थापना)

मि० सं० 6/88/54-प्रशासन(जी०)—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग I के अधिकारी और इस कार्यालय में उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, श्री एन० सी० कांजीलाल को दिनांक 30 सितम्बर, 1976 के दोपहर बाद से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

मि० सं० 6/725/64-प्रशा०(राज०)—सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग के अधिकारी, श्री टी० एन० मित्तल ने दिनांक 30 सितम्बर, 1976 के दोपहर बाद से इस कार्यालय में नियन्त्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

ए० एस० गिल,
मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई, दिनांक 1 अक्तूबर 1976

स० 10(1)/73-76/सी० एल०बी० II—कपास नियन्त्रण आदेश, 1955 के खंड 5(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० 10(1)/73-74/सी० एल० बी० II दिनांक 19 दिसम्बर 1974 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूं, अर्थात् :—

एक. (1) उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ 3 की विद्यमान प्रविष्टी में "दो मास" इन शब्दों और चिह्न के स्थान पर "एक मास" ये शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(2) क्रम संख्या 2 के सामने स्तंभ 3 की विद्यमान प्रविष्टी में "साढ़े तीन मास" इन शब्दों और चिह्न के स्थान पर "दो मास" ये शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(3) क्रम संख्या 3 के सामने स्तंभ 3 की विद्यमान प्रविष्टी में "तीन मास" इन शब्दों और चिह्न के स्थान पर "डेढ़ मास" ये शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

दो. अनुसूची के नीचे के दूसरे परंतुक में "साढ़े चार मास" इन शब्दों के स्थान पर "तीन मास" ये शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

दिनांक 6 अक्तूबर 1976

सं० सी० ई० आर०/1/76—सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद् द्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी० ई० आर०/1/68 दिनांक 2 मई, 1968 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में :—

एक. मद (बी) की उपमद (पांच) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(पांच) जो ऐसे सूत से बुना गया हो जिसका औसत काउंट 34.49s से अधिक न हो और इसमें हर प्रकार की छपी मलमल और छपी वायल, जिसके टुकड़ों की लम्बाई 5.5 मीटर से कम न हो, सम्मिलित है ।"

दो. मद (बी) के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दी जाएगी :—

"**टिप्पणी**—इस पैराग्राफ के निमित्त छपी मलमल और छपी वायल से तात्पर्य कोई भी सादी बुनाई (प्लेन वीव) का छपा वस्त्र है जो इकहरे सूत से निर्मित हो और जिसके ताने के सूत का काउंट 28s से कम न हो ।"

तीन. मद (ई) के बाद निम्न मद और जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :—

"(एफ)" नियंत्रित टयर" से तात्पर्य हर प्रकार के सादी बुनाई के इकहरे सूत से निर्मित वस्त्र जो मर्सराइज्ड या ब्लीचंक हो या न हो से है, और जो :—

(एक) पूर्ण रूप से रुई से या अंशतः रुई और अंशतः किसी अन्य रेशे से निर्मित हो और जिसमें रुई की मात्रा, वजन के आधार पर, 75 प्रतिशत से कम न हो,

(दो) ऐसे सूत से निर्मित हो जिसका औसत काउंट 34.49s से अधिक न हो,

(तीन) ब्लीच्ड, रंगा या छपा हो,

(चार) प्रति वर्ग-गज 5.5 औंस और 6.5 औंस के बीच के वजन का हो, और

(पांच) सर्व साधारण में उक्त नाम से विदित हो।"

गौरी शंकर भार्गव,
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

बम्बई-20, दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० ई० एस० टी० 1-2(675)—वस्त्र आयुक्त, अपने कानपुर स्थित प्रादेशिक कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक (नान टेकनीकल) श्री शैलेन्द्र नाथ मजुमदार को 23 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से, अन्य आदेश होने तक, उसी कार्यालय में सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कां० रा० नीलकंठन
उप निदेशक

विस्फोटक सामग्री विभाग

नागपुर, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

सं० आर०4(2)43—विस्फोटक नियम 1940 के नियम 5 के उपनियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, विस्फोटक सामग्री विभाग, 12.5 किलोग्राम तक अमोरसेज (पेपर कैप्स फॉर टॉय पिस्टल्स) के संचयन और बिक्री के लिये विस्फोटक विभाग के आदेश सं० आर०-4 (2) 43 दिनांक 13-2-69 का अधिक्रमण और विस्फोटक नियम 1940 के नियम 81 की अपेक्षा निलंबित करते हैं।

इंगुब नरसिंह मूर्ति
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय
(प्रशासन शाखा 1)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

सं० प्र० 1/1(550)—स्थायी अवर क्षेत्र अधिकारी तथा पूर्ति निदेशक (वस्त्र) बम्बई के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड II) सर्वश्री एल० एल० टी० डिसूजा और एन० आर० फनासगांओकर दिनांक 30-9-76 के अपराह्न से नियर्तन आयु (58 वर्ष) होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

के० एल० कोहली
उप निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

सं० ए० 19011(198)/76-सी० ए०—राष्ट्रपति, श्री आर० एम० रामनाथन को 28 सितम्बर, 1976 के अपराह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में कनिष्ट खनन भूविज्ञानी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

ए० के० राघवाचारी
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते नियंत्रक

कानपुर, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

सं० ए० 19011(30)/75-स्था० ए०—राष्ट्रपति भारतीय खान ब्यूरो के स्थायी उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी श्री डी० बी० कुलकरणी, को दिनांक 5 अक्तूबर, 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक उसी विभाग में तदर्थ आधार पर अयस्क प्रसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० ए० 19011(58)/75-स्था० ए०—राष्ट्रपति भारतीय खान ब्यूरो के स्थायी उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी श्री एस० एन० चट्टोपाध्याय को दि० 5-10-1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक उसी विभाग में तदर्थ आधार पर अयस्क प्रसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए० के० राघवाचारी
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-16, दिनांक 25 अक्तूबर 1976

सं० 40/59/सी०/19-ए०—श्री बी० एम० गुहा की सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद की तदर्थ नियुक्ति को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में आगें आदेश होने तक, 1-9-1976 के पूर्वाह्न से नियमित किया गया है।

श्री बी० एम० गुहा की सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति 30-3-1974 से की गई थी।

सं० 2222 (एस० सी०)/19-ए०—श्री सोमनाथ चट्टोपाध्याय, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूविज्ञान), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में उसी विभाग में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में, अस्थायी क्षमता में, आगामी आदेश होने तक, 3 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

बी० के० एस० वरदन, महा निदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

सं० स्था० 1/5144/579-चुनाव-70 (श्रेणी II)—श्री जी० एस० धीमन को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधिकारी सर्वेक्षक के अस्थायी पद पर ग्रुप 'बी०' सेवा में 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के संशोधित वेतनमान में 17 सितम्बर, 1976 पूर्वाह्न से अगले आदेश दिए जाने तक स्थानापन्न रुप में नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 20 अक्तूबर 1976

सं० स्था०-1-5145/587—श्री अनिल कुमार चक्रवर्ती को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रेप 'बी०' (अराजपत्रित) में सहायक मुख्य नक्काश के स्थायी पद पर 650-30-740-35-810-द० रो०- 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के संशोधित वेतनमान में 28 सितम्बर, 1976 पूर्वाह्न से अगले आदेश दिए जाने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है ।

सं० स्था०- 1-5147/913-एच०—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या स्था०-1-1-5107/913-एच० दिनांक 1-7-76 के अनुक्रम में श्री रमेश कुमार चमोली, हिन्दी अधिकारी, महासर्वेक्षक का कार्यालय की तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31-3-77 तक, या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाता है, जो भी पहले हो, बढ़ा दी जाती है ।

के० एल० खोसला, मेजर जनरल
भारत के महासर्वेक्षक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर 1976

सं० 5(3)/69-डी० (एस०)-एस० दो—श्री पी० वी० रामकृष्णन, लेखा अधिकारी की महालेखाकार मद्रास के कार्यालय से क्षेत्रीय अभियन्ता (दक्षिण), आकाशवाणी, मद्रास के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति 24-9-1976 से एक वर्ष के लिये बढ़ायी जाती है ।

एस० वी० सेषाद्री, प्रशासन उप-निदेशक
कृते महानिदेशक

दूरदर्शन महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर 1976

सं० 55/46/76-एस० एक—महानिदेशक, दूरदर्शन, एतद्द्वारा श्री डी० गुरुस्वामी ट्रान्समिशन निष्पादक, दूरदर्शन, मद्रास को 29 सितम्बर, 1976 से अग्रेतर आदेशों तक, उसी केन्द्र में, अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सी० एल० आर्य, प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

फिल्म प्रभाग

बम्बई-26, दिनांक 11 अक्तूबर 1976

सं० 17/16/49 सिम्बन्दी-1—श्री आर०सी० खन्ना स्थानापन्न शाखा प्रबन्धक फिल्म प्रभाग मद्रास, छुट्टी से वापस आने के कारण श्री पी० व्ही० राव, स्थानापन्न शाखा प्रबन्धक फिल्म प्रभाग मद्रास दिनांक 27-9-1976 के पूर्वाह्न से फिर फिल्म प्रभाग नागपुर में विक्रेता के पद पर प्रत्यावर्तित माने जायेंगे ।

एम० के० जैन, प्रशासकीय अधिकारी
कृते प्रमुख निर्माता

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

सं० ए० 12025/19/76 (के० स० स्वा० यो०) प्रशासन-1 (ए०)—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 7 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक डा० एस० जी० डामले को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर में दंत शल्य चिकित्सक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है ।

सं० ए० 12015/9/76 (के० स० स्वा० यो०) /एडमिन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 10 अगस्त, 1976 पूर्वाह्न से डा० एस० एस० लूथरा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ में दंत शल्य चिकित्सक के पद पर आगामी आदेशों तक अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है ।

दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० 10-15/73-प्रशासन-1 —राष्ट्रपति ने 24 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से डा० एम० एल० दीवान को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता में सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक के पद पर आगामी आदेशों तक अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है ।

2. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता में सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक के पद पर अपनी नियुक्ति के फलस्वरूप डा० एम० एल० दीवान ने 15 सितम्बर, 1976 के अपराह्न से केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में फैक्टरी मैनेजर के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं० ए० 31013/9/76(सी० एच० ई० बी०) :-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, 27 अप्रैल, 1976 से श्री ए० बी० हीरामणी को केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सहायक उप महानिदेशक (अनुसंधान), के स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं ।

सं० ए० 12023/14/76 (वि० अ०)प्रशासन-1 —स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 21 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से अगामी आदेशों तक डा० (श्रीमती) स्वर्णलता कपूर को विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक जीव रसायन विज्ञानी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

सं० ए० 12025/12/76 (एफ० आर० एस० एल०)-प्रशासन-1 —राष्ट्रपति ने पणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्राम विकास विभाग) के पणन अधिकारी डा० पी० के० जायसवाल को खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद , में वरिष्ठ विश्लेषक के पद पर 24 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है ।

सं० ए० 12025/17/76(जे० आई० पी०)-एडमिन० 1—राष्ट्रपति ने 31 जुलाई, 1976 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक डा० आर० सुन्दरगेन को जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में जीवरसायन के प्राध्यापक के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है ।

दिनांक 19 अक्तूबर 1976

सं० ए० 31013/3/76-डी०—राष्ट्रपति ने 19 फरवरी, 1976 से श्री ए० के० एम० पिल्लई को केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड 2 के पद पर स्थायी आधार पर नियुक्त किया है ।

सं० 26-19/75-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, 27 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक श्री प्यारे लाल सूद, तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में अनुसंधान अधिकारी (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

सं० 26-14-74-प्रशासन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 1 फरवरी, 1976 से श्री एस० एन० शर्मा को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में प्रशासन अधिकारी के स्थाई पद पर स्थाई आधार पर नियुक्त किया है ।

दिनांक 20 अक्तूबर 1976

सं० 6-12/73-प्रशासन-1—रक्षा मंत्रालय के अधीन असैनिक जीव-रसायनज्ञ के पद पर अपनी नियुक्ति के फलस्वरूप डा० ए० ए० अनसारी ने 14 सितम्बर, 1976 के अपराह्न को केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, में उप सहायक निदेशक (नान-मेडिकल) के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं० 16-6/75-एडमिन०-1—स्वास्य सेवा महानिदेशक ने श्री यू० एस० मिश्र को 20 सितम्बर, 1973 से केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सहायक सम्पादक (रेडियो और टी० वी०) के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया है ।

सं० ए० 31014/10/76- (सी० एच० ई० बी०)/प्र०-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री जे० पी० शर्मा को 29 जून, 1976 से केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में प्रचार अधिकारी (कला) के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया है ।

दिनांक 27 अक्तूबर 1976

सं० ए० 31014/6/76-(एच० क्यू०) प्रशासन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाशक ने 19 फरवरी, 1976 से स्वर्गीय श्री बी० पी० रावत को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के स्थायी पद पर स्थाई आधार पर नियुक्त किया है ।

सं० ए० 38013/2/76-प्रशासन-1—भारत सरकार बड़े दुख के साथ यह घोषणा करती है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्री बी० पी० रावत का 18 सितम्बर, 1976 को देहान्त हो गया है ।

सूरज प्रकाश जिन्दल, उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1976

सं० 20/1(26)/75-के० स० स्वा० यो०-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 15 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से डा० चातुरी प्रसाद विचित्र को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है ।

दिनांक 14 अक्तूबर 1976

सं० 20/1(26)/75-के० स० स्वा० यो०-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 3 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से डा० पी० के० कोयल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कलकत्ता में होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है ।

दिनांक 23 अक्तूबर 1976

सं० 20/6(2)/75-सी० जी० एच० एस०-I(भाग 2)—उनका त्यागपत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, डा० (श्रीमती) इंदा उप्पल ने 27-7-76 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली, के अधीन कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (तदर्थ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

राजकुमार जिन्दल,
उप निदेशक प्रशासन (सी० जी० एच० एस०)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

सं० 11-13/73-एडमिन-I (भाग-2)—निवर्तन आयु के हो जाने पर श्री विद्या सागर तलवाड़ ने 30 सितम्बर, 1976 अपराह्न को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली से निदेशक, प्रशासन व सतर्कता के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

अ० सुरीन,
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1976

सं० 38-10/74-सी० एच० एस०-1—अपनी बदली हो हो जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-2 के एक अधिकारी डा० आर० के० नाम्बियर ने 10 अगस्त, 1976 पूर्वाह्न को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, बम्बई में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा उन्होंने

उसी दिन के अपराह्न से पत्तन स्वास्थ्य संगठन, बम्बई में सहायक पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

2. अपनी बदली हो जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (तदर्थ) डा० एम० बी० सूर्यवंशी ने 9 अगस्त, 1976 अपराह्न को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा, बंबई से कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया और 10 अगस्त, 1976 के अपराह्न से पत्तन स्वास्थ्य संगठन, बम्बई में तदर्थ आधार पर सहायक पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

के० वेणुगोपाल,
उप निदेशक प्रशासन (सी० एच० एस०)

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय
(कृषि विभाग)
विस्तार निदेशालय
नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर 1976

सं० पी० 5-383/76/-स्थापना-I—महालेखाकार वाणिज्य कार्य निर्माण तथा विविध के कार्यालय से स्थानान्तरण होने पर श्री एस० पी० पुरी को विस्तार निदेशालय के वेतन तथा लेखा कार्यालय में दिनांक 1-7-1976 से अस्थायी रूप में स्थानापन्न लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

निर्मल कुमार दत्त,
प्रशासन निदेशक

(ग्राम विकास विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
प्रधान कार्यालय
एन० ए०-4 फरीदाबाद, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

सं० फा० 4-5 (76)/76-प्रशा-III—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय बम्बई में दि० 24 सितम्बर, 76 (अपराह्न) से अगले आदेश होने तक अस्थायी आधार पर रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में विपणन अधिकारी (वर्ग-III) नियुक्त किया जाता है ।

बी० एल० मनीहार,
निदेशक, प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

परियोजना निदेशक का कार्यालय
मुक्त समुद्र मत्स्यन परियोजना
कोचीन-682016, दिनांक 24 जून 1976

सं० 1/2-106/76-ए०—समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना, मंगलौर बेस, मंगलौर के हैड क्लर्क श्री टी० पी० राधाकृष्णन को 17 जून, 1976 के पूर्वाह्न से मुक्त समुद्र मत्स्यन परियोजना, एर्नाकुलम, कोचीन-682016 में 550-20-650-25-750-रु० के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

एम० देवीदास मेनन,
परियोजना निदेशक

भाभा परमाणु अनसंधान केन्द्र
कार्मिक प्रभाग
ट्राम्बे बम्बई-85, दिनांक 23 सितम्बर 1976

सं० एस०/2939/स्था० 11/2843—इस अनुसंधान केन्द्र की 26-5-1975 की अधिसूचना सं० एस/2939/स्था० V/435 के क्रम में, भाभा परमाणु अनसंधान केन्द्र के नियंत्रक हिन्दी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय के स्थायी हिन्दी शिक्षक श्री चन्द्र देव सिंह को 30 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से एक और साल के लिये अथवा आगामी आदेशों तक के लिये, जो भी पहले हो, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी (हिन्दी) नियुक्त करते हैं ।

एस० कृष्णमूर्ति
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग
(नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना)
मुम्बई-5, दिनांक 25 सितम्बर 1976

सं० एन० ए० पी० पी०/18/(88)/75-प्रशासन-5784—विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग के निदेशक, बोर्ड आफ रेवेन्यू कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नायब तहसीलदार श्री रामायण प्रकाश श्रीवास्तव को 2 सितम्बर, 1976 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए नरोरा स्थित नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना में 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960 रुपये के वेतनमान में भू-प्रबन्ध अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 4 अक्तूबर 1976

सं० एन० ए० पी० पी०/18/79/75-प्रशासन-5895—वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड एस० बी० श्री एम० जी० देशपांडे को, उनका तबादला विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग से होने पर, 1 फरवरी, 1974 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के बम्बई स्थित कार्यालय में उसी ग्रेड के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

आर० जे० भाटिया,
मुख्य प्रशासम अधिकारी

तारापुर परमाणु बिजलीघर

थाना-401504, दिनांक 9 अक्तूबर 1976

सं० टी ए पी एस/एडीएम/735-ए—परमाणु ऊर्जा विभाग के तारापुर परमाणु बिजलीघर के मुख्य अधीक्षक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक श्री जे० डी-कोस्टा को, उनकी तैनाती संवर्ग प्राधिकारी द्वारा की जाने पर, 1 अक्तूबर, 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए तारापुर परमाणु बिजलीघर में अस्थायी रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

के० वी० सेतुमाधवन,
मुख्य प्रशासन-अधिकारी

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना

कलपक्कम-603102, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

सं० 18(67)/76-भर्ती—विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग के निदेशक, अस्थायी वैज्ञानिक सहायक 'सी' सर्वश्री एम० जनार्दनन तथा एम० शंकरपांडियन को 1 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए इसी परियोजना में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड 'एस बी' नियुक्त करते ह ।

के० बालकृष्णन,
प्रशासन-अधिकारी

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना

कोटा, दिनांक 20 अक्तूबर 1976

सं० रापविप/भर्ती/10 (6)/76/334—राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर, नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना के एक स्थानापन्न लेखा-अधिकार III श्री जे० पी० गुप्ता को राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सृजित लेखा अधिकारी-II के स्थायी अधिसंख्य पद पर दिनांक 7-8-1976 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं । यह नियुक्ति दिनांक 7-8-1976 से 6 मास की अवधि के लिए या उसी ग्रेड में श्री जे० पी० गुप्ता की पुष्टि के लिए नियमित स्थायी पद उपलब्ध होने की तारीख तक, जो भी तारीख पहले हो, होगी ।

दिनांक 26 अक्तूबर 1976

सं० रापविप/भर्ती/3(1)/76/340—राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर इस परियोजना के एक वैज्ञानिक सहायक, ग्रेड 'सी', श्री के० एल० गोयल को इसी परियोजना में दिनांक 1-8-1976 के पूर्वाह्न से लेकर आगामी आदेश जारी होने तक के लिए अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी इंजीनियर ग्रेड-एस० बी० के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सं० रापविप/भर्ती/3(1)/76/341—राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर इस परियोजना के एक स्थायिवत सहायक फोरमैन और स्थानापन्न फोरमैन, श्री एल० पी० गुप्ता को इसी परियोजना में दिनांक 1-8-1976 के पूर्वाह्न से सूकर आगामी आदेश जारी होने तक के लिए अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी इंजीनियर ग्रेड एस० बी० के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सं० रापविप/भर्ती/3(1)/76/342—राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर इस परियोजना के एक स्थायिवत् वैज्ञानिक सहायक ग्रेड-'ए' और स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक ग्रेड-'बी', श्री एम० एन० लिमये को इसी परियोजना में दिनांक 1-8-76 से आगामी आदेश जारी होने तक के लिए अस्थायी रूप से वैज्ञानिक-अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-एस० बी० के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सं० रापविप/भर्ती/3 (1)/76/343—राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर इस परियोजना के एक स्थायिवत सहायक फोरमैन और स्थानापन्न फोरमैन, श्री ए० एस० बंसल को इसी परियोजना में दिनांक 1-8-1976 के पूर्वाह्न से लेकर आगामी आदेश जारी होने तक के लिए अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी इंजीनियर ग्रेड-एस० बी० के पद पर नियुक्त करते हैं ।

गोपाल सिंह,
प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

क्रय तथा भंडार निदेशालय

मुम्बई-400001, दिनांक 1 अक्तूबर 1976

सं० डी पी एस/ए/32011/3/76-स्थापना-13782—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय तथा भंडार निदेशालय के निदेशक, इस निदेशालय के स्थायी क्रय सहायक श्री जनार्दन तुकाराम नेरूरकर को 3 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए इसी निदेशालय में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक क्रय अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

बी० जी० कुलकर्णी,
सहायक कार्मिक अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

इसरो उपग्रह तन्त्र परियोजना

पीन्या-562140, दिनांक 11 अक्तूबर 1976

सं० 020/3(061)/76—विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के निदेशक निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से और मूल वेतन पर रु० 650-30-740-35-880-द० रो-40-960 के ग्रेड में पदोन्नति/पुनरीक्षण पर भारतीय

अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के इसरो उपग्रह तन्त्र परियोजना में वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस० बी०' के पद पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम	तारीख	मूल वेतन
			रु०
1.	श्री एल० ए० जयराज	1-1-76	650/-
2.	श्री के० बालाकृष्णा राव	1-1-76	650/-
3.	श्री एम० पी० नागराज	1-1-76	650/-
4.	श्री एम० वी० कन्नन	1-1-76	650/-
5.	श्री वी० बाबाराम	1-1-76	650/-
6.	श्री अनिल डी० राव	1-1-76	650/-
7.	श्री एच० मुरलीधर	1-2-76	710/-
8.	कुमारी ए० एस० भामवती	1-7-76	650/-
9.	श्री आर० चन्द्र शेखर	1-7-76	710/-

वी० वी० एस० चौधरी,
प्रशासन अधिकारी

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 16 अक्तूबर 1976

सं० ई (1) 04260—वेधशालाओं के महानिदेशक, निदेशक प्रादेशिक मौसम केन्द्र, बम्बई के कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री टी० एम० सांबामूर्ति को 15-9-76 के पूर्वाह्न से 12-12-76 तक नवासी दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

श्री टी० एम० सांबामूर्ति, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, बम्बई के कार्यालय में ही तैनात रहेंगे ।

दिनांक 19 अक्तूबर 1976

सं० ई (1) 04261—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के उपमहानिदेशक, (जलवायु विज्ञान तथा भू-भौतिकी) पूना के कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री बी० गोपीनाथ राव को 30-9-76 के पूर्वाह्न से 27-12-76 तक नवासी दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते ह ।

श्री गोपीनाथ राव, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (जलवायु विज्ञान तथा भू-भौतिकी), पूना के कार्यालय में ही तैनात रहेंगे ।

दिनांक 20 अक्तूबर 1976

सं० ई (1) 05539—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक, नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री जे० यू० हिंगोरानी को 5-10-76 के पूर्वाह्न से 1-1-77 तक नवासी दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

श्री हिंगोरानी, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली में ही तैनात रहेंगे ।

दिनांक 21 अक्तूबर 1976

सं० ई (1) 06736—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक, नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री आर० के० बंसल को 15-10-76 के पूर्वाह्न से 11-1-77 तक नवासी दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

श्री बंसल, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी, वेधशालाओं के महानिदेशक, नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय में ही तैनात रहेंगे ।

सं० ई (1) 04285—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (जलवायु विज्ञान तथा भू-भौतिकी), पूना के कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री एन० वी० परमेश्वरन को 6-10-76 के पूर्वाह्न से 2-1-77 तक नवासी दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

श्री परमेश्वरन स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी वेधशालाओं के उप-महानिदेशक, (जलवायु, विज्ञान तथा भू-भौतिकी) पूना के कार्यालय में ही तनात रहेंगे ।

दिनांक 25 अक्तूबर 1976

सं० ई (1) 03918—वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (जलवायु और भू-भौतिकी) पूना, भारत मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालय में सहायक मौसम विज्ञानी श्री के० कृष्ण मूर्ति निवर्तन की आयु पर पहुंचने पर 31 अगस्त, 1976 को अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए ।

दिनांक 27 अक्तूबर 1976

सं० ई (1) 06560—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली में व्यावसायिक सहायक श्री एच० सी० मेहरा को 15-10-76 के पूर्वाह्न से 11-1-77 तक नवासी दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

श्री मेहरा, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी वेधशालाओं के मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली में ही तनात रहेंगे ।

सं० ई (1) 05027—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (उपकरण), नई दिल्ली के कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री छैल बिहारी को 15-10-76 के पूर्वाह्न से 11-1-77 तक नवासी दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं ।

श्री छैल बिहारी, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी, वेधशालाओं के उपमहानिदेशक (उपकरण) नई दिल्ली के कार्यालय में ही तैनात रहेंगे ।

एम० आर० एन० मणियन,
मौसम विज्ञानी,
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 1976

सं० ए-31014/1/76-ईसी—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को 1 अक्तूबर, 1976 से नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन में स्थायी आधार पर सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है :—

1. श्री बी० एन० कौल
2. श्री एम० वी० दर्भय
3. श्री ओ० पी० दीक्षित
4. श्री जे० भारद्वाज
5. श्री एम० एस० साहनी
6. श्री एन० एस० सिद्धु
7. श्री एस० आर० पद्मानाभन
8. श्री एस० के० नायर
9. श्री जी० बी० आहो
10. श्री आर० के० सचदेव
11. श्री एल० एम० सेन
12. श्री जी० एन० नायर
13. श्री सी० आर० शिवराम
14. श्री के० एन० पांडे
15. श्री श्रीनासाचेरियर रामास्वामी
16. श्री आर० आर० शर्मा
17. श्री पी० ए० शास्त्री
18. श्री के० बी० नंदा
19. श्री आर० वी० इसरानी
20. श्री एच० एस० मोहना
21. श्री एल० आर० गोयल
22. श्री आर० आर० पै
23. श्री एच० एस० बाजवा
24. श्री एम० वाई० भट्ट
25. श्री एच० एस० ग्रेवाल
26. श्री के० एस० रत्नम

दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० ए-32013/6/75-ईसी—राष्ट्रपति ने वैमानिक संचार स्टेशन बम्बई के श्री बेबी वर्गीज, सहायक संचार अधिकारी को दिनांक 18-9-76 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेश होने तक नियमित आधार पर संचार अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है और उनको क्षेत्रीय नियंत्रक संचार, बम्बई के कार्यालय में तैनात किया है ।

दिनांक 25 अक्तूबर 1976

सं० ए-32013/4/75 ईसी—राष्ट्रपति ने महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय की स्टाफ टेकिंग पार्टी के श्री बी० के० सेनगुप्ता, सहायक तकनीकी अधिकारी को 19 अप्रैल, 1976 (पूर्वाह्न) से, तथा अगले आदेश होने तक, तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है और नियंत्रक संचार, वैमानिक संचार स्टेशन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली के कार्यालय में तैनात किया है ।

हरबंस लाल कोहली,
उपनिदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1976

सं० ए-22012/1/76-ई एच—नागर विमानन विभाग के रेडियो निर्माण एवं विकास एकक के निदेशक, श्री जे० पट्टाभिरमण का 28 सितम्बर, 1976 को निधन हो गया ।

टी० एस० श्रीनिवासन,
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

सं० ए-12032/16/74-ईए—श्री बी० के० कटारी, सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी ने, जो कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं, 10 सितम्बर, 1975 से नागर विमानन विभाग में सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी के पद से त्यागपत्र दे दिया है ।

सं० ए-32014/1/76-ईए—महानिदेशक नागर विमानन ने दिल्ली एयरपोर्ट पालम पर श्री एन० सुब्रह्मण्यम की सहायक विद्युत एवं यांत्रिक अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि 26 अक्तूबर, 1976 से 6 महीने के लिए अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाने की मंजूरी दी है ।

दिनांक 21 अक्तूबर 1976

सं० ए-31013/1/74-ईए—राष्ट्रपति ने श्री बी० हाजरा को 27 दिसम्बर, 1975 से नागर विमानन विभाग के विमान मार्ग एवं विमानक्षेत्र संगठन में उपनिदेशक/नियंत्रक विमानक्षेत्र के ग्रेड में स्थायी रूप में नियुक्त किया है ।

विश्व विनोद जौहरी,
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्ता-कार्यालय

इलाहाबाद, दिनांक 12 अक्तूबर 1976

सं० 75/1976—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के स्थायी निरीक्षक (चयन-ग्रेड) श्री नकुल सेन बेरी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

समाहर्तालय, कानपुर के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मण्डल, कानपुर-II में तैनात थे और इस कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र-संख्या-II(3)-56-स्था/76, दिनांक 12-8-76 के अन्तर्गत जारी किए गए स्थापना आदेश संख्या 200/1976 के अनुसार उनकी नियुक्ति अगला आदेश होने तक के लिए रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समूह 'ख' के रूप में की गई । उन्होंने 6-9-1976 को (दोपहर पूर्व) समेकित मण्डल कार्यालय, मुरादाबाद में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन श्री आर० सी० माथुर को उनके अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समेकित मण्डल कार्यालय, मुरादाबाद के अन्तर्गत अधीक्षक, सम्भल के कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया ।

दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० 76/1976—श्री महेशचन्द्र खरे, स्थायी निरीक्षक (चयन-ग्रेड), केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय, इलाहाबाद में तैनात थे और इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या दो (3) 808-स्था/62/39188, दिनांक 20-9-1976 के अन्तर्गत जारी किए गए स्थापना आदेश संख्या 255/1976, दिनांक 20-9-1976 के अनुसार उनकी नियुक्ति अगला आदेश होने तक रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में स्थानापन्न अधीक्षक के रूप में की गई । उन्होंने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय, इलाहाबाद में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समूह 'ख' के अधीक्षक के कार्यालय का कार्यभार दिनांक 21-9-76 को (दोपहर पूर्व) ग्रहण कर लिया ।

हरिहर नाथ रैना,
समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, हैदराबाद

पटना, दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० 11(7)5-स्था/75/9383—भारत सरकार के राजस्व एवं बैंकिंग विभाग नई दिल्ली के आदेश सं० 107/76 दिनांक 8-7-76 जो उनके पत्र सं० एफ० ए० 22012/19/76-प्र०)-II दिनांक 8-7-76 के द्वारा जारी किया गया, तथा इस कार्यालय के स्थापना आदेश सं० 209/76 दिनांक 23-7-76 जो मि० सं० 11(3)45-स्था/75/62430-501 दिनांक 24-7-76 के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में श्री श्रीधर प्रसाद निरीक्षण अधिकारी श्रेणी-I निरीक्षण निदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शल्क), उत्तरी क्षेत्रीय इकाई, इलाहाबाद ने दिनांक 23-8-76 (पूर्वाह्न) में सहायक समाहर्ता सीमा शुल्क (निवारण) के रूप में मुख्यालय कार्यालय पटना में कार्यभार ग्रहण किया ।

सं० 11(7)5-स्था/75—भारत सरकार के राजस्व एवं बैंकिंग विभाग नई दिल्ली के आदेश सं० 107/76 दिनांक 8-7-76 जो उनके पत्र एफ सं० ए-22012/19/76-एडी-II दिनांक 8-7-76 के द्वारा जारी किया गया, तथा इस कार्यालय के स्थापना आदेश सं० 209/76 दिनांक 23-7-76 जो मि० सं० 11(3)45-स्था/75/62430-501 दिनांक 24-7-76 के द्वारा जारी किया गया था, इसके अनुसरण में श्री जे० पी० पाल, सहायक समाहर्ता, सीमा-शुल्क समाहर्तालय, कलकत्ता ने सहायक समाहर्ता सीमाशुल्क मोतीहारी के रूप में दिनांक 2-8-76 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया ।

हरि नारायण साहू,
समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पटना

निरीक्षण निदेशालय, सीमाशुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

सं० 15/76(सी० सं० 1092/13/75)—श्री वी० थीरूमलाचारी ने, सेवा निवृत हो जाने पर, दिनांक 30 सितम्बर, 1976 के अपराह्न से, निरीक्षण अधिकारी (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ग्रुप बी, दक्षिणी प्रादेशिक यूनिट, निरीक्षण निदेशालय, सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मद्रास, के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

सं० 16/76 (सी० सं० 1041/45/76)—श्री एस० एन० तिवारी ने, जो पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, इलाहाबाद में अधीक्षक, ग्रुप बी के पद पर तैनात थे, दिनांक 30-9-76 (अपराह्न) से निरीक्षण निदेशालय, सीमा शल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के इलाहाबाद स्थित उत्तरी प्रादेशिक यूनिट में, निरीक्षण अधिकारी (सी० शुल्क व कें० उ० शुल्क) ग्रुप बी का कार्यभार सम्भाल लिया है ।

शुद्धिपत्र

सी० सं० 1040/64/76—निरीक्षण निदेशालय, सीमाशुल्क व केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, नयी दिल्ली द्वारा जारी की गई दिनांक 28-9-76 की अधिसूचना सं० 13/76 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए ।

"केंद्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, इलाहाबाद", **को** "केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, नागपुर" **पढ़ा जाए** ।

दिनांक 25 अक्तूबर 1976

सं० 14/76 (सी० सं० 1041/97/74—इस निदेशालय के स्थायी कार्यालय अधीक्षक श्री के० डी० मठ को, दिनांक 16-9-76 (अपराह्न) से निरीक्षण निदेशालय, सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नयी दिल्ली में, सहायक मुख्य लेखा अधिकारी के नये स्वीकृत पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

सं० 17/76 (सी० सं० 1041/58/76)—श्री बी० एन० फटरपेकर ने, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, बम्बई में अधीक्षक, कें० उ० शु० 'ग्रुप बी' के रूप में काम कर रहे थे, निरीक्षण निदेशालय, सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बम्बई स्थित

पश्चिमी प्रादेशिक यूनिट में, श्री आर०सी० डैनियल्ज़ का स्थानांतरण हो जाने के कारण रिक्त हुए पद पर दिनांक 13-9-76 (पूर्वाह्न) से निरीक्षण अधिकारी (सी० शु० व कें० उ० श०) ग्रप बी का कार्य-भार सम्भाल लिया है ।

सु० वेंकटरामन्,
निरीक्षण निदेशक

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-22, दिनांक 13 अक्तूबर 1976

सं० क–19012/612/76–प्रशा० पांच—अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से श्री संदीप साहा, अभिकल्प सहायक को केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अनुसंधान अधिकारी/सहायक अभियंता के पद पर 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 रु० के वेतनमान में दिनांक 27 अगस्त, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक पूर्णतया अस्थाई तथा तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं ।

श्री संदीप साहा ने उपर्युक्त समय तथा तिथि से केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अनुसंधान अधिकारी/सहायक अभियंता का पदभार ग्रहण कर लिया है ।

दिनांक 14 अक्तूबर 1976

सं० क–19012/582/76–प्रशा० पांच—श्री भेरू मोहनलाल बोहरा का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हो जाने पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग उन्हें एतद्द्वारा केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला, पूणे, केन्द्रीय जल आयोग में सहायक अनुसधान अधिकारी (वैज्ञानिक-भौतिकी) के पद पर 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 रु० के वेतनमान में 29 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं ।

2. श्री भेरू मोहनलाल बोहरा उसी तिथि तथा समय अर्थात् 29–9–1976 से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे ।

सं० ए०–19012/592/76-प्रशा० पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से श्री आर० के० तलवार, पर्यवेक्षक को केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद पर 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 रु० के वेतनमान में 1 सितम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से आगे आदेश होने तक अस्थाई तथा तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

श्री आर० के० तलवार ने केन्द्रीय जल आयोग में उपर्युक्त तिथि तथा समय से अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद का कार्य भार ग्रहण कर लिया है ।

दिनांक 20 अक्तूबर 1976

सं० क०–12017/6/76–प्रशा०–पांच—इस आयोग की अधिसूचना सं० क०–12017/6/76–प्रशा०–पांच दिनांक 24 मार्च, 1976 के क्रम में अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग एतद्द्वारा श्री एस० के० देव, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक को केन्द्रीय जल और विद्युत्-अनुसधानशाला, पुणे, में सहायक अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक-भौतिकी वर्ग) के ग्रेड में 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 रु० के वेतनमान में दिनांक 1–9–1976 से 26–10–1976 की आगामी अवधि अथवा श्री पी० जे० देसाई के सहायक अनुसंधान अधिकारी (भौतिकी) के पद पर प्रत्यावर्तित होने तक जो भी पहले हो पूर्णतया अस्थाई तथा तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 26 अक्तूबर 1976

सं० क०–19012/618/76–प्रशा० पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से श्री के० सी० साहा पर्यवेक्षक को केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के रूप में 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200–रु० के वेतनमान में 26 अगस्त, 1976 के अपराह्न से आगामी आदेश होने तक पूर्णतया अस्थाई तथा तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं ।

2. श्री के० सी० साहा ने उपर्युक्त तिथि तथा समय से केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता का पदभार ग्रहण कर लिया है ।

सं० क०–19012/589/76–प्रशा० पांच—अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से श्री ए० रंगानायकलु, पर्यवेक्षक केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के पद पर 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 रु० के वेतनमान में 10 सितम्बर, 1976, पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक पूर्णतया अस्थाई तथा तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं ।

2. श्री ए० रंगानायकलु ने उपर्युक्त तिथि तथा समय से केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता का पदभार ग्रहण कर लिया है ।

जसवन्त सिंह, अवर सचिव
कृते अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
प्रमुख इंजीनियर का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

सं० 1/18/69–प्रशा०–4/ई० सी०–9—इस विभाग के स्थायी वरिष्ठ वास्तुक श्री डी० डी० बिन्दू वार्द्धक्य की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से 31–10–76 (अपराह्न) को सेवा-निवृत्त होंगे ।

एस० एस० पी० राव, प्रशासन उप-निदेश

सवारी डिब्बा कारखाना

महाप्रबंधक का कार्यालय

कार्मिक शाखा/शेल

मद्रास–38, दिनांक 25 अक्तूबर 1976

सं० का० शा०/रा० सा०/9/विविध–II—श्री एम० एच० बालकृष्णन्, स्थानापन्न उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/अभिकल्प (क० प्र०) (तदर्थ) को दिनांक 2-9-1976 के अपराह्न को भार-मुक्त किया गया ताकि वे दक्षिण रेलवे को स्थानांतरित हो जाएं।

श्री जे० राजन, अनुभाग अधिकारी (श्रेणी III) को श्रेणी II सेवा में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से दिनांक 24–9–1976 से पदोन्नत किया गया है।

श्री एस० शंकरलिंगम, अस्थायी सहायक बिजली इंजीनियर को वरिष्ठ वेतन मान में स्थानापन्न निर्माण प्रबन्धक, बिजली के रूप में तदर्थ रूप से दिनांक 30–9–1976 के अपराह्न से पदोन्नत किया गया है।

सु० वेन्कटरामन, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी

कृते महाप्रबंधक

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना

चितरंजन, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

सं० जी० एम० ए०/जी० एस०/8(मेड)—इस प्रशासन के निम्नलिखित डाक्टरों को चितरंजन रेल इंजन कारखाना के चिकित्सा विभाग के संवर्ग में द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अनन्तिम रूप से स्थायी किया जाता है।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद जिस पर अनन्तिम रूप से स्थायी किया गया है	अनन्तिम रूप से स्थायी करने की तारीख
1.	डा० एम० के० मुखर्जी	सहायक चिकित्सा अधिकारी (दांत)	1–1–66
2.	डा० ए० एम० विश्वास	सहायक चिकित्सा अधिकारी (बहिरंग)	7–2–71
3.	डा० ए० के० घोष	सहायक चिकित्सा अधिकारी (बहिरंग)	20–5–73

दिनांक 20 अक्तूबर 1976

सं० जी० एम० ए०/जी० एस०/8 एडमिनिस्ट्रेशन—चितरंजन रेल इंजन कारखाना के स्थानापन्न प्रवर कार्मिक अधिकारी श्री शशांक प्रसाद चटर्जी को, जिनका इस प्रशासन में अवर वेतनमान में लियन है, चितरंजन रेल इंजन कारखाना के प्रशासन विभाग के संवर्ग में प्रवर वेतनमान में तारीख 9–8–1974 (पूर्वाह्न) से अनन्तिम रूप से स्थायी किया जाता है।

के० एस० रामास्वामी, महाप्रबन्धक

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

महाप्रबंधक का कार्यालय

(कार्मिक शाखा)

पाण्डु, दिनांक 13 अक्तूबर 1976

सं० ई०/55/111/97 (0)—श्री बी० आर० दास गुप्त को 4–8–1975 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है।

जी० के० केसवानी

महाप्रबन्धक

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

मुख्य यान्त्रिक अभियंता का कार्यालय पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन

जयपुर–764003, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

सं० पी० 3–1—पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन के पर्यवेक्षक श्री ए० गोपालराव को 17 सितम्बर, 1976 के अपराह्न से सहायक अभियंता [वर्ग–ख (बी) राजपत्रित] के पद पर तदर्थ रूप में 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 रुपए के वेतनमान में 28–2–1977 तक या नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक, (इनमें से जो भी पहले हो) नियुक्त किया जाता है और उन्हें ड्रिलिंग सब-डिवीजन, पु० भू० संगठन की नामावली पर तैनात किया जाता है और उनका मुख्यालय एम० बी०–17, मलकन गिरि, जिला–कोरापुट (उड़ीसा) माना जाएगा।

एन० सत्यामूर्ति, परिचालक अभियंता

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और असम केनस लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) के विषय में

शिलांग, दिनांक 29 सितम्बर 1976

सं० 862/560/2416—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि "असम केनस लिमिटेड" (इन लिक्विडेशन) का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

सपन कुमार मण्डल, कम्पनी निबंधक,
असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा,
नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम,
शिलांग।

कम्पनी अधिनियम 1956 और मेसर्स दोशी पारेख इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

सं० 560/1090—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स दोशी पारेख इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जे० गो० गाधा, कम्पनियों का रजिस्ट्रार, गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और स्टांडरड एजेनसीस (मद्रास) प्रईवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० 2335/डी० एन०/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर स्टांडरड एजेनसीस (मद्रास) प्रईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दर्शित किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और श्री रेणुका फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० 2358/डी० एन०/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर श्री रेणुका फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मुत्तु षन्मुग विलास ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 18 अक्तूबर 1976

सं० 4348/डी० एन०/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मुत्तु षन्मुग विलास प्राइवेट ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और एसनसियल नीडस अंड सप्लाइस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 18 अक्तूबर 2976

सं० 4691/डी० एन०/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर एसनसियल नीडस एंड सप्लाइस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और जी० डी० बस ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

सं० 3725/डी० एन०/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर डी०जी० बस ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1965 और ललिता सरस्वती ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनाक 19 अक्तूबर 1976

सं० 3997/डी० एन०/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर ललिता सरस्वती ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सीनापुरम रोडवेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

सं० 4663/डी० एन०/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर सीमापुरम रोडवेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और अखिल उलघ तमिल एझतलर मर्डम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

सं० 5256/डी० एन०/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर अखिल उलघ तमिल एझतलर मर्डम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी० भास्कर राव,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956, और धरम कांटा प्राइवेट लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) के विषय में

कानपुर, दिनांक 20 अक्तूबर 1976

स० 1156–एल० सी०—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि धरम कांटा प्राइवेट लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है। और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और दयालबाग फूड प्रोडक्टस् एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) के विषय में

कानपुर, दिनांक 20 अक्तूबर 1976

सं० 808/2030–एल० सी०—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि दयालबाग फूड प्रोडक्ट्स एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लि० (इन लिक्विडेशन) का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 1956, और मुजफ्फरपुर राधास्वामी बैंक प्राइवेट लिमिटेड (इन लिक्विडेशन) के विषय में

कानपुर, दिनांक 20 अक्तूबर 1976

सं० 809/1918–एल० सी०—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मुजफ्फरपुर राधास्वामी बैंक प्राइवेट लिमिटेड (इन वालेन्टरी लिक्विडेशन) का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस० नारायणन्,
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज (उ० प्र०)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 1976

यत: मै० कोमोडिटी क्रेडिट कारपोरेशन लिमिटेड, (परिसमापन में) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 31–एफ, कनाट पैलेस, नई दिल्ली में है, का परिसमापन किया जा रहा है ।

और यत:, अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि कोई भी समापक कार्य नहीं कर रहा है ।

और समापक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट (विवरणियां) छ: क्रमवर्ती मास की अवधि की नहीं दी गई है।

अत: अब, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास का अवसान होने पर मै० कोमोडिटी क्रेडिट कारपोरेशन लिमिटेड (परिसमापन में) का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए जाने पर रजिस्टर में से काट दिया जाएगा, और कम्पनी को विघटित कर दिया जाएगा।

यत: मै० विजय महालक्ष्मी मोटर एण्ड जनरल फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड, (परिसमापन में) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय आर–548, सयाल हाउस, शंकर रोड़, नई दिल्ली है, का परिसमापन किया जा रहा है।

और यत:, अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी समापक कार्य नहीं कर रहा है ।

और समापक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट (विवरणियां) छ: क्रमवर्ती मास की अवधि की नहीं दी गई है।

अत:, अब कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास का अवसान होने पर मै० विजय महालक्ष्मी मोटर एण्ड जनरल फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए जाने पर रजिस्टर में से काट दिया जाएगा, और कम्पनी को विघटित कर दिया जाएगा ।

यत: मै० एफीसेंट चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 2/71, रमेश नगर, सिंगल स्टोरी, नई दिल्ली में है, का परिसमापन किया जा रहा है।

और यत:, अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि कोई भी समापक कार्य नहीं कर रहा है।

और समापक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित स्टेटमेन्ट आफ अकाउन्टस (विवरणियां) छ: क्रमवर्ती मास की अवधि को नहीं दी गई हैं।

अत: अब, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास का अवसान होने पर मै० एफीसेंट चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए जाने पर रजिस्टर में से काट दिया जाएगा, और कम्पनी को विघटित कर दिया जाएगा।

यत: मै० फिल्म प्रोडक्शन एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (परिसमापन में) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एफ ब्लाक, कनाट पैलेस, नई दिल्ली में है, का परिसमापन किया जा रहा है।

और यत:, अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि कोई भी समापक कार्य नहीं कर रहा है।

और समापक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट (विवरणियां) छ: क्रमवर्ती मास की अवधि की नहीं दी गई हैं ।

अत: अब, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास का अवसान होने पर मै० फिल्म प्रोडक्शन एण्ड फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (परिसमापन में) का नाम, इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किए जाने पर रजिस्टर में से काट दिया जाएगा, और कम्पनी को विघटित कर दिया जाएगा ।

हरिशंकर शर्मा,
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कार्यालय आय-कर अपील अधिकरण

बम्बई–20, दिनांक 25 अक्तूबर 1976

सं० एफ०–48–ए० डी० (ए० टी०)/76–पी०-II—श्री एम० एम० प्रसाद, अधीक्षक, आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई जिन्हें तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, कटक न्यायपीठ, कटक में स्थानापन्न रूप से 30–9–1976 तक कार्य करते रहने की अनुमति दी गई थी, देखिए, इस कार्यालय की अधिसूचना सं० एफ० 48–(ए० टी०)/76 दिनांक 14 अप्रैल, 1976 को उसी क्षमता में तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, कटक न्यायपीठ, कटक में स्थानापन्न रूप से 1-10-1976 से 31–3–1977 तक अर्थात् और छह महीने के लिए या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

हरनाम शंकर, अध्यक्ष

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर का कार्यालय

बंगलूर, दिनांक 13 अक्तूबर, 1976

निर्देश सं० सी०आर० 62/5737/75-76/एक्यु०/बी०:—

यत: मुझे, एम० हरिहरन्,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 15/बी, नवा नं० 34 है, तथा जो सेंट मारक्स रोड, बंगलूर-560001 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-2-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स होटेल रामा प्राइवेट लिमिटेड रि० आफीस का नं० 40/2 ले,वली रोड़, बंगलूर-560001 रिप्रसेन्टेड बै उसके मनेजिंग डायरेक्टर श्री बी० एल० वीर-भद्रन (अन्तरक)

(2) श्री बी०वी० नागेश नं० 15, लेडी जनकर रोड, बंगलूर-560001 (अन्तरिती)

(4) सिंडिकेट ब्लाक डिक्न्सन रोड, बंगलूर-560042 (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध हैं)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 3308/75-76 ता. 7/2/76)

सारा संपत्ति का जगह और मकान जो नं० 15-बी० नवा नं० 34, सैंट मारक्स रोड बगलूर-560001, (कुन्नीमरा) "

निवेशन क्षेत्र :

पूर्व से पश्चिम—88'
उत्तर—177' } 15,750/-स्कुएर फीट
दक्षिण—185'

मकान का क्षेत्र

सारा मकान —4570 स्कुयर फीट

बांध

पूर्व—जो नं० 15ए, सेंट मारक्स रोड़
पश्चिम—जो नं० 4, मद्रास ब्यांक रोड
उत्तर—जो नं० 3, मद्रास ब्लाक रोड
दक्षिण—जो नं० 15-सी०, सेंट मारक्स रोड बंगलूर-1

एम० हरिहरन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 13-10-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 11 अक्तूबर, 1976

निर्देश सं० सी० आर०62/5835/75-76/एक्यु०/बी०:—
यतः मुझे, एम० हरिहरन्,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० के० टी० 1 (सी० नं० 703) है, तथा जो बन्नूर रोड, मंडया में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मंड्या में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, ता० 18-2-1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री एम०आर० श्रीनिवासन मंड्या सा मिल्स, मंडया, (अन्तरक)

(2) मैसर्स मंड्या इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन्नूर रोड मंड्या रेप्रसेंटेड बाई कम्पनी का डायरेक्टर श्री एम० आर० श्रीनिवासन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 5102/75-76 ता० 18-2-76)

जमीन और मकान का नं० के० टी० 1(सं० नं० 903) (कारखाना मकान और साथी के मकानों मिलकर बन्न रोड, मंड्या ।

निवेशन क्षेत्र :

उत्तर–972′	68,160 स्कुएर फीट	
दक्षिण–380′	7573.33 स्कुएर यार्ड	
पूर्व से पश्चिम–160′		
मकान का क्षेत्र	9202	
	2610	
	238	
	12,050	स्कुयर फीट

बांद :—

पूर्व : स्व० जायदाद
पश्चिम–रोड
उत्तर–रोड
दक्षिण : जमीन और संपत्ति का नं० 2, बेचने वाले का है ।

एम० हरिहरन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 11-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर का कार्यालय

बंगलूर, दिनांक 8 अक्तूबर, 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/5867/75-76/एक्यु०/ बी०:—यतः मुझे, एम० हरिहरन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 275 है, तथा जो ब्याटरायन पुर, बंगलूर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवनगुडि, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 10-2-1976
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री एच० एम० रंगन्ना सुपुत्र हुडिगेरी सुब्बन्ना; 2. आर० नागेन्द्रनाथ सुपुत्र एच० एस० रंगन्ना नं० 38, II मैन रोड, एन० आर० कालोनी बंगलूर; 3. श्रीमती डी० जी० ललिता गिरी पत्नी डी० वी०-गिरी;

4. श्रीमती आर० पद्मा सुपुत्री एच० एस० रंगन्ना इडक्की कालोनी, एरणाकुलम, केरला, नं० 3 और 4 रेप्रसेंटेड मैं उनके पिताजी जी० पी० होलडर और श्री एच० एस० रंगन्ना (अन्तरक)

(2) मैसर्स रामचन्द्रा पेस्टिसैड्स (प्रा०) लिमिटेड रि० आफिस नं० 23, 4 मैन रोड, नवा तरणपेट, बंगलूर -560002 रिप्रेसेंटेड बै उसके मनेजिंग डायरेक्टर श्री एन० एस० आंजनेय्य सेट्टि । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया था।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 3527/75-76 ता० 10-2-76)

खाली तांत्रिक निवेशनजो नं० 275, ब्याटरायनपुर (मंडल नं० 24) बंगलूर (बंगलूर मैसूर रोड के सामने)

निवेशन का क्षेत्र :

पूर्व से पश्चिम—247'
उत्तर—390' और 8092.48 से० मी०
दक्षिण—315' (2 एकड़)

बंद :—

पूर्व : मुनियप्पा का जगह ।
पश्चिम : सि० ऐं० टी० बि० रोड,
उत्तर : कारपोरेशन का नं० 275 का बाकी जगह और
दक्षिण : श्रीमती सी० एस० नागलक्ष्मी पत्नी श्री डी० गुंन्डु राव का नं० 275/3

एम० हरिहरन्
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 8-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर का कार्यालय

बंगलूर, दिनांक 13 अक्तूबर, 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/5871/75-76/एक्यु० /बी०:—
यतः मुझे, एम० हरिहरन्,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० पुराना नं० 77 और नया नं० 21 है, तथा जो डा० डि० वी० गुन्डप्पा रोड (नागस्नद्र रोड) बसवन गुडि, बंगलूर-4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवन गुडि, बंगलूर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, ता० 13-2-76
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा(1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सी० कुमार स्वामी सुपुत्र स्व० सी० चन्द्र शेखर अय्यर, नं० 21, डा० डी० वी० गुन्डप्पा रोड, बसवन गुडी, बंगलूर-4 (अन्तरक)

(2) श्री के०सी० सम्पत् राज रंका, सुपुत्र श्री प्रत्वी -राज नं० 14, डा० डी०वी० गुन्डप्पा रोड बसवन गुडी, बंगलूर-4 (अन्तरिती)

(3) 1. नारायन राव
2. वेंकट राव } मकान
3. मल्लिकजुना स्टोर्स और
4. नंजनगूड वैद्यशाला डिपो
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 3571/75-76 ता० 13-2-1976)

सारी संपत्ति का भाग जो नं० 21 (पुराना 77) डा० डी०वी० गुन्डप्पा रोड (नागसंद्रा रोड), बसवन गुडि, बंगलूर-4 (कारपोरेशन मंडल नं० 29), दो दुकान का क्षेत्र 3–1/2 स्कुएर 15 वर्ष पुराना और घर 40 स्कुएर, 70 वर्ष पुराना, डा० डी० वी० जी०, रोड, में

पूर्व से पश्चिम–85'
उत्तर से दक्षिण–81'
और दूसरा
पूर्व से पश्चिम : 27'
उत्तर से दक्षिण : 34' } 2 दुकान
उत्तर–श्री एस० ए० परमेश्वरय्या का मकान
दक्षिण : नरसिन्ह सोमय्याजी का मकान
पूर्व–नरसिम्हय्या का मकान और
पश्चिम–डा० डी० वी० जी० रोड, (नागस्न्रा रोड)

एम० हरिहरन्
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 13-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर का कार्यालय

बंगलूर, दिनांक 12 अक्तूबर, 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/6201/75-76/एक्यु०/बी० :—

यतः मुझे, एम० हरिहरन्,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और

और जिसकी सं० 2242/ए1, ए2, ए3, और ए4, या 2224, 2224/ए1, ए2, ए3, ए4, और (376) 'ए' (डिवीजन) है, तथा जो चन्नपट्टण नगर, चन्नपट्टण, तलुक में स्थित है। (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, के कार्यालय, चन्नपट्टण में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 21-3-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती) (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती पुट्टवीरम्मा पत्नी स्व० एन० एस० अप्पाजप्प
2. श्री एन० ए० सुब्रमन्य मूर्ति सुपुत्र स्व० एन० एस० अप्पाजप्प
3. श्रीमती वसन्तम्मा, पत्नी श्री एन० ए० सुब्रमण्य मूर्ति एम० जी० रोड, चन्नपट्टण नगर, चन्नपट्टण तालूक, बंगलूर जिला

(अन्तरक)

(2) श्री एन० ए० सान्त प्पा सुपुत्र स्व० एन० एस० अप्पाजप्प एम० जी० रोड, चन्नपट्टण नगर, चन्नपट्टण तालूक, बंगलूर जिला

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 4081/75-76 ता० 21-3-76)

पुराना होटेल मकान, पुराना मकान और खाली जगह जो नं० 2242/ए1, ए2, ए3, ए4, (सेलडीज) का या नं० 2224, 2224/ए1, ए2, ए3, और ए4, (376) 'ए०' डिविजन, चन्नपट्टण नगर, चन्नपट्टण तालूक, बंगलूर, जिल्ला

निवेशन क्षेत्र :—

पूर्व से पश्चिम—45'

उत्तर से दक्षिण—110'

बांध :—

पूर्व : श्रीमती नागवेनम्मा का मकान

पश्चिम : श्रीमती होन्नम्मा पत्नी जि० देवप्पा का मकान

उत्तर : एम० पी० रोड

दक्षिण : मकान और खाली जगह (अन्तरिती का)

एम० हरिहरन्,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 12-10-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद कार्यालय

अहमदाबाद, दिनांक 5 अक्तूबर 1976

निदेश नं० 477/ए० सी० क्यू० 23-872/6-1/75-76:—

यत: मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० डी० टीका नं० 1-5 सर्वे नं० 3:1 बी० पैकी बडोदरा कसबा है, तथा जो फतेह गंज, स्नेहल एपारमेन्टस के सामने, बडौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बडौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जयंतीराव गनपत राव निम्बालकर फतेहगंज बड़ौदा

2. निरमलाबाई यशवंत राव निम्बालकर शिवाजी पार्क बंबई, कुल मुख्तायर: जयतीलाल गनपत राव निम्बालकर फतेहगंज, बड़ौदा

(अन्तरक)

(2) श्री हसमुख बेन कानुभाई शाह अशोक कालोनी आर० बी० देसाई रोड, बड़ौदा (हालड फतेह गंज, बिरेन सुपर मार्केट, स्नेहल एपार्टमेंट के सामने, बड़ौदा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका डी० टीका नं० 1-5 सं० नं० 3:1, बी० पैकी बडोदरा कसबा कुल माप 6325 वर्गफुट है तथा जो फतेहगंज स्नेहल एपार्टमेंट के सामने बडौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बडौदा के फरवरी, 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 690 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II

तारीख : 5-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 8 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 478/ए०सी०क्यू० 23-873/6-1/75-76—यतः मुझे पी० एम० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम, प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 532/60 प्लाट नं० 59 है, जो विश्वास कालोनी, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-2-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. जयंतिलाल लक्ष्मीचन्द शाह (अन्तरक)
2. उषाबेन जयंतिलाल शाह
401, मंगल कुंज, माउंट प्लीज़ंट रोड
बम्बई-6।

(2) 1. अनीलकुमार पनालाल शाह (अन्तरिती)
2. विजयकुमार पनालाल शाह
73, रफी अहमद किदवाई रोड,
भारत भवन,
फर्स्ट फ्लोर, किंगस सर्कल,
बम्बई-19।
3. राजेन्द्र कुमार शांतिलाल शाह तथा
4. कुमार शांतिलाल शाह
1303, नारायण प्लेस,
16, नारायण डाबलकर रोड,
नेपियन सी रोड, बम्बई-6

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका सर्वे नं० 532/60 प्लाट नं० 59 कुल माप 6857.6 वर्ग फुट है तथा जो सयाजी गंज डिविजन बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा की फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1509 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 8-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निर्देश सं० 479/एसीक्यु-23-687/6-1/75-76—यत: मुझे पी० एन० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० फिलेट नं० 5-डी है, तथा जो अलकापुरी शापिंग सेन्टर, विश्वास कालोनी, आर० सी० रोड, बड़ौदा-5। में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-2-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मे० ए० एम० पटेल एन्ड कं० (अन्तरक)
205, यशकमल बिल्डिंग,
स्टेशन रोड, बड़ौदा-5।

(2) नलिनी के० पनीकर (अन्तरिती)
40/473 गुजरात हाउसिंग बोर्ड कालोनी
आजवा रोड, बड़ौदा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति जो फलेट नं० 5-डी है कुल माप 1120 वर्ग फुट है तथा जो अलकापुरी शापिंग सेन्टर, विश्वास कालोनी आर० सी० रोड बड़ौदा पर स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1421 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन-रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निर्देश सं० 480/एसीक्यु 23-874/6-1/75-76—

यतः मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फिलेट नं० 4-ए है तथा जो अलकापुरी शापिंग सेन्टर, विश्वास कालोनी आर० सी० रोड, बड़ौदा-5 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 13-2-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मे० ए० एम० पटेल एण्ड कं० 205, यशकमल बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बड़ौदा-5। (अन्तरक)

(2) मनमोहन एन० दलाल प्रतापनगर रेलवे कालोनी, बड़ौदा-7। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल संपत्ति जो फिलेट नं० 4-ए है जिसका कुल माप 1120 वर्ग फुट है तथा जो अलकापुरी शापिंग सेन्टर, विश्वास कालोनी आर० सी० रोड बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1446 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज- I, अहमदाबाद

तारीख 14-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निर्देश सं० 481/एसीक्यू-23-875/6-1/75-76—

यतः मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० फिलेट नं० 6-बी है, तथा जो अलकापुरी शापिंग सेन्टर, विश्वास कालोनी, आर० सी० रोड, बड़ौदा-5 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-2-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मैं० ए० एम० पटेल एन्ड कं० (अन्तरक)
205, यशकमल बिल्डिंग, स्टेशन रोड,
बड़ौदा।

(2) हसमुखभाई सुखलाल तुरखीया (अन्तरिती)
6, असनोदय सोसायटी,
बड़ौदा-5।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति फिलेट नं० 6-बी कुल माप 1120 वर्ग गज है तथा जो अलकापुरी शापिंग सेन्टर, विश्वास कालोनी, आर० सी० रोड, बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1342 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निर्देश सं० 482/एसीक्यू-23-876/6-1/75-76—

यत: मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० पांच कमरों वाला फिलेट, पहला मंजला है, जो विश्वास कालोनी, आर० सी० रोड, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-2-1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० ए० एम० पटेल एन्ड कं० (अन्तरक)
205, यशकमल बिल्डिंग,
स्टेशन रोड, बड़ौदा।

(2) श्री सुरभी तुषार शाह (अन्तरिती)
मार्फत : के० टी० डाक्टर
72, उर्मी सोसायटी,
जेबलपुर रोड, बड़ौदा

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति जो कि पहले मंजले पर फिलेट 'डी' है जो कि अलकापुरी शापिंग सेन्टर, विश्वास कालोनी, आर० सी० रोड, बड़ौदा में स्थित है और जिसका कुल माप 1120 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1107 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 483/एसीक्यू 23-877/6-1/75-76—
अतः मुझे पी० एन० मित्तल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है
और जिसकी सं० पहले मंजले पर पांच कमरों वाला फिलेट है, तथा जो विश्वास कालोनी, आर० सी० रोड, बड़ोदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-2-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मे० ए० एम० पटेल एन्ड कं० (अन्तरक)
205, यशकमल बिल्डिंग,
स्टेशन रोड, बड़ोदा ।

(2) श्री रमणभाई छगनलाल पटेल (अन्तरिती)
मार्फत : ए० एस० पटेल
36, राजेन्द्र सोसायटी,
लाल बाग रोड, बड़ोदा ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति जो कि अलकापुरी शापिंग सैन्टर के पहले मंजले पर फिलेट नं० 1-सी है जिसका कुल माप 1120 वर्ग फुट है तथा जो विश्वास कालोनी, आर० सी० रोड, बड़ोदा पर स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ोदा के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1106 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 484/एसीक्यू-23-878/6-1/75-76—

अतः मुझे पी० एन० मिसल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 /- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० पांच कमरों वाला फिलेट, पहला मंजला है, तथा जो विश्वास कालोनी, आर० सी० रोड, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-2-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

5—326GI/76

(1) मे० ए० एम० पटेल एन्ड कं० (अन्तरक)
205, यशकमल बिल्डिंग,
स्टेशन रोड, बड़ौदा।

(2) श्री कुमुद कान्त टोपीदास डाक्टर (अन्तरिती)
72, उर्मी सोसायटी, जेतलपुर रोड,
बड़ोदा।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति जो पहले मंजले पर एक फिलेट है जिसका कुल माप 1120 वर्ग फुट है तथा जो अलकापुरी शापिंग सेन्टर विश्वास कालोनी, आर० सी० रोड बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1105 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मिसल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण,
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 14 अक्तूबर 1976

मोहर ;

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर, 1976

निदेश सं० 485/एसीक्यु-23-879/6-1/75-76— अतः मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा, 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 45 फ्लेट नं० 1 जेतलपुर गांव है, तथा जो रेसकोर्स सर्कल, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-2-1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. रसीकलाल डाह्याभाई अमीन
2. किशोरकुमार रसीकलाल अमीन
मिलन सोसायटी के पास,
आर० सी० रोड,
बड़ौदा। (अन्तरक)

(2) श्रीमती चंचलबेन खुशालभाई पटेल
मियामी बिल्डिंग,
8वां मंजला,
भुलाभाई देसाई रोड, बम्बई-26। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका सर्वे नं० 45, फ्लेट नं० 1 कुल माप 10419 वर्ग फुट है तथा जो जेतलपुर गांव, रेस कोर्स सर्कल बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1133 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन-रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 486/एसीक्यू-23-852/19-7/75-76—यतः मुझे पी० एन० मित्तल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2 फ्लेट नं० 4 है, तथा जो महादेवनगर सोसायटी के पीछे, मजूरा गेट, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
5-2-1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती पुभावनीबेन, बाबुभाई रूपचन्द सोलंकी की विधवा, तथा अन्य। (अन्तरक)

(2) श्री रमणलाल डाह्याभाई पंड्या
1/1085 'सद गुरु स्मृति'
धोबी शेरी,
नानपुरा, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2 फ्लेट नं० 4 तथा कुल माप 512 वर्ग गज है तथा जो महादेवनगर सोसायटी के पीछे, मजूरा गेट, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1188 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 14-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 481/एसक्यू/23-839/19-8/75-76—यतः मुझे पी० एन० मित्तल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,
और जिसकी सं० नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2 फ्लेट नं० 2 है, तथा जो महादेवनगर सोसायटी के पीछे, मजूरा गेट, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन फरवरी 1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती पुभावटीबेन, बाबुभाई रूपचन्द सोलंकी की विधवा
कुल मुखतार : भरत बाबुभाई सोलंकी
लालगेट, मेन रोड, सूरत (अन्तरक)

(2) श्री शंकरभाई दयाराम पटेल
उनापानी रोड, मोरी राधवजी कम्पाउन्ड,
लाल दरवाजा, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2 पैकी प्लाट नं० 2 कुल माप 512 वर्ग गज है तथा जो महादेवनगर सोसायटी के पीछे, मजूरा गेट, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1190 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 14-10-76।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 488/एसीक्यू-23-880/19-8/75-76--अतः मुझे पी० एन० मित्तल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2, है, जो महादेव-नगर सोसायटी के पीछे, सूरत में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-2-1976 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्--

(1) श्रीमती पूभावती, बाबुभाई रूपचन्द
सोलंकी,
की विधवा,
नानावत, मेन रोड,
लाल गेट के पास,
सूरत। (अन्तरक)

(2) श्री कांतिलाल छगनभाई पटेल
85, साधना सोसायटी, बराछा रोड,
सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2 पैकी 512 वर्ग गज है तथा जो महादेवनगर सोसायटी के पास सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1189 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 14-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 489/एसीक्यू-23-881/19-8/75-76—अतः मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2 है, तथा जो महादेव नगर सोसायटी के पीछे, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-2-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती पृभावनी, बाबुभाई रूपचन्द सोलंकी की विधवा
कुल मुखतार : भरतकुमार बाबुभाई सोलंकी
लालगट, नानावत, सूरत (अन्तरक)

(2) (1) किरनभाई ललुभाई पटेल
उमराल, ता० बारडोली, जिला सूरत ।
(2) मंजुला बेन पूभुभाई पटेल, विधवा ता० कामरेज जिला सूरत ।
(3) चंदुलाल छगनलाल पटेल, 85, सुधाना सोसायटी, बराछा रोड, सूरत ।
(4) बसंतीभाई हीराभाई पटेल, नवसारी, जिला : थलसाड । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2 कुल माप 480 वर्ग गज है तथा जो महादेवनगर सौसायटी के पीछे सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1187 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 14-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निर्देश सं० 490/एसीक्यु-23-882/1978/75 76—यत : मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2 है, तथा जो महादेवनगर सोसायटी के पीछे, मजूरा गेट, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-2-1976 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: जब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, म, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती पूभावती, बाबुभाई रूपचन्द सोलंकी की विधवा,
कुल मुख्तार : भरतकुमार बाबुभाई सोलंकी,
लाल गेट, नानावत, मेन रोड,
सूरत। (अन्तरक)

(2) श्री इश्वरलाल पूभुदास पटेल
भामैया, ता० बारडोली,
जिला : सूतर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद म समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2 कुल माप 512 वर्ग गज है तथा जो महादेवनगर सोसायटी के पीछे सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1191 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 14-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

हमदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1976

निर्देश सं० 491/एसीक्यु/23-883/19-8/75-76—यत : मुझे पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2 है, जो महादेव नगर सोसायटी के पीछे, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-2-1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती पूभावती, बाबुभाई रूपचन्द सोलंकी (अन्तरक)
की विधवा
कुल मुखतार : भरतकुमार बाबुभाई
सोलंकी नानावत, मेन रोड,
लाल गेट के पास,
सूरत

(2) 1. हरशदभाई जयकिशनदास शाह
2. ईश्वर लाल क्षेटुभाई शाह (अन्तरिती)
3. भारती बेन चन्द्र कांत शाह
4. लालभाई हीरालाल शाह

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका नोंध नं० 1939 वार्ड नं० 2 कुल माप 480 वर्ग गज है तथा जो महादेवनगर सोसायटी के पीछे सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1192 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 14-10-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 2836/75-76—यतः मुझे एस० राजरटनम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० टी० एस० 391/1 भाग और 393/1 भाग संगनूर गांव, कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जे० एस० आर० 1, कोयम्बतूर (डाकुमेण्ट 591/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1976 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एन० नटराज (अन्तरक)

(2) श्री आर० एम० वेल्लैयन और श्रीमती तिरुपुरसुन्दरि (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बतूर, संगनूर गांव, टी० एस० सं० 391/1, भाग और 393/1 भाग (एस० आर० मी० नगर, कोयम्बतूर) में 17383 स्कुयर फीट की भूमि (अपूर्ण मकान के साथ)

एस० राजरटनम
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, मद्रास।

तारीख : 19-10-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 21 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 5091/75-76—यतः मुझे एस० राजरटनम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मद्रास, पुरसतावक्कम आर० एस० सं० 3115 में 4533 स्कुयर फीट में स्थत है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुरसवाक्कम (डाकुमेण्ट सं० 291/76) में रजिस्ट्रीरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-2-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती टी० बारनी (अन्तरक)

(2) श्री टी० राज मोहन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास, किल्पाक, डोर सं० 8, आम्स रोड में 4533 स्कुयर फ़ीट की खाली भूमि जिसका आर० एस० सं० 3115 (प्लाट सं० सी०-2)

एस० राजरटनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज II, मद्रास ।

तारीख : 21-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 21 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 5091/75-76—यतः मुझे एस० राजरटनम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० मद्रास, मुरसवाक्कम आर० एस० सं० 3115 मे 4525 स्कुयर फ़ीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुरसवाक्कम (डाकुमेण्ट 292/76) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-2-1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती टी० बारनी (अन्तरक)

(2) श्री आर० शान्ता मोहन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, किल्पाक आर्म्स रोड, डोर सं० 8 में 4525 स्कुयर फ़ीट की खाली भूमि (जिसका आर० एस० सं० 3115 प्लाट सं० : सी०-2)

एस० राजरटनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, मद्रास ।

तारीख : 21-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 21 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 5104/75-76—यतः मुझे, एस० राजरतनम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 34 ग्राउण्ड की खाली भूमि (आर० एस० सं० 12/भाग, बेसन्ट अवन्यु रोड, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० । मद्रास नार्थ (डाकुमेण्ट 1082) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-2-1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती वी० सरस्वती (अन्तरक)

(2) श्रीमती लक्ष्मी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास, सैदापेट, तालुका, उरुर गांव, बेसण्ट अवन्यु रोड, आर० एस० सं० 12 (भाग), भट्टा सं० 59, ले० आउट 109/63 में प्लाट सं० 17—3.4 ग्राउण्ड की खाली भूमि ।

एस० राजरतनम
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 21-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 25 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 29/एम०ए०आर०/75-76—यत: मुझे, जी० रामानाथन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 238/2 और 3 है, जो काक्कावेरी, रासीपुरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रासीपुरम (पत्र सं० 295/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन 16 मार्च 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सुन्दर गउन्डर और आदि। (अन्तरक)

(2) श्रीमती कुलन्दें तेरसु । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रासीपुरम तालुका, काक्कावेरी गांव एस० सं० 238/2 में 3 एकड़ और 95 सेन्ट और एस० सं० 238/3 में 6 सेन्ट (अभिन्न भाग) की खेती की भूमि (मकान के साथ)।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 25-10-1976 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 79/एम० ए० आर०/75-76—यतः मुझे, जी० रामानाथन, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी स० 78 है, जो आनगिरि रोड, सिवकासी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिवकासी (पत्र सं० 573/76') में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन 16 मार्च 1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री आर० सेतुराज । (अन्तरक)

(2) श्रीमती अर्पुत सेलवम और आदि । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सिवकासी, आनगिरि रोड, डोर सं० 78 में (एस० सं० 566) 3600 स्कुयर फीट की भूमि (मकान के साथ) ।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -I, मद्रास

तारीख : 25-10-1976 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 अक्तूबर 1976

निदेश स० 24/एम० ए० आर०/75-76—यतः मुझे, जी० रामानाथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 365/9, 10 और 377/4 है, जो अनन्नूर गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तिरु चेंगोडु (पत्र सं० 350/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन 16 मार्च 1976

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चिन्नमुत्तु और राजमानीक्कम । (अन्तरक)

(2) श्री कोमारसामि गउन्डर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तिरुचेंगोडु, तालुक, अनन्नूर गांव एस० स० 365/9 (1.15 एकड), 365/10/ (2.86 एकड) और 377/4 (1.39 1/3 एकड) में 5.40 1/3 एकड खेती की भूमि ।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, मद्रास ।

तारीख : 25-10-1976 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 25 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 25/एम० ए० आर०/75-76—यतः, मुझे, जी० रामानाथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 365/1—4, 6 और 8 है, जो अनन्नूर गांव में स्थित है (और उससे उपबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरुचेंगाडु (पत्र सं० 351/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16 मार्च 1976 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चिन्नमुलु और राजमानिक्कम । (अन्तरक)

(2) श्रीमती पावायी अम्माल । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अनन्नूर गांव एस० सं० 365/1 (1.39 एकर), 365/2/0.77 एकर) 365/3 (0.86 एकर), 365/4 (0.58 एकर), 365/6 (0.38 एकर) और 365/8 (0.83) में 4.81 एकर खेती की भूमि ।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 25-10-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 25 अक्तूबर, 1976

निदेश सं० 50/एम० ए० आर०/75-76—यतः मुझे, जी० रामानाथन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० टी० एस० सं० 267/2 है, जो तिरुकोविलूर रोड तिरुवन्नामलै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तिरुवन्नामल्लै (पत्र सं० 208/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16 मार्च 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती सिवकामी अम्माल और अमिर्तम्मल। (अन्तरक)

(2) श्री एस० अन्नामलै और आदि। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20 क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तिरुवन्नामलें, तिरुकोविलर रोड डोर सं० 31 (टी० एस० सं० 267/2) में 2.16 एकर की भूमि (मकान के साथ)।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-, मद्रास

तारीख: 25-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 अक्तूबर 1976

सं० 54 /एम० ए० आर०/75-76—यत: मुझे, जी० रामानाथन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० सं० 368/4, 370, 432 और 433 है, जो एरुमप्पालयम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सेलम ईस्ट (पत्र सं० में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16 25-3-76 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती जैनाब बीवी । (अन्तरक)
(2) श्री एम० अप्पावू । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सेलम जिला, एरुमप्पालयम गांव आर० एस० सं० 368/ 4 (0.78 2/3 एकर), 370 (2. 31 1/3 एकर) 432 (0.87 1/3 एकर) और 433 (0.49 1/3 एकर) में 4.46 2/3 एकर खेती की भूमि और आदि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,-I, मद्रास

तारीख : 26-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास
मद्रास, दिनांक 26 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 55/एम ए आर/75-76—यतः, मुझे, जी० रामानाथन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० सं० 368/4, 370, 432 और 433 है, जो एरुमप्पालयममें स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सेलम ईस्ट (पत्र सं० 643/76) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-3-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती जैनाब बीवी । (अन्तरक)
(2) श्री एम० रंगसामि । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सेलम जिला, एरुमप्पालयम गांव आर० एस० सं० 368/4 (0.78 3/4 एकड़), 370 (2.31 1/3 एकड़) 432 (0.87 1/3 एकड़) और 433 (0.49 1/3 एकड़) में 4.46 2/3 एकड़ खेती की भमि और आदि ।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 26-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 26 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 56/एम ए आर०/75-76—यतः, मुझे, जी० रामानाथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० सं० 368/4, 370, 432 और 433 है, जो एरुमप्पालयम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सेलम ईस्ट (पत्र सं० 644/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-3-76 को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती जैनाब बीवी । (अन्तरक)

(2) चिन्ना गऊन्डर और आदि । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सेलम जिला एरुमप्पालयम गांव आर० एस० सं० 368/4 (0.78 2/3 एकड़), 370 (2.31 1/3 एकड़) 432 (0.87 1/3 एकड़) और 433 (0.49 1/3 एकड़) में 4.46 2/3 एकड़ खेती की भूमि और आदि ।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 26-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , मद्रास

मद्रास, दिनांक 27 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 64 /एम ए आर०/75-76—यतः, मुझे, जी० रामानाथन,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० 302, 303 और 304 है, जो पेरुमापट्टी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरुपत्तूर (पत्र सं० 571/76) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16 मार्च 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य, से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व, में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती मुनियम्माल । (अन्तरक)

(2) श्री पी० एम० एम० नन्दगोपाल । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नार्थ अर्काट जिला, पेरुमापट्टी गांव एस० सं० 302 (2.16 एकड़), 303 (2.20 एकड़) और 304 (2.58 एकड़) में 6.94 एकड़ खेती की भूमि।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख: 27-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 21 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 111-216/अर्जन/76-77/2086——यतः, मुझे, अजय कुमार सिंहा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी प्लाट सं० 180 है, तथा जो राजेन्द्र नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-3-76 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) श्री शिवनारायण सिंह वल्द
श्री योगेन्द्र नारायण सिंह
पाटलिपुत्रा पथ, राजेन्द्र नगर,
पटना-16। (अन्तरक)

(2) श्री मोती लाल खेतान वल्द
श्री प्रयाग नारायण खेतान,
चौक, पटना सिटी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन मय मकान रकबा 862.56 वर्ग गज जो पाटलिपुत्रा पथ, राजेन्द्र नगर, पटना-16 में है प्लाट सं० 180 है तथा जिसका विवरण दस्तावेज सं० 1811 दिनांक 26-3-76 में पूर्ण है।

अजय कुमार सिंहा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
54, रफी अहमद किदवई रोड
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख: 21-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 21 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 111-217/अर्जन/76-77/2087---यतः, मुझे, अजय कुमार सिंहा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से अधिक है
और जिसकी हो० सं० 853/854 है, तथा जो मेन रोड, रांची में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-3-76
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री निताय कृष्ण सर्वाधिकारी वल्द
डा० दि० च० सर्वाधिकारी, निवासी
सुधा सिंधु, गोपाल बल्लभ रोड,
बालूकुण्ड-शहर पूरी, पो०/जि०-पूरी
(उड़ीसा) (अन्तरक)

(2) श्री किशोर वी० पटेल वल्द
श्री वी० डी० पटेल,
श्रीमती हंसा जी० पटेल जौजे श्री
जी० बी० पटेल, मेन रोड रांची। (अन्तरिती)

(3) गुजरात होटल
मेन रोड, रांची।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन मय मकान रकबा 2क० 3 धूर जो मेन रोड रांची में है तथा वा० सं०-II, हो० सं० 853/854 है तथा जिसका विवरण दस्तावेज सं० 3583 दिनांक 18-3-76 में पूर्ण है।

अजय कुमार सिंहा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 21-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 21 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 111-218/अर्जन/76-77/2088—यतः, मुझे, अजय कुमार सिंहा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी हो० सं० 856, 857 है, तथा जो मेन रोड, रांची में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-3-76 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री निताई कृष्ण सर्वाधिकारी वल्द डा० दि० च० सर्वाधिकारी, निवासी— सुधा सिंधु, गोपाल वल्लभ रोड, बालूकुण्ड शहर पूरी, पो०जि०-पूरी (उड़ीसा) (अन्तरक)

(2) श्री गुनवन्त वी० पटेल एवं श्री भारत वी० पटेल वल्दान वी० डी० पटेल, मेन रोड, रांची (अन्तरिती)

(3) गुजरात होटल, मेन रोड रांची।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन मय मकान रकबा 2क० 2 धूर, जो मेन रोड रांची में है तथा वा० सं० II, हो० सं० 856, 857 है तथा जिसका विवरण दस्तावेज सं० 3582 दिनांक 18-3-76 में पूर्ण है।

अजय कुमार सिंहा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 21-10-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 21 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 111-219/अर्जन/76-77/2089—यतः,
मुझे, अजय कुमार सिंहा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी हो० सं० 858 है, तथा जो मेन रोड, रांची में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख
18-3 76
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री निताई कृष्ण सर्वाधिकारी वल्द डा० दि० च० सर्वाधिकारी निवासी सुधा सिंधु, गोपाल वल्लभ रोड, बालूकुण्ड, शहर पूरी, पो०/जि०- पूरी (उड़ीसा) (अन्तरक)

(2) श्री जयसुख वी० पटेल वल्द श्री वी० डी० पटेल, मेन रोड, रांची

(3) गुजरात होटल, मेन रोड, रांची। (अन्तरिती)
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन मय मकान रकबा 6 कट्ठा, जो मेन रोड रांची में है तथा वा० सं० II, हो० सं० 858 है तथा जिसका वर्णन वस्तावेज सं० 3580 दिनांक 18-3-76 में पूर्ण है।

अजय कुमार सिंहा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 21-10-76

मोहर ;

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 21-10-76

निदेश सं० 111-220/अर्जन/76-77/2090—यतः, मुझे, अजय कुमार सिंहा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी हो० सं० 858 है, तथा जो मेन रोड, रांची में स्थित है और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-3-76 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री निताई कृष्ण सर्वाधिकारी वल्द डा० दि० च० सर्वाधिकार, निवासी सुधा सिंधु, गोपाल बल्लभ रोड, बालूकुड शहर पूरी, पो०/जि० पूरी (उड़ीसा)। (अन्तरक)

(2) श्री विनोद के० पटेल वल्द श्री कुर्जी भाई पटेल, मेन रोड, रांची। (अन्तरिती)

(3) गुजरात होटल, मेन रोड, रांची।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन मय मकान रकबा 2क० 17 धुर जो मेन रोड रांची में है तथा वा० सी०-II, हो० सं० 858 है तथा जिसका वर्णन दस्तावेज सं० 3585 दिनांक 18-3-76 में पूर्ण है।

अजय कुमार सिंहा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख : 21-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 111-221/अर्जन/76-77/2091—यतः मुझे अजय कुमार सिंहा,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी हो० सं० 853/858 है, तथा जो ओल्ड कमिश्नर कम्पाउण्ड रांची में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-3-76

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री निताई कृष्ण सर्वाधिकारी वल्द
डा० दि० च० सर्वाधिकारी, निवासी—सुधासिंधु
गोपाल बल्लभ रोड, बालूकण्ड
शहर पूरी, पो०/जि० पूरी (उड़ीसा) (अन्तरक)

(2) एम०/एस० दी० रिप्बलिक प्रा०
लि०, मेन रोड रांची,
द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद बुधिया
(निदेशक) (अन्तरिती)

(3) गुजरात होटल, मेन रोड, रांची।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन मय मकान रकबा 12क० 18 धूर जो ओल्ड कमिश्नर कम्पाउण्ड रांची में है वा० सं० II, हो० सं० 853/858 है तथा जिसका विवरण दस्तावेज सं० 3581 दिनांक 18-3-76 में पूर्ण है।

अजय कुमार सिंहा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना।

तारीख: 21-10-76।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 29 अक्तूबर, 1976

निदेश सं० 111-222/अर्जन/76-77/2092—यतः मुझे अजय कुमार सिंहा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी हो० सं० 858 है, तथा जो मेन रोड रांची में स्थित है (और इसमें उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-3-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री निताई कृष्ण सर्वाधिकारी वल्द डा० दि० च० सर्वाधिकारी, निवासी—सुधा सिंधु गोपाल वल्लभ रोड, बालूकण्ड, शहर पूरी, पो०/जि० पूरी, (उडीसा)। (अन्तरक)

(2) श्री मोहन जे० पटेल वल्द श्री जमा पटेल, मेनरोड रांची। (अन्तरिती)

(3) गुजरात होटल, मेन रोड, रांची।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन मय मकान रकबा 3 कट्ठा जो मेन रोड रांची में है वा० सं०-II, हो० सं०-858 है तथा जिसका विवरण दस्तावेज सं० 3584 दिनांक 18-3-76 में पूर्ण है।

अजय कुमार सिंहा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना ।

तारीख: 12-10-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

निर्देश सं० व० इ० 2/2095-2/फरवरी 76—अतः मुझे एम० जे० माथन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० स० नं० 37 प्लाट नं० 3, 321, हि० नं० 4 (अंश) सी० टी० एस० नं० 564/1 है तथा जो जुहू में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बंबई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14 फरवरी 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. कुमारी यशधीर होटल्स लिमिटेड (अन्तरक)
2. कुमारी सी० किंग प्रा० लि०
   1. दिपचन्द मोहनलाल शाह
   2. चन्द्रकला प्रवीन शाह
   3. मीरजा अशोक शाह
   4. उमेश दिपचन्द्र शाह
   5. रणछोड़दास अग्रवाल
   6. सुरेशचन्द्र अग्रवाल
   7. सुभाष अग्रवाल
   8. शेखर अग्रवाल
   9. उमा प्रफुल शाह
   10. दिनेश प्रफुल शाह

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन या मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग, उस पर खड़े ढांचे सहित, जो जुहू बृहत बंबई में रजिस्ट्री जिला व उप-जिला, बंबई नगर व बंबई उप नगर में मौजूद पड़ा हुआ है, माप में 1251 वर्ग गज है जो 1046 वर्ग मिटर के बराबर या उसके आसपास है, जिसका सर्वे नं० 37, प्लांट नं० 3 व 3/1 हिस्सा नं० 4 (भाग) सी० टी० एस० नं० 564/1 जुहू है और उत्तर की ओर गोविंदराम अदर्स की सम्पत्ति, पश्चिम की ओर एस० नं० 37 हिस्सा नं० 4 (भाग) वाली सम्पत्ति जो चन्द्रू रहेजा वगैरह की है, दक्षिण की ओर मैसर्स जमनालाल एंड संस प्रा० लि० की सम्पत्ति और पूर्व की ओर विक्रेताओं की अन्य संपत्ति से घिरा हुआ है।

एम० जे० माथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन इलाका 2, बंबई।

तारीख: 19-10-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज 5 बम्बई

आर्युवैदिक बिल्डिंग, नेताजी सुभाष रोड़, बम्बई-400002

बम्बई-400002, दिनांक 14 सितम्बर 1976

निर्देश सं० आई० 5/632/1/76-77—अतः मझे वी० आर० अमीन आयकर

अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० एस० नं० 1000 प्लाट, 1114 है तथा जो मुलुंड में स्थित है (और इसके अधीन उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बंबई, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3/3/1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से वर्णित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. एवरग्रीन बिल्डर्स मोहनलाल एल० नौरंग (अन्तरक)
2. 3 श्याम कुरपा को० आप०हा०सो०लि० (अन्तरिती)

नाम	प्लाट नं०
श्री ए० आर० एस० अय्यैर और अन्य	1–3
श्री जी० नारायण सरमा और अन्य	4
श्री ए० एन० बी० स्वामीनाथन और अन्य	5
श्री खीमजी एल० सोमैया	6
डॉ० चन्द्रकांत सी० थानावाला	7
श्री कृष्णकांत आई० जरीवाला	8
श्री ए० एस० बालकृष्णन्	9
श्री पी० वी० गनपत	10
श्री भीमसेन गुप्ता	11
श्री गंगाजी के० रूपरेल	12
श्री सुरेन्द्र कुमार जी रूपरेल	13
श्री एन० नौरंगराय केदिया	14
मैसर्स एवरग्रीन बिल्डर्स	15
श्री महेन्द्र एच० पोपट	16
श्रीमती सरला एन० सुतारिया और अन्य	17 पार्ट 18
श्रीमती इन्दूमती डी० गावडे	19 पार्ट 18
मसर्स एवरग्रीन बिल्डर्स	20
श्री नारायन एस० दभोलकर	21
श्री शांतिकुमार पी० केदिया	22
श्री विश्वनाथ पी० केदिया	23–24
मेसर्स एवरग्रीन बिल्डर्स	25
श्रीमती सुन्नीबाई टी० खुशालानी	26–27
श्रीमती जसुबेन के० शाह	28
मेसर्स ओरिएंटल रबर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	29–30

नाम	गैरेज नं०
श्री और श्रीमती एस० एन० सुतारिया	उत्तर-प० गैरेज
मैसर्स एवरग्रीन बिल्डर्स	उत्तर पूर्व गैरेज
मैसर्स एवरग्रीन बिल्डर्स	खुला गैरेज नं० 1
श्री महेन्द्र एच० पोपट	,, ,, 2
श्री खीमजी एल० सोमया	,, ,, 3
मैसर्स एवरग्रीन बिल्डर्स	,, ,, 4
मैसर्स ओरिएंटल रबर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	,, ,, 5
मैसर्स एवरग्रीन बिल्डर्स	,, ,, 6
मैसर्स एवरग्रीन बिल्डर्स	,, ,, 7
मैसर्स एवरग्रीन बिल्डर्स	,, ,, 8
मैसर्स एम० एस० अय्यैर और अन्य	,, ,, 9

3. अनुबंध 'क' के अनुसार (वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे नं० 1000, प्लाट नं० 114 वाली भूमि का वह तमाम टुकड़ा या भाग जो मुलुंड की सीमा के अंदर, तालुका कुर्ला, रजिस्ट्री उप-जिला बांद्रा और जिला बंबई उपनगर में मौजूद, पड़ा है, माप में करीब 2000 वर्ग गज या उसके करीब है वह इस प्रकार घिरा हुआ है कि पूर्व में या पूर्व की ओर प्लाट नं० 1115 है, पश्चिम में या पश्चिम की ओर प्लाट नं० 1113 है, उत्तर में या उत्तर की ओर प्लाट नं० 1072 है, और दक्षिण में या दक्षिण की ओर देविदयाल रोड़ है—टी वार्ड नं० 2283, स्ट्रीट नं० 1114 व टी-वार्ड वार्ड नं० 2283 (2), स्ट्रीट नं० 1114/ए देविदयाल रोड़ है।

वी० आर० अमीन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन इलाका-5, बंबई

तारीख 14-9-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 5 बम्बई
दिनांक 24 सितम्बर, 1976

निर्देश सं० अ० ई० 646/14/7576—यतः मुझे व्ही० आर० अमीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 46, सी० टी० एस० नं० 195 (प्लाट) है, जो गारोडियानगर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बंबई म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 10-9-1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री विजय कुमार गोरधनदास (अन्तरक)
2. मैसर्स बोनाफाइड बिल्डर्स (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बम्बई नगर और बम्बई उपनगर के रजिस्ट्रेशन जिले और उपजिले में घाटकोपर में स्थित एवं अवस्थित गरोडिया नगर स्कीम की प्लाट सं० 46 का वह तमाम एक तिहाई भाग जिसका सिटी सर्वेक्षण सं० 845 सर्वेक्षण सं० 194(पार्ट) है और जो माप म 845 वर्ग गज अर्थात् 6 706. 53 वर्गमीटर के बराबर है तथा जो उस पर बनी हटमेंट्स सहित सर्वेक्षण सं० 249 हिस्सा सं० 4 का भाग है।

व्ही० आर० अमीन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-5, बम्बई

तारीख : 24-9-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज

60/61 एरंडवना, कर्वे रोड़, पूना 411004

पूना-411 004, दिनांक 18 अक्तूबर 1976

निर्देश सं० सी० ए० 5/मालेगांव/फेब्रुआरी '76/306/76-77
—यतः मुझे व्ही० एस० गायतोंडे
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० सी० एस० क्र० 224-बी और 224 बी-1 न्यु वार्ड, मालेगांव है तथा जो मालेगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मालेगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-2-1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :

1. श्री सूर्यनारायण लक्ष्मीनारायर काब्रा मोहरपीट गल्ली, मालेगांव, जिला नासिक (अन्तरक)

2. श्री बालकृष्ण गणेशमल काब्रा मामतदार गल्ली मालेगांव, जि: नासिक (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्रॉपर्टी,-सी० एस० क्रम 224-बी और 224-बी-1, मालेगांव जि० नासिक, क्षेत्रफल, 140 वर्ग मीटर्स ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 315 फेब्रुअरी '76 को सब-रजिस्ट्रार मालेगांव के दफ्तर में लिखा है) ।

व्ही० एस० गायतोंडे,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख: 18-10-76
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 60/61, एरंडवना, रोड़, पूना 411004

पूना-411004, दिनांक 18 अक्तूबर 1976

निर्देश सं० सी० ए-5/जलगांव/मार्च '76/307/76-77—यतः मुझे, व्ही० एस० गायतोंडे
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी
संख्या सी० एस० क० 1967-बी/60 प्लाट क० 9 है तथा जो जिलापेट जलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलगांव में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, 4-3-1976 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बद्रीनारायण गंगाबिसन मणियार जिलापेठ, ओंकार नगर, जलगांव (अन्तरक)

2. सौ० मथुराबाई बद्रीनारायण मणीयार जिला पे० जलगांव (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्रापर्टी सी० एस० कं० 1967-बी/60 जिला पेठ, जलगांव प्लाट कं० 9, 405.5 वर्ग मीटर्स ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क० 329 मार्च '76 को सब-रजिस्ट्रार जलगांव के दफ्तर में लिखा है) ।

व्ही० एस० गायतोंडे
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-, 60/61 एरंडवना, कर्वे रोड, पूना-411004

तारीख: 18-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 60/61, एरंडवना, कर्वे रोड, पूना 411004

पूना-411004, दिनांक 20 अक्तूबर 1976

निर्देश सं० सी० ए० 5/बम्बई/मार्च 76/308/76-77—यत: मुझे व्ही० एस० गायतोंडे
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या आर० एस० नं० 156 है तथा जो लोनावला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 12-3-76 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. डा० संवरमल सागरमल मिश्रा, सुधाकर नारायन दामोलकर रोड, बम्बई-26। (अन्तरक)

2. मे० मसा हाजी पत्रावाला, जे० ई० यसेफ रोड, बंबई-18 (अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का टुकड़ा और जिसके उपर बांधा हुआ मकान, आर० एस० नं० 156, लोनावला, तालुका मावल जिला पूना में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 32-1/2 गुंठा तथा 3925 वर्ग मीटर, तथा 3281.6 वर्ग मीटर है। जो निम्नलिखित तरह से घिरा हुआ है। पूरब के तरफ सं० नं० 154, दक्षिण की तरफ पुराना खंडाला रोड, पश्चिम के तरफ सं० नं० 155 और 155 बी और उत्तर की तरफ सं० नं० 155 और 155 बी।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्रमांक 1900 12 मार्च, 76 को सब-रजिस्ट्रार, बम्बई के दफ्तर में लिखा गया है।)

व्ही० एस० गातोंडे
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 60/61, एरंडवना, कर्वे रोड पूना

तारीख : 20-10-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

निदेश नं० 25-सी/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान नं० 12/38-ए है तथा जो डा० बिसेसरगंज मो० धूपचंडी नाटी इमली वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-4-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री केशव प्रसाद (अन्तरक)

2. श्री छोटा भाई पटेल (अन्तरिती)

3. बिक्रेता (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 12/38-ए
मोहल्ला धूप चंडी नाटी इमली, शहर वाराणसी में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 19-10-1976.
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

निदेश नं० 66-के०/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या मकान नं० मय जमीन 12/138-ए, है तथा जो मो० धूपचंडी नाटी इमली मौजा जैतपुरा वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-3-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री केशव प्रसाद (अन्तरक)

2. श्री काशी प्रसाद गुप्ता एवं अन्य (अन्तरिती)

3. श्री केशव प्रसाद (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान मय जमीन नं० जे० 12/38-ए, जो कि मोहल्ला धूपचण्डी नाटी इमली मौजा जैतपुरा, शहर वाराणसी में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 19-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस ०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

निदेश नं० 135-एस/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी संख्या मकान मय जमीन नं० जे० 12/38-ए है तथा जो मो० धूपचंडी नाटी इमली मौजा जैतपुरा वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित) है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-3-76 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री केशव प्रसाद (अन्तरक)

2. श्री शंकर भाई पटेल (अन्तरिती)

3. श्री केशव प्रसाद (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान मय जमीन नं० 28/38-ए जो कि मोहल्ला धूपचंडी नाटी इमली मौजा जैतपुरा वाराणसी में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 19 अक्तूबर 1976
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 156, सेक्टर 9-बी चण्डीगढ़
चण्डीगढ़, दिनांक 18 अक्तूबर 1976

निदेश सं० सीएचडी/1676/75-76—अतः मुझे ग० प० सिंह
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० मकान नं० 14, सैक्टर 3 का 3/7 भाग है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमति देव प्रभा पत्नी श्री डी० सी० भगत, निवासी मकान नं० 14, सैक्टर 3-ए चण्डीगढ़। (अन्तरक)

2. श्री मदन गोपाल सिंह कर्ता हिन्दू अविभक्त परिवार जिसमें वह स्वयं, उसकी पत्नी श्रीमति देव बाला और उसके तीन पुत्र सर्वश्री राजन कश्यप, सजन कश्यप, यजन कश्यप समाविष्ट हैं।
निवासी मकान नं० 131, सैक्टर 10, चण्डीगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 14, सैक्टर-3, चण्डीगढ़ का 3/7 भाग।
(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1223 फरवरी 1976 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय में लिखा है।)

ग० प० सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 156, सैक्टर 9-बी चण्डीगढ़

तारीख : 18-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 156, सैक्टर 9-बी चन्डीगढ़

चण्डीगढ़, दिनांक 18 अक्तूबर 1976

निदेश सं० बीजीआर/1966/75-76—अतः मुझ ग० प० सिंह, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि और बिल्डिंग जिस का नं० 22/1 और 19/2 है जो कि गांव म्यौला महाराजपुर, 15/3 माईल स्टोन, मथुरा रोड फरीदाबाद में स्थित ह (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लबगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 (i) श्रीमती वीना मरवाह पत्नी श्री मनमोहन मरवाह निव सी ई-1, पटेल रोड़, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।

(ii) श्रीमति रेनू मुंजाल पत्नी श्री इन्द्र मोहन मुंजाल निवासी मकान नं० 648, सैक्टर 11-बी, चण्डीगढ़।

(iii) श्रीमति नीलम शर्मा पत्नी कैप्टन प्रदीप शर्मा निवासी ई/290, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली।

(iv) कुमारी पूनम चन्दन उर्फ पुनीता चन्दन और

(v) कुमारी माला चन्दन पुत्रियां श्री मोहन चन्दन, निवासी 17ए/28, वैस्ट्रन एक्सटेनशन एरिया, करोल बाग, नई दिल्ली।

(i) कुमारी मधुरिका चन्दन (नाबालग) और

(ii) कुमारी रीतू चन्दन (नाबालग) पुत्रियां, द्वारा उन के पिता और स्वाभाविक संरक्षक श्री मोहन चन्दन, निवासी 17ए/28, वैस्ट्रन एक्स्टेंशन एरिया, करोल बाग, नई दिल्ली (अन्तरक)

2 मुख्य अधिकारी, मैसर्स आर० एम० सी० डिल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, फरीदाबाद
पंजीयित कार्यालय—27-ए केमेकस स्ट्रीट कलकत्ता-700016। (अन्तरिती)

3 मैसर्ज राधिका वूलन और सिलक मिल 17 पार्लीयमेंट स्ट्रीट चौथी मंजिल अलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, नई दिल्ली। किरायेदार

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फैक्ट्री शैड और बिल्डिंग साथ में भूमि जिस का नं० 22/1 और 19/2 है और क्षेत्रफल 2783 वर्ग गज है जोकि गांव म्योला महाराजपुर, 15/3 माईल स्टोन मथुरा रोड़, फरीबाबाद में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 3703 फरवरी, 1976 में रजिरट्रीकर्ता अधिकारी बल्लबगढ़ के कार्यालय में लिखा है।)

ग० प० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 18 अक्तूबर, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

निदेश नं० पीएचजी/84/76-77—यतः मुझे वी० आर० सगर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,
और जिसकी सं० 31 है तथा जो इंडस्ट्रीयल एरिया फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नरिन्द्रजीत सिंह सपुत्र नरंजन सिंह वासी फगवाड़ा (अन्तरक)

2. श्री कर्म सिंह, लछमन सिंह सपुत्रान श्री शिव सिंह वासी गांव तक्कर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है तथा किराएदार, यदि हों। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग प्लाट नं० 31, इंडस्ट्रियल एरिया फगवाड़ा, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1824 फरवरी 1976 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 15 अक्तूबर 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

निदेश नं० पीएचजी/85/76-77—यतः मुझे वी० आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 31 है तथा जो इंडस्ट्रियल एरिया फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कर्मजीत सिंह सपुत्र नरंजन सिंह वासी फगवाड़ा । (अन्तरक)
2. श्री कर्मसिंह लक्षमन सिंह सपुत्रान शिव सिंह वासी गांव तक्कर । (अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है तथा किराएदार, यदि हों । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बिल्डिंग प्लाट नं० 31 इंडस्ट्रियल एरिया फगवाड़ा पर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 1801 फरवरी, 1976 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में है ।

वी० आर० सगर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 15-10-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

निदेश नं० पीएचजी/86/76-77—यतः मुझे वी० आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 31 है तथा जो इंडस्ट्रियल एरिया, फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1976 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्ज जंगी एण्ड परमार इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया फगवाड़ा द्वारा श्री किलवरन सिंह सपुत्र कुन्दन सिंह (अन्तरक)

2. श्री कर्म सिंह लछमन सिंह सपुत्रान श्री शिव सिंह वासी गांव तक्कर। (अन्तरिती)

जैसा कि नं० 2 में है तथा किरायदार, यदि हों (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग प्लाट नं० 31 इंडस्ट्रियल एरिया फगवाड़ा पर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1802 फरवरी 1976 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में है।

वी० आर० सगर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 15-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 15 अक्तूबर 1976

निदेश नं० पीएचजी/87/76-77—यतः मुझे वी० आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 31 है तथा जो इंडस्ट्रियल एरिया फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और /या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. नरिन्द्रजीत सिंह कर्मजीत सिंह सपुत्रान श्री नरंजन सिंह वासी फगवाड़ा तथा मैसर्ज जंगी एण्ड परमार इंडस्ट्रीज इन्डस्ट्रियल एरिया फगवाड़ा द्वारा श्री किलवरन सिंह सपुत्र श्री कुन्दन सिंह । (अन्तरक)
2. श्री कर्म सिंह लछमन सिंह सपुत्रान शिव सिंह वासी गांव तक्कर (अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है तथा किराएदार, यदि हों (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बिल्डिंग प्लाट नं० 31 इंडस्ट्रियल एरिया फगवाड़ा पर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1801, 1802 तथा 1824 फरवरी 1976 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में है ।

वी० आर० सगर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 15-10-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II
4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 अक्तूबर 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०एक्यू०/II/1125/76-77/—अतः मुझे, एम० एस० गोयला,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० बी 2/13 का 1/2 हिस्सा है तथा जो माडल टाउन, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी, 1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सावित्री देवी, पत्नी श्री कंवल नैन विज (2) श्री अशोक कुमार (3) श्री राधे शाम तथा श्री प्रवेश चन्द्र सुपुत्र श्री कंवल नैन विज, निवासी 12/9, शक्ति नगर, दिल्ली (अन्तरक)
2. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री कान्ता प्रसाद (2) श्री सतीश कुमार, (3) श्री राज कुमार (4) श्री अशोक कुमार (5) श्री सुरिन्द्र कुमार तथा (6) श्री सुरेश कुमार सभी सुपुत्र श्री कान्ता प्रसाद, निवासी बी-2/13, माडल टाउन, दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में पारिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक बिल्डिंग का 1/2 अविभाजित भाग जोकि फ्रीहोल्ड प्लाट पर 1250.2 वर्ग गज (कुल क्षेत्रफल 2510 वर्ग गज) पर बनी हुई है, जिसका नं० 13, ब्लाक नं० बी-2 है, माडल टाउन कालौनी दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : जायदाद नं० बी-2/14
पश्चिम : जायदाद नं० बी-2/15-ए
उत्तर : रोड़
दक्षिण : कालौनी की सीमा

एम० एस० गोयला
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली/नई दिल्ली-1

तारीख : 26 अक्तूबर 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 अक्तूबर 1976

निदेश सं० 492/एसीक्यू० 23-884/7-4/75-76—अतः मुझे, पी० एन० मित्तल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है, कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० रे० स० नं० 25 है तथा जो जेल विस्तार, टागोर नगर हाउसिंग सोसायटी नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-2-1976 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री ललुभाई नारणजी जोबीसी, काछियावाडी, नवसारी (अन्तरक)

2. डाहीबेन, भुलाभाई मोरारजी अहीर की विधवा, टागोर-नगर हाउसिंग सोसायटी नवसारी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त, व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका रे० स० नं० 25 पैकी कुल माप 1 एकर 34 गुंथा है तथा जो टागोरनगर हाउसिंग सोसायटी के पास नवसारी में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी के फरवरी 1976 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 302 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 19-10-1976
मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा—मई, 1977

नोटिस

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवंबर 1976

सं० फा० 8/10/76–प० I(ख)—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 5 मई, 1977 से एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित होगी :—

पाठ्यक्रम का नाम	रिक्तियों की संभावित संख्या
भारतीय सेना अकादमी, देहरादून (जनवरी, 1978 में प्रारम्भ होने वाला 64वां पाठ्यक्रम) ।	88
नौ सेना अकादमी, कोचिन (जनवरी, 1978 में प्रारम्भ होने वाला पाठ्यक्रम)	45
अधिकारी प्रशिक्षण शाला मदरास (मई, 1978 में प्रारम्भ होनेवाला 27वां पाठ्यक्रम) ।	150

आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा । (क) परीक्षा की प्रणाली, स्तर और पाठ्यचर्या (ख) अकादमी/शाला में प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता-स्तर तथा (ग) भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण शाला में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना के संबंध में क्रमश: परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है ।

2. **परीक्षा के केंद्र :** अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भूपाल, बम्बई, कलकत्ता, कटक, दिल्ली, दिसपुर (गोहाटी) हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, मदरास, नागपुर, पटियाला, पटना, शिलांग, शिमला और त्रिवेंद्रम ।

3. **पात्रता की शर्तें :—**

(क) राष्ट्रिकता :

उम्मीदवार या तो

(i) भारत का नागरिक हो या

(ii) भूटान की प्रजा हो या

(iii) नेपाल की प्रजा हो या

(iv) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीन्या, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य या जांबिया, मालवी, जेयर तथा इथोपिया से प्रव्रजन कर आया हो ।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (iii) और (iv) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता-प्रमाण पत्र प्रदान किया हो ।

पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा ।

जिस उम्मीदवार के लिए यह पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, उसको इस शर्त पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और अकादमी या शाला में भी, जैसी ही स्थिति हो, प्रवेश दिया जा सकता है कि बाद में भारत सरकार द्वारा वह उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करे ।

(ख) आयु-सीमाएं, स्त्री या पुरुष और वैवाहिक स्थिति :

(i) **भा० से० अकादमी और नौसेना अकदामी के लिए :** केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं जिनका जन्म 2–1–1956 के पहले और 1–1–1959 के बाद न हुआ हो ।

(ii) **अधिकारी प्रशिक्षण शाला के लिए :** केवल वही पुरुष उम्मीदवार (विवाहित या अविवाहित) पात्र हैं जिनका जन्म 2–1–1955 के पहले और 1–1–1959 के बाद न हुआ हो ।

नोट :—जन्म की तारीख केवल वही मान्य होगी जो मैट्रिक्युलेशन/हायर सेकेन्डरी या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में लिखी गई हो ।

(ग) **शैक्षिक योग्यताएं :**—किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय की डिग्री या समकक्ष । जो उम्मीदवार अभी डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु उनको डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण नीचे की तारीख तक आयोग के कार्यालय में पहुंचाना होगा । अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाए ।

(i) भा० से० अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए—31 दिसम्बर, 1977 को या उससे पहले ।

(ii) अधिकारी प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिए—4 अप्रैल, 1978 को या उससे पहले ।

अपवाद की परिस्थितियों में, आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं में से किसी से युक्त न होने पर भी, शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर, आयोग के विचार से, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हों ।

नोट I—जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे । अगर प्रवेश दिया गया तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी ।

नोट II—विशेष सेवा अनज्ञप्तों को छोड़कर बाकी अनज्ञप्त नाविक (जिनमें किशोर और कारीगर प्रशिक्षु सम्मिलित हैं), जिनको अपने नियत कार्य पूरे करने में छह महीने से कम समय बाकी है, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे । जिन विशेष सेवा अनज्ञप्तों को अपने नियत कार्य पूरे करने में छह महीने से कम समय

बाकी है, उनके आवेदन-पत्र तभी लिए जाएंगे जब वे उनके कमांडिंग अफसरों के द्वारा विधिवत् अनुसंसित हों।

4. **आवेदन के साथ देय शुल्क :** रु० 28.00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए रु० 7.00) जिन आवेदन-पत्रों के साथ यह निर्धारित शुल्क नहीं भेजा जाए, उनको एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. **शुल्क से छुट :**—आयोग, यदि चाहे तो, निर्धारित शुल्क से छूट दे सकता है अब उनको इस बात का आश्वासन हो कि आवेदक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है जो 1-1-64 और 25-3-1971 के बीच में वह भारत में प्रव्रजन कर आया है या वह बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति है जो 1-6-1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन कर आया है या वह श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति है जो 1-11-1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन कर आया है और निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है।

6. **आवेदन कैसे किया जाए :**—केवल सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा मई, 1977 के लिए निर्धारित प्रपत्र में छपे हुए आवेदन-पत्र ही लिए जाएंगे जो इस परीक्षा के नोटिस के साथ लगे हुए हैं। आवेदन-पत्र भर कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाने चाहिएं। आवेदन प्रपत्र और परीक्षा के पूरे विवरण निम्न स्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं :—

(i) दो रुपये का मनीआर्डर या संघ लोक सेवा आयोग के सचिव को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर भेज कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के यहां से डाक द्वारा।

(ii) दो रुपये का नकद देकर आयोग के कार्यालय के काउंटर पर।

(iii) निकटतम भर्ती कार्यालय, मिलिटरी एरिया/सब एरिया मुख्यालय, एन०सी०सी० एकक तथा नौ सेना प्रतिष्ठानों के यहां से निःशुल्क।

नोट :—आवेदन-प्रपत्र तथा परीक्षा के पूर्ण विवरण डाक द्वारा मंगाने के लिए भेजे जाने वाले अनुरोध आयोग के कार्यालय में 27-12-1976 के पहले पहुंच जाने चाहिएं। परन्तु ये प्रपत्र आयोग के कार्यालय में काउंटर पर स्वयं जाकर मांगने वालों को 3-1-1977 तक मिल सकते हैं।

सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से ही सरकारी नौकरी में हों, जिनमें सशस्त्र सेना में सेवारत कर्मचारी भी शामिल हैं, या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों या इसी प्रकार के संगठनों में काम कर रहे हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, आयोग को सीधे आवेदन-पत्र भेजने चाहिएं। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंच जाए तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रतुस्त किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में, जिसमें सशस्त्र सेना भी शामिल है, स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिनमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, उनको इस परीक्षा में अंतिम रूप में प्रवेश पाने के पहले अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष/कमाँडिंग अफसर की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। उनको चाहिए कि वे अपने आवेदन-पत्र को, उसके अंत में संलग्न प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां निकालकर, आयोग में सीधे भेज दें और प्रमाण-पत्र की उन प्रतियों को तत्काल अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष या कमांडिंग अफसर को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करें कि उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति विधिवत् भर कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को जल्दी से जल्दी और किसी भी हालत में प्रमाण-पत्र की फार्म में निर्दिष्ट तारीख से पहले भेज दी जाए।

7. **आयोग के कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख :—**

(i) भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से 3 जनवरी, 1977

(ii) विदेश में या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से 17 जनवरी, 1977।

8. **प्रलेख जो, आवेदन के साथ प्रस्तुत हों।**

(क) सभी उम्मीदवारों द्वारा :

(i) रु० 28.00 (अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रु० 7.00) का शुल्क जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली प्रधान डाक घर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में हो या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने यहां के भारत के उच्च आयुक्त या राजदूत या विदेशी प्रतिनिधि के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करें जिस से वह "051 लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क" शीर्षक खाते में जमा हो जाए और उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ भेज दें।

(ii) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की एक जैसी दो प्रतियां जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत अंकित हों।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा :—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होने के दावे के समर्थन में, जहां उम्मीदवार या उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आम तौर पर रहते हों, उस जिले की किसी सक्षम (प्रमाण-पत्र के नीचे उल्लिखित) प्राधिकारी के परिशिष्ट IV में

दिए गए प्रपत्र में लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ग) शुल्क से छूट चाहने वाले उम्मीदवारों के द्वारा :—

(i) किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्य से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है ।

(ii) वस्तुतः विस्थापित/प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्राधिकारियों से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि :

(अ) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

(i) दंडकारण्य परियोजना के ट्रैन्जिट केन्द्रों या विभिन्न राज्यों के राहत शिविरों का शिविर संचालक

अथवा

(ii) उस इलाके का जिला मैजिस्ट्रेट जहां पर वह, फिलहाल, रह रहा हो ।

अथवा

(iii) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वासन का प्रभारी अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ।

अथवा

(iv) सब डिविजनल अफसर अपने अधीनस्थ सब-डिवीजन की सीमा तक ।

अथवा

(v) शरणार्थी पुनर्वासन उपायुक्त, पश्चिमी बंगाल/निदेशक (पुनर्वासन), कलकत्ता ।

(ख) श्रीलंका से प्रत्यावर्तित :—

श्री लंका में भारत का उच्चायुक्त :

(ग) बर्मा से प्रत्यावर्तित

भारतीय दूतावास, रंगून ।

9. शुल्क की वापसी : आवेदन के साथ आयोग को अदा किया गया शुल्क, वापस करने के किसी अनुरोध पर नीचे की परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जा सकता और न वह किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता :—

(i) जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क दे दिया है, पर जिसको आयोग ने परीक्षा में बैठने नहीं दिया, उसको रु० 15.00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के मामले में रु० 4.00) वापस कर दिया जाएगा । परंतु, अगर कोई आवेदन यह सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि उम्मीदवार डिग्री परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है या डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो उसके लिए शुल्क की वापसी मंजूर नहीं की जाएगी ।

(ii) जो उम्मीदवार नवंबर, 1976 की सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा में बैठा हो और उस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी पाठ्यक्रम के लिए उसका नाम अनुशंसित हुआ हो तो उनके मामले में रु० 15.00 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० 4.00 का शुल्क वापस दिया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि मई, 1977 की सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी रद्द कराने और शुल्क वापस पाने के लिए उस उम्मीदवार का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 15 अक्तूबर, 1977 को या उससे पहले पहुंच जाए ।

10. आवेदन प्राप्ति की सूचना :—इस परीक्षा के लिए निर्धारित फार्म में मिले सभी आवेदनों के पहुंचने की सूचना भेजी जाएगी । अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन पहुंचने की सूचना इस परीक्षा के आवेदन पहुंचने की अंतिम तारीख से एक महीने के अंदर न मिले तो उसको प्राप्ति सूचना पाने के लिए तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए ।

11. आवेदन का परिणाम :—अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक आयोग से प्राप्त न हुई तो उसे परिणाम की जानकारी के लिए आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए । अगर इस बात का पालन नहीं हुआ तो उम्मीदवार अपने मामले में विचार किए जाने के अधिकार से वंचित हो जाएगा ।

12. परीक्षा में प्रवेश :—किसी उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा । आयोग से प्राप्त प्रवेश-प्रमाण पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

13. कदाचार के दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई :— उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय कोई गलत विवरण न दें, और न किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपा लें । उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी भी हालत में वे किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर-बदल न करें और न फेर बदल किए गए / गढ़े हुए प्रलेख को वे प्रस्तुत करें । अगर इस प्रकार के दो या अधिक प्रलेखों में या उनकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई अशुद्धि या असंगति हो तो इस असंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए ।

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है—

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना या

(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना या

(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत कराना या

(iv) जाली प्रलेख या फेर बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना या

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपाकर रखना या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियत या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना या

(vii) परीक्षा भवन में अभद्र साधन काम में लाना या

(viii) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार या

(ix) ऊपर के खंडों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार की ओर प्रवृत्त होना या आयोग को उत्तेजित कराना ।

वह अपने को दंड-अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त

(अ) वह जिस परीक्षा का उम्मीदार है, उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा

(आ) (i) आयोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा या चयन के लिए

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए स्थायी रूप से या कुछ निर्दिष्ट अवधि के लिए अपवर्जित किया जा सकता है और

(इ) अगर वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो उचित नियमावली के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई का पात्र होगा ।

14. **मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुतीकरण :** —जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं, उनको, लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता आदि के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाएगा । लिखित परीक्षा के परिणाम संभवत: अगस्त, 1977 में घोषित किए जा सकते हैं । उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के समय भी इन मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना पड़ सकता है ।

15. **आवेदन के संबंध में पत्र व्यवहार :—आवेदन के संबंध में सभी पत्र व्यवहार सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली-110011 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नांकित विवरण अवश्य होना चाहिए :—**

(1) **परीक्षा का नाम ।**

(2) **परीक्षा का वर्ष और महीना ।**

(3) **रोल नम्बर या जन्म की तारीख** (अगर रोल नंबर नहीं मिला हो) ।

(4) **उम्मीदवार का नाम** (पूरा और साफ लिखा हुआ) ।

(5) **पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन पत्र में दिया है ।**

ध्यान दें :—जिन पत्रों के साथ ऊपर का ब्यूरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो ।

16. **पते में परिवर्तन :**—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन पत्र में दिये पते पर भेजे जाने वाले पत्र आदि आवश्यक होने पर उनके नए पते पर भिजवा दिए जायें । पते में जो भी परिवर्तन हो उसे ऊपर के पैरा 15 में उल्लिखित विवरण के साथ आयोग को यथाशीघ्र सूचित कर देना चाहिए ।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल सेना मुख्यालय, ए०जी० ब्रांच रिक्रूटिंग, 6 (एस०पी०) (ए) वेस्ट ब्लाक 3, विंग 1, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110022 को सूचित कर देना चाहिए । जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा, वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए सम्मन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा ।

यद्यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तनों पर पूरा-पूरा ध्यान देते हैं, फिर भी इस संबंध में वे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते ।

17. **लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के संबंध में पूछताछ :**—जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए अनुशंसित हैं, उनको अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध सीधे सेना मुख्यालय, ए०जी० ब्रांच रिक्रूटिंग 6 (एस०पी) (ए) वेस्ट ब्लाक 3, विंग 1, रामकृष्ण-पुरम, नई दिल्ली-110022 के पते पर लिखने चाहिएं ।

जिन उम्मीदवारों को किसी विश्व विद्यालय की परीक्षा में बैठना हो, उनको चाहिए कि वे लिखित परीक्षा के परिणाम निकलते ही अपनी उस परीक्षा की तारीखें सूचित करते हुए सेना मुख्यालय को लिखें ताकि अगर संभव हो तो साक्षात्कार की तारीखें तय करते समय वे इस बात को ध्यान में रख सकें ।

18. **लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणाम की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाए गए उम्मीदवारों का, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में, प्रवेश :—**

संघ लोक सेवा आयोग, लिखित परीक्षा में आयोग के निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा । ये उम्मीदवार बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षणों के लिए सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे ।

जो उम्मीदवार आई०एम०ए० (डी०ई०) कोर्स और या नेवी (एस०ई०) कोर्स की लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे वे एस०एस०सी० (एन०टी०) कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करें या नहीं, उनको सितम्बर/अक्तूबर, 1977 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिए भेजा जाएगा और जो उम्मीदवार केवल एस०सी० (एन० टी०) कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, उनको दिसम्बर, 1977 जनवरी, 1978 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिए भेजा जाएगा ।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपनी ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में

उनको जो प्रशिक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट लग जाती है या ... उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के वे हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकृति हेतु, उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा अपने निर्णय के अनुसार, निश्चित किए जाएंगे (लिखित परीक्षा) तथा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम में रखा जाएगा। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं, इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण शाला में, जैसी स्थिति हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्त पाए जाने पर उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए योग्यता के क्रम से चयन किया जाएगा।

19. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनर्हताएं :—जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सेना अकादमी, वायु सेना उड्डयन महाविद्यालय, नौ सेना अकादमी, कोचिन और अधिकारी प्रशिक्षण शाला, मद्रास में पहले प्रवेश पा चुके हों, पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिए गए हैं, उनको भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी या थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सेना अकादमी से वापस लिया गया हो उनको भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एण्ट्री नेवल कैडेट्स के रूप में पहले चुन लिया गया हो, पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौ सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से वापस लिया गया हो, वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सेना अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षणशाला, एन०सी०सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम से वापस लिया गया हो, उनके बारे में थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को, एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण, एन०सी०सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम से पहले वापस लिया गया हो, उनको भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

20. भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :—भारतीय सेना अकादमी और नौ सेना अकादमी के पाठ्यक्रमों के उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा, तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है, उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा, चाहे वह इस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण-काल में शादी कर लेगा, उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, वह सब उससे वसूल किया जाएगा।

अल्पकालिक सेवा कमीशन (एन०टी०) के पाठ्यक्रम का कोई भी उम्मीदवार,—

(अ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की हो या शादी के लिए संविदा कर ली हो जिसका पहले से कोई जीवित पति है या

(आ) जिसने, पहले से जीवित पत्नी होते हुए भी, किसी व्यक्ति से शादी की हो या शादी के लिए संविदा कर ली हो।

अधिकारी प्रशिक्षणशाला में प्रवेश/अल्पकालिक सेवा कमीशन की प्रदत्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्तियों के लिए और शादी की दूसरी तरफ के व्यक्तियों के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार अनुमोदनीय है और ऐसा करने के ठोस कारण हैं तो किसी व्यक्ति को वह इस नियम के अनुपालन से छूट दे सकती है।

21. भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध :—भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिए विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. बौद्धिक परीक्षा संबंधी सूचना :—रक्षा मंत्रालय (मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय) ने 'सेवा चयन बोर्ड में उम्मीदवारों की बौद्धिक परीक्षण उपलब्धियों का अध्ययन' (ए स्टडी आफ इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स आफ कैंडिडेट्स एट सर्विसेज सलेक्शन बोर्ड शीर्षक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के बौद्धिक परीक्षणों के स्वरूप और स्वभाव से परिचित हो जाएं।

यह पुस्तक समूल्य प्रकाशन है और बिक्री के प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइंस, दिल्ली—110006 से यहां मिल सकती है। डाक द्वारा आदेश देकर या नकद भुगतान के द्वारा, उनसे यह सीधे प्राप्त की जा सकती है। केवल नकद भुगतान के द्वारा यह (i) किताब महल,

रिवोली सिनेमा के सामने एम्पोरीयो बिल्डिंग, सी-ब्लाक बाबा खड्क सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 (ii) उद्योग भवन की प्रकाशन शाखा और संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस नई दिल्ली-110011 के बिक्री केंद्रों पर तथा (iii) भारत सरकार पुस्तकालय 8 के० एस० राय रोड कलकत्ता—700001 पर भी मिल सकती है ।

एम० एस० पृथी,
उप सचिव

परिशिष्ट 1

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

क. परीक्षा की योजना :

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(क) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा,

(ख) उन उम्मीदवारों का बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट की अनुसूची के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए ।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिए दिया जाने वाला समय और प्रत्येक विषय के लिए नियत अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :—

(क) भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
(1)	(2)	(3)
अनिवार्य :		
1. अंग्रेजी	3 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	3 घंटे	100
वैकल्पिक—निम्नलिखित में से कोई एक विषय		
भौतिकी	3 घंटे	150
रसायन विज्ञान	3 घंटे	150
गणित	3 घंटे	150

(ख) नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए :

विषय	कोड संख्या	नियत समय	अधिकतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)
वनस्पति	04	3 घंटे	150
प्राणि विज्ञान	05	3 घंटे	150
भूविज्ञान	06	3 घंटे	150
भौतिकी	07	3 घंटे	150
अंग्रेजी साहित्य	08	3 घंटे	150
भारत का इतिहास	09	3 घंटे	150
सामान्य अर्थशास्त्र	10	3 घंटे	150
राजनीति विज्ञान	11	3 घंटे	150
समाज शास्त्र	12	3 घंटे	150
मनोविज्ञान	13	3 घंटे	150

विषय	नियत समय	अधिकतम अंक
(1)	(2)	(3)
अनिवार्य :		
1. अंग्रेजी	3 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100
वैकल्पिक		
*3. प्रारंभिक गणित या प्रारम्भिक भौतिकी	3 घंटे	100
*4. गणित या भौतिकी	3 घंटे	150

*जो उम्मीदवार प्रारंभिक गणित लेंगे उन्हें चौथे प्रश्न पत्र में भौतिकी विषय लेना होगा तथा जो उम्मीदवार प्रारंभिक भौतिकी लेंगे उन्हें चौथे प्रश्न पत्र में गणित विषय लेना होगा ।

(ग) अफसर ट्रेनिंग स्कूल में प्रवेश के लिए

विषय	नियत समय	अधिकतम अंक
(1)	(2)	(3)
1. अंग्रेजी	3 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किए गए हैं वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात् भारतीय सेना अकादमी, नौसेना अकादमी और अफसर ट्रेनिंग

स्कूल में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए नियत अधिकतम अंक क्रमशः 450, 450 और 200 होंगे।

3. भारतीय सेना अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे आश्वकतानुसार प्रश्न-पत्रों में, सिक्के, तोल और माप की मीटरी पद्धति से परिचित होंगे। सिक्कों, तोलों तथा मापों की मीटरी पद्धति पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।

4. सब प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएं, जब तक कि प्रश्न पत्र में विशेष रूप से अन्यथा न कहा जाए।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिएं। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर उनके स्थान पर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जाएगी।

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विवक्षा पर है।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. लिखित विषयों में अपाठ्य हस्तलेख होने पर अधिकतम अंक में से उनके 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में कम शब्दों में क्रमबद्ध, प्रभावकारी, यथार्थ अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा।

ख. परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण :

10. प्रारम्भिक गणित और प्रारम्भिक भौतिकी के प्रश्न-पत्रों का स्तर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा जैसा होगा।

अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिस की किसी भारतीय विश्वविद्यालय के किसी स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

इन में से किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

पाठ्य—विवरण

अंग्रेजी

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में एक निबन्ध लिखना होगा। अन्य प्रश्न-पत्र इस प्रकार होंगे के जिनसे उम्मीदवार के अंग्रेजी और उनके द्वारा अंग्रेजी के शब्दों के व्यावहारिक प्रयोग के बोध की परीक्षा ली जा सके। सामान्यतः अंग्रेजी के कुछ अंश संक्षिप्त करने या उनका सार लिखने के लिए दिए जाएंगे।

सामान्य ज्ञान

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन प्रति दिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामलों के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी, जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को, उन विषयों का विशेष अध्ययन किए बिना देना चाहिए।

प्रारंभिक गणित

अंकगणित :

संख्या पद्धतियां—धन पूर्ण संख्याएं, परिमेय और वास्तविक संख्याएं, क्रम विनियम सहचारी और वितरण नियम। मूल संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणन, और विभाजन। वर्ग और घन मूल, दशमलव भिन्न।

ऐकिक विधि—साधारण तथा मिश्र व्याज, समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, लाभ तथा हानि, अनुपात और समानुपात, दौड़ से संबंधित प्रश्नों का अनुप्रयोग।

प्रारम्भिक संख्या सिद्धांत:—विभाजन कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। गुणन और गुणन खंड। गुणन खंडन प्रमेय। महत्तम समापवर्तक तथा लघुतम समावर्त्य, यूक्लिड कलन विधि।

लघुगणक और उनके प्रयोग।

बीच गणित

आधारभूत संक्रियाएं :—साधारण गुणन खंड। शेष फल प्रमेय, बढ़मदों का महत्व समापवर्तक और लघुतम समापवर्तय। द्विघात समीकरणों का हल, उनके मूलों और गुणांकों के बीच संबंध। दो अज्ञात राशियों में युगपत् समीकरण, तीन अज्ञात राशियों में रैखिक युगपत् समीकरण, समीकरणों का अनुप्रयोग असमताएं। ग्राफ।

समुच्चय भाषा, अंकन पद्धति, वैन आरेख, समुचय संक्रियाएं, तीन अज्ञात राशियों के रैखिक समीकरणों के हल समुच्चय अनुप्रयोग परिमेय गुणांकों वाले बहुपद। विभाजन कलन विधि। घातांक विधि। ए० पी० तथा जी० पी०, गुणोत्तर श्रेणी। आवर्तक दशमलब भिन्न। क्रम चय और संचय। धनात्मक समाकल घातांक हेतु द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय का अनुप्रयोग।

त्रिकोण मिति :

त्रिकोण मितीय तथा तत्समक। 30°, 45° और 60° के त्रिकोण मितीय अनुपात तथा ऊंचाई और दूरी के प्रारम्भिक प्रश्नों में उनका प्रयोग।

ज्यामिति :

आपतन सबंध। एक रेखा में क्रम संबंध। क्षेत्र एक समतल में दिग्बलन। रेखा और बिन्दु में पाश का अभिगृहीत परावर्तन। स्थानान्तरण। घूर्णन परावर्तन, स्थानान्तरण और घूर्णन का संयोजन सर्पी परावर्तन। रेखा के प्रति सममित। सममित आकृतियां। समदूरिकी। निश्चर। सर्वांगसमता— प्रत्यक्ष और विषम।

(ख) निम्नलिखित पर प्रमेय :

(i) किसी बिन्दु पर कोण के गुण धर्म।

(ii) समांतर रेखाएं।

(iii) त्रिभुज की भुजाएं और कोण।

(iv) त्रिभुजों की सर्वांगसमता।

(v) समरूप त्रिभुज।

(vi) त्रिभुज की मध्यिकाओं, शीर्षलम्बों, भुजाओं के लम्ब द्विभाजकों और कोणों के द्विभाजकों का संगमन ।

(vii) समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयात, वर्ग तथा समलम्ब के कोणों , भुजाओं व विकर्णों के गुण धर्म ।

(viii) वृत्त और उसके गुण धर्म । इनमें सपर्श रेखा तथा अभिलम्ब भी शामिल है ।

(ix) चक्रीय चतुर्भुज ।

(x) बिन्दुपथ ।

जयामिति यंत्रों के प्रयोग की आवश्यकता वाले व्यावहारिक प्रश्न तथा रचनाएं जैसे, कोण तथा सीधी रेखा का द्विभाजन, लम्ब, समांतर रेखाएं, त्रिभुज । वृत्तों की स्पर्श रेखाएं । त्रिभुजों के अन्तर्वृत्तों और परिवृतियों की रचना ।

कलन :

फलन । ग्राफ । सीमा और सांतत्य । फलनों के अवकल गुणांक । बहुपदी परिमेय त्रिकोण मितीय—प्रारंभिक फलनों का अवकलन । कलन के फलन का अवकलन । अवकलन दर । त्रुटियां, द्वित्तीय कोटि अवकलज ।

अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में समाकलन । समाकलन के मानक सूत्र । खण्डशः और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ।

विस्तारकलन (मेन्सुरेशन)

समतल आकृतियों का क्षेत्रफल । घन पिरेमिड, लम्ववृत्तीय बेलन, शंकु और गोले का आयतन और पृष्ठ । (इनसे संबंधित व्यावहारिक प्रश्न दिए जाएंगे और यदि आवश्यकता होगी तो प्रश्न पत्र में सूत्र भी दे दिए जाएंगे ।)

समतल निर्देशांक ज्यामिति :

दूरी सूत्र । खण्ड सूत्र । सीधी रेखा के समीकरण के मानक रूप । दो रेखाओं के बीच कोण । समांतरता और लम्बता के प्रति बंध । किसी बिन्दु से किसी रेखा तक के लम्ब की दूरी । वृत्त का समीकरण ।

प्रारम्भिक भौतिकी

(क) विस्तार कलन :

मापन के मात्रक, सी० जी० एस० और एम० के० एस० मात्रक । अदिश और संदिश । बल और वेग का संयोजन तथा वियोजन । एक समानत्वरण । एक समानत्वरण के अधीन ऋजु-रेखीय गति । न्यूटन का गति नियम । बल की संकल्पना । बल के मात्रक । मात्रा और भार ।

(ख) पिंड का बल विज्ञान :

गुरुत्व के अधीन गति । समानान्तर बल । गुरुत्व केन्द्र । साम्यावस्था । साधारण मशीन । वेग अनुपात । आनत समतल पेच और गियर सहित विभिन्न साधारण मशीनें । धर्षण, घर्षण कोण, घर्षण गुणांक । कार्य, शक्ति और ऊर्जा । स्थिति और गतिज ऊर्जा ।

(ग) तरल गुणधर्म :

दाब और प्रोद । पास्कल का नियम । आर्किमिडीज का नियम । घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व । पिंडों और द्रवों के विशिष्ट गुरुत्वों को निर्धारित करने के लिए आर्किमिडीज के नियम का अनुप्रयोग । प्लावन का नियम । गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दाब का मापन । बायल नियम । वायु पम्प ।

(घ) ताप :

पिण्डों का रैखिक विहतार और द्रवों का घनाकार विस्तार । द्रवों का वास्तविक तथा आभासी विस्तार । चार्ल्स नियम, परम शून्य, बायल और चार्ल्स नियम, पिण्डों और द्रवों का विशिष्ट ताप, कैलोरीमिति । ताप का संचरण, धातुओं की ताप संवाहकता । स्थिति परिवर्तन । संलयन और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा । एस० वी० पी० नमी (आर्द्रता), औसांक और आपेक्षिक आर्द्रता ।

(ङ) प्रकाश :

ऋजुरेखीय संचरण । परिवर्तन के नियम । गोलीय दर्पण, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, लैन्स, प्रकाशिक यंत्र कैमरा, प्रक्षेपित्र, पारापार चित्रदर्शी, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, वाइनोक्युलर तथा परिदर्शी । प्रिज्म, प्रकीर्ण के माध्यम से अपवर्तन ।

(च) ध्वनि :

ध्वनि संचरण, ध्वनि परावर्तन, अनुनाद । ध्वनि ग्रामोफोन का अभिलेखन ।

(छ) चुम्बकत्व तथा विद्युत् :

चुम्बकत्व के नियम, चुम्बकीय क्षेत्र । चुम्बकीय बल रेखाएं, पार्थिव चुम्बकत्व । चालक और रोधी । ओम-नियम, पी० डी० प्रतिरोधक, विद्युत चुम्बकीय बल, श्रेणी पार्श्व में प्रतिरोधक । विभवमापी विद्युत चुम्बकीय बल की तुलना । विद्युतधारा का चुम्बकीय प्रभाव । चुम्बकीय क्षेत्र में संवाहकता । फ्लेमिंग का बाम हस्तनियम । मापक यंत्र—धारामापी, ऐमीटर, वोल्ट मीटर, वाटमीटर, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत लेपन, विद्युत, चुम्बकीय प्रेरण, फैराड नियम; बेसिक ए० सी० तथा डी० सी० जनित्र ।

भौतिकी (कोड 01)

11. पदार्थ के सामान्य गुण यांत्रिकी

यूनिटें और विभाएं, स्केलर और वैक्टर मात्राएं, जड़त्व आघूर्ण, कार्य ऊर्जा और संवेग । यांत्रिकी के मूल नियम, घूर्णी गति, गुरुत्वाकर्षण, सरल आवर्त गति, सरल और असरल लोलक, कैटर-लोलक, प्रत्यास्थता-पृष्ठतनाव, द्रव की श्यानता, रोटरी पम्प, मैकलियोड गेज ।

2. ध्वनि :

अवमंदित, प्रणोदित और मुक्त कम्पन, तरंग-गति, डाप्लर प्रभाव, ध्वनि तरंग वेग, किसी गैस में ध्वनि के वेग पर दाब, तापमान आर्द्रता का प्रभाव, डोरियों, छड़ों, प्लेटों और गैस स्तम्भों का कम्पन, अनुनाद विस्पंद, स्थिर तरंगें, ध्वनि का आवृत्ति वेग तथा तीव्रता,

स्वर ग्राम, स्थापत्यकला में ध्वनिकता, पराश्रव्य के मूल तत्व; ग्रामोफोन टाकीज और लाउड स्पीकरों के आरम्भिक सिद्धान्त।

3. ऊष्मा और ऊष्मा गति विज्ञान :

तापमान और उसका मापन; तापीय प्रसार; गैसों में समतापी तथा रुद्धोष्म (ऐडियाबेटिक) परिवर्तन। विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकता; द्रव्य के अणुगति सिद्धान्त के तत्व, बोल्टसमन के वितरण नियम का भौतिक बोध; वांडरवाल का अवस्था समीकरण; जूल थाम्पसन प्रभाव; गैसों का द्रवण; ऊष्मा इंजन; कार्नो-प्रमेय, ऊष्मागति-विज्ञान के नियम और उनका सरल अनुप्रयोग, कृष्णिका विकिरण।

4. प्रकाश :

ज्यामितीय प्रकाशिकी, प्रकाश का वेग, समतल और गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन; प्रकाशीय प्रतिबिम्बों में दोष और उनका निवारण; नेत्र और अन्य प्रकाशिक यंत्र, प्रकाश का तरंग सिद्धान्त व्यतिकरण, सरल व्यतिकरणमापी, विवर्तन, विवर्तन ग्रेटिंग, प्रकाश का ध्रुवण, स्पेक्ट्रम विज्ञान के तत्व।

5. विद्युत् और चुम्बकत्व :

सरल मामलों में क्षेत्र विद्युत में तीव्रता और विभव का परिकलन, गाउस प्रमेय और उसके सरल अनुप्रयोग। विद्युत् धारिता; विद्युत-क्षेत्र के कारण ऊर्जा; द्रव्य के वैद्युत और चुम्बकीय गुण धर्म; हिस्टेरिसिस चुम्बकशीलता और चुम्बकीय प्रवृत्ति; विद्युत् धारा से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र, मूविंग मैग्नेट एण्ड मूविंग क्वायल गैल्वेनोमीटर्स; धारा और प्रतिरोध का मापन; रिएक्टिव सर्किट ऐलिमेन्ट्स के गुण धर्म और उनका निर्धारण; ताप-विद्युत प्रभाव; विद्युत चुम्बकीय प्रेरण; प्रत्यावर्ती धाराओं का उत्पादन; ट्रांसफार्मर और मोटर। इलैक्ट्रानिक वाल्व और उनके सरल अनुप्रयोग। बोर के परमाणु सिद्धान्त के तत्व, इलैक्ट्रांस, कैथोड रे और एक्सरे, इलैक्ट्रानिक चार्ज और द्रव्यमान का मापन।

रसायन विज्ञान (कोड 02)

1. अकार्बनिक रसायन विज्ञान :

तत्वों का इलैक्ट्रानिक विन्यास, आफ-बाऊ सिद्धान्त, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। परमाणु क्रमांक। संक्रमण तत्व और उनके लक्षण।

परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, आयनन विभव, इलैक्ट्रान बंधुता और विद्युत् ऋणात्मकता।

प्राकृतिक और कृत्रिम विघटनाभिकता। नाभिकीय विखण्डन और संलयन।

संयोजकता का इलैक्ट्रानिक सिद्धान्त, सिग्मा और पाइ बन्ध के बारे में प्रारम्भिक विचार, सहसंयोजी आबन्ध की संकरण और दैशिक प्रकृति।

वोरनेर का समन्वय मिश्रण सिद्धान्त। उपसहसंयोजी धातुकर्मीय तथा विश्लेषीय प्रचालनों में निहित सम्मिश्रों की इलेक्ट्रानिक विन्यास।

आक्सीकरण स्थितियां और आक्सीकरण संख्या। सामान्य उपचायक तथा अपचायक आक्सीकारक। आयनिक समीकरण।

ल्युइस और ब्रन्सटेड के अम्ल और क्षार सिद्धान्त।

सामान्य तत्वों का रसायन विज्ञान और उनके आमिश्र जिनकी विशेष रूप से आवर्ती वर्गीकरण की पुष्टि से अभिक्रिया की गई हो। निष्कर्षण के सिद्धान्त। महत्वपूर्ण तत्वों का वियोजन (और धातुकी)।

हाइड्रोजन पर आक्साईड की संरचना, डाईबोरेन, ऐलूमिनियम क्लोराइड, तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन और गन्धक के महत्वपूर्ण आक्सीऐसिड।

अक्रिय गैस : वियोजन तथा रसायन।

अकार्बनिक रसायन विश्लेषण के सिद्धान्त।

सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाईड्रोक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, गन्धकीय अम्ल, सीमेन्ट, ग्लास और कृत्रिम उर्वरकों के निर्माण की रूपरेखा।

2. कार्बनिक रसायन विज्ञान :

सहसंयोजी आबंधन की आधुनिक संकल्पनाएं। इलैक्ट्रान विस्थापन-प्रेरणिक, मेसोमरी और अति संयुग्मन प्रभाव। अनुनाद और कार्बनिक रसायन में उसका अनुप्रयोग। वियोजन स्थिरांक (डिसो-सिएशन कांस्टेंट) पर संरचना का प्रभाव।

ऐल्केन, ऐल्कीन और ऐल्काइन। कार्बनिक मिश्रण के स्रोत के रूप में पेट्रोलियम। एलिफेटिक मिश्रणों के सरल व्युत्पन्न। ऐल्कोहल, ऐल्डीहाइड्स, कीटोन, अम्ल, हैलाईड, एस्टर्स, ईथर, अम्ल ऐनीहाइड्स क्लोराइड्स और अमिड। एकक्षारकी हाइड्रोक्सी, कीटोनी और ऐमीनो अम्ल। कार्ब-धात्विक मिश्रण और एसीटोएसीटिक एस्टर। टार्टरिक, सिट्रिक, मैलेइक और फ्यूमेरिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रिया। ग्लूकोस, फल शर्करा और इक्षु शर्करा।

त्रिविम रसायन : प्रकाशकीय और ज्यामितीय समावयवता संरूपण की संकल्पना।

बेन्जीन और उसके साधारण व्युत्पन्न, टॉलूईन, जाइलीन, फीनॉल, हैलाइड, नाइट्रो और ऐमीनो मिश्रण। बेन्जोइक सैलिसिलिक, सिनेमिक, मैंडेलिक और सल्फोनिक अम्ल। ऐरोमैटिक ऐल्डिहाइड और कीटोन। डाइऐज़ो, एज़ो और हाइड्रेजो मिश्रण। ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन। नैफ्थलीन, पिरिडीन और क्यूनोलिन।

3. भौतिक रसायन

गैसों और गैस नियमों का गतिक सिद्धान्त। मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। वान डेर वाल का समीकरण। संगत अवस्थाओं का नियम। गैसों का द्रवण। गैसों की विशेष ऊष्मा। सी० पी०/सी० वी० का अनुपात।

ऊष्मागतिकी :

ऊष्मागतिकी का पहला नियम। समतापी और रुद्धोष्म प्रसार। पूर्ण उष्मा। ऊष्मा धारिता। ऊष्मरसायन-अभिक्रिया ऊष्मा, विरचन, विलयन और दहन। आबंध ऊर्जा की गणना। किरखोफ समीकरण।

स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन का मानदण्ड। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। एन्ट्रापी। मुक्त ऊर्जा। रासायनिक सन्तुलन का मानदण्ड।

घोल : परासरण दाब, वाष्प दाब को कम करना, वाष्पहिमांक अवनयन, क्वथनांक बढ़ाना। घोल में अणु भार निश्चित करना। विलेयों का संगुणन और वियोजन।

रासायनिक संतुलन। द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया और समांगी तथा विषमांगी संतुलन। ला-शातेलिए नियम। रासायनिक संतुलन पर ताप का प्रभाव।

विद्युत रसायन : फैराडे विद्युत अपघटन नियम; विद्युत अपघटन की चालकता; तुल्यांकी चालकता और तनुता में उसका परिवर्तन; अल्प विलेय लवणों की विलेयता; विद्युत अपघटनी वियोजन। ओस्टवाल्ड तनुता नियम, प्रबल विद्युत अपघटकों की असंगति, विलेयता गुणनफल, अम्लों और क्षारकों की प्रबलता। लवणों का जल अपघटन। हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता, उभय प्रतिरोध क्रिया (बफर क्रिया)। सूचक सिद्धान्त।

उत्क्रमणीय सेल। मानक हाइड्रोजन और कैलोमेल इलेक्ट्रोड और रेडाक्स विभव। सान्द्रता सेल। पी० एच० का निर्धारण। अभिगमनांक। जल का आयनी गुणनफल। विभव मूलक अनुमापन (ε)।

रासायनिक बलगतिविज्ञान। अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया। तपमान अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, अपक्रान्तिकता तापांक और सक्रियण ऊर्जा। अभिक्रिया दरों का संघट्ट सिद्धान्त। सक्रियित संकुल सिद्धान्त।

प्रावस्था नियम : इसकी शब्दावलियों की व्याख्या। एक और दो घटक तन्त्र का अनुप्रयोग। वितरण नियम।

कोलाइड : कोलाइडी विलयन का सामान्य स्वरूप और उनका वर्गीकरण; कोलाइडों के विरचन और गुणों की सामान्य रीति। स्कन्दन। रक्षक क्रिया और स्वर्णांक। अधिशोषण।

उत्प्रेरण : समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण। विषाक्तन बंधक।

प्रकाश रसायन : प्रकाश रसायन के नियम। सरल संख्यात्मक

गणित : (कोड : 03)

भाग क

बीजगणित : समुच्चयों की बीजगणित संबंध और फलन का प्रतिलोम, संयुक्त, फलन, तुल्यता, संबंध।

संख्याएं : पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या (वर्णों का वितरण), सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित।

समूह, उपसमूह, प्रसामान्य उपसमूह, चक्रीय और क्रमचय समूह, लाग्रांज प्रमेय, समरूपता।

परिमेय सूचकांक के लिए द-मोयवर का प्रमेय और उसका सरल अनुप्रयोग।

समीकरण सिद्धांत :

बहुपद समीकरण, रूपान्तरण समीकरण। बहुपद समीकरण के मूल और गुणांकों के बीच संबंध, त्रिघात और चतुर्घात समीकरणों के मूलों का सममित फलन, मूलों की अवस्थिति और मूल निकालने की न्यूटन पद्धति।

मैट्रिसेस : मैट्रिसेस की बीजक्रिया, सारणिक सारणिकों के सरल गुण, सारणिकों के गुणनफल, सहखंडज-आव्यूह, मैट्रिसेसों का प्रतिलोमन, मैट्रिक्स की जाति, रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिए मैट्रिसेसों का अनुप्रयोग (तीन अज्ञात संख्याओं में)।

असमताएं :

समान्तर और ज्यामितीय माध्य। कोशी श्वार्ज असमता (केवल परिमित योगों के लिए)।

द्विविम और त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति :

द्विविम की विश्लेषिक ज्यामिति : सरल रेखाएं, सरल रेखाओं की जोड़ी, वृत्त, वृत्त निकाय। परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरिवलय (मुख्य अक्षों के संदर्भ में)। द्वितीय कोटि समीकरण का मानक रूप में लघुकरण। स्पर्शरेखाएं और अभिलम्ब।

त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति : समतल, सीधी रेखाएं और गोलक (केवल कार्तीय निर्देशांक)।

कलन (केलकुलस) और विभिन्न समीकरण :

अवकल गणित : सीमांत की संकल्पना, वास्तविक चर फलन का सांतत्य और अवकलनीयता, मानक फलन का अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन। रोल का प्रमेय। मध्यमान प्रमेय, मैकलारिन और टेलर सीरिज (प्रमाण आवश्यक नहीं है) और उनका अनुप्रयोग। परिमेय सूचकांकों के लिए द्विपद प्रसरण, चरघातांकी प्रसरण, लघुगणकीय, त्रिकोणमितीय और अतिपरवलयिक फलन। अनिर्धारित रूप, एकल चर फलन का उच्चिष्ठ और अल्पिष्ठ, स्पर्श रेखा, अभिलम्ब, अधः स्पर्शी, अधोलम्ब, अनन्तस्पर्शी वक्रता (केवल कार्तीय निर्देशांक) जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग। अन्वालोप, आंशिक अवकलन। समांगी फलनों से संबंधित आयलर प्रमेय।

समाकलन-गणित (इंटीग्रल केलकुलस) : समाकलन, की मानक प्रणाली, सतत फलन के निश्चित समाकलन की सीमान-परिभाषा। समाकलन गणित के मूल सिद्धान्त। परिशोधन, क्षेत्रकलन, आयतन और परिक्रमण घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संख्यात्मक समाकलन के बारे में सिम्पसमन का नियम।

अनुक्रम और सिरीज का अभिसरण, घनात्मक पदों के साथ सीरवेज के अभिसरण का परीक्षण। अनुपात, मूल और आउज परीक्षण। एकान्तर श्रेणी।

अवकल समीकरण : प्रथम कोटि के मानक अवकल समीकरण का हल निकालना। नियम गुणांक के साथ द्वितीय और उच्चतर कोटि के रैखिक समीकरण का हल निकालना। वृद्धि और क्षय की समस्याओं का सरल अनुप्रयोग। सरल हारमोनिक रूपान्तरण। साधारण पेन्डुलम और समदिश।

भाग ख

यांत्रिक (वेक्टर पद्धति का उपयोग किया जा सकता है)।

स्थिति विज्ञान : बल का निरूपण, (बल-समांतर चतुर्भुज, बल-संयोजन और बल-वियोजन और समतलीय तथा संगामी बलों की साम्यावस्था की स्थिति। बल-त्रिभुज। जातीय और विजातीय समान्तर-बल। आघूर्ण। बल-युग्म। समतलीय बलों की साम्यावस्था की सामान्य स्थिति। साधारण तत्वों के गुरुत्व केन्द्र। स्थैतिक घर्षण और सीमान्त घर्षण। घर्षण-कोण। रूक्ष आनत समतल पर के कण की साम्यावस्था। सरल निर्मेय। साधारण मशीन (उत्तोलक, घिरनी की निर्देश पद्धति, गियर)। कल्पित कार्य (दो आयामों में)।

गति विज्ञान : शुद्ध गति-विज्ञान—कण का त्वरण, वेग, चाल, और विस्थापन, आपेक्षित वेग। निरन्तर त्वरण की अवस्था में सीधी रेखा की गति। न्यूटन के गति संबंधी सिद्धान्त। सकेन्द्र कक्षा। सरल प्रसंवदा गति। (निर्वात में) गुरुत्वावस्था में गति। आवेग कार्य और ऊर्जा। रैखिक संवेग और ऊर्जा का संरक्षण। एक समान वर्तुल गति।

खगोल विज्ञान :

गोलीय त्रिकोणमिति : ज्या एवं काटिज्या फार्मूला, समकोण युक्त गोलीय त्रिकोणों के गुण।

गोलीय खगोल विज्ञान—खगोलीय गोलक, समन्वित प्रणाली और उसका रूपान्तरण। दैनिक गति। नाक्षत्र समय, सौर समय, माध्य सौर समय, स्थानीय और मानक समय, समय-समीकार। सूर्य और नक्षत्रों का उदय और अस्त, क्षितिज नति। खगोलीय अपवर्तन। सांध्य-प्रकाश, लंबन, अपेरण, पुरस्सरण और विदोलन। केपलर के नियम। ग्रह कक्षा और स्तब्ध बिन्दु। चन्द्रमा की दृष्ट गति। चन्द्रमा की प्रावस्थाएं।

खगोलीय यंत्र :—सेक्सटेंट प्रेषण यंत्र

सांख्यकीय :

प्रायिकता—प्रायिकता की शास्त्रीय और सांख्यकीय परिभाषा, संचयात्मक प्रणाली की प्रायिकता का परिकलन, योग एवं गुणन सिद्धान्त, सप्रतिबंध प्रायिकता। यादृच्छिक चर (विविक्त और अविरत), घनत्व फलन, गणितीय प्रत्याशा।

मानक वितरण—द्विपद-परिभाषा, माध्य और प्रसरण, वैषम्य, सीमान्त रूप, सरल अनुप्रयोग।

प्वासों-परिभाषा—माध्य और प्रसरण, योज्यता, उपलब्ध आंकड़ों में प्वासों बंटन का समंजन। सामान्य सरल समानुपात और सरल अनुप्रयोग, उपलब्ध आंकड़ों में सामान्य में प्रसामान्य बंटन का समंजन।

द्विचर वितरण : सह संबंध, दो चरों का रैखिक समाश्रयण, सीधी रेखा का समंजन, परवलयिक और चलघातांकी वक्र, सह संबंधित गुणांक के गुण।

सरल प्रतिदर्श वितरण और परिकल्पनाओं का सरल परीक्षण—यादृच्छिक प्रतिदर्श। सांख्यिकी। प्रतिदर्शी बंटन और मानक त्रुटि। मध्यपदों के अन्तर की अर्थवत्ता के परीक्षण में प्रसामान्य टी० सी० एच० आई० (chi)2 और एफ० का सरल वितरण।

टिप्पणी—उम्मीदवारों को पाठ्यविवरण के भाग "क" में से तीन विषयों में से नामतः (1) बीजगणित (2) द्विविम और त्रिविम विश्लेषिक ज्यामिति, तथा (3) कलन (केलकुलस) और विभिन्न समीकरण, प्रत्येक पर एक-एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। पाठ्यविवरण के भाग "ख" में से तीन विषयों में से नामतः (1) यांत्रिकी, (2) खगोल विज्ञान, और (3) सांख्यिकी, प्रत्येक पर एक-एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

वनस्पति विज्ञान (कोड 04)

1. **वनस्पति जगत का सर्वेक्षण—प्राणियों और पौधों में अन्तर** : जीवित जीव की विशेषताएं : एक कोशिक और बहु कोशिक जीव: वाइरस : वनस्पति जगत के विभाजन का आधार।

2. **आकृति विज्ञान** :—(i) एक कोशिक पौधे—कोशिका, इसकी संरचना और अन्तर्वस्तु: कोशिकाओं का विभाजन और संवर्धन।

(ii) **बहुकोशिक पौधे**—असंवहनी और संवहनी पौधों के कार्य में भेद: संवहनी पौधों का बाह्य और आंतरिक आकृति विज्ञान।

3. **जीवन वृत्त** : इन पादप वर्गों के प्रत्येक वर्ग के कम से कम एक पौधे का जीवनवृत्त—बैक्टीरिया, नील रहित शैवाल वर्ग (साइनोफाइसी), क्लोरोफाइसी : भूरा शवाल वर्ग, कियाफालाल शैवाल वर्ग (रोडोफाइसी), पाइकम्पासाइसिटीज,

एस्कोमाइसिटीज ; बेसिडियमी कवक, लिवरवर्ट ; मासेस, टैरिडोफाइटीज, जिम्नोस्पर्म और ऐन्जियोस्पर्म ।

4. **वर्गिकी**—वर्गीकरण के नियम, ऐन्जियोस्पर्म के वर्गीकरण की मुख्य पद्धतियां :

निम्नलिखित कुलों के विशिष्ट लक्षण और आर्थिक महत्व :—

ग्रामिनि सिटामिनि, पामेसी, लिलिएसी, आर्किडेसी, मोरेसी, लोरेन्थैसी ; मैग्नोलिएसी, लारेसी ; क्रुसिफेरी ; लेग्युमिनोसी ; रुटेसी ; मीलिएसी ; यूफोर्बियासी ; ऐनाकार्डिएसी ; मालवेसी ; एसोसाइनेसी ; एस्कलीपिएडेसी ; डिप्टरोकारमेसी ; मर्टेसी, अम्बेलीफेरी ; तुलसीकुल (लेबिएटी) सोलैनेसी ; रूबिएसी, कुकरबिटैरिएसी ; बर्बीनेसी और कम्पोजिटी ।

5. **पादप शरीर क्रियाविज्ञान**—स्वपोषण, परपोषण, जल और पोषक तत्वों का अन्तर्ग्रहण, वाष्पोत्सर्जन ; प्रकाश संश्लेषण ; खनिज पोषण ; श्वसन, वृद्धि जनन ; पादप-प्राणि संबंध ; सहजीवन, परजीविता, ऐन्जाइम ; आक्सिम ; हारमोन ; दीप्तिकालिता ।

6. **पादप रोग विज्ञान**—पौधों की बीमारियों के कारण और उनके उपचार ; रोग जीव ; वाइरस ; हीनता जन्य रोग ; प्रतिरोध ।

7. **पादप परिस्थिति विज्ञान**—विशेष रूप से भारतीय पेड़-पौधों और भारत के वनस्पति क्षेत्रों के संदर्भ में परिस्थिति विज्ञान और पादप भूगोल से संबंधित आधार भूत तत्व ।

8. **सामान्य जीव विज्ञान**—कोशिका विज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान, पादप प्रजनन मैण्डेलवाद, संकर ओज, उत्परिवर्तन, विकास ।

9. **आर्थिक वनस्पति विज्ञान**—पौधों का विशेषत: अनाजों, दालों, फलों, चीनी, स्टार्च, तिलहनों, मसालों, पेय पदार्थों, रेशों, लकड़ियों, रबर, औषधियों और वाष्पशील तेलों आदि वनस्पति उत्पादों से संबंधित पुष्प पादपों का मानव कल्याण के लिए लाभकारी उपयोग ।

10. **वनस्पति विज्ञान का इतिहास**—वनस्पति विज्ञान संबंधी विज्ञान के विकास की सामान्य जानकारी ।

प्राणि विज्ञान : (कोड 05)

प्राणि जगत का प्रमुख समूहों में वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण ।

रज्जु रहित (नान-कार्डेट) किस्म के प्राणियों की बनावट, आदतें और जीवन-वृत :

अमीबा, मलेरिया-परजीवी । स्पंज, हाइड्रा, लिवरफ्लू, फीता कृमि ; गोल कृमि ; केंचुआ ; जोंक ; तिलचट्टा ; गृह मक्खी ; मच्छर ; बिच्छू ; ताजे पानी का मस्ल, ताल घोंघा और स्टार-फिश (केवल बाह्य लक्षण) ।

कीटों का आर्थिक महत्व । निम्नलिखित कीटों की परिस्थिति और जीवन-वृत :—

दीमक ; टिड्डी ; शहद की मक्खी और रेशम का कीड़ा ।

रज्जुकी-क्रम वर्गीकरण ।

निम्नलिखित प्रकार के रज्जुमान प्राणियों की बनावट और तुलनात्मक शरीर :—

ब्रैन्किओस्टोमा ; स्कोलिओडान ; मेंढक ; यूरोमेस्टिक्स या कोई अन्य छिपकली (बैरनस का अस्थिपंजर) ; कबूतर (कुक्कुट का अस्थिपंजर) ; और खरगोश, चूहा या गिलहरी ।

मेंढक और खरगोश के संदर्भ में जन्तु कार्य के विभिन्न अंगों के ऊतकविज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की प्रारम्भिक जानकारी ; अन्त:स्रावी ग्रंथियों और उनका कार्य ।

मेंढक और चूजे के विकास की रूपरेखा, स्तनी जन्तुओं की बनावट और कार्य ।

विकास के सामान्य नियम ; विविधता ; आनुवंशिकता ; अनुकूलन पुनरावर्तन परिकल्पना ; मेंडेलीय आनुवंशिकता ; अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की विधियां ; अनिषेक जनन (पार्थेनोजेनसिस) ; कायांतरण, पीढ़ी एकान्तरण ।

विशेष रूप से भारतीय जन्तु समूह के संदर्भ में जन्तुओं का परिस्थितिक और भूवैज्ञानिक वितरण ।

भारत के वन्य प्राणी जिनमें विषैले और विषहीन सांप भी शामिल हैं । शिकार पक्षी ।

भूविज्ञान : (कोड 06)

सामान्य भूविज्ञान :

पृथ्वी की उत्पत्ति, काल और आंतरिक भाग, विभिन्न भूवैज्ञानिक एजेंसियां और स्थलाकृति, अपक्षय और अपरदन (इरोजन) पर उनका प्रभाव, मृदा के प्रकार, उनका वर्गीकरण और भारत के मृदा समूह, भारत के भू-आकृति उपभाग, वनस्पति और स्थलाकृति, ज्वालामुखी, भूकम्प, पर्वत पटलविरूपण (डयास्ट्रोफिज्म) ।

2. संरचनात्मक भूविज्ञान :

आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें, नति, नतिलम्ब और ढलान वलन, भ्रंश और विषम विन्यास और दृश्यांशों पर उनका प्रभाव, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण की विधियों के संबंध में प्रारंभिक जानकारी ।

3. क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान :

क्रिस्टल सममिति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी । क्रिस्टल विज्ञान के नियम, क्रिस्टल की प्रकृति और यमलन (ट्विनिंग) ।

मृण्मय खनिजों, महत्वपूर्ण शैल-रचना, रासायनिक संघटन, भौतिक गुण, प्रकाशिक गुण-धर्म, परिवर्तन, प्राप्ति और वाणिज्यिक उपयोग संबंधी अध्ययन।

4. आर्थिक भूविज्ञान :

भारत के महत्वपूर्ण खनिजों और उनकी उपस्थिति की अवस्था का अध्ययन। अयस्क निक्षेपों का उद्भव और वर्गीकरण।

5. शैल विज्ञान :

आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों तथा उनके उद्भव और वर्गीकरण का प्रारम्भिक अध्ययन। चट्टानों के सामान्य प्रकारों का अध्ययन।

6. स्तर क्रम विज्ञान :

स्तर क्रम विज्ञान के नियम; भूवैज्ञानिक अभिलेखों का अश्म वैज्ञानिक और कालानुक्रम उप-विभाजन/भारतीय स्तर क्रम विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषतायें।

7. जीवाश्म विज्ञान :

जीवाश्म विज्ञान संबंधी आधार सामग्री का विकास से संबंध जीवाश्म (फासिल्स) उनका स्वरूप और उनके परिरक्षण की विधि। प्राणी जीवाश्मों और पादप-जीवाश्मों की निरूप आकृतियों के आकृति विज्ञान और विभाजन की प्रारम्भिक जानकारी।

भूगोल (कोड 7)

(i) **प्रारम्भिक भू-आकृति विज्ञान:**—सौर मंडल और पृथ्वी का उद्भव, भू-आकृति, भू-लक्षण, प्रारम्भिक भूविज्ञान, चट्टानों और मिट्टी का बनना।

(ii) **जलवायु विज्ञान:**—जलवायु और इसके तत्व, तापमान, दाब, आद्रता, पवन पद्धति, चक्रवात और प्रतिचक्रवात का प्रारम्भिक ज्ञान, वृष्टिपात के प्रकार।

(iii) **समुद्र विज्ञान:**—भूमि और जल का वितरण, समुद्र जल का संचालन ज्वार, धारायें, लवणता, समुद्रतल निक्षेप।

(iv) **पादप भूगोल :**—वनस्पतियों के प्रकार, भौगोलिक पर्यावरण से उनका संबंध, वन घास के मैदान, रेगिस्तान, प्रधान प्राकृतिक क्षेत्र।

(v) **मानव भूगोल :**—पर्यावरण में मानव, मनुष्य की प्रजातियां, मनुष्य के कार्यकलाप और जनसंख्या का विभाजन।

(vi) **आर्थिक भूगोल :**—मुख्य वनस्पतियां, पशु और खनिज उत्पादन, उनका वितरण और भौगोलिक पृष्ठभूमि, मुख्य उद्योग और उनका स्थानीकरण, कच्चे माल, खाद्यान्न और विनिर्मित माल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।

(vii) **क्षेत्रीय भूगोल :**—भारत का विस्तार से और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, श्रीलंका, बर्मा और पाकिस्तान का सामान्य रूप से ज्ञान।

अंग्रेजी साहित्य (कोड 08)

उम्मीदवार को स्पेंसर काल से लेकर महारानी विक्टोरिया का शासन समाप्त होने तक के अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सामान्य, और निम्नलिखित लेखकों की कृतियों का विशेष ज्ञान होना चाहिए :—

शेक्सपीयर, मिल्टन, जानसन, डिकन्स, वर्डसवर्थ, कीट्स, कार्लाईल, टेनिसन और हार्डी।

भारत का इतिहास (कोड 09)

1600 ई० से लेकर भारतीय गणराज्य की स्थापना तक का भारत, तथा इस अवधि में घटित सांविधिक प्रगति।

टिप्पणी : इस विषय में उम्मीदवारों को भूगोल के उस पक्ष का भी ज्ञान होना चाहिए जिसका संबंध इतिहास से होता है और उनको नक्शा बनाना भी आना चाहिए। किसी अवधि के आरम्भ होने की यदि कोई निश्चित तारीख दी जाए तो उम्मीदवारों को सामान्य रूप से यह भी जानना चाहिए कि हम प्रारम्भिक स्थिति तक किस प्रकार पहुंचे हैं।

सामान्य अर्थशास्त्र (कोड 10)

उम्मीदवारों को अर्थशास्त्र के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, और उनको तथ्यों की सहायता से सिद्धांत का निरूपण करना और सिद्धांत के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करना दोनों आना चाहिए। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक इतिहास और उन देशों की आर्थिक स्थिति का कुछ ज्ञान भी होना चाहिए।

राजनीति विज्ञान (कोड 11)

उम्मीदवारों को राजनीति विज्ञान और उनके इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। राजनीति विज्ञान का ज्ञान केवल विधि-निर्माण के सिद्धांत के रूप में ही नहीं, वरन राज्य के सामान्य सिद्धांत के रूप में भी होना चाहिए। सांविधिक शासन के प्रकारों (प्रतिनिधि सरकार, संघवाद आदि) और लोक प्रशासन—केंद्रीय और स्थानीय पर भी प्रश्न पूछे जायेंगे। उम्मीदवारों को वर्तमान संस्थाओं के उद्भव और विकास का भी ज्ञान होना चाहिए।

समाज विज्ञान (कोड 12)

समाज विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र: समाज का अध्ययन, समाज विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों से उसका संबंध।

मूल धारणाएं : महत्व एवं कार्य, प्राथमिक एवं गौण वर्ग, सामाजिक संस्थाएं; सामाजिक संरचना, सामाजिक नियन्त्रण एवं अपवर्ती आचरण, सामाजिक द्वन्द्व; सामाजिक परिवर्तन :—

मूल सामाजिक संरचनाएं एवं संस्थाएं, विवाह, परिवार एवं रिश्तेदारी; राजनीतिक संस्थाएं; धार्मिक संस्थाएं; सामाजिक स्तरण—जाति, वर्ग एवं वंश।

वातावरण ; समाज एवं संस्कृति ;

भारतीय समाज विज्ञान, जाति एवं जातिवाद; परिवार एवं रिश्तेदारी, ग्राम समाज, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन।

मनोविज्ञान (कोड 13)

सामान्य मनोविज्ञान

मनोविज्ञान की परिभाषा और विषय-वस्तु, मनोविज्ञान की पद्धतियां, अनुकूलन एवं आचरण क्रियाविधि की अवधारणा; आचरण का शरीरशास्त्रीय आधार;

(क) अभिग्राहक, चाक्षुष एवं श्रवण संबंधी; (ख) नाड़ी-तन्त्र की सामान्य रूप रेखा ;

(ग) कारक—मांसपेशियां एवं ग्रंथियां:—

मानव विकास के तत्व—आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, परिपक्वता एवं शिक्षा प्राप्ति ।

अभिप्रेरणा एवं मनोवेग—उनकी प्रकृति, किस्म और विकास ।

प्रत्यक्ष ज्ञान एवं उसकी प्रकृति—रूप रंग और स्थान ।

अधिगम—उसकी प्रकृति, अनुकूलन, अन्तर्दृष्टि और प्रयत्नत्रुटि ।

अधिगम तथा स्मरण शक्ति और विस्मरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले तत्व, स्मरण करने की सफल विधियां ।

चिन्तन और तर्क ।

प्रज्ञा और योग्यताएं—उनकी प्रकृति और मापन ।

व्यक्तित्व—प्रकृति, निर्धारक और मापन ।

असामान्य मनोविज्ञान

असामान्य आचरण—अवधारणा और कारण ।

कुंठा और द्वन्द्व, रक्षात्मक युक्ति ।

मनोवैज्ञानिक विकार—मनस्ताप एवं मनोविक्षिप्त, व्यक्तित्व एवं मनोशारीरिक विकार ।

मानसिक विकार के उपचार का सामान्य ज्ञान—मनोरोग चिकित्सा ।

सामाजिक मनोविज्ञान

समूह प्रक्रियाएं—व्यक्ति और समूह, नेतृत्व, मनोबल एवं भीड़ का व्यवहार ।

प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध ।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जाएगी । उनके ग्रुप परीक्षण भी किए जाएंगे जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्विष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा । ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिए हैं । मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए हैं अपितु इनसे उसकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा ।

परिशिष्ट

(अकादमी स्कूल में प्रवेश के लिए स्वास्थ्य का मानक)

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को निर्धारित स्वस्थता मानक के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए । स्वस्थता संबंधी मानक नीचे बताए गए हैं ।

बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में अस्वस्थता के आधार पर अस्वीकृत किए जाते हैं अतः उम्मीदवारों के अपने हित के लिए सलाह दी जाती है कि अन्त में निराशा से बचने के लिए उन्हें अपना आवेदन-पत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लेनी चाहिए ।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित बहुत से उपयुक्त उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा की जाएगी । जो उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य घोषित नहीं किया जाएगा उसको अकादमी या स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा कर लिए जाने का अर्थ यह नहीं होगा या नहीं निकाला जाएगा कि उम्मीदवार अंतिम रूप से चुन लिया गया है । मेडिकल बोड की कार्यवाही गुप्त होती है जिसको किसी को नहीं बताया जा सकता । अनुपयुक्त या अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित उम्मीदवारों का परिणाम उन्हें स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की कार्यविधि के साथ सूचित कर दिया जाता है । मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मेडिकल बोर्ड के परिणाम से सम्बद्ध कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

उम्मीदवारों के अपने हित में परामर्श है कि यदि उनकी दृष्टि अपेक्षित स्तर की न हो तो सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार/स्वास्थ्य परीक्षा हेतु बुलाए जाने पर उन्हें अपने साथ संशोधक ऐनक लानी चाहिए ।

1. अकादमी/स्कूल में प्रवेश के लिए उस उम्मीदवार को ही योग्य समझा जाएगा जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा । और जिसमें कोई ऐसी अशक्तता नहीं होगी जिससे कुशलतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

2. किन्तु निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में तसल्ली कर ली जाएगी :—

(क) कमजोर शरीर गठन, अपूर्ण विकास, गम्भीर कुरचना या स्थूलता तो नहीं है ।

(ख) हड्डियों और संधियों का कुविकास तो नहीं हुआ है और उनमें किसी प्रकार की क्षीणता तो नहीं हो गई है ।

टिप्पणी :—अल्पवर्धित ग्रैव पर्णका वाले उम्मीदवार को भी स्वस्थ माना जा सकता है, यदि उसमें उक्त रोग के लक्षण न हों । तथापि चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में इस दोष का उल्लेख छोटी-मोटी अशक्तता के रूप में कर दिया जाएगा ।

(ग) बोलने में तो बाधा नहीं पड़ती है ।

(घ) सिर की रचना में तो दोष नहीं है या खोपड़ी की हड्डी टूटने या दबने से विरूपता तो नहीं आ गई है ।

(ङ) कम सुनाई तो नहीं पड़ता है । कोई कान बह तो नहीं रहा है या रोग-ग्रस्त तो नहीं है । टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कच्चा जख्म तो नहीं है या उग्र या पुराना मध्य कर्ण शोथ के चिह्न तो नहीं है या आमूल या संशोधित आमूल कर्ण मूल आपरेशन तो नहीं हुआ है ।

टिप्पणी:—यदि कान के पर्दे का छेद पूरी तरह से भरा गया हो, इसको और क्षति न पहुंची हो तथा सुनाई ठीक पड़ता हो तो इस अवस्था को थल सेना के लिए उम्मीदवार को स्वीकार करने में बाधक नहीं समझना चाहिए ।

(च) नाक की हड्डी या उपास्थि का कोई रोग तो नहीं है या नोज पालिपस तो नहीं है अथवा नासाग्रसनी या सहायक कोटरों का कोई रोग तो नहीं है ।

टिप्पणी:—नासा पट के छोटे आलक्षणी ऊर्ध्वाधातज छेद के कारण उम्मीदवार को एक दम अस्वीकृत नहीं किया जाएगा वरन् ऐसे मामलों को जांच और मत के लिए कर्ण-विज्ञान सलाहकार के पास भेजा जाएगा ।

(छ) गर्दन या शरीर के अन्य भागों की ग्रन्थियां बढ़ी हुई तो नहीं है और थाइराइडग्रंथि सामान्य है ।

टिप्पणी:—तपेदिक की ग्रंथियों को हटाने के लिए किए गए आपरेशन के निशान उम्मीदवार की अस्वीकृति का कारण नहीं बन सकते हैं बशर्ते कि गत 5 वर्षों में सक्रिय रोग न हुआ हो तथा छाती लाक्षणिक जांच तथा एक्स-रे करने पर रोग मुक्त पाई जाए ।

(ज) गले, तालु, टौंसिल या मसूड़ों का कोई रोग नहीं है तथा किसी भी चिबुकीय संधियों की सामान्य क्रिया पर प्रभाव डालने वाली कोई बीमारी या चोट तो नहीं है ।

टिप्पणी :—यदि बार-बार टौंसिल शोध होने का कोई वृत्त न हो तो टौंसिलों की अतिवृद्धि अस्वीकृति का कारण नहीं होती ।

(झ) हृदय तथा रक्त वाहिकाओं का क्रिया सम्बन्धी या अंग रोग के लक्षण तो नहीं है ।

(ञ) फफड़ों की तपेदिक या इस बीमारी का पूर्ववत् या फेफड़ों की कोई जीर्ण बीमारी का प्रमाण तो नहीं है ।

(ट) जिगर और तिल्ली की किसी विलक्षणता सहित पाचक तन्त्र के किसी रोग का चिह्न तो नहीं है ।

(ठ) वंक्षण हार्निया तो नहीं है या उसके होने की प्रवृत्ति तो नहीं है ।

टिप्पणी :—(1) वंक्षण हार्निया (जिसकी शल्य-चिकित्सा न की गई हो), अस्वीकृति का कारण होगा ।

(2) जिनका हर्निया का आपरेशन हो चुका है उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा बशर्ते कि :

(i) आपरेशन हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया हो । इसके लिए उम्मीदवार को लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

(ii) पेट की पेशीसमूह सामान्यता या ठीक है ।

(iii) हर्निया की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, या इसकी शल्य चिकित्सा से संबंधित कोई उलझन पैदा नहीं हुई ।

(ड) हाइड्रोसिल, या निश्चित बैरिकोसील या जननेंद्रियों का अन्य कोई रोग या खराबी तो नहीं है ।

विशेष ध्यान दें:—(1) यदि हाड्रोसील के आपरेशन के बाद कोई रज्जु और अण्डग्रंथियों की विलक्षणताएं न हों और फाइलेरियासिस का प्रमाण न हो तो उम्मीदवार को स्वीकार लिया जाएगा ।

(2) यदि एक ओर की अन्तः उदरीय अण्ड-ग्रन्थि आरोही हो तो इस आधार पर उम्मीदवार को अस्वीकार नहीं किया जाता बशर्ते कि दूसरी अण्डग्रंथि सामान्य हो तथा इस आरोही अण्डग्रंथि के कारण कोई शारीरिक या मनोविज्ञानिक कुप्रभाव न हो । यदि आरोही अण्डग्रन्थि वंक्षण नलिका में अथवा उदरीय वलय में रुकी हो और आपरेशन से ठीक न हो सकती हो तो इस स्थिति में उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ढ) फिस्टुला और/या गुदा का विदर या बवासीर के मस्से तो नहीं ह।

(ण) गुर्दों की कोई बीमारी तो नहीं । ग्लुकोजमेह या एलब्युमिन मेह के सभी रोगी अस्वीकृत कर दिए जाएंगे ।

(त) अस्थायी अथवा मामूली क्षत-चिह्नों को छोड़ कर कोई ऐसा चर्म रोग तो नहीं है जिसके प्रसार अथवा स्थिति के कारण उम्मीदवार में अशक्तता या बहुत अधिक कुरूपता आ गई हो या आने की संभावना हो । उस उम्मीदवार को इसी आधार पर अस्वीकार किया जाएगा ।

(थ) कोई सक्रिय गुप्त या जन्मजात रजित रोग तो नहीं है ।

(द) उम्मीदवार या उसके परिवार में मानसिक रोग का कोई पूर्व वृत्त या प्रमाण तो नहीं है । जिन उम्मीदवारों को मिर्गी आती हो, जिनका पेशाब वैसे ही या नींद में निकल जाता हो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ध) भेंगापन या आंख या पलकों की कोई ऐसी विकृति तो नहीं जिसके बढ़ने या दुबारा होने का खतरा हो सकता है ।

(न) सक्रिय रोहे (ट्रकोमा) या इसकी जटिलताएं तथा अनुप्रभाव तो नहीं है ।

टिप्पणी :—इलाज के लिए आपरेशन प्रवेश से पूर्व करवाएं जाएं । अन्तिम रूप से स्वीकार किए जाने की गारन्टी नहीं दी जाती है । तथा उम्मीदवारों को यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि क्या आपरेशन वांछनीय है या आवश्यक है, इस बात का निर्णय उनके निजी चिकित्सा सलाहकार को ही करना है । आपरेशन के परिणाम अथवा किसी और खर्चे का दायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेगी ।

3. कद, वजन तथा छाती के मापों के लिए मानक ।

(क) कद :

(1) उम्मीदवार के कद की नाप उसे माप-दण्ड के सामने दोनों पैर मिलाकर खड़ा करके ली जाएगी । उस समय वजन एड़ियों पर होना चाहिए पंजे पर या पांव के बाहरी पार्श्वों पर नहीं । वह बिना अकड़े इस प्रकार सीधा खड़ा होगा कि उसकी एड़ियां पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे, उसकी ठोड़ी नीचे की ओर रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर आड़ी छड़के नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा । 0.5 सेंटीमीटर से कम दशमलव भिन्न की उपेक्षा की जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर को इसी रूप में रिकार्ड किया जाएगा तथा 0.6 सेंटीमीटर या इससे अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड किया जाएगा ।

(2) उम्मीदवार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य कद 157.5 सेंटीमीटर (नौसेना के लिए 157 सेंटीमीटर) है किन्तु, गोरखा, नेपाली, आसामी, गढ़वाली उम्मीदवारों के लिए नीचे (ख)(i) में दी गई उससे संबंधित सारणी में दिए गए कद से 5.0 सेंटीमीटर कम किया जा सकता है ।

मणिपुर, नेफा, मेघालय और **त्रिपुरा** के नौसेना के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद 5 सेंटीमीटर और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में कद 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा ।

(ख) वजन :

(i) उम्मीदवार का वजन पूरी तरह से कपड़े उतरवा कर या केवल जांघिया के साथ किया जाएगा । वजन करते समय 1/2 किलो ग्राम को रिकार्ड नहीं किया जाएगा । आयु कद तथा औसत वजन विषय परस्पर संबंधी सारणी मार्गदर्शन के लिए दी जा रही है :—

पिछले जन्म दिवस को आयु	बिना जूतों के ऊंचाई	वजन	
		औसत न्यूनतम	औसत अधिकतम
1	2	3	4
वर्ष	सेंटीमीटर	किलो-ग्राम	किलो-ग्राम
17—18	157.5 तथा 165.0 से कम	43.5	55.0
	165.0 तथा 172.5 से कम	48.0	59.5
	172.5 तथा 183.0 से कम	52.5	64.0
	183.0 तथा इस से अधिक	57.0	—
19	160.0 तथा 165.0 से कम	44.5	56.0
	165.0 तथा 172.5 से कम	49.0	60.5
	172.0 तथा 178.0 से कम	53.5	65.0
	178.0 तथा 183.0 से कम	58.0	69.5
	183.0 तथा इससे अधिक	62.5	—
20 तथा अधिक	160.0 तथा 165.0 से कम	45.5	56.5
	165.0 तथा 172.5 से कम	50.0	61.0
	172.5 तथा 178.0 से कम	54.5	66.0
	178.0 तथा 183.0 से कम	59.0	70.5
	183.0 तथा इससे अधिक	63.5	—

केवल नौसेना के लिए **कद और वजन**

सेंटीमीटरों में ऊंचाई	आयु		
	18 वर्ष	20 वर्ष	22 वर्ष
	कि०	ग्रा० में	वजन
157 . . .	47	49	50
160 . . .	48	50	51
162 . . .	50	52	53
165 . . .	52	53	55
168 . . .	53	55	57
170 . . .	55	57	58
173 . . .	57	59	60
175 . . .	59	61	62
178 . . .	61	62	63
180 . . .	63	64	65
183 . . .	65	67	67
185 . . .	67	69	70
188 . . .	70	71	72
190 . . .	72	73	74
193 . . .	74	76	77
195 . . .	77	78	78

(ii) कद तथा आयु के संबंध में वजन का ठीक-ठीक मानक निश्चित करना संभव नहीं है। अतः परस्पर संबंधी सारणी केवल निर्देशिका मात्र है तथा सभी मामलों में लागू नहीं की जा सकती है। सारणी में दिए गए औसत वजन से 10 प्रतिशत (नौसेना के मामले में 6 कि० ग्रा० कम-ज्यादा) होने पर उसे वजन की सामान्य सीमा के अन्तर्गत माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है है कि कुछ व्यक्तियों का वजन उपयुक्त मानक से अधिक हो किन्तु शरीर के सामान्य गठन की दृष्टि से वे हर प्रकार से योग्य हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अधिक वजन का कारण भारी हड्डियां और पेशीय विकास हो सकता है न कि मोटापा। इसी प्रकार जिसका वजन मानक से कम हो उस के बारे में भी उपयुक्त सारणी मानकों के पूरी तरह पालन की अपेक्षा उनका सामान्य शरीर गठन और आनुपातिक विकास की कसौटी होना चाहिए।

(ग) **छाती** :—छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए और फैलाने पर न्यूनतम फैलाव 5.0 सेंटीमीटर होना चाहिए। उम्मीदवार की छाती का नाप लेते समय उसे इस प्रकार सीधा किया जाए कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी बाहें सिर के ऊपर उठीं हों। फीते को छाती के गिर्द इस प्रकार से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर उसका ऊपरी किनारा असफलकों (शोल्डर-ब्लैड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर ऐंगिल्स) के साथ लगा रहे और इसका निचला किनारा सामने चूचकों के ऊपरी भाग से लगा रहे। फिर बाहों को नीचा किया जाएगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे उठे या पीछे की ओर झुके न हों जिससे कि फीता हट जाए, जब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिकतम तथा न्यूतम फैलाव सावधानी से लिख लिया जाएगा। अधिकतम तथा न्यूनतम फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84/89, 86/91 इत्यादि।

नाप को रिकार्ड करते समय 0.5 सेंटीमीटर से कम दशमलव भिन्न की उपेक्षा की जाएगी। 0.5 सेंटीमीटर को इसी रूप में रिकार्ड किया जाएगा तथा 0.6 सेंटीमीटर या इससे अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड किया जाएगा।

नौसेना के लिए :—छाती का एक्सरे अनिवार्य है।

4. **दांतों की हालत**

इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि चबाने का काम अच्छी तरह करने के लिए प्राकृतिक तथा मजबूत दांत काफी संख्या में हैं।

(क) स्वीकृत होने के लिए यह आवश्यक है कि उसने दांतों के लिए कम से कम 14 प्वाइन्ट प्राप्त किए हों। किसी भी व्यक्ति के दांतों की हालत का पता लगाने के के लिए परस्पर अच्छी तरह से सटे और दूसरे जबड़े के के अनुरूप को निम्न प्रकार के प्वाइन्ट दिए जाएंगे :—

(i) बीच के काटने वाले दांत, बगल के काटने वाले दांत, रदनक प्रथम तथा द्वितीय छोटी दाढ़ तथा कम विकसित तृतीय बड़ी दाढ़ प्रत्येक के लिए एक-एक प्वाइंट।

(ii) प्रथम तथा द्वितीय बड़ी दाढ़ तथा पूर्णयता विकसित तृतीय बड़ी दाढ़ प्रत्येक के लिए दो-दो प्वाइंट। पूरे 32 दांत होने पर कुल 22 प्वाइंट दिए जाएंगे।

(ख) प्रत्येक जबड़े के निम्नलिखित दांत एक दूसरे से इस प्रकार सटे हुए हों कि उनसे अच्छी तरह काम लिया जा सके :—

(i) आगे के 6 में से कोई 4 दांत।

(ii) पीछे के 10 में से कोई 6 दांत।

टिप्पणी :—जिन उम्मीदवारों के नकली दांत अच्छी तरह लगे हों उन्हें कमीशन के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा।

(ग) तीव्र पायरिया वाले उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस उम्मीदवार का पायरिया दंत अधिकारी की राय में बिना दांत निकाले अच्छा किया जा सकता है उसे स्वीकार किया जा सकता है।

5. दृष्टिमानक (थलसेना)

	अच्छी आंख	खराब आंख
दूर की नजर (चश्मा लगाकर)	6/6	6/18

निकट दृष्टि (मायोपिया) जिसमें व्यक्त अबिन्दुकता (एस्टिगमेंटिज्म मेनीफैस्ट) सम्मिलित है—3.5 डी० से अधिक नहीं। दीर्घ दृष्टि (हाइपर मेट्रोपिया) जिसमें अबिन्दुकता (एस्टिगमेंटिज्म) सम्मिलित है+3.5 डी० से अधिक नहीं।

टिप्पणी : 1. फेन्ड्स तथा मीडिया स्वस्थ तथा सामान्य सीमा में होने चाहिएं।

2. वर्धान निकट दृष्टि के सूचक विटियस या कोरियोरेटीना] के अनावश्यक न्यपगनन चिन्ह न हों।

3. दोनों आंखों में द्विनेत्री (बाइनोकुलर) दृष्टि संयमित शक्ति और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए।

4. कोई ऐसा आंगिक रोग नहीं होना चाहिए जिसके प्रकोपन अथवा खराब होने की संभावना हो।

दृष्टि मानक (नौसेना) :

(क) दृष्टि तीक्ष्णता

मानक-1

	अच्छी आंख	खराब आंख
दूर की नजर	वी० 6/6 चश्मा सहित	वी 6/9 6/6

नौ-सेना (I) दृष्टि मानक 1 :

कार्य-पालक शाखा के उम्मीदवार चश्मा नहीं लगाएंगे लेकिन नौ-सेना मुख्यालय की अनुमति से इस मानक में ढील दी जा सकती है। इंजीनियरी इलेक्ट्रिकल, सप्लाई और सचिवालय शाखा के सब प्रकार उपयुक्त उम्मीदवारों के मामले में 6/18, 6/36 तक ढील दी जाए बशर्ते कि चश्मा लगाने पर दृष्टि 6/6 हो।

(II) **विशेष अपेक्षाएं :**

"रात में नजर का मानक—जिन उम्मीदवारों में शुष्काक्षिपाक (जीरो-फथैल्मिया) पिगमेंट्री अपविकास कोरियारेटिना में विचलन, अपसामान्य परितारिका और उसके लक्षण होने का संदेह हो लेकिन जो अन्यथा हर प्रकार से स्वस्थ हों, नौ-सेना में भर्ती करने से पहले उनकी विस्तृत एन० बी० ए० जांच होगी। जो ग्रेड 11 (ग्यारह) तक न पहुंचेंगे (डेलाकासा—अच्छी/बहुत अच्छी) उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। जिस उम्मीदवार की डेलाकासा जांच न की जाएगी उससे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र लिया जाएगा :—

"मैं प्रमाणित करता हूं कि मुझे रतोंधी नहीं है और जहां तक मेरी जानकारी है मेरे परिवार के किसी सदस्य को भी जन्म से रतोंधी नहीं है।"

ह० उम्मीदवार .....

चिकित्सा अधिकारी के
प्रति हस्ताक्षर .....

मानक 1—एम० एल० टी०
(मार्टिन लालटेन परीक्षण)

रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान :

नेत्र विचलन प्रवृत्ति

नेत्र विचलन प्रवृत्ति मैडोक्स राड/विंग टैस्ट के साथ (बशर्ते कि अभिसरण दोष तथा अन्य रोग लक्षण न हो) निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए :—

(क) 6 मीटर की दूरी से

एक्सोफोरिया	8 प्रिज्म	डायोप्टर
इंसोफोरिया	8 प्रिज्म	डायोप्टर
हाइपरफोरिया	1 प्रिज्म	डायोप्टर

(ख) 30 सें० मी० की दूरी से

इंसोफोरिया	6 प्रिज्म	डायोप्टर
एक्सोफोरिया	16 प्रिज्म	डायोप्टर
हाइपरफोरिया	1 प्रिज्म	डायोप्टर

कार्यान्वित स्तर
(होमाट्रोपिना के अन्तर्गत)

दूर दृष्टि की सीमा :	सही आंख
दूर दृष्टित्ता	1.5 डायोप्टर
साधारण दीर्घदृष्टित्ता	0.75
वैषम्य	दीर्घ दृष्टिता मैरिडियन का दोष
संयुक्त दीर्घ दृष्टिता वैषम्य	1.5 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए इस में से 0.75 डायोप्टर से अधिक दृष्टि वैषम्य के कारण नहीं होना चाहिए।
दूर दृष्टिता	सबसे खराब आंख 2.5 डायोप्ट्रेस

साधारण दूर दृष्टिता वैषम्य	1.5 डायोप्ट्रेस
संयुक्त दूर दृष्टिता वैषम्य	दूर दृष्टिता वैषम्य दोष 2.5 डायोप्ट्रेस से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसमें से 1.00 डायोप्ट्रेस से अधिक दृष्टि वैषम्य के कारण नहीं होना चाहिए।

निकट दृष्टि (मायोपिया)

किसी भी एक मैरेडियम में 0.5 डायोप्ट्रेस अधिक नहीं होना चाहिए।

द्विनेत्री दृष्टि :—उम्मीदवार की द्विनेत्री दृष्टि ठीक होनी चाहिए। (दोनों आंखों में फ़्यूज़न फैकल्टी और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए ।

रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान

प्राथमिक रंगों को पहचानने की असमर्थता के कारण किसी उम्मीदवार को अस्वीकार नहीं किया जाएगा किन्तु तथ्य को कार्यवाही में रिकार्ड कर लिया जाएगा तथा उम्मीदवार को इसकी सूचना दे दी जाएगी। (नौ-सेना के लिए लागू नहीं है)।

6. श्रवण मानक

श्रवण परीक्षा वाक् परीक्षण द्वारा की जाएगी । जहां आवश्यक होगा श्रव्यता मापी (आडियोमैट्रिक) रिकार्ड भी ले लिए जाएंगे।

(क) **वाक् परीक्षा:**—उम्मीदवार को जो एक उचित ढंग से शान्त कमरे में परीक्षक की ओर पीठ करके 609.5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हो प्रत्येक कान से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई पड़नी चाहिए। परीक्षक को अवशिष्ट वायु से फुसफुसाना चाहिए अर्थात् वह साधारण निःश्वास अन्त में लेगा।

(ख) **श्रव्यता मितिक रिकार्ड** :—उम्मीदवार को प्रत्येक कान से 128 से 4096 साइकिल प्रति सैकिन्ड की आवृत्ति पर सुनना चाहिए। (श्रव्यता मितिक पाठ्यांक + 10 तथा —10 के बीच होना चाहिए) (नौ-सेना के लिए लागू नहीं हैं)।

परिशिष्ट III

सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं :—

(क) **भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :**

1. भारतीय सेना अकादमी में भर्ती करने से पूर्व :—

(क) इसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि उसे कोई चोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवा के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वध उत्तराधिकारी को सरकार के के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक़ न होगा।

(ख) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय के बंध-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापस आना चाहता है या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा, शुल्क, भोजन, वस्त्र पर किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे, उसे वापस करनी होगी।

2. अन्तिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन "जैन्टलमैन-कैडेट" के रूप में दर्ज किया जाएगा। जैन्टलमैन कैडेट पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए भारतीय सेना अकादमी के नियम और विनियम लागू होंगे।

3. यद्यपि, आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित, प्रशिक्षण के खर्च का भार सरकार वहन करेगी लेकिन यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना जेब खर्च खुद बर्दाश्त करेंगे । भारतीय सेना अकादमी में (उम्मीदवार का) न्यूनतम मासिक व्यय 55.00 रु० से अधिक होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप में बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जा सकती है। लेकिन जिन उम्मीदवारों के माता-पिता या संरक्षण की मासिक आय 350.00 रु० या इससे अधिक हो, वे इस वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल सम्पत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता/संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अन्तिम रूप से चुने जाने के तुरन्त बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सेना अकादमी, देहरादून के कमान्डेन्ट को अग्रेषित कर देगा।

4. भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को आने

पर, कमान्डेन्ट के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी :—

(क) प्रति मास 55.00 रु० के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	275.00
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए	800.00
जोड़	1075.00

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी—

55.00रु० प्रति माह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	275.00

5. भारतीय सेना अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं :—

(1) **परशुराम भाऊ पटबर्धन छात्र-वृत्ति** :—यह छात्रवृत्ति **महाराष्ट्र** तथा **कर्नाटक** के कैडेटों को दी जाती है। इस छात्र वृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रु० प्रति वर्ष है जो कि कैडेट को भारतीय सेना अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे।

(2) **कर्नल कंडल फ्रैंक मैमोरियल छात्र-वृत्ति**—इस छात्र-वृत्ति की राशि 360/- रुपया प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र **मराठा कैडेट** को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

6. भारतीय सेना अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अन्तर्गत समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च होगी वह—

(क) कैडेट को कमीशन दिए जाने पर दे दी जाएगी।

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापस कर दी जाएगी।

कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जाएंगी। किन्तु यदि सप्रशिक्षणाधीन कैडेट त्यागपत्र दे दे, या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने वाले जैंटलमैन कैडेटों को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दे दी जानी चाहिए। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा सम्बद्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। भारतीय सेना अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उनके माता पिता/अभिभावकों को इस आशय के एक बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस जैंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सेना मुख्यालय की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सनिक उम्मीदवार को अपनी रेजिमेंट या कोर में वापस भेज दिया जाएगा।

8. यह कमीशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण की सफलता-पूर्वक पूरा करने की तारीख के अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेना के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते, पेन्शन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय पर लागू होंगी।

प्रशिक्षण

10. भारतीय सेना अकादमी में आर्मी कैडेट को "जैंटलमैन कैडेट" का नाम दिया जाता है तथा उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन्फैन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत जैंटलमन कैडेटों को सैकिण्ड लेफ्टिनेन्ट के रूप म कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि वे एस० एच० ए० पी० ई० में शारीरिक रूप से स्वस्थ हों।

11. **सेवा की शर्तें** :—

(i) **वेतन** :—

रैंक	वेतनमान
	रुपए
सैकिण्ड लैफ्टिनेन्ट	750-790
लैफ्टिनेन्ट	830-950
कैप्टन	1250-1550
मेजर	1650-1800
लैफ्टिनेन्ट-कर्नल (चयन द्वारा)	1800-1950
लैफ्टिनेन्ट-कर्नल (समय वेतनमान)	1800 नियत
कर्नल	1950-2175
ब्रिगेडियर	2200-2400
मेजर-जनरल	2500-125/2-2750
लैफ्टिनेन्ट जरनल	3000 प्रति मास

(ii) **भत्ते** :

वेतन के अतिरिक्त अफसरों को इस समय निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं :—

(क) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय पर लागू दरों और शर्तों के अनुसार ही इन्हें भी नगर प्रतिकर तथा महंगाई भत्ते दिए जाते हैं ।

(ख) 50/- रु० प्रति मास की दर से किट अनुरक्षण भत्ता ।

(ग) **प्रवास भत्ता :** जब अफसर भारत के बाहर सेवा कर रहा हो, तब धारित रैंक के अनुसार 50/- रु० से 250/- रु० तक प्रति मास प्रवास भत्ता ।

(घ) नियुक्ति भत्ता, जब विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां परिवार सहित नहीं रहा जा सकता है तब वे अफसर 70/- रु० प्रति मास की दर से नियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं :—

(iii) **तैनाती** :

थल सेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं ।

(IV) **पदोन्नति:**

(क) स्थायी पदोन्नति :

उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं है :—

समय वेतनमान से

लैफ्टिनेन्ट	2 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
कैप्टन	6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर	13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल यदि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो ।	24 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा

चयन द्वारा :

लफ्टिनेन्ट कर्नल	16 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल	20 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
ब्रिगेडियर	23 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल	25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेन्ट जनरल	28 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल	कोई प्रतिबन्ध नहीं ।

(ख) कार्यकारी पदोन्नति :

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर, अफसर उच्चतर रैंकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिये पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों :—

कैप्टन	3 वर्ष
मेजर	5 वर्ष
लैफ्टिनेन्ट-कर्नल	6-1/2 वर्ष
कर्नल	8-1/2 वर्ष
ब्रिगेडियर	12 वर्ष
मेजर जनरल	20 वर्ष
लेफ्टिनेन्ट-जनरल	25 वर्ष

(ख) नौसेना अकादमी, कोचिन में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए :—

1. (क) जो उम्मीदवार अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अन्तिम रूप से चुन लिए जाएंगे, उन्हें नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैडेटों के रूप में नियुक्त किया जाएगा । उन उम्मीदवारों को नौसेना अकादमी, कोचीन के प्रभारी अफसर के पास निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी ।

(1) जिन उम्मीदवारों ने सरकारी वित्तीय सहायता के लिए, आवेदन पत्र नहीं दिया हो :

	रु०
(i) 45.00 रुपये प्रति मास की दर से पांच मास के लिए जेब खर्च	225.00
(ii) कपड़ों और सज्जा सामग्री के लिए	460.00
जोड़	685.00

(2) जिन उम्मीदवारों ने सरकारी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र दिया हो :

	रु०
(i) 45.00 रु० प्रति मास की दर से दो मास के लिए जेब खर्च	90.00
(ii) कपड़ों और सज्जा सामग्री के लिए	460.00
जोड़	550.00

(ख) (i) चुने हुए उम्मीदवारों को कैडेटों के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा उन्हें नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में नीचे दिया गया प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा :—

(क) कैडेट प्रशिक्षण तथा नौकार्य प्रशिक्षण 6 मास 1 वर्ष

(ख) मिडशिपमैन नौकार्य प्रशिक्षण मास 6

(ग) कार्यकारी सब लैफ्टिनेन्ट तकनीकी पाठ्यक्रम 8 मास

(घ) सब लेफ्टिनेन्ट—

पहला देने का प्रमाण-पत्र लेने के लिए 3 मास की न्यूनतम समुद्री सेवा ।

(ii) नौसेना अकादमी में कैडेटों के प्रशिक्षण आवास और संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी भोजन तथा डाक्टरी इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। किन्तु कैडेटों के माता-पिता /अभिभावकों को उनका जेब खर्च और निजी खर्च वहन करना होगा । यदि कैडेट के माता पिता/अभिभावक की मासिक आय 350/ रु० से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो, सरकार कैडेट के लिए 40.00 रु० प्रतिमास वित्तीय साहायता स्वीकार कर सकती है । वित्तीय सहायता लेने का इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन-पत्र दे सकता है । जिला मजिस्ट्रेट उस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ निदेशक, कार्मिक सेवा, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पास भेज देगा ।

यदि किसी माता-पिता /अभिभावक के दो अथवा उससे अधिक पुत्र या आश्रित नौसेना जहाजों /प्रतिष्ठानों में साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तो उन सभी को साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि के लिए उपर्युक्त वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय 400/ रु० से अधिक न हो ।

(iii) बाद का प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों और स्थापनाओं में भी उन्हें सरकारी खर्च पर दिया जाता है । अकादमी छोड़ने के बाद उनके पहले छह मास के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उपर्युक्त पैरा (ii) के अनुसार अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के समान सहायता दी जाएगी । भारतीय नौसेना के जहाजों और उनके प्रतिष्ठानों में छह मास का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद जिन कैडेटों की मिड-शिपमैन के रैंक में पदोन्नति कर दी जाएगी और वे वेतन प्राप्त करने लगेंगे, तब उनके माता-पिता को उनका कोई खर्च नहीं देना होगा ।

(IV) कैडेटों को सरकार से निःशुल्क वर्दी मिलेगी किन्तु उन्हें इसके अलावा कुछ और कपड़े भी लेने होंगे । इन कपड़ों के सही नमूने और उनकी एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए, ये कपड़े नौसेना अकादमी में तैयार किए जाएंगे तथा उनका कैडेटों के माता-पिता/अभिभावकों को वहन करना होगा। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र देने वाले कैडेटों को कुछ कपड़े निःशुल्क या उधार दिए जा सकते है। उन्हें कुछ विशेष कपड़े ही खरीदने होंगे ।

(V) प्रशिक्षण के दौरान सर्विस कैडेटों को अपने मूल रैंक के वही वेतन और वही भत्ते मिलेंगे जो वे कैडेटों के चुने जाने के समय नाविक या सेवक या अप्रेंटिस के पद पर काम करते हुए प्राप्त कर रहे होंगे। यदि उन्हें उस रैंक में वेतन वृद्धि दी जानी हो तो वे उस वेतन वृद्धि को पाने के भी हकदार होंगे। यदि उनके मूल रैंक का वेतन और भत्ते, सीधे भर्ती होने वाले कैडेटों को मिलने वाली वित्तीय सहायता से कम हों तथा वे उस सहायता को प्राप्त करने के पात्र हों तो उन्हें उपर्युक्त दोनों राशियों के अन्तर की राशि भी मिलेगी।

(VI) सामान्यतः किसी कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी । जिस कैडेट को भारतीय नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सरकार के अनुमोदन से प्रशिक्षण से वापस बुलाया जा सकता है तथा उसे प्रशिक्षण से हटाया भी जा सकता है। इन परिस्थितियों में किसी सर्विस कैडेट को उसकी मूल सर्विस पर वापस भेज दिया जाएगा। जिस कैडेट को इस प्रकार प्रशिक्षण से हटाया जाएगा या मूल सर्विस पर वापस भेजा जाएगा, वह परवर्ती कोर्स में दोबारा दाखिल होने का पात्र नहीं रहेगा। किन्तु जिन कैडेटों को कुछ करूणाजन्य कारणों के आधार पर त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जाती है, उनके मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

2. किसी उम्मीदवार के भारतीय नौसेना में कैडेट चुने जाने से पूर्व माता-पिता/अभिभावक को :

(क) इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली भांति समझता है कि यदि उसके पुत्र को या आश्रित को प्रशिक्षण के दौरान या उसके कारण कोई चोट लग जाए या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या उपर्युक्त कारणों या अन्य कारण से चोट लगने पर किए गए आपरेश से या आपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप मृत्यु हो जाए तो उसे या उसके पुत्र या आश्रित को सरकार से मुआवजा मांगने के दावे का या सरकार से अन्य सहायता मांगने का कोई हक हीं होगा।

(ख) इस आशय के बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी ऐसे कारण से जो उनके नियंत्रण के अधीन हो, यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा होने से पहले वापस जाना चाहें या यदि कमीशन दिए जाने पर स्वीकार न करे तो शिक्षा, शुल्क, भोजन, व वेतन तथा भत्ते, जो कैडेट ने प्राप्त किए हैं, उनका मूल्य या उनका वह अंश जो सरकार निर्णय करें, चुकाने की जिम्मेदारी वह लेता है।

3. **वेतन और भत्ते :**

(क) **वेतन**

रैंक	वेतनमान सामान्य सेवा
मिडशिप मैन .	560.00 रुपये
एक्टिंग सब लैफ्टिनैंट	750.00 रुपये
सब-लैफ्टिनेंट . .	830-870 रुपये
लैफ्टिनेंट . .	1100-1450 रुपये
लैफ्टिनेंट कमोडोर .	1450-1800 रुपये
कमान्डर (वे चयन द्वारा) .	1750-1950 रुपये
कमान्डर (समय वेतनमान द्वारा) . .	1800-00 रुपये (नियत)
कैप्टेन . .	1950-2400 रुपये (कमाडोर वह वेतन प्राप्त करता है जिसके लिए वह कैप्टन के रूप में वरिष्ठता के आधार पर हकदार होता है)।
रियर एडिमरल . .	2500-125/2-2750
वाइस एडिमरल . .	3000 रुपये

(ख) **भत्ते :**

वेतन के अतिरिक्त अफसरों को निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं :—

(i) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय पर लागू दरों और शर्तों के अनुसार उन्हें भी नगर प्रतिकर तथा महंगाई भत्ता मिलता है।

(ii) 50/- रु० प्रति मास की दर से किट अनुरक्षण भत्ता (कमोडोर रैंक के तथा उनसे नीचे के रैंक के अफसरों को)।

(iii) जब अफसर भारत के बाहर सेवा कर रहा हो, तब धारित रैंक के अनुसार 50/- रुपये से 250/- तक प्रतिमास प्रवास भत्ता ।

(IV) 70/- रु० प्रति मास के हिसाब से इन अफ़सरों को नियुक्ति भत्ता मिलेगा :—

(i) जिन विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाएगा जहां वे परिवार सहित नहीं रह सकते।

(ii) जिन विवाहित अफसरों को आई० एन० जहाजों पर तैनात किया जाएगा तथा जितनी अवधि के लिए वे बेस पत्तनों से दूर जहाजों पर रहेंगे।

(V) जितनी अवधि के लिए बेस पत्तनों से दूर जहाजों पर रहेंगे, उतनी अवधि के लिए उन्हें मुफ्त राशन मिलेगा।

टिप्पणी I—उपर्युक्त के अलावा संकट के समय काम करने की राशि पनडुब्बी भत्ता, पनडुब्बी वेतन, सर्वेक्षण आनुतोषिक/सर्वेक्षण भत्ता, अर्हता वेतन/अनुदान तथा गोताखोरी वेतन जैसी कुछ विशेष रियायतें भी अफसरों को दी जा सकती हैं।

टिप्पणी II—अफसर पनडुब्बी तथा विमानन सेवाओं के लिए अपनी सेवाएं अर्पित कर सकते हैं। इन सेवाओं में सेवा के लिए चुने गए अफसर बढ़े हुए वेतन तथा भत्तों को पाने के हकदार होते हैं।

4. **पदोन्नति :**

(क) समय वेतनमान द्वारा मिडशिपमैन से एक्टिंग सब-लफ्टिनेंट तक	1/2 वर्ष
एक्टिंग सब-लैफ्टिनेंट से सब-लेफ्टिनेंट तक	1 वर्ष
सब-लैफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट तक	—
एक्टिंग और स्थायी सब-लैफ्टिनेंट	(वरिष्ठता के लाभ/समपहरण के अधीन) के रूप में 3 वर्ष।
लैफ्टिनेंट से लैफ्टिनेंट कमाडोर तक	लेफ्टिनेंट के रूप में 8 वर्ष की वरिष्ठता।
लैफ्टिनेंट कमाडोर से कमाडोर तक (यदि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो)	24 वर्ष की संगणनीय कमीशन प्राप्त सेवा।
(ख) चयन द्वारा	
लैफ्टिनेंट कमाडोर से कमाडोर तक	लैफ्टिनट कमाडोर के रूप में 2-8 वर्ष की वरिष्ठता।
कमाडोर से कैप्टन तक	कमाडोर के रूप में 4 वर्ष की वरिष्ठता।
कैप्टन से रियर एडमिरल और उससे ऊपर तक	कोई सेवा प्रतिबंध नहीं।

5. **तैनाती :**

अफसर भारत और विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते है।

टिप्पणी—यदि किसी और सूचना की आवश्यकता हो तो वह निदेशक, कार्मिक सेवा, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) अफसर ट्रेनिंग स्कूल, मद्रास में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अफसर ट्रेनिंग स्कूल, मद्रास में भर्ती हो :—

(क) उसे इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली-भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार से मुआवजा या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए आपरेशन से या आपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बाण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियन्त्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा होने से पूर्व वापिस जाना चाहे या यदि दिए जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अफसर ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो उसे शिक्षा, खाना, वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए हैं, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निर्णय करे, चुकाने के जिम्मेवार होंगे।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अफसर ट्रेनिंग स्कूल में लगभग 9 महीने का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा। इन उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अन्तर्गत "जैन्टलमैन कैडेट" के रूप में नामांकित किया जाएगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से ये जैन्टलमैन कैडेट अफसर ट्रेनिंग स्कूल के नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत रहेंगे।

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास, पुस्तक, वर्दी, भोजन तथा चिकित्सा सुविधा शामिल है सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा। कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम 55 रुपये प्रतिमास से अधिक खर्च की संभावना नहीं है, किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, शिकार खेलना, सैर-सपाटा इत्यादि का शौक रखता हो, तब उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप में वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि कैडेट और उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 350/- रुपये प्रतिमास से कम हो। वर्तमान आदेशों के अनुसार वित्तीय सहायता की दर 55 रुपये प्रतिमास है। जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन-पत्र को कमांडेंट, अफसर ट्रेनिंग स्कूल, मद्रास को भेज देगा।

4. अफसर ट्रेनिंग स्कूल में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने गए उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित धन राशि जमा करनी होगी :—

(क) 55.00 रु० प्रतिमास की दर से दस महीने के लिए जेब खर्च—550.00 रुपये।

यदि कैडेटों को आर्थिक सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उन्हें उपर्युक्त धन राशि वापिस कर दी जाएगी।

5. समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत परिधान भत्ता मिलेगा।

कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र, तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जाएगी। यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्यागपत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओं को उससे वापिस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

6. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले जैंटलमैन कैडेटों को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकृत होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। प्रस्थान से पूर्व उनसे प्रशिक्षण, भोजन तथा सम्बद्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च वसूल किया जाएगा। अफसर प्रशिक्षण स्कूल में उम्मीदवारों की भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावकों को इस आशय का एक बांड भरना होगा।

7. जिस जैंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का सम्पूर्ण कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थियों में सैनिक उम्मीदवार को उसकी रैजिमैंट या कोर में वापिस भेज दिया जाएगा।

8. कमीशन प्रदान कर दिए जाने के बाद वेतन तथा भत्ते, पेंशन, छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्तें निम्न प्रकार होंगी।

9. प्रशिक्षण :

1. चुने गए उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अन्तर्गत जैंटलमैन कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अफसर ट्रेनिंग स्कूल में लगभग 9 मास तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त जैंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से सैकेन्ड लैफ्टिनेन्ट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है।

10. सेवा की शर्तें :

(क) परिवीक्षा की अवधि

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अफसर 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त बताया गया तब उसकी

परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है ।

(ख) तैनाती :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर उन्हें भारत या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है ।

(ग) नियुक्ति की अवधि तथा पदोन्नति

नियमित थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा । जो अफसर सेना में पांच वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे वे, यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए, तो सम्बन्धित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अन्तिम वर्ष में उनको स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा । जो पाच वर्ष की अवधि के दौरान स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने की अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे उन्हें पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

(घ) वेतन और भत्ते

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर वही वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे जो सेना के नियमित अफसरों को प्राप्त होते हैं ।

सैकेन्ड लैफ्टि० और लैफ्टि० के वेतन की दरें इस प्रकार हैं :—

सैकेन्ड लैफ्टि०, 750–790 रु० प्रतिमास ।

लैफ्टि०, 830–950 रु० प्रति मास ।

तथा अन्य भत्ते जो नियमित अफसरों को मिलते हैं ।

(ङ) छुट्टी

छुट्टी के सम्बन्ध में ये अफसर अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खंड–1—थल सेना, के अध्याय पांच में उल्लिखित हैं । वे अफसर ट्रेनिंग स्कूल के पासिंग आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व उक्त नियम 91 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार भी छुट्टी के हकदार होंगे ।

(च) कमीशन की समाप्ति

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर को पांच वर्ष सेवा करनी होगी किन्तु भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त कर सकती है :—

(i) अवचार करने या असंतोषजनक रूप से सेवा करने पर;

या

(ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर;

या

(iii) उसकी सेवाओं की ओर अधिक आवश्यकता न होने पर;

या

(iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षण या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर ।

तीन महीने का नोटिस देने पर किसी अफसर को करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है किन्तु इसकी पूर्णतः निर्णायक भारत सरकार ही होगी । करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा ।

(छ) पेंशन लाभ

(i) ये अभी विचाराधीन हैं ।

(ii) अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 5000.00 रुपए का सेवांत उपदान पाने के हकदार होंगे ।

(ज) रिजर्व में रहने का दायित्व

5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा पूर्ण करने के बाद वे 5वर्ष की अवधि के लिए या 40 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे ।

(झ) विधि

सेवा सम्बन्धी अन्य सभी शर्तें, जब तक उनका उपर्युक्त उपबन्धों के साथ भेद नहीं होता है, वही होंगी जो नियमित अफसरों के लिए लागू हैं ।

परिशिष्ट IV

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....
.....सुपुत्र श्री .....
जो गांव/कस्बा*.....
जिला/मंडल* .....
राज्य/संघ राज्य* क्षेत्र.....के
निवासी हैं.....जाति/जन जाति* के
हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित* जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है :—

*संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950;

---

*संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश, 1950;

---

*संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951;

---

*संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 ।

(अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जतियां सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश

राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा यथा संशोधित)।

---

*संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956;

---

*संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1959;

---

*संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962;

---

*संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1962।

---

*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964;

---

*संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967;

---

*संविधान (गोआ, दमन और दियु) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968;

---

*संविधान (गोआ, दमन और दियु) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968;

---

*संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970;

---

2. श्री .....
और/या* उनका परिवार आम तौर से गांव/कस्बा* .....
..... जिला/मंडल*
..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .....में रहता है।

हस्ताक्षर .....

**पदनाम .....
(कार्यालय की मोहर के साथ)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

स्थान .....

तारीख .....

---

*जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।

नोट :—यहां "आम तौर से रहता है" का अर्थ वही होगा जो "रिप्रेजेंटेशन आफ़ दि पीपुल ऐक्ट, 1950" की धारा 20 में है।

**जाति/जन जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी।

(i) ज़िला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट/ कलैक्टर/डिप्टी कमिश्नर/ऐडीशनल डिप्टी कमिश्नर/ डिप्टी क्लैक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट/ सिटी मैजिस्ट्रेट/सब-डिवीज़नल† मैजिस्ट्रेट/ताल्लुक मैजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर।

†(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट से कम औहदे का नहीं)

(ii) चीफ़ प्रेसिडेंन्सी मैजिस्ट्रेट/ऐडीशनल चीफ़ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट।

(iii) रेवेन्यू अफ़सर जिनका औहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का सब-डिवीज़नल अफ़सर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आम तौर से रहता हो।

(v) ऐडमिनिस्ट्रेटर/एडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेवलपमेंट अफ़सर (लक्षद्वीप)।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 29th September 1976

No. P/1551-Admn.I.—The Union Public Service Commission has been pleased to grant extension of service to Shri D. R. Kohli, a permanent officer of the Selection Grade of the CSS and officiating Controller of Examinations, Union Public Service Commission, as Secretary of the Committee on Recruitment Policy & Selection Methods, set up under the Chairmanship of Dr. D. S. Kothari for a period of 22 days w.e.f. the forenoon of 1st April, 1976 to 22nd April, 1976.

On the expiry of extension of service, Shri Kohli has been permitted to retire from the CSS w.e.f. the afternoon of 22nd April, 1976.

The 15th October 1976

No. P/1827-Admn.I.—Dr. A. C. Mathai, formerly a lecturer in Civil Engineering, in the College of Engineering, Government of Kerala, Trivandrum who was officiating as Under Secretary, Union Public Service Commission, has been appointed as Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 30th September, 1976, until further orders.

The 18th October 1976

No. P/271-Admn.I.—Shri S. P. Chakravarty, a permanent Under Secretary in the office of the Union Public Service Commission, has been appointed as Officer On Special Duty (Confidential) in the office of the Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 4th October, 1976, until further orders.

P. N. MUKHERJEE, Under Secy.
For Chairman
Union Public Service Commission.

New Delhi-110011, the 18th October 1976

No. A. 11013/2/74-Admn.II.—In continuation of the Union Public Service Commission notification of even number dated 3-8-76, the Secretary, Union Public Service Commission, hereby appoints the following permanent Section Officers/Assistants of the CSS cadre of the Union Public Service Commission to officiate, on an *ad hoc* basis, as Section Officer (Special) in the Commission's office, for a further period of two months with effect from 1-10-76 or until further orders, whichever is earlier.

S. No., Name & Post held in CSS cadre
1. Shri V. S. Rlat—Section Officer.
2. Shri B. S. Jagopota—Section Officer.
3. Shri J. P. Goel—Section Officer.
4. Shri R. N. Khurana—Section Officer.
5. Shri S. Srinivasan—Section Officer.
6. Shri S. K. Arora—Assistant.
7. Shri G. V. Mathur—Assistant.

2. The appointment of the aforesaid officers as Section Officer (Special) will be on deputation and their pay will be regulated in accordance with the provisions contained in the Ministry of Finance O.M. No. F. 10(24)-E.III/60 dated 4-5-61 as amended from time to time.

P. N. MUKHERJEE, Under Secy.
for Secy.
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 14th October 1976

No. A.32014/1/76-Admn.III.—The President is pleased to appoint Shri H. S. Bhatia, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 46 days from 4-10-76 to 18-11-76 or until further orders, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE, Under Secy.
(Incharge of Administration)
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 15th October 1976

No. P/1827-Admn.I.—On his appointment as Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission, Dr. A. C. Mathai who was officiating as an Under Secretary in the office of Union Public Service Commission has relinquished charge of the post of Under Secretary with effect from the forenoon of 30-9-1976.

The 18th October 1976

No. P/271-Admn.I.—On his appointment as Officer on Special Duty (Confidential) in the office of the Union Public Service Commission, Shri S. P. Chakravarty, an Under Secretary in the office of the Union Public Service Commission has relinquished charge of the post of Under Secretary with effect from 4-10-1976 (FN).

P. N. MUKHERJEE, Under Secy.
Union Public Service Commission

CABINET SECRETARIAT

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 13th October 1976

No. A-19036/11/76-AD-V.—The Director, C.B.I., and IGP S.P.E., hereby appoints Shri B. P. Roy Chowdhury, Inspector of Police, Calcutta Branch on promotion as Deputy Superintendent of Police in Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, with effect from the forenoon of 27-9-76 in a temporary capacity, until further orders.

The 15th October 1976

No. T-36/69-AD-V.—The Director, Central Bureau of Investigation, Inspector General of Police, Special Police Establishment and ex-officio Secretary to the Government of India, Department of Personnel & Adm. Reforms hereby appoints Shri T. John Devasirvatham an officer of Tamil Nadu Police as Officiating Deputy Superintendent of Police in Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, on deputation, with effect from the forenoon of 6-10-76 until further orders.

The 18th October 1976

No. PF/R-9/65-Ad.V.—The President is pleased to appoint Shri Rajinder Lal, Senior Public Prosecutor, Central Bureau of Investigation on promotion as Dy. Legal Adviser in CBI/SPE in a temporary capacity with effect from the forenoon of 7-10-76 and until further orders.

He relinquished charge of the office of Sr. PP, CBI, EOW, Delhi in the forenoon of 7-10-76.

The 20th October 1976

No. PF/I-53/67-AD-V.—Director, Central Bureau of Investigation & Inspector General of Police, Special Police Establishment hereby appoints Shri Jawahar Lal, Public Prosecutor, Central Bureau of Investigation, GOW New Delhi on promtion as Senior Public Prosecutor in the Central Bureau of Investigation on *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 7th October, 1976 until further orders.

The 26th October 1976

No. PF/R-5/70-AD.V.—The Director, Central Bureau of Investigation & Inspector General of Police, Special Police Establishment and Ex-officio Secretary to the Government of

India hereby appoints Shri R. S. Jamuar, Public Prosecutor, C.B.I. Head Office, on promotion as Senior Public Prosecutor, on *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 7th October, 1976 and until further orders.

The 27th October 1976

No. PF/K-10/65-AD.V.—Shri K. N. Verma, Senior Public Prosecutor, Central Bureau of Investigation posted in Ranchi Branch of Central Bureau of Investigation expired on 21st October, 1976.

P. S. NIGAM,
Administrative Officer (E),
C.B.I.

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 25th October 1976

No. 2/14/76-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri R. Rajagopalan, an Assistant Engineer of the Ministry of Railways, as Assistant Technical Examiner in the Central Vigilance Commission in an officiating capacity, with effect from the afternoon of 8th October, 1976, until further orders.

No. 2/14/76-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri D. R. Ahuja, an Executive Engineer of the Indian Posts and Telegraphs Department, as Technical Examiner in the Central Vigilance Commission, in an officiating capacity w.e.f., the forenoon of 30th September, 1976, until further orders.

SHRI NIVAS, Under Secy.
for Central Vigilance Commissioner.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 16th October 1976

No. 0-II-217/69-Estt.—On expiry of the L.P.R. granted to him, Shri Jagir Singh Cheena, Dy. S.P. (Coy. Comdr.) 1st Bn., CRPF retired from Government service on 14-8-76 (AN).

The 21st October 1976

No. 0-II-1033/75-Estt.—The services of Dr. (Mrs.) Shyama Raina, J.M.O., Base Hospital C.R.P.F., New Delhi are terminated w.e.f., the forenoon of 21st August, 1976.

No. O-II-1036/75-Estt.—The Director General, C.R.P.F. is pleased to appoint the following doctors as Junior Medical Officers in the C.R.P. Force on *ad-hoc* basis for a period of 3 months only w.e.f., the dates noted against each :—

1. Dr. (Mrs.) S. Aruna Devi, 7-9-76 (FN).
2. Dr. V. Dalip Murthy, 13-9-76 (FN).
3. Dr. Koshy Eapen, 15-9-76 (FN).

The 26th October 1976

No. O-II-1331/76-Estt.—The President is pleased to appoint on re-employment ex-Major Jagsir Singh as Deputy Superintendent of Police (Company Commander/Quarter Master) in the Central Reserve Police Force in a temporary capacity until further orders.

2. He took over charge as Deputy Superintendent of Police (Company Commander) in the G.C., Hyderabad on the forenoon of 1st October 1976.

A. K. BANDYOPADHYAY, Asstt. Director (Adm.).

14—326GI/76

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 15th October 1976

No. E-38013(2)/7/76-Pers.—On transfer from CISF Unit KCP, Khetri, Shri G. R. Khosla, Commandant assumed the charge of the post of Commandant No. 1, CISF Trg. Reserve Force with Hqrs. at New Delhi with effect from the forenoon of 23rd September, 1976.

No. E-32015(2)/8/76-Pers.—The President is pleased to appoint Lt. Col. C. S. Murthy as Commandant CISF Unit SHAR Project, Shriharikota Range, on re-employment, w.e.f., the forenoon of 1st September 1976, until further orders.

No. E-38013(3)/6/76-Pers.—On transfer to Rourkela, Shri S. K. Muhkerjee, Assistant Commandant relinguished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF unit IOC Haldia with effect from the forenoon of 2nd December, 1975 and on transfer from Talcher Shri R. M. Dask assumed the charge of the said post with effect from the forenoon of the same date.

This supersedes the Notification issued *vide* even number dated 7-1-1976.

No. E-38013(3)/13/76-PERS.—On transfer to Thumba Shri P. R. Pillai, Assistant Commandant, CISF Unit FACT (Cochin Division) Cochin, relinguished the charge of the said post with effect from the forenoon of 19.8.76.

On transfer from Thumba Shri K. S. Thomas, Assistant Commandant assumed the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit FACT (Cochin Division) Cochin with effect from the forenoon of 19th August, 1976.

No. E-38013(3)/13/76-PERS.—On transfer from Cochin Shri P. R. Pillai, Assistant Commandant, assumed the charge of the post of Assistant Commandant CISF Unit ISRO Thumba, Trivandrum with effect from the forenoon of 27th August 1976.

No. E-38013(3)/14/76-PERS.—On transfer to CISF Unit HEC Ranchi Shri B. Misra, Assistant Commandant assumed the charge of the said post w.e.f. the forenoon of 3rd August 1976.

No. E-38013(3)/17/76-Pers.—The President is pleased to appoint Shri N. Ram Dass to officiate as Assistant Commandant, CISF, Gp. Hqrs, Delhi on ad-hoc basis and assumed the charge of the said post with effect from the afternoon of 10th September 1976.

No E-38013(3)/17/76-Pers.—The President is pleased to appoint Shri V. H. Govindaswamy to officiate as Assistant Commandant, CISF unit Cochin Ship Yard Cochin on *ad-hoc* basis and assumed the charge of the said post with effect from the forenoon of 17th September 1976.

No. E-38013(3)/17/76-PERS.—The President is pleased to appoint Inspector S. K. Rishi to officiate as Assistant Commandant, CISF group Hqrs. Patna w.e.f. the forenoon of 8th Sept. 1976, until further orders and assumed the charge of the said post w.e.f. the same date.

No. E-38013(3)/17/76-Pers.—The President is pleased to appoint Inspector C. Famaswamy to officiate as assistant Commandant, CISF Unit Cochin Post Trust, Cochin w.e.f. the forenoon of 7th September 1976, until further orders and assumed the charge of the said post w.e.f. the same date.

No. E-38013(3)/17/76-PERS.—The President is pleased to appoint Shri O. P. Bhasin to officiate as Assistant Commandant CISF Unit IPCL Barada an adhoc basis and assumed the charge of the said post with effect from the forenoon of 9th September 1976.

No. E-38013(3)/17/76-PERS.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Chakraborty to officiate as Assistant Commandant, CISF Gp. Hqrs, Calcutta on adhoc basis and

assumed the charge of the said post with effect from the forenoon of 17th September 1976.

No. E-38013(3)/17/76-Pers.—On transfer to CISF No. 1 Training Reserve Force with Hqrs at New Delhi, Shri A. S. Bhatti, Assistant Commandant, assumed the charge of the said post w.e.f. the forenoon of 14th September 1976.

The 27th October 1976

No. E-16016/3/76-PERS.—On transfer on deputation from Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi, Shri T. R. Gujaral, Permanent Assistant of that Ministry assumed the charge of the post of Section Officer in the Office of IG/CISF, Ministry of Home Affairs, New Delhi with effect from the forenoon of 21.10.76.

L. S. BISHT, Inspector General

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 21st October 1976

No. P/Z(1)-Ad.I.—In continuation of this office notification No. P/Z(1)-Ad.I dated the 13th June, 1975, the President is pleased to extend the period of re-employment of Shri J. N. Zutshi in the post of Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, Jammu and Kashmir for a further period of one year with effect from the 20th October, 1976.

The headquarters of Shri Zutshi will be at Srinagar.

The 25th October 1976

No. 11/10/76-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri A. S. Dange, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Tamil Nadu, Madras as Deputy Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations, Sikkim, on a purely temporary and *ad-hoc* basis for a period of one year, with effect from the forenoon of the 16th October, 1976, or until further orders, whichever is earlier.

The headquarters of Shri Dange will be at Gangtok.

No. 11/10/76-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri M. Thangaraju, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Kerala as Deputy Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations, Tamil Nadu on a purely temporary and *ad hoc* basis for a period of one year with effect from the forenoon of the 4th October, 1976 or until further orders, whichever is earlier.

The headquarters of Shri Thangaraju will be at Madras.

No. 11/4/76-Ad.I(3).—The President is pleased to appoint Shri G. S. Pabla, Investigator in the office of the Director of Census Operations, Punjab as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the same office on a purely temporary and *ad hoc* basis for a period of 48 days with effect from the forenoon of the 14th October, 1976 or until further orders, whichever is earlier.

The headquarters of Shri Pabla will be at Chandigarh.

The 26th October 1976

No. 11/4/76-Ad.I(2).—The President is pleased to appoint Shri R. B. Singh, Investigator in the office of the Director of Census Operations, Bihar as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the same office on a purely temporary and *ad hoc* basis with effect from the afternoon of the 23rd September, 1976, upto 28th February, 1977.

The headquarters of Shri R. B. Singh will be at Patna.

No. 11/4/76-Ad.I(1).—In continuation of this office notification of even number dated the 28th August, 1976, the President is pleased to extend the *ad hoc* appointment of Shri G. S. Pabla as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Punjab upto 30th September, 1976.

The headquarters of Shri Pabla continued to be at Chandigarh during the extended period of his *ad hoc* appointment.

No. P/S(74)-Ad.I.—Shri D. P. Saxena, an officer of the Uttar Pradesh Civil Service relinquished the charge of the office of the Deputy Director of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow with effect from the afternoon of the 30th September, 1976.

The services of Shri Saxena were placed at the disposal of the Government of Uttar Pradesh with effect from the same date.

BADRI NATH,
Dy. Registrar General, India
and *ex-officio* Dy. Secy. to the Govt. of India

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
INDIA SECURITY PRESS

Nasik Road, the 21st October 1976

No. 928/A.—In continuation of Notification No. 779/A, dated 4th September 1976, the appointment of Shri S. T. Pawar, as Deputy Control Officer, Currency Note Press is further extended upto 8th January, 1977 in the chain vacancy caused due to the promotion of Shri M. R. Kutty as Control Officer, C.N.P.

No. 954/A.—The undersigned hereby appoints Shri S. M. Nagpal, Inspector Control, Currency Note Press, Nasik Road (Class III non-Gazetted), to officiate as Deputy Control Officer (Class II Gazetted post) in Currency Note Press in the revised scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on an *ad hoc* basis w.e.f. 11th October 1976 to 8th January, 1977 in the vacancy caused due to the promotion of Shri H. K. Shejwal as Control Officer, Currency Note Press.

N. RAMAMURTHY,
Sr. Dy. General Manager.

BANK NOTE PRESS

Dewas-455001, the 12th October 1976

F. No. BNP/E/8/M-8.—In continuation of this Department's Notification of even No. dated 11th July 1976, the *ad hoc* appointment of Shri S. K. Mathur, as Deputy Control Officer in the Bank Note Press, Dewas (MP) is extended for a period of 3 months with effect from the forenoon of 13th Oct 1976 or till regular appointment is made to this post whichever is earlier.

D. C. MUKHERJEA,
General Manager.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi, the 15th October 1976

No. 4981-GE.I/111-76

1. No. 3976-GE.I/J-14/PF.II, dated 11th Aug 1976.—On attaining the age of superannuation Shri D. P. Jain, I.A.A.S. Controller of Accounts in the O/O the Chief Controller of Accounts, Deptt. of Supply, New Delhi retired from Government Service with effect from 31st July 1976 (AN).

2. No. 4261-GE.I/J-4/PF.V, dated 30th August 1976.—Shri D. D. Jerath, IAAS has taken over as Accountant General, Asstm, Meghalaya, Mizoram & Arunachal Pradesh, Shillong with effect from 14th August 1976. He relieved Shri R. C. Suri, I.A.A.S. on his transfer.

3. No. 4408-GE.I/P-25/PF.III, dated 4th September 1976.—Shri B. G. Pendse, IAAS has retired from Government service (after L.P.R. from 8th May 1976 to 31st August 1976) on attaining the age of superannuation with effect from 31st August 1976 (AN)

4. No. 4601.GE.I/M-30/PF.IV, dated 16th September 1976.—Shri S. C. Mookerjee, IAAS has taken over charge as Chief Auditor Railway Production Unit Calcutta w.e.f. 4th Sept., 1976 (AN). He relieved Miss Amrita Grover IAAS proceeding on transfer.

Shri Mookerjee is appointed to officiate in level II of Accountant General's Grade with effect from the same date until further orders.

5. No. 4625-GE.I/A-2/PF.IV, dated 16th September 1976.—Shri U. D. Acharya, IAAS has taken over as Chief Auditor, Eastern Railways, Calcutta with effect from 4th September 1976 (AN), He relieved Shri S. C. Sen IAAS.

6. No. 4626-GE-I/S-65/PF.IV, dated 16th September 1976.—Shri V. K. Subramanian, IAAS has taken over as Director IAAS Staff College, Simla w.e.f. 4th September 1976 (AN).

Shri Subramanian is appointed to officiate in Level II of Accountant General's grade w.e.f. the same date until further orders.

7. No. 4722-GE.I/P-33/PF, dated 20th September 1976.—Km. Bharati Prasad, IAAS has been appointed to officiate in the Senior time scale of IAAS with effect from 4th September 1976 (AN) until further orders.

8. No. 4723-GE.I/B-77/PF, dated 20th September 1976.—Shri Utpal Bhattacharya IAAS has been appointed to officiate in the senior time scale (Rs. 1100—1600) of the IAAS with effect from 4th September 1976 (FN) until further orders.

9. No. 4941-GE.I/B-25/PF.III, dated 7th October 1976.—Shri H. B. Bhar, Deputy Comptroller and Auditor General of India has proceeded on leave preparatory to retirement with effect from 4th September 1976 to 31st Jan 1978.

M. M. B. ANNAVI,
Asstt. Comptroller & Auditor General (Personnel)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-22, the 15th October 1976

No 86016(14)/76-AN-II.—The President is pleased to appoint Shri K. Radhakrishnan of the Indian Defence Accounts Service to officiate in the Junior Administrative Grade (Rs. 1500—60—1800—100—2000) with effect from 30th August 1976 (F.N.) until further orders.

The 25th October 1976

No. 18217/AN-II.—On attaining the age of 58 years, Shri R. K. Wadhawan, Deputy Controller of Defence Accounts will be transferred to the Pension Establishment and struck off the strength of the Department w.e.f. 30th April, 1977 (AN).

P. K. RAMANUJAM,
Addl. Controller General of Defence Accounts (AN)

MINISTRY OF DEFENCE
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICES DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta-16, the 15th October 1976

No. 74/76/G.—The President is pleased to appoint the undermentioned officers as tempy Asstt. Manager with effect from the dates shown against them, until further orders :—

1. Shri Murli Dhar KANDWAL—26th July 1973/FN.
2. Shri Bal BHUSHAN—1st October 1973/FN.
3. Shri Dhirendra Prakash SAXENA—16th August 1973/FN.
4. Shri S. Saleem Raja ZAIDI—29th August 1973/FN.
5. Shri V. Harihar IYER—28th June 1973/FN.

The 18th October 1976

No. 75/76/G.—On expiry of leave preparatory to retirement, Shri M. K. Menon, Subst. and Permt. Deputy Manager, retired from service with effect from 31st July, 1976 (A/N).

M. P. R. PILLAI,
Asstt. Director General,
Ordnance Factories

MINISTRY OF LABOUR
(COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION)

Dhanbad-826003, the 25th October 1976

No. Admn.12(9)76.—Shri Dinesh Prasad, Permanent Head Clerk is appointed as Assistant Secretary to the Coal Mines Welfare Commissioner in the scale of Rs. 550-25-750-EB-30-900/- in a temporary capacity w.e.f. 2-9-76 (F/N) until further orders.

R. P. SINHA,
Coal Mines Welfare Commissioner,
Dhanbad.

LABOUR BUREAU

Simla-171004, the 5th November 1976

No. 23/3/76-CPI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1960=100 increased by four points to reach 302 (Three hundred and Two) during the month of September, 1976. Converted to Base : 1949=100 the index for the month September, 1976 works out to 367 (Three hundred and sixty seven).

S. RAY,
Dy. Director

MINISTRY OF COMMERCE
(OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS)

New Delhi, the 19th October 1976

IMPORT & EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/998/72-Admn.(G)/6603.—The President is pleased to permit Shri N. C. Kanjilal, an officer of Grade I of the CSS and Deputy Chief Controller of Imports and Exports in this office to retire from Government service with effect from the afternoon of the 30th September, 1976.

No. 6/725/64-Admn(G)/6614.—On attaining the age of superannuation, Shri T. N. Mittal an officer of the Section Officer's Grade of the CSS relinquished charge of the post of

Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 30th September, 1976.

A. S. GILL.
Chief Controller of Imports and Exports

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay, the 4th October 1976

No. 10(1)/73-76/CLB.II.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 5(1) of the Cotton Control Order, 1955, I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No. 10(1)/73-74/CLB.II, dated the 19th December, 1974, namely :—

I. (1) In the schedule appended to the said notification, in the existing entry in column 3 against S. No. 1, for the words and mark "two months' ", the words and mark "one month's" shall be substituted.

(2) In the existing entry in column 3 against S. No. 2, for the words and mark, "three and half months' ", the words and mark "two months' " shall be substituted.

(3) In the existing entry in column 3 against S. No. 3, for the words and mark, "three months", the words and mark "one and half months' " shall be substituted.

II. In the second proviso below the schedule, for the words, "four and half months", the words "three months" shall be substituted.

The 6th October 1976

No. CER/1/76.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 22 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No. CER/1/68, dated the 2nd May, 1968, namely :—

In paragraph 2 of the said Notification,—

I. For sub-item (v) of item (b) the following shall be substituted, namely :—

"(v) is woven with yarn of average count not exceeding 34.49s and includes any type of printed mull and printed voile having a length not below 5.5 metres per piece."

II. The following note shall be added below item (b) :—

"*NOTE.* For the purpose of this paragraph printed mull and printed voile shall mean any printed fabric of plain weave manufactured with single yarn and with warp count not lower than 28s."

III. After item (e) the following item shall be added, namely :—

"(f) "controlled tussore" means any type of cloth of plain weave whether or not mercerised or pre-shrunk manufactured from single yarn which :—

(i) is manufactured either wholly from cotton or partly from cotton and partly from any other material and containing not less than 75% of cotton by weight;

(ii) is woven with yarn of average count not exceeding 34.49s;

(iii) is bleached, piece dyed or printed;

(iv) has a weight ranging between 5.5 ozs. to 6.5 ozs. per square yard; and

(v) is commonly known by that name."

G. S. BHARGAVA,
Joint Textile Commissioner

The 18th October 1976

No. EST.I-2(675).—The Textile Commissioner is pleased to appoint with effect from the forenoon of the 23rd August, 1976, and until further orders, Shri S. N. Mazumdar, Enforcement Inspector (Non-Technical), in the Regional Office of the Textile Commissioner, Kanpur, as Assistant Enforcement Officer, Grade II in the same office.

C. R. NEELAKANTAN,
Deputy Director

DEPARTMENT OF EXPLOSIVES

Nagpur, the 14th October 1976

ORDER

No. R-4(2)/43.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 5 of the Explosives Rules, 1940 and in supersession of the Department of Explosives Order No. R.4(2)43, dated the 13th February, 1969, the Chief Controller of Explosives hereby authorises the suspension of the requirements of rule 81 of the said Rules in the case of possession and sale of Amorces (Paper Caps for Toy Pistols) in quantity not exceeding 12.5 Kg.

I. N. MURTY,
Chief Controller of Explosives

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 14th October 1976

No. A-1/1(550).—S/Shri L. L. T. D'Souza and N. R. Phanasgaonkar permanent Junior Progress Officers and officiating as Assistant Directors (Grade II) in the office of the Director of Supplies (Textiles), Bombay retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 1976 on attaining the age of superannuation (58 years).

K. L. KOHLI,
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL AND MINES (DEPARTMENT OF MINES) INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 19th October 1976

No. A-19011(198)/76-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri Rm. Ramanathan to the post of Junior Mining Geologist in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the afternoon of 28-9-1976 until further orders.

No. A-19011(30)/75-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri D. V. Kulkarni, Permanent Deputy Ore Dressing Officer in the Indian Bureau of Mines as Ore Dressing Officer, in the same Department on an *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of the 5-10-1976 until further orders.

No. A-19011(58)/75-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri S. N. Chattopadhaya, Permanent Deputy Ore Dressing Officer in the Indian Bureau of Mines as Ore Dressing Officer in the same Department on an *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of the 5-10-1976 until further orders.

A. K. RAGHAVACHARY,
Sr. Administrative Officer
for Controller

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-16, the 25th October 1976

No. 40/59/C/19A.—The *ad-hoc* appointment of Shri B. M. Guha to the post of Assistant Administrative Officer in the Geological Survey of India is regularised with effect from the forenoon of 1-9-1976, until further orders.

Shri B. M. Guha was holding *ad-hoc* appointment in the post of Assistant Administrative Officer with effect from 30-3-1974.

No. 2222(SC)/19A.—Shri Somnath Chattopadhyay, Senior Technical Assistant (Geology), Geological Survey of India is appointed as an Assistant Geologist in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 3rd September, 1976, until further orders.

V. K. S. VARADAN,
Director General

SURVEY OF INDIA
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 19th October 1976

No. E1-5144/579-Sel.70(C1.II).—Shri G. S. Dhiman is appointed to officiate as Officer Surveyor against a temporary post in Group 'B' Service of the Survey of India in the revised scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from the forenoon of 17th September, 1976, until further orders.

The 20th October 1976

No. E1-5145/587.—Shri Anil Kumar Chakraverty is appointed to officiate as Assistant Head Engraver, Survey of India in General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted) against a permanent post in the revised scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from the forenoon of 28th September, 1976 until further orders.

No. E1-5147/913-H.—In continuation of this office Notification No. SE1-5107/913-H dated 1-7-76, the *ad-hoc* appointment of Shri R. K. Chamoli, Hindi Officer of the Surveyor General's Office is further extended upto 31-3-77 or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

K. L. KHOSLA, Major General,
Surveyor General of India

DIRECTORATE GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 25th October 1976

No. 5(3)/69-D(S)-SII.—The deputation of Shri P. V. Ramakrishnan, Accounts Officer, Office of Accountant General Madras to the Office of Regional Engineer (South), All India Radio, Madras is extended for one year with effect from 24-9-1976.

S. V. SESHADRI,
Deputy Director of Admn.
for Director General

DOORDARSHAN MAHANIDESHALAYA

New Delhi, the 26th October 1976

No. 55/46/76-SI.—The Director General, Doordarshan hereby appoints Shri D. Guruswami TREX, Doordarshan Kendra, Madras to officiate as a Programme Executive at the same Kendra in a temporary capacity on an *ad-hoc* basis with effect from the 29th September, 1976 until further orders.

C. L. ARYA,
Deputy Director of Admn.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
FILMS DIVISION

Bombay-26, the 11th October 1976

No. 17/16/49-Est.I.—On expiry of the leave granted to Shri R. C. Khanna, Officiating Branch Manager, Films Division, Madras, Shri P. V. Rao, Officiating Branch Manager, Films Division, Madras, reverted to the post of Salesman with effect from the forenoon of the 27th September, 1976. He was reposted to Films Division, Nagpur.

M. K. JAIN,
Administrative Officer
for Chief Producer

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 14th October 1976

No. A.12025/19/76(CGHS)/Admn.I.(A).—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. S. G. Damle to the post of Dental Surgeon, Central Government Health Scheme, Nagpur, with effect from the forenoon of 7th September, 1976 in a temporary capacity and until further orders.

The 15th October 1976

No. A.12025/9/76(CGHS)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. S. S. Luthra to the post of Dental Surgeon, Central Government Health Scheme, Meerut, with effect from the forenoon of 10th August, 1976 in a temporary capacity and until further orders.

The 18th October 1976

No. 10-15/73-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. M. L. Dewan to the post of Microbiologist, at the Central Food Laboratory, Calcutta, with effect from the forenoon of 24th September, 1976 in a temporary capacity and until further orders.

2. Consequent on his appointment to the post of Microbiologist, Central Food Laboratory, Calcutta, Dr. M. L. Dewan relinquished charge of the post of Factory Manager, Central Research Institute, Kasauli, on the afternoon of 15th September, 1976.

No. A.31013/9/76(CHEB)Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri A. B. Hiramahi in a substantive capacity to the permanent post of Deputy Assistant Director General (Research) in the Central Health Education Bureau, Directorate General of Health Services, New Delhi, with effect from the 27th April, 1976.

No. A.12023/14/76-(WH)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. (Smt.) Swarn Lata Kapoor to the post of Assistant Biochemist at the Willingdon Hospital, New Delhi, with effect from the forenoon of the 21st September, 1976, on an *ad-hoc* basis, and until further orders.

No. A.12025/12/76(FRSL)Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. P. K. Jaiswal, Marketing Officer in the Directorate of Marketing and Inspection, Ministry of Agriculture an Irrigation (Department of Rural Development) to the post of Senior Analyst at the Food Research and Standardisation Laboratory, Ghaziabad, on a temporary basis, with effect from the forenoon of the 24th September, 1976, and until further orders.

No. A.12025/17/76-JIP)Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. R. Sundaresan in the post of Lecturer in Biochemistry at the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Pondicherry, with effect from the forenoon of the 31st July, 1976 in an officiating capacity and until further orders.

The 19th October 1976

No. A.31013/3/76-D.—The President is pleased to appoint Shri A. K. M. Pillai in a substantive capacity to the post of Senior Scientific Officer Grade II in the Central Indian Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad with effect from the 19th February, 1976.

No. 26-19/75-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Piyare Lal Sud, Assistant Technical Officer, Central Research Institute, Kasauli, to the post of Research Officer (Microbiology) at the National Institute of Communicable Diseases, Delhi, with effect from the forenoon of 27th September, 1976, on an *ad-hoc* basis, and until further orders.

No. 26-14/74-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri S. N. Sharma in a substantive capacity to the permanent post of Administrative Officer at the National Institute of Communicable Diseases, Delhi, with effect from the 1st February, 1976.

The 20th October 1976

No. 6-12/73-Admn.I.—Consequent on his appointment as Biochemist under the Ministry of Defence, Dr. A. A. Ansari relinquished charge of the post of Deputy Assistant Director (Non-Medical), at the Central Research Institute, Kasauli, on the afternoon of the 14th September, 1976.

No. 16-6/75-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri U. S. Mishra in a substantive capacity to the permanent post of Assistant Editor (Radio & Television) in the Central Health Education Bureau, Directorate General of Health Services, with effect from the 20th September, 1973.

No. A. 31014/10/76(CHEB)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri J. P. Sharma in a substantive capacity to the permanent post of Publicity Officer (Art) in the Central Health Education Bureau, Directorate General of Health Services, with effect from the 29th June, 1976.

The 27th October 1976

No. A.31014/6/76(HQ)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint the late Shri B. P. Rawat in a Substantive capacity to the permanent post of Health Education Officer in the Directorate General of Health Services with effect from the 19th February, 1976.

No. A.38013/2/76-Admn.I.—The Government of India announce with profound regret the death of Shri B. P. Rawat, Health Education Officer in the Directorate General of Health Services, on the 18th September, 1976.

S. P. JINDAL, Dy. Director (Admn.)

New Delhi, the 13th October 1976

No. 20/1(26)/75-CGHS.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. Chaturi Prasad Vichitra to the post of Homoeopathic Physician in the Central Government Health Scheme at Delhi on temporary basis with effect from the forenoon of 15th September, 1976.

The 14th October 1976

No. 20/1(26)/75-CGHS.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. P. K. Koyal to the post of Homoeopathic Physician in the Central Government Health Scheme at Calcutta on temporary basis with effect from the forenoon of 3rd September, 1976.

The 23rd October 1976

No. 20/6(2)/75-CGHS.I(Pt.II).—Consequent on acceptance of her resignation Dr. (Mrs.) Indra Uppal relinquished the charge of the post of Junior Medical Officer (*Ad hoc*) under the Central Government Health Scheme, New Delhi on 27-7-76 (A.N.).

R. K. JINDAL, Dy. Dir. Admn. (CGHS)

New Delhi, the 14th October 1976

No. 11-13/73-Admn.I(Pt.II).—On attaining the age of superannuation, Shri V. S. Talwar relinquished charge of the post of Director of Administration & Vigilance, Directorate General of Health Services, New Delhi, on the afternoon of the 30th September, 1976.

A. SURIN, Dy. Dir., Admn. (E)

New Delhi, the 24th September 1976

No. 38-10/74-CHS.I.—(1) Consequent on his transfer, Dr. R. K. Nambiar, an Officer of G.D.O. Grade II of the C.H.S. relinquished charge of the post of J.M.O. in the C.G.H.S., Bombay, on the forenoon of the 10th August, 1976, and assumed charge of the post of Assistant Port Health Officer in the Port Health Organisation, Bombay on the afternoon of the same day.

(2) Consequent on his transfer, Dr. M. B. Survawanshi, J.M.O. (*ad hoc*) relinquished charge of the post of J.M.O. in the C.G.H.S., Bombay on the afternoon of the 9th August, 1976 and assumed charge of the post of Assistant Port Health Officer, on *ad hoc* basis, in the Port Health Organisation, Bombay, on the afternoon of the 10th August, 1976.

K. VENUGOPAL, Dy. Dir., Admn. (CHS)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)
(DIRECTORATE OF EXTENSION)

New Delhi, the 26th October 1976

No. P.5-383/76-Estt.(I).—On transfer from the Office of the Accountant General, Commerce, Works & Misc. Shri S. P. Puri, is appointed to officiate as Accounts Officer in the Pay and Accounts Office of the Directorate of Extension on temporary basis w.e.f. 1-7-76 (F.N.).

N. K. DUTTA, Dir. of Admn.

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 15th October 1976

No. F.4-5(76)/76-A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri Akhil Kumar Srivastava, is appointed as Marketing Officer (Group III) in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on a temporary basis in the Directorate of Marketing & Inspection at Bombay w.e.f. 24-9-1976 (A.N.), until further orders.

B. L. MANIHAR,
Director of Administration,
for Agricultural Marketing Adviser

OFFICE OF THE PROJECT DIRECTOR,
PELAGIC FISHERY PROJECT

Cochin-682016, the 24th June 1976

No. 1/2-106/76-A.—Shri T. P. Radhakrishnan, Head Clerk, Exploratory Fisheries Project, Mangalore Base, Mangalore, is

appointed as Administrative Officer in the scale of pay of Rs. 550-20-650-25-750, in the Pelagic Fishery Project, Ernakulam, Cochin-682016 with effect from the F.N. of 17-6-1976.

Sd./- ILLEGIBLE
Project Director

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE (PERSONNEL DIVISION)

Trombay Bombay-85, the 23rd September 1976

No. S./2939/Estt.II/2843.—In continuation of this Research Centre Notification No. S/2939/Estt.v/435, dated 26-5-1975, the Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Chandra Deva Singh, a permanent Hindi Teacher in the office of the Hindi Teaching Scheme, Ministry of Home Affairs to officiate as Assistant Personnel Officer (Hindi) in the Bhabha Atomic Research Centre for a further period of one year with effect from the forenoon of March 30, 1976 or until further orders whichever is earlier.

S. KRISHNAMURTHY,
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION
(NARORA ATOMIC POWER PROJECT)

Bombay-5, the 25th September 1976

No. NAPP/18(88)/75-Adm./5784.—The Director, Power Projects Engineering Division is pleased to appoint Shri Ramayan Prakash Srivastava, Naib Tahasildar, Office of the Board of Revenue, U.P. Lucknow as Land Management Officer in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 in the Narora Atomic Power Project at Narora with effect from the afternoon of September 2, 1976 until further orders.

R. J. BHATIA, General Administrative Officer.

Bombay-5, the 4th October 1976

No. NAPP/18/79/75-Adm.5894.—On his transfer from Power Project Engineering Division, Shri M. G. Deshpande, Scientific Officer/Engineer Grade SB is hereby appointed in the Narora Atomic Power Project at Bombay in the same capacity with effect from forenoon of February 1, 1974 until further orders.

R. J. BHATIA, General Administrative Officer,
for Director.

TARAPUR ATOMIC POWER STATION

Thana-401 504, the 9th October 1976

No. TAPS/ADM/735-A.—On his posting by the Cadre Authority, the Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy, appoints Shri J. D'Costa, a permanent Upper Division Clerk and officiating Assistant in Bhabha Atomic Research Centre as Assistant Personnel Officer in the Tarapur Atomic Power Station in a temporary capacity with effect from the forenoon of October 1, 1976 and until further orders.

K. V. SETHUMADHAVAN, Chief Administrative Officer.

MADRAS ATOMIC POWER PROJECT

Kalpakkam-603102, the 14th October 1976

No. 18(67)/76-Rectt.—Director, Power Projects Engineering Division, appoints S/Shri M. Janardhanan and M. Sankarapandian temporary Scientific Assistants 'C' as Scientific Officers/Engineers Grade 'SB' in this Project in a temporary capacity with effect from the forenoon of August 1, 1976 until further orders.

K. BALAKRISHNAN, Administrative Officer.

RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT

Anushakti-323303, the 20th October 1976

No. RAPP/Rectt/10(6)/76/453.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project is pleased to appoint Shri J. P. Gupta, an officiating Accounts Officer-III of Narora Atomic Power Project against a permanent supernumerary post of Accounts Officer-II created by Department of Atomic Energy in Rajasthan Atomic Power Project with effect from the forenoon of 7-8-1976 for a period of 6 months from 7-8-76 or till the date on which regular/permanent vacancy in the grade become avilable for confirmation of Shri J. P. Gupta whichever date is earlier.

The 26th October 1976

No. RAPP/Rectt./3(1)/76/607.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project is pleased to appoint Shri M. N. Limaye, a quasi-permanent Scientific Assistant (A) and officiating Scientific Assistant (B) of this Project, as Scientific Officer/Engineer Grade SB in a temporary capacity in the same Project with effect from 1st August, 1976 until further orders.

No. RAPP/Rectt./3(1)/76/608.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project is pleased to appoint Shri K. L. Goel, Scientific Assistant (C) of this Project, as Scientific Officer/Engineer Grade SB in a temporary capacity in the same Project with effect from the forenoon of 1st August, 1976 until further orders.

No. RAPP/Rectt./3(1)/76/609.—The Chief Project, Engineer Rajasthan Atomic Power Project is pleased to appoint Shri L. P. Gupta, a quasi-permanent Assistant Foreman and officiating Foreman, of this Project, as Scientific Officer/Engineer Grade SB in a temporary capacity in the same Project with effect from the forenoon of 1st August, 1976 until further orders.

No. RAPP/Rectt./3(1)/76/610.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project is pleased to appoint Shri A. S. Bansal, a quasi-permanent Assistant Foreman and officiating Foreman of this Project, as Scientific Officer-Engineer Grade SB in a temporary capacity in the same Project with effect from the forenoon of 1st August, 1976 until further orders.

GOPAL SINGH, Administrative Officer (E)

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 001, the 1st October 1976

No. DPS/A/32011/3/76/Est.13782.—Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Janardan Tukaram Nerurkar, a permanent Purchase Assistant of this Directorate to officiate as an Assistant Purchase Officer, on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 in the same Directorate with effect from the forenoon of September 30, 1976 until further orders.

B. G. KULKARNI, Assistant Personnel Officer.

DEPARTMENT OF SPACE
ISRO SATELLITE SYSTEMS PROJECT

Peenya-562 140, the 11th October 1976

No. 020/3(061)/76-Director, Vikram Sarabhai Space Centre is pleased to appoint on promotion/review the following personnel to the post of Scientist/Engineer SB with effect

from and on a basic pay mentioned against each below in the grade of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 in ISRO Satellite Systems Project of the Indian Space Research Organisation.

Sl. No.	Name	w. e. f.	Basic pay
1.	Shri L. A. Jayaraj	1-1-1976	Rs. 650/-
2.	Shri K. Balakrishna Rao	1-1-1976	Rs. 650/-
3.	Shri M. P. Nagaraj	1-1-1976	Rs. 650/-
4.	Shri M. V. Kannan	1-1-1976	Rs. 650/-
5.	Shri V. Babaram	1-1-1976	Rs. 650/-
6.	Shri Anil D. Rao	1-1-1976	Rs. 650/-
7.	Shri H. Muralidhara	1-2-1976	Rs. 710/-
8.	Kum. A. S. Bhamavathi	1-7-1976	Rs. 650/-
9.	Shri R. Chandrasekhar	1-7-1976	Rs. 710/-

V. V. S. CHOWDARY, Administrative Officer.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

Delhi-3, the 16th October 1976

No. E(I)04260.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri T. M. Sambamurthy, Prof. Assistant, Office of the Director, Regional Meteorological Centre, Bombay, as Assistant Meteorologist in an officiating capacity for a period of eightynine days with effect from the forenoon of 15-9-76 to 12-12-76.

Shri T. M. Sambamurthy, Officiating Assistant Meteorologist remains posted to the office of the Director, Regional Meteorological Centre, Bombay.

The 19th October 1976

No. E(I)04261.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri B. Gopinatha Rao, Professional Assistant, Office of the Dy. Director General of Observatories (Climatology & Geophysics), Poona, as Assistant Metcorologist for a period of eightynine days with effect from the forenoon of 30-9-76 to 27-12-76.

Shri Gopinatha Rao, Officiating Assistant Meteorologist remains posted to the office of the Dy. Director General of Observatories (Climatology & Geophysics), Poona.

The 20th October 1976

No. E(I)05539.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri J. U. Hingorani, Prof. Assistant, Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi to officiate as Assistant Meteorologist for a period of eightynine days with effect from the forenoon of 15-10-76 to 1-1-77.

Shri Hingorani, Officiating Assistant Meteorologist remains, posted to the Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi.

The 21st October 1976

No. E(I)06736.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri R. K. Bansal, Prof. Assistant, Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi to officiate as Assistant Meteorologist for a period of eightynine days with effect from the forenoon of 15-10-76 to 11-1-77.

Shri Bansal, Officiating Assistant Meteorologist remains posted to the Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi.

No. E(I)04285.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri N. V. Parameswaran, Professional Assistant, Office of the Dy. Director General of Observatories (Climatology & Geophysics), Poona as Assistant Meteorologist for a period of eightynine days with effect from the forenoon on 6-10-76 to 2-1-77.

Shri Parameswaran, Officiating Assistant Meteorologist, remains posted to the office of Dy. Director General of Observatories (Climatology & Geophysics), Poona.

The 25th October 1976

No. E(I)03918.—On attaining the age of superannuation, Shri K. Krishnamurthi Assistant Meteorologist, office of the Dy. Director General of Observatories (Climatology & Geophysics), Poona, India Meteorological Department retired from Govt. service with effect from the afternoon of 31st August 1976.

The 27th October 1976

No. E(I)06560.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri H. C. Mehra, Prof. Assistant, Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi to officiate as Assistant Meteorologist for a period of eightynine days with effect from the forenoon of 15-10-76 to 11-1-77.

Shri Mehra, Officiating Assistant Meteorologist remains posted to the Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi.

No. E(I)05027.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri Chail Behari, Prof. Assistant, office of the Dy. Director General of Observatories (Instruments) New Delhi to officiate as Assistant Meteorologist for a period of eightynine days with effect from the forenoon of 15-10-76 to 11-1-77.

Shri Chail Behari, Officiating Assistant Meteorologists remains posted to the office of the Dy. Director General of Observatories (Instruments), New Delhi.

M. R. N. MANIAN, Meteorologist
for Director General of Observatories.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 16th October 1976

No. A.31014/1/76-EC.—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Technical Officer in a substantive capacity in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department with effect from 1st October, 1976 :—

1. Shri B. N. Kaul
2. Shri M. V. Darbhe
3. Shri O. P. Dixit
4. Shri J. Bhardwaj
5. Shri M. S. Sawhney
6. Shri N. S. Sidhu
7. Shri S. R. Padmanabhan
8. Shri S. K. Nair
9. Shri G. B. Brahme
10. Shri R. K. Sachdeva
11. Shri L. M. Sen
12. Shri G. N. Nair
13. Shri C. R. Sivram
14. Shri K. N. Pandey
15. Shri Srinasachariar Ramaswamy
16. Shri R. R. Sharma
17. Shri P. A. Sastry
18. Shri K. B. Nanda
19. Shri R. V. Israni
20. Shri H. S. Mohan
21. Shri L. R. Goyal
22. Shri R. R. Pai
23. Shri H. S. Bajwa
24. Shri M. Y. Bhat
25. Shri H. S. Grewal
26. Shri K. S. Ratnam

The 18th October 1976

No. A.32013/6/75-EC.—The President is pleased to appoint Shri Baby Verghese, Assistant Communication Officer, Aeronautical Communication Station, Bombay to the grade of Communication Officer on regular basis with effect from the 18th September 1976 (F/N) and until further orders, and to post him in the office of the Regional Controller of Communication, Bombay.

The 25th October 1976

No. A.32013/4/75-EC.—The President is pleased to appoint Shri B. K. Sengupta, Assistant Technical Officer in the Stock-Taking party, office of the Director General of Civil Aviation New Delhi as Technical Officer with effect from the 19th April, 1976 (F/N) until further orders and to post him in the office of the Controller of Communication, Aeronautical Communication Station, Safdarjung Airport, New Delhi.

H. L. KOHLI
Dy. Director (Admn.)

New Delhi, the 13th October 1976

No. A.22012/1/76-EH.—Shri J. Pattabiraman, Director, Radio Construction and Development Units, Civil Aviation Department, New Delhi, died on the 28th September, 1976.

T. S. SRINIVASAN
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 19th October 1976

No. A.12032/16/74-EA.—Shri B. K. Katari, Asstt. Aerodrome Officer on deputation with the International Airports Authority of India, resigned from the post of Assistant Aerodrome Officer in the Civil Aviation Department with effect from the 10th September, 1975.

No. A.32014/1/76-EA.—The Director General of Civil Aviation is pleased to sanction the continued ad-hoc appointment of Shri N. Subramaniam to the post of Asstt. Electrical & Mechanical Officer, Delhi Airport, Palam for a period of six months with effect from the 26th October, 1976 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

V. V. JOHRI
Asistant Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

New Delhi, the 21st October 1976

No. A.31013/1/74-EA.—The President has been pleased to appoint Shri B. Hajra in a substantive capacity in the grade of Deputy Director/Controller of Aerodrome in the Air Routes and Aerodromes Organisation of Civil Aviation Department with effect from the 27th December, 1975.

V. V. JOHRI
Assistant Director of Administration

15—326GI/76

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Allahabad, the 12th October 1976

No. 75/1976.—Shri Nakul Sen Beri, Confirmed inspector (S.G.) of Central Excise, posted in the Central Excise Division Kanpur II of the Central Excise Collectorate, Kanpur and appointed to officiate as Superintendent of Central Excise, Group B until further order in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, *vide* this office Estt. order No. 200/1976 issued under C. No. II(3)56-Et/76 dated 12-8-1976 took over charge of the office of the Superintendent Central Excise M.O.R. Sambhal in the Central Excise Integrated Divisional office Moradabad on 6-9-76 (forenoon) relieving Shri R. C. Mathur Supdt. Central Excise, Integrated Divisional Office Moradabad of the Additional charge.

The 18th October 1976

No. 76/1976.—Shri Mahesh Chandra Khare, Confirmed Inspector (S.G.) of Central Excise, posted in the Central Excise Collectorate, Allahabad and appointed to officiate as Superintendent Central Excise Group B, until further order, in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880 40—1000—EB—40—1200 vide this office Estt. order No. 255/1976 dated 20-9-1976 issued under endt. C No. II(3) 808/Et/62/39188 dated 20-9-1976, assumed charge of the office of the Superintendent Central Excise Group B in the Central Excise Collectorate Hendquarters Office, Allahabad on 21-9-1976 (forenoon).

H. N. RAINA
Collector
Central Excise.

Patna, the 18th October 1976

C. No. II(7)5-ET/75/9383.—In pursuance of Govt. of India, Department of Revenue and Banking, New Delhi's order No. 107/76 dated 8-7-1976 issued under letter F. No. A. 22012/19/76-Ad.II dated 8-7-1976 and this office Estt. order No. 209/76 dated 23-7-76 issued under endt. C. No. II(3)45-ET/75/62430-501 dated 24-7-76, Sri Sreedhar Pd. Inspecting Officer Class-I, Director of Inspection (Customs and Central Excise), North Regional Unit, Allahabad assumed charge as Assistant Collector (Prev.) Customs, Hqrs. Office Patna in the forenoon of 23-8-1976 (F.N.).

C. No. II(7)5-ET/75/9384.—In pursuance of Government of India, Department of Revenue and Banking, New Delhi's order No. 107/76 dated 8-7-76 issued under letter F. No. A.22012/19/76-Ad.II dated 8-7-1976 and this office Estt. order No. 209/76 dated 23-7-76 issued under endt. C. No. II(3)45-ET/75/62430-501 dated 24-7-76 Sri J. P. Pal, Assistant Collector, Customs, Calcutta Collectorate assumed charge as Assistant Collector, Customs, Motihari in the forenoon of 2-8-1976.

H. N. SAHU
Collector, Central Excise.

DIRECTORATE OF INSPECTION, CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 14th October 1976

No. 15/76 C. No. 1092/13/75.—Consequent on his retirement from service, Shri V. Thirumalachari, relinquished charge of the post of Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Group 'B' in the South Regional Unit of the Directorate of Inspection, Customs and Central Excise, at Madras in the afternoon of the 30th September 1976.

No. 16/75/C. No. 1041/45/76.—Shri S. N. Tewari lately *posted as* Superintendent Central Excise Group 'B' in the Central Excise Collectorate, Allahabad, assumed charge as Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Group 'B' in the North Regional Unit of the Directorate of Inspection Customs and Central Excise at Allahabad on 30-9-1976 (Afternoon).

Corrigendum

C. No. 1041/64/76.—Notification No. 13/76 dated 28-9-1976 from the Directorate of Inspection, Customs and Central Excise, New Delhi may please be amended as under :—

For "Central Excise Collectorate, Allahabad".
Read "Central Excise Collectorate, Nagpur".

The 25th October 1976

No. 14/76 C. No. 1041/97/74.—Shri K. D. Math, a permanent Office Supdt. of this Directorate, is appointed to officiate as Assistant Chief Accounts Officer in the Directorate of Inspection, Customs and Central Excise, New Delhi with effect from 16-9-1976 (Afternoon) against a newly sanctioned post.

No. 17/76 C. No. 1041/58/76.—Shri B. N. Phatarpekar, lately posted as Supdt. of Central Excise Group 'B' in Bombay Central Excise Collectorate, assumed charge as Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Group 'B' in the West Regional Unit of the Directorate of Inspection, Customs & Central Excise at Bombay on 13-9-1976 (FN) *vice* Shri R. C. Danials transferred.

S. VENKATARAMAN
Director of Inspection

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-22, the 13th October 1976

No. A-19012/612/75-Adm.V.—Central Water Commission is pleased to appoint Shri Sandeep Saha, Design Assistant as Extra Assistant Director/Assistant Research Officer/Assistant Engineer in the Central Water Commission on a purely temporary and ad-hoc basis in the scale of Rs. 650—30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, with effect from the forenoon of 27th August, 1976 until further orders.

Shri Sandeep Saha assumed charge of the office of Extra Assistant Director/Assistant Research Officer/Assistant Engineer in the Central Water Commission with effect from the above date and time.

The 14th October 1976

No. A-19012/582/76-Adm.V.—Consequent upon his selection by the Union Public Service Commission, the Chairman, Central Water Commission, hereby appoints Shri Bheru Mohanlal Bohra to the post of Assistant Research Officer (Scientific-Physics) at the Central Water and Power Research Station, Pune, Central Water Commission, in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from the forenoon of the 29th September, 1976.

2. Shri Bheru Mohanlal Bohra will be on probation for a period of two years with effect from the same date and time viz. 29-9-1976.

No. A-19012/592/76-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint Shri R. K. Talwar, Supervisor as Extra Assistant Director in the Central Water Commission on a purely temporary and ad-hoc basis in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, with effect from the forenoon of 1st September, 1976 until further orders.

Shri R. K. Talwar assumed charge of the office of Extra Assistant Director in the Central Water Commission with effect from the above date and time.

The 20th October 1976

No. A-12017/6/76-Adm.V.—In continuation of this Commission's Notification No. A-12017/6/76-Adm.V dated 24th March, 1976, the Chairman, Central Water Commission, hereby appoints Shri S. K. Dev, Senior Research Assistant to officiate in the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Physics Group) in the Central Water and Power Research Station, Pune, in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB —35—880—40—1000—EB —40—1200 on a purely temporary and *ad hoc* basis for a further period from 1-9-1976 to 26-10-1976 or till such time Shri P. J. Desai is reverted to the post of Assistant Research Officer (Physics) whichever is ealier.

The 26th October 1976

No. A-19012/618/76-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint Shri K. C. Saha, Supervisor as Extra Assistant Director/Assistant Engineer in the Central Water Commission on a purely temporary and *ad hoc* basis in the scale of Rs. 650—30—740—35—810 EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, with effect from the afternoon of 26th August, 1976, until further orders.

Shri K. C. Saha assumed charge of the office of Extra Assistant Director/Assistant Engineer in the Central Water Commission with effect from the above date and time.

No. A-19012/589/76-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint Shri A. Ranganayaklu, Supervisor as Extra Assistant Director/Assistant Engineer in the Central Water Commission on a purely temporary and *ad hoc* basis in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—12,00 with effect from the forenoon of 10th September, 1976 until further orders.

Shri A. Ranganayaklu, assumed charge of the office of Assistant Director/Assistant Engineer in the Central Water Commission with effect from the above date and time.

JASWANT SINGH
Under Secretary,
for Chairman, C.W. Commission

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 19th October 1976

No. 1/18/69-Adm.IV/ECIX.—On attaining the age of Superannuation, Shri D. D. Bindoo, permanent Senior Architect of this Department will retire from Government service with effect from 31-10-1976(AN).

S. S. P. RAU
Deputy Director of *Administration*
for Engineer-in-Chief

INTEGRAL COACH FACTORY GENERAL MANAGER'S OFFICE PERSONNEL BRANCH/SHELL

Madras-38, the 25th October 1976

No. PB/GG/9/Misc.II.—Sri M. H. Balakrishnan, Officiating Deputy Chief Mechanical Engineer/Designs (J.A.) (ad hoc) has been relieved on the afternoon of 2-9-1976 to carryout his transfer to Southern Railway.

Sri J. Rajan, Section Officer (Class III) has been promoted to officiate in Class II service as Assistant Accounts Officer on ad hoc basis with effect from 24-9-1976.

Sri S. Sankaralingam, Temporary Assistant Electrical Engineer has been promoted to officiate in Senior Scale as Works Manager/Electrical on ad hoc basis from 30-9-1976 A.N.

S. VENKATARAMAN
Deputy Chief Personnel Officer,
For General Manager

CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS

Chittaranjan, the 15th October 1976

No. GMA/GS/8/Med.—The following Doctors of this Administration are confirmed provisionally as Assistant Medical Officer in Class II Service in the cadre of Medical Department of the Chittaranjan Locomotive Works with effect from the date noted against each :

Sl. No.	Name of the officer	Designation of the post against which provisionally confirmed	Date from which provisionally confirmed
1.	Dr. M. K. Mukherjee	AMO/Dental	1-1-66
2.	Dr. A. M. Biswas	AMO/Outdoor	7-2-71
3.	Dr. A.K. Ghosh	AMO/Outdoor	20-5-73

The 20th October 1976

No. GMA/GS/8(Admn.).—Sri S. P. Chatterjee, offg. Senior Personnel Officer, CLW/Chittaranjan who is holding lien in Junior Scale on this Administration is provisionally confirmed in Senior Scale in the cadre of the Administration Department of Chittaranjan Locomotive Works with effect from 9-8-74 (F/N).

K. S. RAMASWAMY
General Manager

N. F. RAILWAY

Pandu, the 13th October 1976

No. E/55/III/97(O).—Shri B. R. Das Gupta is confirmed in Class II service as Assistant Accounts Officer with effect from 4-8-1975.

G. H. KESWANI
General Manager

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION
(DEPARTMENT OF REHABILITATION)
OFFICE OF THE CHIEF MECHANICAL ENGINEER
REHABILITATION RECLAMATION ORGANISATION

Jeypore (Orissa), the 14th October 1976

No. P.3/1.—Shri A. Gopala Rao, Supervisor, Rehabilitation Reclamation Organisation is appointed to officiate as Assistant Engineer (Group 'B' Gazetted) in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on ad hoc basis with effect from the afternoon of 17-9-1976 for a period upto 28-2-1977 or till the post is filled on regular basis whichever is earlier and posted on the rolls of Drilling Sub-Division Rehabilitation Reclamation Organisation with Headquarters at MV-17, Malkangiri, Dist. Koraput (Orissa).

N. SATHYAMURTHY
Operational Engineer

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Assam Canes Limited (in Liquidation)

Shillong, the 29th September 1976

No. 862/560/2416.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Assam Canes Limited (in liquidation) has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

S. K. MANDAL
Registrar of Companies
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura,
Nagaland, Arunachal Pradesh & Mizoram,
Shillong.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Doshi Parekh Industries Pvt. Ltd.

Ahmedabad, the 15th October 1976

No. 1090/560.—Notice is hereby given pursuance to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Doshi Parekh Industries Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

J. C. GATHA
Registrar of Companies
Gujarat.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Standard Agencies (Madras) Pvt. Ltd.

Madras, the 18th October 1976

No. DN/2335/560(3)/76.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560(3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Standard Agencies (Madras) Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Sri Renuka Films Private Limited

Madras, the 18th October 1976

No. 2358/560(3)/76.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Sec. 560(3) of Companies Act 1956 at the expiration of three months from the date hereof the name of Sri Renuka Films Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Muthu Shanmuga Vilas Transport Pvt. Ltd.

Madras, the 18th October 1976

No. DN/4348/560(3)/76.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560(3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Muthu Shanmuga Vilas Transport Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Essential Needs & Supplies Private Limited

Madras, the 18th October 1976

No. DN/4691/560(3)/76.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560(3) of Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Essential Needs & Supplies Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of G. D. Bus Transport Private Limited

Madras, the 19th October 1976

No. DN/3725/560(3)/76.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560(3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of G. D. Bus Transport Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Lalitha Saraswathi Transports Private Ltd. Dindigul

Madras, the 19th October 1976

No. DN/3997/560(3)/76.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Section 560(3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Lalitha Saraswathi Transports Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Seenapuram Roadways Private Limited, Tiruchengode

Madras, the 19th October 1976

No. DN/4663/560(3)/76.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560(3) of Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Seenapuram Roadways Private Limited unles scause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Akhila Ulaga Tamil Ezhuthalar Mandram Private Limited

Madras, the 19th October 1976

No. DN/5256/560(3)/76.—Notice is herbey given pursuant to sub-section (3) of Section 560(3) of Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Akhila Ulaga Tamil Ezuthalar Mandram Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

Sd./ILLEGIBLE
Asst. Registrar of Companies
Tamil Nadu, Madras

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Dharam Kanta Private Limited (in Liqn.)

Kanpur, the 20th October 1976

No. 13179/1156LC.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the Dharam Kanta Private Limited (in Liqn.) has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Dayalbagh Food Products & Cold Storage Pvt. Limited (in Liquidation)

Kanpur, the 20th October 1976

No. 12967/2030LC.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the Dayalbagh Food Products & Cold Storage Pvt. Limited (in Liqn.) has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Muzaffarpur Radhasoami Bank Pvt. Limited (In voluntary Liquidation)

Kanpur, the 20th October 1976

No. 12959/1918LC.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the Muzaffarpur Radhasoami Bank Pvt. Limited (in Voluntary Liquidation) has this day been struck off and the said company is dissolved.

S. NARAYANAN
Registrar of Companies
U.P., Kanpur

New Delhi, the 27th September 1976

No. Liqn/1542/17489.—Whereas M/s. Commodity Credit Corporation Limited (In Liquidation) having its registered office at 31-F, Connaught Place, New Delhi is being wound up;

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that no liquidator is acting and the statement of account u/s 551 (Return)/required to be made by the liquidator have not been made for a period of six consecutive months;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), notice is hereby given that at the expiration of three monts from the date of this notice the name of M/s. Commodity Credit Corporation Limited (In Liquidation) will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the company will be dissolved.

New Delhi, the 27th September 1976

No. Liqn/2973/17491.—Whereas M/s. Vijay Mahalakshmi Motor & General Finance Private Limited (In Liquidation) having its registered office at Syal House, R-548, Shanker Road, New Delhi is being wound up;

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that no liquidator is acting and the statement of account u/s 551 required to be made by the liquidator have not been made for a period of six consecutive months;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 560 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), notice is hereby given that at the expiration of

three months from the date of this notice the name of M/s. Vijay Mahalakshmi Motor & General Finance Private Limited (In Liquidation) will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the company will be dissolved.

New Delhi, the 27th September 1976

No. Liqn/3746/17559.—Whereas M/s. Efficient Chit Fund Private Limited (In Liquidation) having its registered office at 2/71, Ramesh Nagar, Single Storey, New Delhi, is being wound up;

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that no liquidator is acting and the statement of account u/s 551 required to be made by the liquidator have not been made for a period of six consecutive months;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of M/s. Efficient Chit Fund Private Limited (In Liquidation) will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the company will be dissolved.

New Delhi, the 27th September 1976

No. Liqn/1547/17562.—Whereas, M/s. Film Production & Finance Corporation Limited, (In Liquidation) having its registered office at F-Block, Connaught Place, New Delhi, is being wound up;

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that no liquidator is acting and the statement of account u/s 551 required to be made by the liquidator have not been made for a period of six consecutive months;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of M/s. Film Production & Finance Corporation Limited (In Liquidation) will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the company will be dissolved.

H. S. SHARMA
Asst. Registrar of Companies
Delhi & Haryana

OFFICE OF THE INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-2, the 25th October 1976

No. F. 48-Ad(AT)/76-P.II.—Shri M. M. Prasad, Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay who was continued to officiate on ad-hoc basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal Cuttack Bench, Cuttack upto 30-9-1976 vide this office Notification No. F. 48-Ad(AT)/76, dated 14th April, 1976 is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Cuttack Bench, Cuttack on ad-hoc basis for a further period of six months from 1-10-1976 to 31-3-1977 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

HARNAM SHANKAR
President.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-1

Bangalore-1, the 11th October 1976

C.R. No. 62/5835/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, M. HARIHARAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land and buildings bearing Municipal Khata No. K.T. 1 (S. No. 903), together with Factory building and ancillary buildings situated at Bannur Road, Mandya,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Mandya, Document No. 5102/75-76 on 18-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri M. R. Srinivasan,
Mandya Saw Mills, Mandya.
(Transferor)

(2) M/s Mandya Engineering Company Pvt. Ltd.,
Bannur Road, Mandya,
Represented by the Director of the Company
Shri M. R. Srinivasan.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 5102/75-76 dated 18-2-76]

Land and buildings bearing Municipal Khata No. K.T. 1 (S. No. 903) together with Factory building and ancillary buildings, Bannur Road, Mandya.

Site Areas
North=472 ft.
South=380 ft.
East to West=160 ft.
} yards.
68,160 Sq. ft. or 7573.33 Sq.

Plinth : 9202
2610
238
1250 Sq. ft.

Boundaries :
East=Private Property
West=Road
North=Road, and
South=Land and property bearing Municipal Khata No. 2 belonging to the Vendor.

M. HARIHARAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 11-10-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-1

Bangalore-1, the 8th October 1976

C.R. No. 62/5867/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, M. HARIHARAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act).
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Vacant Industrial site bearing Municipal No. 275, situated at Byatarayanapura (Division No. 24), Bangalore. (Facing off Bangalore Mysore Road)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer at
Basavanagudi, Bangalore, Document No. 3527/75-76 on 10-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri H. S. Ranganna, S/o Hoodigere Subbanna
2. Shri R. Nagendranath, S/o H. S. Ranganna
Both R/o No. 38, II Main Road, N. R. Colony, Bangalore City.
3. Smt. D. G. Lalitha Giri, W/o D. V. Giri
4. Smt. R. Padma, D/o H. S. Ranganna
No. 3 & 4 are residing at Idikki Colony, Ernakulam, Kerala State.
No. 3 & 4 being represented by their father and G.P. holder Shri H. S. Ranganna.

(Transferor)

(2) M/s. Ramachandra Pesticides (P) Ltd.,
Registered office No. 23, 4th Main Road,
New Tharagupet, Bangalore-560-002
Represented by its Managing Director
Sri N. S. Anjaiah Setty.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 3527/75-76 Dated 10-2-76]

Vacant industrial site bearing Municipal No. 275, Byatarayanapura (Division No. 24), Bangalore (Facing of Bangalore Road)

Site Area :
East to West=247 ft.
North=390 ft. and
South=315 ft.
8092.48 Sq. meters (Two acres)

Boundaries :
East : Land of Sri L. Muniyappa
West : C.I.T.B. Road
North : Remaining portion of the Corporation No. 275 and
South : No. 275/3 of Mrs. C. S. Nagalakshmi W/o Sri D. Gundu Rao.

M. HARIHARAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 8-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE BANGALORE-1

Bangalore-1, the 13th October 1976

C.R. No. 62/5871/75-76/Acq./B.—Whereas, I, M. HARIHARAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing old
No. 77 and New No. 21, situated at Dr. D. V. Gundappa Road, (Nagassandra Road), Basavanagudi, Bangalore-4, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Basavanagudi, Bangalore Document No. 3571/75-76 on 13-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri C. Kumaraswami, s/o Late Sri C. Chandrasekhara Iyer, No. 21, Dr. D. V. Gundappa Road, Basavanagudi, Bangalore-4.
(Transferor)

(2) Shri K. P. Sampathraj Ranka, s/o Sri Prithvi Raj, No. 14, Dr. D. V. Gundappa Road, Basavanagudi, Bangalore-4.
(Transferee)

(3) 1. Shri Narayana Rao
2. Venkata Rao
House
3. Mallikarjuna Stores and
4. Nanjangud Vaidyashala Depot
[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 3571/75-76 Dated 13-2-1976)

All that piece and parcel of land together with the construction thereon bearing Municipal No. 21, (old No. 77) situated in Dr. D. V. Gundappa Road (Nagasandra Road) Basavanagudi, Bangalore-4 (Corporation Division No. 29), consisting of two shops 3½ squares built 15 years ago on the Dr. D. V. G. Road, and a narrow passage of 2.9×24 ft. from Dr. D. V. Gundappa Road to an old house of 40 squares behind these two shops, the house built some 70 years ago with old Madras terace and tiled roof with water, light and underground connections and a well in the rear portion in a site measuring 85' East to West and 81' North to South plus on the West of the building North to South 34' and East to West 27' wherein two shops with R.C.C. roofing have been built and the entrance passage is situated is bounded on the :—

North : Sri S. A. Parameswaraiah's house.
South : Narasimha Somayaji's house.
East : Narasimhaiah's house and
West : Dr. D. V. G. Road, (Nagasandra Road).

M. HARIHARAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bangalore-1

Date : 13-10-1976.
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-1

Bangalore-1, the 12th October 1976

C.R. No. 62/6201/75-76/Acq./B.—Whereas, I. M. HARIHARAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B
of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter
referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Old hotel building attached old buildings and vacant sites bearing Municipal D. Nos. 2242/- A1, A2, A3 and A4 (As per Copy of the sale deed) or D. Nos. 2224, A1, A2, A3 and A4 (As per Form No. 37-G) 'A' Division, Channapatna Town, Channapatna Taluk, situated at Bangalore District,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registreing Officer at
Channapatna, Document No. 4081/75-76 on 21-3-1976
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

16—326GI76

(1) 1. Shrimati Puttaveeramma, w/o Late N. S. Appajappa,
2. Sri N. A. Subramanyamurthy s/o Late N. S. Appajappa,
3. Smt. Vasanthamma, w/o Sri N. A. Subramanyamurthy, M. G. Road, Channapatna Town, Channapatna Taluk, Bangalore Dist.

(Transferor)

(2) Shri N. A. Shanthappa, s/o Late N. S. Appajappa, M. G. Road, Channapatna Town, Channapatna Taluk Bangalore Distt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said Immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 4081/75-76 Dated 21-3-76)

Old hotel building, attached old building and vacant sites bearing Municipal D. Nos. 2242/- A1, A2, A3 and A4 (as per copy of the sale deed) or D. Nos. 2224, 2224, A1, A2, A3 and A4 (as per form No. 37-G) 'A' Division, Channapatna Town, Channapatna Taluk, Bangalore District.

Site Area :—East to West=45½'
North to South=110'.

Boundaries :

East : Shop-*cum*-house belonging to Smt. Nagavenamma,
West : House belonging to Smt. Honnamma, w/o G. Devappa,
North : M. G. Road and
South : Houses and vacant sites belonging to the Vendee.

M. HARIHARAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 12-10-76.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 5th October 1976

P.R. No. 477Acq.23-827/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Allahabad,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
D. Tika No. 1-5, Sur. No. 3 : 1B paiki of Vadodara Kasba situated at Fatch Ganj, Opp. Shehal Apartments, Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda in Feb., 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Jayantrao Ganpatrao Nimbalker;
Fateh Ganj, Baroda.
2. Smt. Nirmalabai Yashvantrao Nimbalker;
Shivaji Park, Bombay.
Power of Attorney Holder;
Shri Jayantilal Ganpatrao Nimbalker;
Fatehganj, Baroda.

(Transferor)

(2) Smt. Hasmukhben Kanubhai Shah;
Ashok Colony, R. V. Desai Road, Baroda.
(At present : Fatch Ganj, Biren Super Market, Opp. Snehal Apartments, Baroda).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing D. Tika No. 1-5 S. No. 3 : 1, B Paiki of Vadodara Kasba, situated at Fatch Ganj, Opp. Snehal Apartments, Baroda admeasuring 6325 sq. ft. as described in the sale deed registered under registration No. 690 in the month of February, 1976 by the registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 5-10-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 8th October 1976

Ref. No. P.R. No. 478/Acq./23-873/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sur. No. 532/60, Plot No. 59 situated at Viswas Colony, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Baroda on 17-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Jayantilal Laxmichand Shah;
2. Smt. Ushaben Jayantilal Shah;
401, Mangal Kunj, Mount Pleasant Road, Bombay-6.

(Transferor)

(1) 1. Shri Anilkumar Pannalal Shah;
2. Shri Vijaykumar Pannalal Shah;
73, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Bharat Bhavan, 1st Floor, Kings Circle, Bombay-19.
3. Shri Rajendrakumar Shantilal Shah;
4. Kumar Shantilal Shah;
1303, Narayan Place;
16, Narayan Dabhalkar Road,
Opp. Napean Sea Road,
Bombay-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Open and vacant land plot of land bearing Sur. No. 532/60, Plot No. 59 situated at Sayaji Ganj Division, Baroda, admeasuring 6857.6 sq. ft. as described in the sale-deed registered under registration No. 1509 in the month of Feb., 1976 by the registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 8-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 8th October 1976

Ref. No. P.R. No. 479/Acq./23-687/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
One flat No. 5D situated at Alkapuri Shopping Centre, Vishwas Colony, R. C. Road, Baroda-5
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registering Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Baroda on 12-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. A. M. Patel & Co.
405, Yashkamal Bldg., Stn. Road,
Baroda-5.
(Transferor)

(2) Miss Nalini K. Panikar,
40/473, Gujarat Housing Board Colony,
Ajwa Road, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property being Flat No. 5D situated at Alkapuri Shopping Centre, Viswas Colony, R. C. Road, Baroda admeasuring 1120 sq. ft. as described in the sale deed registered under registration No. 1421 in the month of Feb., 1976 by the registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th October 1976

Ref. No. P.R. No. 480/Acq./23-874/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
one flat No. 4-A situated at Alkapuri Shopping Centre, Vishwas Colony, R. C. Road, Baroda-5
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda on 13-2-1976
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. A. M. Patel & Co.,
205, Yashkamal Bldg., Station Road,
Baroda-5.

(Transferor)

(2) Shri Manmohan N. Dalal,
Pratapnagar Railway Colony,
Baroda-7.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property being Flat No. 4-A, situated at Alkapuri Shopping Centre, Vishwas Colony, R. C. Road, Baroda admeasuring 1120 sq. ft. as described in the sale deed registered under registration No. 1446 in the month of Feb., 1976 by registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th October 1976

Ref. No. P.R. No. 481/Acq./23-875/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
One flat No. 6-B situated at Alkapur Shopping Centre, R. C. Road, Baroda-5
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 9-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. A. M. Patel & Co.,
205, Yashkamal Bldg., Station Road,
Baroda-5.
(Transferor)

(2) Shri Hasmukhbhai Sukhlal Turakhia,
6, Arunodaya Society, Baroda-5.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property being (Flat No. 6-B) situated at Alkapuri Shopping Centre, Vishwas Colony, R. C. Road, Baroda admeasuring 1120 sq. ft. as described in the sale deed registered under registration No. 1342 in the month of February, 1976 by the registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th October 1976

Ref. No. P.R. No. 482/Acq./23/876/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
One flat of 5 roms, 1st floor situated at Vishwas Colony, R. C. Road, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 5-2-1976
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. A. M. Patel & Co.,
205, Yashkamal Bldg., Station Road,
Baroda.

(Transferor)

(2) Smt. Surbhi Tushar Shah,
C/o K. T. Doctor,
72, Urmi Society, Jetalpur Road,
Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property being a flat D on 1st floor, situated at Alkapuri Shopping Centre, Vishwas Colony, R. C. Road, Baroda admeasuring 1120 sq. ft. as described in the sale deed registered under Registration No. 1107 in the month of Feb., 1976 by the registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF IND'A

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th October 1976

Ref. No. P.R. No. 483/Acq./23-877/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. one Flat of 5 rooms, 1st floor, situated at Vishwas Colony, R. C. Road, Baroda
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Baroda on 5-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market
value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. A. M. Patel & Co.,
205, Yashkamal Bldg., Station Road,
Baroda.

(Transferor)

(2) Shri Ramanbhai Chhaganlal Patel; C/o A. S. Patel,
36, Rajendra Society, Lal-Baug Road, Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property being Flat 1-C on 1st floor situated at Alkapuri Shopping Centre, Viswas Colony, R. C. Road Baroda, admeasuring 1120 sq. ft. as described in the sale deed registered under Registration No. 1106 in the month of February 1976 by the registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 14th October 1976

Ref. No. P.R. No. 484/Acq./23-878/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the competent authority under section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
one flat of 5 rooms, 1st floor, situated at Vishwas Colony, R. C. Road, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 5-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

17—326GI/76

(1) M/s A. M. Patel & Co. 205, Yashkamal Bldg. Stn. Road, Baroda.

(Transferor)

(2) Shri Kumudkant Tapidas Doctor, 72, Urmi Society, Jetalpur Road, Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property being a flat on 1st Floor, situated at Alkapuri Shopping Centre, Vishwas Colony, R. C. Road, Baroda admeasuring 1120 sq. ft. as described in the sale deed registeed under registration No. 1105 in the month of February 1976 by the registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th October 1976

Ref. No. P.R. No. 485-Acq.23-879/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Sur. No. 45, Plot No. 1 of Jetalpur Village, situated at Race Course Circle, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer at Baroda on 5-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Rasiklal Dahyabhai Amin; (ii) Shri Kiritkumar Rasiklal Amin, Near Milan Society, R. C. Road, Baroda.

(Transferor)

(2) Smt. Chanchalben Khushalbhai Patel Miami building, 8th Floor, Bhulabhai Desai Road, Bombay-26.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter, XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 45, Plot No. 1 of Jetalpur Village, Tal. Baroda situated at Race Course Circle, Baroda admeasuring 10419 sq. ft. as described in the sale-deed registered under registration No. 433 in the month of February, 1976 by the registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th October 1976

Ref. No. P.R. No. 486/Acq./23-852/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Nondh No. 1939, Ward No. 2, Plot No. 4, situated at behind Mahadevnagar Society, Majura Gate, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 5-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Prabhavatiben Wd/of Babubhai Rupchand Solanki & others.

(Transferor)

(2) Shri Ramanlal Dahyabhai Pandya, 1/1085, "Sad Guru Smruti", Bhobi Sheri, Nanpura, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Nondh No. 1939, Ward No. 2, Plot No. 4, situated behind Mahadevnagar Society, Majura Gate, Surat admeasuring 512 sq. yds. as described in the sale deed registered under registration No. 1188 in the month of February 1976 by the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 14th October 1976

Ref. No. P.R. No. 487/Acq./23-839/19-8/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 1939 Ward No. 2, Plot No. 2, situated at behind Mahadevnagar Society, Majura Gate, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat in Feb., 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Prabhavatiben Wd/of Babubhai Rupchand Solanki, Power of Attorney Holder Bharat Babubhai Solanki, Lal Gate, Main Road, Surat.
(Transferor)

(2) Shri Shankerbhai Dayaram Patel, Unapani Road Moti Raghavji Compound, Lal Darwaja, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Nondh No. 1939, Ward No. 2, paiki Plot No. 2, situated behind Mahadevnagar Society, Majura Gate, Surat, admeasuring 512 sq. yds. as described in the sale deed registered under registration No. 1190 in the month of February 1976 by the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th October 1976

Ref. No. P.R. No. 488/Acq./23-880/19-8/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the competent authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 1939, Ward No. 2, situated at behind Mahadevnagar Society, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 5-2-1976
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Prabhavati Wd/of Babubhai Rupchand Solanki, Nanavati, Main Road, Near Lal Gate, Surat.
(Transferor)

(2) Shri Kantilal Chhaganbhai Patel, 85, Sadhana Society, Varachha Road, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersinged—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Nondh No. 1939, Ward No. 2 paiki situated behind Mahadevnagar Society, Surat, admeasuring 512 sq. yds. as described in the sale deed registered under registration No. 1189 in the month of February 1976 by the Registering Officer, Surat.

P.N.MITTAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA-16.

Calcutta-16, the 7th October 1976

Ref. No. TR-293/C-291/CAL-1/75-76.—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 24 (Flat No. 4B), situated at Park Street, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Govt. Place North, Calcutta 7-2-76, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Calcutta Credit Corporation Ltd.

(Transferee)

(2) Shri Babulal Shroff.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4th share of 2800 sqft. Approx. of flat No. 4B, on 4th floor at 24, Park Street, Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Dated : 7-10-76.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th October 1976

Ref. No. P.R. No. 490/Acq./23-882/19-8/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Nondh No. 1939, Ward No. 2, situated at Behind Mahadevnagar Society, Majura Gate, Surat (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 5-2-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Prabhavati Wd/of Balubhai Rupchand Solanki Power of Attorney Holder; Shri Bharatkumar Balubhai Solanki, Lal Gate, Nanavat, Main Road, Surat.

(Transferor)

(2) Shri Ishverlal Prabhudas Patel; At Bhamaiya, Tal. Bardoli, Dist. Surat.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Nondh No. 1939, Ward No. 2, situated behind Mahadevnagar Society, Surat admeasuring 512 sq. yds. as described in the sale deed registered under registration No. 1191 in the mohth of February 1976 by the registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 14th October 1976

I, P. N. MITTAL,

Ref. No. P.R. No. 491/Acq./23-883/19-8/75-76.—Whereas, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Nondh No. 1939, Ward No. 2, situated at Behind Mahadevnagar Society, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Surat on 5-2-1976
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Prabhavati Wd/of Balubhai Rupchand Solanki Power of Attorney Holder; Shri Bharat Kumar Balubhai Solanki, Nanavat, Main Road, Nr. Lal Gate, Surat.

(Transferor)

(2) 1. Shri Harshadbhai Jaikishandas Shah;
2. Shri Ishverlal Chhotubhai Shah;
3. Shri Bhartiben Chandrakant Shah;
4. Shri Lalbhai Hiralal Shah.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Nondh No. 1939, Ward No. 2, situated behind Mahadevnagar Society, Surat admeasuring 480 sq. yds. as described in the sale deed registered under registration No. 1192, in the month of February 1976 by the registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 14-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 19th October 1976

Ref. No. 2836/75-76.—Whereas, I, S. RAJARATHNAM, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
T.S. Nos. 391/1 Part & 393/1 Part, Sanganoor village, Coimbatore [S.R.P. Nagar, Coimbatore]
(and more fully described in the Schedule annexed hereto has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at JSR I Coimbatore (Doc. No. 591/76) on February, 1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri N. Nataraj,
S/o Shri K. Narayana Gowder,
No. 55, Ponnurangam Road,
R.S. Puram, Moimbatore-2. (Transferor)

(2) Shri R. M. Vellaiyan and
Smt. Thirupurasundari
Ramalingam Road,
R. S. Puram, Coimbatore-2. (Transferee)

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 17383 Sq. ft. (with unfinished building) situated at S.R. Nagar, Coimbatore (T.S. Nos. 391/1 Part & 393/1 Part, Sanganoor village, Coimbatore).

S. RAJARATNAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 19-10-76
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 21st October 1976

Ref. No. F. 5091/75-76.—Whereas, I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing
No. 8, Ormes Road, Madras-10, situated at R.S. No. 3115 (Plot No. C-2) 4533 Sq. ft. of vacant land,
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Puraswakkam (Doc. No. 291) on 26-2-1976,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Mrs. T. Bhrrathi,
W/o Shri A. C. Thrilogachander,
No. 1/16-B, Ormes Road, Kilpauk,
Madras-10.

(Transferor)

(2) Shri Rajmohan,
S/o Shri Thulasi Ayyah Kajathil Venrar,
No. 5, Rajarathnam Street, Kilpauk,
Madras-10.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land admeasuring 4533 Sq. ft. and bearing Door No. 8, Ormes Road, Madras-10.

(Plot No. C-2; R. S. No. 3115 of Purasawakkam).

S. RAJARATNAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 21-10-76.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 21st October 1976

Ref. No. F. 5091/75-76.—Whereas, I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 8, Ormes Road, situated at Madras-10 (525 Sq. ft. of vacant land) Plot No. C-2; R.S. No. 3115 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 1908) in the office of the Registering officer at Purasawakkam (Doc. No. 292) on 26-2-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. T. Bharathi
W/o Shri A. C. Thirilogachandar
No. 1/16-B, Ormes Road,
Kilpauk, Madras-10.
(Transferor)

(2) Shri R. Shanthamohah,
S/o Shri R. Rajmohan,
No. 5, Rajarathnam Street,
Kilpauk, Madras-10.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land admeasuring 4525 Sq. ft. (with well) and bearing Door No. 8, Ormes Road, Madras-10 (Plot No. C-2, R.S. No. 3115 of Puraswakkam).

S. RAJARATNAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 21-10-76.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 21st October 1976

Ref. No. 5104/75-76.—Whereas, I, S. RAJARATNAM, being the Competent Authority Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing R. S. No. 12 (Part), situated at Besant Avenue Road, Urur village, Saidapet, Madras (3.4 grounds of vacant land) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at JSR I Madras North (Doc. No. 1082/76) on 25-2-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. V. Saraswathi,
W/o Shri S. Viswanathan,
No. 42 Pelathope, Mylapore,
Madras-4.

(Transferor)

(2) Smt. Lakshmi,
11-B, Seethamma Road,
Alwarpet, Madras-600 918.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land admeasuring 3.4 grounds and bearing Plot No. 17 in Layout 109/63, Patta No. 59, R.S. No. 12 (Part), Besant Avenue Road, Urur Village, Saidapet Tluk, Madras.

S. RAJARATNAM,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 21-10-76.

Seal

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 25th October 1976

Ref. No. 29/MAR/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that
the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 238/2 & 3 situated Kakkaveri, Rasipuram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Rasipuram (Doc. No. 295/76) on March, 1976,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1975);

Now, theefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. 1. Sundara Gounder,
2. Arulraj (minor) by father & guardian Shri Sundara Gounder
3. Anthoniuthu &
4. Selvaraj,
Uppathukkadu, Koneripatti Post,
Attur taluk.
(Transferor)

(2) Smt. Kulandai Therasu,
W/o Shri C. Lurdusamy,
No. 6, Kattur Thattankuttain Road,
Rasipuram town, Rasipuram taluk.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands with buildings at Kakkaveri village, Rasipuram taluk, Salem Dt., as shown below :

Survey No. 238/2 : A Acres & 95 cents with one well and 3 HP motor pumpset;
Survey No. 238/3 : Undivided half share of 6 cents.

3/8th share in well and coconut trees.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 25-10-76.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 25th October 1976

Ref. No. 79/MAR/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 78, situated at Gnanagiri Road, Sivakasi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sivakasi (Doc. No. 573/76) on March 1976,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. Sethuraj,
S/o A. Ramasami Nadar,
No. 78, Gnanagiri Road, Sivakasi.

(Transferee)

(1) 1. Smt. Arputha Selvam,
2. Shri Athisayaraj (minor by mother & guardian Smt. Arputha Selvam,
3. Shri Kirubakaram,
No. 78, Gnanagiri Road, Sivakasi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3600 sq. ft. with building thereon at door No. 78, Gnanagiri Road, Sivakasi, (Survey No. 566).

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 25-10-76.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 25th October 1976

Ref. No. 24/MAR/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'Said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 365/9 & 10 & 377/4, situated at Anangoor village,
Sleem district
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Tiruchengode (Doc. No. 350/76) on March, 1976
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) MIs. Chinnamuthu & Rajamanickam,
Vellanallampalayam, Anangnoor,
Tiruchengode taluk.

(Transferor)

(2) Shri Komarasamy Gounder,
S/o Palani Gounder,
Panankattupalayam, Devanankuruchi,
village, Tiruchengode taluk.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 5.40 ½ Acres in survey Nos. 365/9 (1.15 acres), 365/10 (2.86 acres) and 377/4 (1.39 1/3 acres) with trees in Anangoor village, Tiruchengode taluk.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 25-10-76.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 25th October 1976

Ref. No. 25/MAR/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 365/1 to 4, 6 & 8 situated at Anangoor village (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Tiruchengode (Doc. No. 351/76) on March, 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Chinnamuthu & Rajamanickam, Vellanallampalayam, Anangnoor, Tiruchengode taluk.

(Transferor)

(2) Smt. Pavayee Ammal, W/o Komarasamy Gounder, Panankattupalyam, Devanankuruchi village P.O. Tiruchengode.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 4.81 acres in Anangoor village, Tiruchengode taluk as shown below (with trees) :

Survey No. 365/1 1.39 Acres
Survey No. 365/2 0.77 Acres
Survey No. 365/3 0.86 Acres
Survey No. 365/4 0.58 Acres
Survey No. 365/6 0.38 Acres
Survey No. 365/8 0.83 Acres
Total 4.81 Acres.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 25-10-76.
Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 25th October 1976

Ref. No. 50/MARCH/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the competent authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. T.S. No. 267/2, situated at Tirukovilur Road, Thiruvannamalai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Thiruvannamalai (Doc. No. 208/76) on March 1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such aparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

19—326GI/76

(1) Smt. Sivakami Ammal & Smt. Amrithammal, No. 9, Venugopalaswamy Street, Tirupathur.

(Transferor)

(2) M/s. S. Annamalai, A Krishnamurthy & A. Kannan, Pachiammal Stores, Vahapuram, Sangam taluk.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2.16 acres with building thereon at door No. 31 (T.S. No. 267/2), Thirukovilur Road, Thiruvannamalai.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 25-10-76.
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 26th October 1976

Ref. No. 54/MARCH/75-76.—Whereas, I,
G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
368/4, 370, 432 & 433, situated at Ermappalayam village, Salemd district,
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Salem East (Doc. No. 642/76) on 25-3-1976,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Zainab Beevi,
W/o Shri Mohamed Ibrahim,
No. 34, Pochin Road, Salem-1.
(Transferor)

(2) Shri M. Appavu,
S/o.A. Muthu Gounder,
S/o.A. Muthu Gounder,
Dadagapatti village,
Salem district.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 4.46-2/3 Acres in R. S. Nos. 368/4 (0.78-2/3 acres), 370 (231-1/3 acres) 432 (0.87-1/3 Acres) and 433 (0.49-1/3rd share in 2 wells, 1 oil-engine pumpset and farmhouse).

G. RAMANATHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 26-10-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 26th October 1976

Ref. No. 55/MAR/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 368/4, 370, 432 & 433 ,situated at Eumappalayam village, Salemd district, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Salem East (Doc. No. 643/76) on 25-3-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) faciliating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

(1) Smt. Zainab Beevi,
W/o Shri Mohamed Ibrahim,
No. 34, Pochin Road, Salem-1.

(Transferor)

(2) Shri M. Rangasamy,
S/o Muthu Gounder,
Dadagapatti village,
Salem district.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 4.46-2/3 Acres in R. S. Nos. 368/4 (0.78-2/3 acres), 370 (2.31-1/3 acres) 432 (0.87-1/3 Acres) and 433 (0.49-1/3rd share in 2 wells, 1 oil-engine pumpset and farmhouse).

G. RAMANATHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 26-10-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 26th October 1976

Ref. No. 56/MAR/75-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 368/4, 370, 432 & 433, situated at Erumappalayam village, Salemd district, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Salem East (Doc. No. 644/76) on 25-3-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269C of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Smt. Zainab Beevi,
W/o Shri Mohamed Ibrahim,
No. 34, Pochin Road, Salem-1.

(Transferor)

(2) M/s. 1. Chinna Gounder,
2. C. Raja Gounder &
3. C. Ramasamy Gounder,
Velanhampalayam, Paruthipalli village,
Tiruchengode taluk.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 4.46½ Acres in R. S. Nos. 368/4 (0.78-½ acres), 370 (2.31-½ acres), 432 (0.87-½ Acres) and 433 (0.49) ½ acres) in Erumappalayam village, Salem (with ⅓rd share in 2 wells, 1 oil-engine pumpset and farmhouse).

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 26-10-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 27th October 1976

Ref No. 65/MAR/75-76.—Whereas, I,
G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 302, 303 & 304, situated at Perunmapattu, North Arcot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of Tirupathur (Doc. No. 571/76) on March 1976,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

(1) Smt. Muniammal,
W/o late V. Athinarayana Chettiar,
No. 16, Kutcheri Street,
Tirupathur, North Arcot Dt.

(Transferor)

(2) Shri P. M. M. Nandagopal,
No. 7, Bharathi Road,
Tirupathur, North Arcot Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersinged :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 6.94 acres in survey Nos. 302 (2.16 acres), 303 (2.20 acres) and 304 (2.58 acres) in Perumpattu village, North Arcot district.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 27-10-1976.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD(PATNA

Patna, the 21st October 1976

Ref. No. III-216/Acq./76-77/2086.—Whereas, I, A. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. Plot No. 180 situated at Rajendranagar
Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Patna on 26-3-76
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sheo Narain Singh S/o Sri Yogendra Narain Singh of Pataliputrapath, Rajendra Nagar, Patna-16.
(Transferor)

(2) Shri Moti Lal Khetan S/o Sri Prayag Narain Khetan of Chouk, Patna City.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land with building area 862-57 sq. yards at Pataliputrapath, Rajendra Nagar, Patna-16, Plot No. 180 as described in deed No. 1811, dated 26-3-76.

A. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar,
Patna.

Date : 21-10-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BIHAR

BORING CANAL ROAD(PATNA

Patna, the 21st October 1976

Ref. No. III-217/Acq/76-77/1287.—Whereas, I, A. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H. No. 853/854 situated at Main Road, Ranchi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ranchi on 18-3-76
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nitai Krishna Sarbadhikari s/o Dr. D. C. Sarbadhikari, At Sudha Sindhu Gopal Ballabh Road, Balukand, Town Puri, P.O./Distt. Puri, (Orissa).
(Transferor)

(2) Shri Kishore V. Patel s/o V. D] Patel, Mrs. Hansa G. Patel W/o G. V. Patel of Main Road, Ranchi.
(Transferee)

(3) Gujarat Hotel, Main Road, Ranchi.
(Person in occupation of the property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land with house area 2 k. 3 dhwe at MainRoad, Ranchi, L. No. II, H. No. 853/854 as described in Deed No. 3583, dated 18-3-76.

A. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar,
Patna.

Date : 21-10-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BIHAR BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna, the 21st October 1976

Ref. No. III-218/Acq/76-77/2088.—Whereas, I, A. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. H. No. 856, 857, situated at Main Road, Ranchi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ranchi on 18-3-76
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nitai Krishna Sarbedhikari s/o Dr. D. C. Sarbadhikari, At Sudha Sindhu Gopal Ballabh Road, Balukand, Town Puri, P.O./Distt. Puri, (Orissa).
(Transferor)

(2) S/Shri Gunwant V. Patel, Bharat V. Patel sons of Sri V. D. Patel of Main, Ranchi.
(Tansferee)

(3) Gujarat Hotel, Main Road, Ranchi.
(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land with house area 2 K. 2 dhwe at Main Road, Ranchi L. No. II, H. No. 856, 857 as described in Deed No. 3582, dated 18-3-76.

A. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar,
Patna.

Date : 21-10-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna, the 21st October 1976

Ref. No. III-219/Acq/76-77/2089.—Whereas, I, A. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H. No. 858, situated at Main Road, Ranchi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ranchi on 18-3-76
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Nitai Krishna Sarbadhikari s/o Dr. D. C. Sarbadhikari, At Sudha Sindhu Gopal Ballabh Road, Balukand, Town Puri, P.O./Distt. Puri, (Orissa).
(Transferor)

(2) Shri Jaisukh V. Patel s/o Sri V. D. Patel of Main Road, Ranchi.
(Transferee)

(3) Gujarat Hotel, Main Road, Ranchi.
(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land with house area 7 Katha at Main Road, Ranchi, W. No. II, H. No. 858 described in Deed No. 3580 dated 18-3-76.

A. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar,
Patna.

Date : 21-10-76
Seal ;

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL RAOD, PATNA

Patna, the 21st October 1976

Ref. No. III-220/Acq/76-77/2090.—Whereas, I, A. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H. No. 858 situated at Main Road Ranchi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering
Ranchi on 18-3-76
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 369D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nitai Krishna Sarbadhikari s/o Dr. D. C. Sarbandhikari, At Sudha Sindu Gopal Ballabh Road, Balukand, Town Puri, P.O./Distt. Puri, (Orissa).
(Transferors)

(2) Shri Vinod K. Patel S/o Sri Kurji Bhai Patel of Main Road, Ranchi.
(Transferee)

(3) Gujarat Hotel, Main Road, Ranchi.
(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land with house area 2 K. 17 dhwe at Main Road, Ranchi W. No. II H., No. 858 as described in Deed No. 3585 dated 18-3-76.

A. K. SINHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar,
Patna.

Date : 21-10-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BIHAR BORING CANAL RAOD, PATNA

Patna, the 21st October 1976

Ref. No. III-221/Acq/76-77/2091.—Whereas, I, A. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H. No. 853/858 situated at Old Commissioner's Compound, Ranchi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 1908) in the office of the Registering Officer at
Ranchi on 18-3-76
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apprent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Nitai Krishna Sarbadhikari s/o Dr. D. C. Sarbadhikari, At Sudha Sindhu Gopal Ballabh Road, Balukand, Town Puri, P.O./Distt. Puri, (Orissa).

(Transferor)

(2) M/s. The Republic Pvt. Ltd. At Main Road, Ranchi, Through Sri Rajendra Prasad Budhia (Director).

(Transferee)

(3) Gujarat Hotel, Main Road, Ranchi.

(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires letter :—

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Land with building area 12 K. 18 dhwe at old Commissioner's Compound, Ranchi, W. No. II, H. No. 853/858 as described in Deed No. 3581 dated 18-3-76.

A. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bihar,
Patna.

Date : 21-10-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BIHAR BORING CANAL RAOD, PATNA

Patna, the 21st October 1976

Ref. No. III-222/Acq/76-77/2092.—Whereas, I, A. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. H. No. 858, situated at Main Road, Ranchi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ranchi on 18-3-76
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisitions of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :

(1) Shri Nitai Krishna Sarbadhikari s/o Dr. D. C. Sarbadhikari, At Sudha Sindhu Gopal Ballabh Road, Balukand, Town Puri, P.O./Distt. Puri, (Orissa).
(Transferor)

(2) Shri Mohan J. Patel s/o Sri Jaga Patel of Main Road, Ranchi.
(Transferee)

(3) Gujarat Hotel, Main Road, Ranchi.
(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land with house area 3 Katha at Main Road, Ranchi W. No. II, H. No. 858 as described in Deed No. 3584 dated 18-3-76.

A. K. SINHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bihar,
Patna.

Date : 21-10-76
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
SMT. KGMP AYURVEDICK HOSPITAL BUILDING
NETAJI ROAD,
BOMBAY-400 002

Bombay-400 002, the 19th October 1976

Ref. No. A.R.II/2095-2/Feb.76.—Whereas, I, M. J. MATHAN,
being the competent authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 37 Plot No. 3 & 3/1 H. No. 4 (pt/C.T.S. No. 564/1 situated at Juhu
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on 14-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Yashdhir Hotels Ltd.

(Transferor)

(2) Sea King Club Pvt. Ltd.

(Transferee)

(3) (1) Shri Dipchan Mohanlal Shah, (2) Chandrakala Pravin Shah, (3) Meeraja Ashok Shah, (4) Umesh Dipchand Shah, (5) Ranchoddas Agarwal, (6) Suresh Chandra Agarwal, (7) Subhash Agarwal, (8) Shekhar Agarwal, (9) Uma Praful Shah, (10) Dinesh Praful Shah.

[Persons whom the undersigned knows to be interested in property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL THAT piece and parcel of land or ground with structure standing thereon situate lying and being at Juhu in Greater Bombay in the Registration District and Sub-District Bombay City and Bombay Suburban containing by admeasurement 1251 square yards equivalent to 1046 sq. metres or thereabouts bearing Survey No. 37 Plot No. 3 and 3/1 Hissa No. 4 (part) C.T.S. No. 564/1 Juhu and bounded on or towards the North by property of Govindram Bros. on or towards the West by property bearing S. No. 37 H. No. 4 (part) now belonging to Chandru Raheja and others, on or towards the South by property belonging to M/s. Jamnalal and Sons Pvt. Ltd. and on or towards the East by the other property of the Vendors.

M. J. MATHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 19-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
AYURVEDICK HOSPITAL BUILDING, NETAJI ROAD,
BOMBAY-400 002

Bombay-400 002, the 14th September 1976

Ref. No. AR-V/632/1/76-77.—Whereas, I, V. R. AMIN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 1000 Plot No. 1114 situated at Mulund
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on 3-3-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :

(1) M/s. Evergreen Builders.
(Transferor)

(2) Shyam Kurapa Co. op. Hsg. Soc. Ltd.
(Transferee)

3

	Name	Flat No.
1.	Mr. A. R. S. Iyer and Anr.	1—3
2.	Mr. G. Narayana Sarma & Ors.	4
3.	Mr. A. N. B. Swaminathan & Anr.	5
4.	Mr. Khimji L Somaiya	6
5.	Dr. Chandrakant C. Thanawala	7
6.	Mr. Krishnakant I Jarwala	8
7.	Mr. A. S. Balakrishnan	9
8.	Mr. P. V. Ganpat.	10
9.	Mr. Bhimsen Gupta.	11
10.	Mr. Gangji K Ruparel.	12
11.	Mr. Surendrakumaa G. Ruparel.	13
12.	Mr. N. Norangral Kedia.	14
13.	M/S Evergreen Builders.	15
14.	Mr. Mahendra H. Popat.	16
15,	Mrs. Sarala N. Sutaria & Anr.	17+part 18
16.	Mrs. Indumati D. Gavde.	19+part 18
17.	M/S Evergreen Builders.	20
18.	Mr. Narayan S. Dabholkar	21
19.	Mr. ShantiKumar P. kedia	22
20.	Mr. Vishwanath P. Kedia	23-24
21.	M/S. Evergreen Builders.	25
22.	Mrs. Sugnibai T. Khushalani	26-27
23.	Mrs. Jasuben k. Shah,	28
24.	M/S Oriental Rubber Industries (Pvt) Ltd.	29.30

	Name.	Garage No.
1.	Mr. & Mrs. S. N. Sutaria	North-West Garage.
2.	M/S. Evergreen Builders.	North-East Garage.
3.	,,	Open Garage No. 1
4.	Mr. Mehendra H. Popat.	,, 2
5.	Mr. Khimji L. Somaiya.	,, 3
6.	M/S Evergreen Builders,	,, 4
7.	M/S Oriental Rubber Industries (P) Ltd.	,, 5
8.	M/S Evergreen Builders.	,, 6
9.	,,	,, 7
10.	,,	,, 8
11.	Mrs. M. S. Iyer and Anr.,	,, 9

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said, Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land bearing Survey No. 1000, Plot No. 1114, situate and being within the boundary of Mulund, Taluka Kurla, within Registration Sub-District of Bandra, District Bombay Suburban, admeasuring about 2000 sq. yds. or thereabouts and bounded as follows : that is to say on or towards the East by Plot No. 115, on or towards the West by Plot No. 1113, on or towards the North by Plot No. 1072, and on or towards the South by Devidayal Road, bearing T-Ward No. 2283, Street No. 1114, and T-Ward No. 2282(2), Street No. 1114/A, Devidayal Road.

V. R. AMIN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V, Bombay

Date : 14-9-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-V, AYURVEDIK COLLEGE BUILDING, NETAJI SUBHASH ROAD, BOMBAY-400 002

Bombay-400 002, the 24th September 1976

Ref. No. A.R.V/646/14/75-76.—Whereas, I, V. R. AMIN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the said Act have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 46, C.T.S. No. 195 (Pt) situated at Garodia Nagar, Ghatkopar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Bombay on 10-3-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Vijaykumar Gordhandas.

(Transferor)

(2) M/s. Bonafide Builders.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL THAT one third Plot No. 46 of Garodia Nagar Scheme situate lying and being at Ghatkopar Registration Sub-District and District Bombay City and Bombay Suburban bearing City Survey No. 845 Survey No. 194 (part) containing by admeasurement 845 square yards, equivalent to No. 4 with hutments standing therein.

V. R. AMIN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-V, Bombay

Date : 24-9-1976.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
60/61, ERANDAWANA, KARVE ROAD, POONA-411 004

Poona-411 004, the 18th October 1976

Ref. No. C.A.5/Malegaon/Feb.'76/306/76-77.—Whereas, I, V. S. GAITONDE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. C. S. No. 224B & 224B-1 situated at New Ward, Malegaon (and more fully described in the Schedule annexed hereto has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Malegaon on 23-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Suryanarayan Laxminarayan Kabra, Moharipir Lane, Malegaon, Dist. Nasik.
(Transferor)

(2) Shri Balkrishna Ganeshmal Kabra, Mamatdar Galli, Malegaon, Dist. Nasik.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property C.S. No. 224B & 224B-1 at Malegaon, Dist. Nasik. Area 140 sq. mtrs.

(Property as described in the sale deed registered under No. 315 dated 23-2-1976 in the office of the Sub-Registrar, Malegaon).

V. S. GAITONDE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 18-10-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 60/61, ERANDAWANA, KARVE ROAD, POONA-411 004

Poona-411 004, the 18th October 1976

Ref. No. A.5/Jalgaon/March '76/307/76-77.—Whereas, I, V. S. GAITONDE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing C.S. No. 1967B/60 plot 9 situated at Jilla Peth, Jalgaon (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 Jalgaon on 4-3-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration on such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate procedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

21—326GI/76

(1) Shri Badrinarain Gangabisan Maniyar, Zilla Peth, Onkar Nagar, Jalgaon. (Transferor)

(1) Mrs. Mathurabai Badrinarain Maniyar, Zilla Peth, Jalgaon. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at C.S. No. 1967B/60 Zilla Peth, Jalgaon. Plot No. 9, 405.5 sq. mtrs.

(Property as described in the Sale Deed No. 329 registered on 4-3-76 in the office of the Sub-Registrar, Jalgaon).

V. S. GAITONDE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 18-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE
60/61, ERANDAWANA, KARVE ROAD, POONA-411 004

Poona-411 004, the 20th October 1976

Ref. No. C.A.5/Bombay/March 75/308/76-77.—Whereas, I, V. S. GAITONDE.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
R. S. No. 156 situated at Lonavala, Tal. Maval
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officed at
Bombay on 12-3-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Dr. Jhabarmal Sagarmal Mishra, S. N. Dabholkar Road, Bombay-18.

(Transferor)

(2) M/s. Moosa Haji Patrawalla, Dr. E. Moses Road, Worli, Bombay-18.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice, on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land of ground together with a bungalow constructed thereon situate at Lonavala, in the registration sub-district of Mawal, Taluka Mawal, Distriit Poona, within Lonavala Municipal Council on Old Khandala Road, Ward M, admeasuring 32½ gunthas or thereabout i.e. 3925 sy. yds. or thereabouts equivalent to 328.8 sq. metres or thereabouts bearing R. No. 156 and bounded on the East by sq. yds. or thereabouts equivalent to 328.8 sq. metres or West by S. No. 155 and 155B and on the North by S. No. 155 and 155B.

(Property as described in the Registration Deed No. 1900 dated 12-3-1976 of the Registering Authority, Sub-Registrar, Bombay.).

V. S. GAITONDE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 20-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th October 1976

Ref No. 25-C/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. BJ/2/38-A situated at P.O. Bishaisherganj Moh. Dhoopchandi Nati Imli, Varanasi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Varanasi on 1-4-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act'. in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kashav Prasad. (Transferor)

(2) Shri Chhota Bhai Patel. (Transferee)

(3) Seller (person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 12/38-A, situated at Moh. Dhoop Chand Nati Imli, Varanasi.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 19-10-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th October 1976

Ref. No. 66-K/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House with land No. J 12/38-A situated at Moh. Dhoop Chandi Nati Imli Mauja Jaitpura, Varanasi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in he Office of the Registering Officer at Varanasi on 31-3-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922, (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kashav Prasad.

(Transferor)

(2) Shri Kashi Prasad Gupta & others.

(Transferee)

(3) Kashav Prasad.

(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House with land No. J 12/38-A situated at Moh. Dhoop Chandi Nati Imli Maoja Jaitpura, Varanasi.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Date : 19-10-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th October 1976

Ref. No. 135-5/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House with land No. J 12/38-A situated at Moh. Dhoop Chandi Nati Imli Mauja Jaitpura, Varanasi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Varanasi on 31-3-1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, theerfore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Keshav Prasad.

(Transferor)

(2) Shanker Bhai Patel.

(Transferee)

(3) Keshav Prasad.

(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house with land No. J 28/38-A which is situated at Moh. Dhoop Chandi Nati Imli Mauja Jaitpura, Varanasi.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 19-10-1976
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 18th October 1976

Ref. No. CHD/1676/75-76.—Whereas, I, G. P. SINGH, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Chandigarh, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing H. No. 14, Sector 3 situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Chandigarh in Feb., 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the aparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1)of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Dev Prabha w/o Sh. D. C. Bhagat, R/o H. No. 14 Sector 3-A, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Sh. Madan Gopal Singh Karta of H.U.F. Comprising of himself, Smt. Dev Bala his wife and his three sons S/Sh. Rajan Kashyap, Sajan Kashyap and Yajan Kashyap. R/o H. No. 131 Sector 10, Chandigarh.

(Tansferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3/7th share of House No. 14 Sector 3, Chandigarh.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1223 of Feb., 1976 of the Registering Officer Chandigarh.)

G. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 18-10-1976.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 18th October 1976

Ref. No. BGR/1966/75-76.—Whereas, I, G. P. SINGH, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Chandigarh, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land and building bearing Nos. 22/1 and 19/2 situated in village Mewla Maharajpur, 15/3 Mile Stone, Mathura Road, Faridabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ballabgarh in February, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) (i) Smt. Veena Marwah w/o Sh. Manmohan Marwah R/o E-1, Patel Road, East Patel Nagar, New Delhi,
(ii) Smt. Renu Munjal w/o Sh. Inder Mohan Munjal, R/o House No. 648, Sector 11-B, Chandigarh,
(iii) Smt. Neelam Sharma w/o Capt. Pardip Sharma, R/o E/290, Greater Kailash, New Delhi, (iv) Kumari Punam Chandan alias Punita Chandan & (v) Kumari Mala Chandan.
ds/o Sh. Mohan Chandan, R/o 17A/28, Western Extension Area, Karol Bagh, New Delhi.
(vi) (2) Kumari Madhurika Chandan (minor) and (vii) Kumari Ritu Chandan (minor) daughters through their father and natural guardian Sh. Mohan Chandan, R/o 17A/28, Western Extension Area, Karol Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) The Principal Officer,
M/s. R. M. C. Dill & Co.,
Private Limited, Faridabad .
Regd. Office :—27A Camac Street Calcutta-700016.
(Transferee)

(3) M/s. Dadhika Woollen & Silk Mill,
17 Parliament Street, 4th Floor,
Allahabad Bank Building.
New Delhi—Tenant.
[Person in occupaton of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory shed and building with area of land bearing Nos. 22/1 and 19/2 measuring 2783 sq. yds. situated in village Mewla Maharajpur, 15/3 Mile Stone, Mathura Road, Faridabad.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3703 of February, 1976 of the Registering Officer, Ballabgarh.)

S. P. SINGH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 5-10-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 15th October 1976

Ref. No. PHG/84/76-77.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 31, situated at Industrial Area, Phagwara
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Phagwara on 19th Feb. 76
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Narinderjit Singh S/o Naranjan Singh R/o Phagwara.

(Transferor)

(2) S/Shri Karam Singh ,Lachman Singh S/o Sh. Shiv Singh, R/o Vill. Takkar.

(Transferee)

*(3) As at S. No. 2 above and tenant(s), if any.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building on Plot No. 31 Industrial Area, Phagwara as mentioned in the Registered Deed No. 1824 of February 1976 of the Registering Authority, Phagwara.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 15-10-1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 15th October 1976

Ref. No. PHG/85/76-77.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 31, situated at Industrial Area, Phagwara
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on 19th Feb. 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instruments of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

22—326GI/76

(1) Karamjit Singh S/o Naranjan Singh R/o Phagwara.
(Transferor)

(2) S/Sh. Karam Singh Lachman Singh Ss/o Sh. Shiv Singh, R/o Vill. Takkar.
(Transferee)

*(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act that have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building on Plot No. 31 Industrial Area, Phagwara as mentioned in the Registered Deed No. 1801 of February, 1976 of the Registering Authority, Phagwara.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 15-10-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 15th October 1976

Ref. No. PHG/86/76-77.—Whereas, I, V. R. SAGAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 31, situated at Industrial Area, Phagwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Phagwara on February 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property for the issue of this notice under sub-section (1) of Section 369D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Jangi & Parmar Industries, Industrial Area, Phagwara Through Sh. Kilwaran Singh S/o Kundan Singh.

(Transferor)

(2) S/Sh. Karam Singh Lachman Singh SS/o Sh. Shiv Singh, R/o Vill. Takkar.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s), if any.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building at Plot No. 31 Industrial Area, Phagwara as mentioned in the Registered Deed No. 1802 of February, 1976 of the Registering Authority, Phagwara.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 15-10-1976.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 15th October 1976

Ref. No. PHG/87/76-77.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 31 situated at Industrial Area Phagwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on Feb. 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Narinderjit Singh Karamjit Singh SS/o Sh. Naranjan Singh R/o Phagwara & M/s. Jangi & Parmar Industries Industrial Area, Phagwara Through Sh. Kilwaran Singh S/o Kundan Singh.
(Transferor)

(2) S/Sh. Karam Singh Lachman Singh SS/o Sh. Shiv Singh. R/o Vill. Takkar.
(Transferee)

*(3) As at S. No. 2 above and tenant(s), if any.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquistion of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the staid Act shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building on Plot No. 31 at Industrial Area, Phagwara as mentioned in the Registered Deed Nos. 1801, 1802 and 1824 of February, 1976 of the Registering Authority, Phagwara.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 15-10-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi-1(110001)

New Delhi-1 (110001), the 26th Ocober 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1225/76-77.—Whereas, I. M. S. GOELA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/2 of B-2/13 situated at Model Town, Delhi
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi in Feb. 1976,
for an apaprent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apaprent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax persons, namely :—

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Savtri Devi w/o Sh. Kanwal Nain Vig. 2. Sh. Ashok Kumar 3. Sh. Radhey Sham and Sh. Parvesh Chander sons of Shri Kanwal Nain Vig r/o 12/9, Shakti Nagar, Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Shanti Devi w/o Sh. Kanta Prasad 2. Sh. Satish Kumar 3. Sh. Raj Kumar 4. Sh. Ashok Kumar, 5. Sh. Surinder Kumar & 6. Sh. Suresh Kumar sons of Sh. Kanta Prasad r/o B-2/13, Model Town, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One half of undivided share in a building built on a freehold plot of land bearing Plot No. 13 in Block No. B-2 measuring 1250.2 sq. yds. (total measuring 2501 sq. yds.) situated in the colony known as Model Town, Delhi and bounded as under :—
North : Road East : Property No. B-2/14
South : Colony Boundary West : Property No. B-2/12-A.

M. S. GOELA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 26th Oct. 1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 296D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 19th October 1976

Ref. No. P.R. No. 492-Acq. 23-884/7-4/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
R. S. No. 25, situated at Jail area, near Tagornagar Housing Society, Navsari
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Navsari on 6-2-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lalbhai Naranji; Chovisi, Kachhiavadi Navsari. (Transferor)

(2) Dahiben Wd/of Bhulabhai Morarji Ahir, Tagornagar Housing Society, Navsari. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing R. S. No. 25 paiki, situated near Tagornagar Housing Society, Navsari and admeasuring 1 Acre 34 Guntha as described in the sale deed registered under registration No. 202 in the month of February, 1976 by Registering Officer, Navsari.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Dated : 19-10-76.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
BANGALORE-27

Bangalore-27, the 13th October 1976

C. R. No. 62/5737/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, M. HARIHARAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore,
being the competent authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the imovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Premises No. 15/B, New No. 34
situated at St. Marks Road, Bangalore-560001
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Shivajinagar, Bangalore, Doc. No. 3308/75-76 on 7-2-1976, for an apparent consideration
which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Hotel Rama Private Ltd.
Regd. Office at No. 40/2, Lavella Road,
Bangalore-560001.
Represented herein by its Managing Director
Sri B. L. Veerabhadran.
(Transferor)

(2) Shri B. V. Nagesh,
No. 15, Lady Curzen Road,
Bangalore-560001.
(Transferee)

(4) Syndicate Bank,
Dickenson Road,
Bangalore-560042.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 3308/75-76 Dated 7-2-1976]

All that piece and parcel of land with all the buildings standing thereon and bearing old No. 15-B, New No. 34, St. Marks Road, Bangalore-560001, commonly called and known at "Cunniamara".

Site Area :

East to West : 88'
North : 177' 15,750/- Sq. Ft.
South : 185'

Plinth : Main building and out buildings = 4570 Sq. ft.

Boudaries :-

East : Premises No. 15-A, St. Marks Road,
West : Premises No. 4, Madras Bank Road,
North : Premises No. 3, Madras Bank Road,
South : Premises No. 15-C, St. Marks Road, Bangalore-1.

M. HARIHARAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 13-10-1976.
Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
NOTICE

COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION MAY, 1977

New Delhi, the 13th November 1976

No. F. 8/10/76-E.I(B).—A Combined Defence Services Examination will be held by the Union Public Service Commission commencing from 7th May, 1977 for admission to the under-mentioned courses :—

Name of the Course	*Approximate No. of Vacancies*
Indian Military Academy, Dehradun (64th Course commencing in January, 1978)	88
Naval Academy, Cochin (Course commencing in January, 1978)	45
Officers' Training School Madras (27th Course commencing in May, 1978)	150

Admissions to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the commission followed by intelligence and personality test by a Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme, standard and syllabus of the examination, (b) physical standards for admission to the Academy/School, and (c) brief particulars of service etc. for candidates joining the Indian Military Academy, Naval Academy and Officers' Training School, are given in Appendices I, II and III respectively.

2. *CENTRES OF EXAMINATION.*—Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta, Cuttack, Delhi, Dispur (Gauhati), Hyderabad, Jaipur, Jammu, Madras, Nagpur, Patiala, Patna, Shillong, Simla and Trivandrum.

3. *CONDITIONS OF ELIGIBILITY*

(a) *Nationality*

A candidate must either be—

(i) a citizen of India, or

(ii) a subject of Bhutan, or

(iii) a subject of Nepal, or

(iv) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya,, Uganda and the United Republic of Tanzania or from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (iii) and (iv) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not however, be necessary, in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also be provisionally admitted to the Academy or School as the case may be subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

(b) *Age limits, sex and martial status* :—

(i) For I.M.A. and Naval Academy : Unmarried male candidates born not earlier than 2-1-1956 and not later than 1-1-1959, are only eligible.

(ii) For Officers' Training School—Male candidates (married or un-married) born not earlier than 2-1-1955 and not later than 1-1-1959, are only eligible.

Note : Date of birth as recorded in Matriculation/ Higher Secondary or equivalent examination certificate will only be accepted.

(c) *Educational Qualifications.*—Degree of recognised University or equivalent. Candidates who have yet to pass the degree examination can also apply but they will be required to submit proof of passing the degree examination to reach the Commissions office by the following date failing which their candidature will stand cancelled :—

(i) For admission to I.M.A. & Naval Academy—on or before 31st December, 1977.

(ii) For admission to Officers' Training School—on or before 4th April, 1978.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which, in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

Note I :—Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of Commission in the Defence services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

Note II :—Naval Ratings (including boys and artificer apprentices) except Special Service Ratings having less than 6 months to complete their engagements are not eligible to take this examination. Applications from Special Service Ratings having less than six months to complete their engagements will be entertained only if these have been duly recommended by their Commanding Officers.

4. *FEE TO BE PAID WITH THE APPLICATION.*—Rs. 28/- (Rs. 7/- for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates) Applications not accompanied by the prescribed fee will be summarily rejected.

5. *REMISSION OF FEE.*—The Commission may, at their discretion, remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1-1-1964 and 25-3-1971 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma who migrated to India on or after 1-6-1963 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka who migrated to India on or after 1-11-1964 and is not in a position to pay the prescribed fee.

6. *HOW TO APPLY.*—Only printed applications on the form prescribed for the Combined Defence Services Examination May, 1977 appended to the Notice will be entertained. Completed applications should be sent to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011. Application forms and full particulars of the examination can be had from the following sources :—

(i) By post from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 by remitting Rs. 2/- by Money Order or by crossed Indian Postal Order payable to Secretary, U.P.S.C. at New Delhi G.P.O.

(ii) On cash payment of Rs. 2/- at the counter in the Commission's office.

(iii) Free of charge from nearest Recruiting Office, Military Area/Sub-Area Headquarters, N.C.C. Units, and Naval Establishments.

Note :—Requests for supply of application form and full particulars of the examination by post must reach the office of the Commission before 27-12-1976. However, the forms may be had personally from the counter in the office of the Commission up to 3-1-77.

All candidates whether already in Government service including those serving in the Armed Forces or in Government owned industrial undertakings or other similar organisations or in private employment should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards

his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered.

Persons already in Government service including those serving in the Armed Forces, whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees, are, however, required to obtain the permission of Head of their Office/Department/Commanding Officer before they are finally admitted to the examination. They should send their applications direct to the Commission after detaching the 2 copies of the form of certificate attached at the end of the application form and submit the said forms of certificate immediately to their Head of Office Department/Commanding Officer with the request that one copy of the form of certificate duly completed may be forwarded to the Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi, as early as possible and in any case not later than the date specified in the form of certificate.

7. *LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS IN THE COMMISSION'S OFFICE* :—

(i) From candidates in India 3rd January, 1977.

(ii) From candidates abroad or in Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep 17th January, 1977.

8. *DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION.*

(A) *By all candidates* :—

(i) Fee of Rs. 28/- (Rs. 7/- for Scheduled Castes/Tribes candidates) through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India, Parliament Street, New Delhi.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative abroad, as the case may be, for credit to the account Head "051 Public Services Comission—Examination Fees" and the receipt attached with the application.

(ii) Two identical copies of recent passport size (5 cm. × 7 cm. approx.) photographs of the candidate duly signed on the front side.

(B) *By Scheduled Castes/Scheduled Tribes* candidates :—

Attested/certified copy of certificate in the form given in Appendix IV from any of the competent authorities (mentioned under the certificate) of the District in which he or his parents (or surviving parent) ordinarily reside, in support of claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe.

(C) *By candidates claiming remission of fee* :—

(i) An attested/certified copy of a certificate from a District Officer or a Gazetted officer or a Member of Parliament of State Legislature certifying that he is not a position to pay the prescribed fee.

(ii) An attested/certified copy of certificate from the following authorities in support of his claim to be a *bona fide* displaced person repatriate—

(a) *Displaced person from erstwhile East Pakistan* :

(i) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakaranya Project or of Relief Camps in various States.

OR

(ii) District Magistrate of the area in which he may, for the time being, be a resident.

OR

(iii) Additional District Magistrate in charge of Refugee Rehabilitation in his district.

OR

(iv) Sub-Divisional Officer within the sub-division in his charge.

OR

(v) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation) in Calcutta.

(b) *Repatriates from Sri Lanka* :

High Commission for India in Sri Lanka.

(c) *Repatriates from Burma* :

Embassy of India, Rangoon.

9. *REFUND OF FEE.*—No refund of fee paid to the Commission with the application will be entertained except in the following cases, nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection :—

(i) A refund of Rs. 15/- (Rs. 4/- in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes) will be made to a candidate who had paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission. If, however, the application is rejected on receipt of information that the candidate has failed in the degree examination or will not be able to submit the proof of passing the degree examination by the prescribed date, he will not be allowed refund of fee.

(ii) A refund of Rs. 15/- (Rs. 4/- in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes) will be allowed in the case of a candidate who took the Combined Defence Services Examination November, 1976 and is recommended for admission to any of the courses on the results of that Examination provided his request for cancellation of candidature for the Combined Defence Services Examination May, 1977 and refund of fee is received in the office of the Commission on or before 15th October, 1977.

10. *ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS.*—All applications received in the prescribed form for this examination will be acknowledged. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date of receipt of applications for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

11. *RESULT OF APPLICATION.*—If a candidate does not receive from the Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

12. *ADMISSION TO THE EXAMINATION.*—The decision of the Union Public Service Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. *ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT.*—Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding the discrepancy should be submitted.

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaing support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

14. *ORIGINAL CERTIFICATES—SUBMISSION OF* :—Candidates who qualify for interview on the results of the written examination will be required to submit original certificates in support of their age and educational qualifications etc. soon after the declaration of the results of the written examination. The results of the written examination are likely to be declared in the month of August, 1977. Candidates may also be required at the interview by the Services Selection Board to produce these original certificates.

15. *COMMUNICATION REGARDING APPLICATIONS.*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI-110011 AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :—

(1) NAME OF EXAMINATION

(2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION

(3) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.

(4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).

(5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

16. *CHANGE OF ADDRESS.*—A candidate must see that communications sent to him at the address stated in his application are redirected if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity giving the particulars mentioned in paragraph 15 above.

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLICATIONS FOR THE EXAMINATION SHOULD IMMEDIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY HEADQUARTERS, A.G.'s BRANCH RTG., 6(SP) (a) WEST BLOCK 3, WING 1, RAMAKRISHNAPURAM, NEW DELHI-110022. FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTERS FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.

Although the authorities make every effort to take account of such changes they cannot accept any responsibility in the matter.

17. *ENQUIRIES ABOUT INTERVIEW OF CANDIDATES QUALIFYING IN THE WRITTEN EXAMINATION.*—Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board, should address enquiries or request if any relating to their interview direct to the Army Headquarters, AG's Branch RTG, 6(SP)(a) West Block 3, Wing I, Ramakrishnapuram, New Delhi-110022.

Candidates who have to appear for any university examination, should immediately after the announcement of the result of the written examination, intimate the dates of such examination to the Army Headquarters, who may, if possible, take this into consideration before fixing the dates of interview.

18. *ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSE OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES.*—The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for Intelligence and Personality Tests.

Candidates who qualify in the written examination for IMA(D.E.) Course and/or Navy (S.E.) Course irrespective of whether they have also qualified for SSC(NT) Course or not, will be detailed for S.S.B. tests in September/October, 1977 and candidates who qualify for SSC(NT) Course only will be detailed for SSB tests in December, 1977/January, 1978.

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the tests thereat at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief, from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Candidates will be required to sign a certificate to this effect on the form appended to the application.

To be acceptable, candidates should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination, and (ii) S.S.B. tests at fixed by the Commission in their discretion. The candidates will be placed in the order of merit on the basis of the total marks secured by them in the written examination and in the S.S.B. tests. The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success at the examination confers no right of admission to the Indian Military Academy, the Naval Academy or the Officers' Training School as the case may be. The final selection will be made in order of merit subject to medical fitness and suitability in all other respects and number of vacancies available.

19. *DISQUALIFICATIONS FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE* :—Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy Indian Military Academy, Air Force Flying College, Naval Academy, Cochin Officers' Training School Madras but were removed therefrom on disciplinary grounds will not be considered for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy or for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the Indian Military Academy for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

Candidates who were previously selected as Special Entry Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence Academy or from Naval Training Establishments for lack of Officer-like qualities will not be eligible for admission to the Indian Navy.

Candidates who were withdrawn from Indian Military Academy, Officers' Training School, N.C.C. and Graduate Course for lack of Officer-like qualities will not be considered for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were perviously withdrawn from the N.C.C. and Graduates' Course for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

20. *RESTRICTION ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY* :—Candidates for the Indian Military Academy Course or Naval Academy Course must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application, though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

No candidate for the Short Service Commission (N.T.) Course—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for admission to the Officers' Training School/grant of Short Service Commission.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

21. *OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY* :—After admission to the Indian Military Academy or the Naval Academy candidates will not be considered for any other Commission. They will also not be permitted to appear for any interview or examination after they have been finally selected for training in the Indian Military Academy, or the Naval Academy.

22. *INTELLIGENCE TESTS—INFORMATION ABOUT* :—The Ministry of Defence (Directorate of Psychological Research) have published a book with the title "A Study of Intelligence Test Scores of candidates at Services Selection Boards". The purpose of publishing this book is that the candidates should familaries themselves with the type of Intelligence Tests they are given at the Services Selection Boards.

The book is a priced publication and is on sale with Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110006 and may be obtained from him direct by Mail Orders or on cash payment. This can also be obtained only against cash payment from (i) Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia Building, 'C' Block, Baba Kharag Singh Marg New Delhi-110001, (ii) Sale counters of the Publication Branch at Udyog Bhavan, New Delhi-110001 and office of the Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 and (iii) the Government of India Book Depot, 8, K. S. Roy Road, Calcutta-700001.

M. S. PRUTHI,
Deputy Secretary

APPENDIX I

(The scheme, standard and syllabus of the examination).

A. SCHEME OF THE EXAMINATION

1. The Competitive examination comprises :—

(a) Written examination as shown in para 2 below.

(b) Interview for intelligence and personality test (*vide* Schedule to this Appendix) of such candidates as may be called for interview at one of the Services Selection Centres.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :

(a) *For admission to Indian Military Academy*

Subject	Duration	Maximum Marks
Compulsory		
1. English	3 Hours	100
2. General Knowledge	3 Hours	100
3. Elementary Mathematics	3 Hours	100

Optional :—Any one of the following :

Subject	Code No.	Time allowed	Maximum Marks
Physics	01	3 Hours	150
Chemistry	02	3 Hours	150
Mathematics	03	3 Hours	150
Botany	04	3 Hours	150
Zoology	05	3 Hours	150
Geology	06	3 Hours	150
Geography	07	3 Hours	150
English Literature	08	3 Hours	150
Indian History	09	3 Hours	150
General Economics	10	3 Hours	150
Political Science	11	3 Hours	150
Sociology	12	3 Hours	150
Psychology	13	3 Hours	150

(b) *For Admission to Naval Academy*

Subject	Time allowed	Maximum marks	
Compulsory			
1. English	3 Hours	100	
2. General Knowledge	3 Hours	100	
Optional			
*3. Elementary Mathematics or Elementary Physics	3 Hours	100	
*4. Mathematics or Physics	3 Hours	150	*Candidates offering Elementary Mathematics will take Physics as their 4th paper and candidates offering Elementary Physics will take Mathematics as their 4th paper.

(c) *For Admission to Officers' Training School*

Subject	Time allowed	Maximum Marks
1. English	3 Hours	100
2. General Knowledge	3 Hours	100

The maximum marks allotted to the written examination and to the Interviews will be equal for each course *i.e.* the maximum marks allotted to the written examination and to the Interviews will be 450, 450 and 200 each for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy and officers' Training School.

3. CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE INDIAN MILITARY ACADEMY AND NAVAL ACADEMY ARE EXPECTED TO BE FAMILIAR WITH THE METRIC SYSTEM OF COINS, WEIGHTS AND MEASURES IN THE QUESTION PAPERS, WHEREVER NECESSARY. QUESTIONS INVOLVING THE USE OF METRIC SYSTEM OF COINS, WEIGHTS AND MEASURES MAY BE SET.

4. All papers must be answered in English unless otherwise expressly stated in the question paper.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

B. STANDARD AND SYLLABUS OF THE EXAMINATION

STANDARD

10. The standard of the papers in Elementary Mathematics and Elementary Physics will be that of Higher Secondary Examination.

The standard of papers in other subjects will approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

There will be no practical examination in any of the subjects.

SYLLABUS

ENGLISH

Candidate will be required to write an easy in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

GENERAL KNOWLEDGE

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

ELEMENTARY MATHEMATICS

Arithmetic :

Numbers Systems—Natural numbers, Integers, Rational and Real numbers, Commutative associative and distributive laws. Fundamental Operations, addition, subtraction multiplication, division. Square and Cube roots, Decimal fractions.

Unitary method—applications to simple and compound interests, time and distance, time and work, profit and loss, ratio and proportion, Races.

Elementary Number Theory—Division algorithm, Prime and composite numbers. Multiples and factors. Factorisation theorem. H.C.F. and L.C.M. Euclidean algorithm.

Logarithms and their use.

Algebra :

Basic Operations : Simple factors. Remainder theorem, H.C.F., L.C.M. of polynomials. Solutions of quadratic equations relation between its roots and coefficient. Simultaneous equations in two unknows. Linear simultaneous equations in three unknowns. Application of equations. Inequalities. Graphs.

Set language, notation, Venn diagram, set operations, solution sets of linear equations (there unknown)—application. Polynomials with rational coefficients. Division algorithm. Laws of indices. AP and GP, Geometric Series. Recurring decimal fraction. Permutations and combinations. Binomial theorem for positive integral index. Applications of binomial theorem.

Trigonometry :

Trigonometric ratios and identities. Trigonometric ratios of 30°, 45°, 60°, and their use in elementary problems on heights and distances.

Geometry :

Incidence Relations. Order relations in a line. Regions. Orientation in a plane. Pash's axiom Reflection in a line and in a point. Translation. Rotation Composition of reflections, translation and Rotations. Slide reflections. Symmetry about a line, symmetrical figures. Isometrics. Invariants. Congruence—direct and skew.

Theorems on (i) Properties of angles at a point, (ii) Parallel lines, (iii) sides and angles of triangles, (iv) congruency of triangles, (v) Similar triangles, (vi) concurrence of medians, altitudes, perpendicular bisectors of sides and bisectors of angles of a triangle, (vii) properties of angles sides and diagonals of a parallelogram, rhombus, rectangle, square and trapezium, (viii) Circle and its properties including tangents and normals, (ix) cyclic Quadrilaterals (x) loci.

Practical problems and constructions involving use of geometrical instruments e.g., Bisection of an angle and segment of a straight line, construction of perpendiculars, parallel lines, triangle. Tangents to circle, inscribed and circumscribed circles of triangles.

Calculus :

Functions, Graphs, Limit and continuity. Differential coefficients of functions. Differentiation of elementary functions—polynomial, rational, trigonometric. Differentiation of a function of a function. Differentials, Rates, Errors, Second order derivatives.

Integration as the inverse of differentiation. Standard formulae for integration. Integration by parts and substitution.

Mensuration :

Area of plane figures. Volumes and surfaces of cubes, pyramids, right circular cylinders, cones, and spheres (practical problem involving these will be set and if necessary formulae will be given in the question paper).

Plane Co-ordinate Geometry :

Distance formula. Section formula. Standard forms of the equation of a straight line. Angle between two lines. Conditions of parallelism and perpendicularity. Length of the perpendicular from a point to a line. Equation of a circle.

ELEMENTARY PHYSICS

(a) *Mensuration.*—Units of measurement; CGS and MKS units. Scalars and vectors. Composition and resolution of forces and velocities. Uniform acceleration. Rectilinear motion under uniform acceleration. Newton's Laws of Motion, concept of Force. Units of Force. Mass and weight.

(b) *Mechanics of Solids.*—Motion under gravity. Parallel forces. Centre of Gravity. States of equilibrium. Simple Machines; Velocity Ratio. Various simple machines including inclined plane Screw and Gears. Friction, angle of friction, coefficient of friction. Work, Power and energy, Potential and kinetic energy.

(c) *Properties of fluids*—Pressure and Thrust, Pascal's Law, Archimedes principle, Density and Specific gravity. Application of the Archimedes principle for the determination of specific gravities of solids and liquids. Laws of floatation, Measurement of pressure exerted by a gas. Boyle's Law Air pumps.

(d) *Heat*—Linear expansion of solids and cubical expansion of liquids. Real and apparent expansion of liquids Charles' Law. Absolute Zero; Boyles and Charles' Law; Specific heat of solids and liquids; calorimetry. Transmission of heat; Conductivity of metals. Change of State. Latent heat of fusion and vaporization. SVP humidity, dew point and relative humidity.

(e) *Light*.—Rectilinear propagation Laws of reflection, spherical mirrors; Refraction, laws of refraction Lenses. Optical instruments camera, projector, epidiascope, telescope Microscope, binocular & periscope. Refraction through a prism, dispersion.

(f) *Sound*.—Transmission of sound; Reflection of sound, resonance. Recording of sound-gramophone.

(g) *Magnetism & Electricity*.—Laws of Magnetism. Magnetic field. Magnetic lines of force, Terrestrial Magnetism, Conductors and insulators. Ohm's Law, P.D. Resistance; EMF, Resistances in series and parallel. Potentiometer, Comparison of EMF's. Magnetic effect of an electric current; A conductor in a magnetic field. Fleming's left hand rule. Measuring instruments—Galvanometer, Ammeter, Voltmeter, Wattmeter, chemical effect of an electric current, electroplating; Electromagnetic Induction, Faraday's Laws; Basic AC & DC-generator.

PHYSICS (*Code*-01)

1. *General properties of matter and mechanics* :

Units and dimensions. Scalar and vector quantities; Moment of inertia, work energy and momentum. Fundamental laws of mechanics; Rotational motion; Gravitation; Simple harmonic motion, Simple and compound pendulum; Kater's pendulum; Elasticity Surface tension; viscocity of liquids, Rotary pump; Mcleod gauge.

2. *Sound*

Damped forced and free vibrations; Wave motion, Doppler effect; Velocity of sound waves; Effect of pressure, temperature, humidity on velocity of sound in a gas; Vibration of strings, bars, plates and gas columns; Resonance Beats; Stationary waves; Measurement of frequency velocity and intensity of sound; Musical scales; Accoustics in architecture; Elements of ultrasonics; Elementary principles of gramophones talkies and loudspeakers.

3. *Heat and thermodynamics*

Temperature and its measurements; thermal expansion; Isothermal and adiabatic changes in gases. Specific heat and thermal conductivity; Elements of the kinetic theory of matter physical ideas of Boltzman's distribution law; Van der Waal's equation of States; Joule Thompson effect; liquefaction of gases; Heat engines; Carnot's theorem; Laws of thermodynamics and simple applications. Black body radiation.

4. *Light*

Geometrical optics. Velocity of light; Reflection and refraction of light at plane and spherical surfaces; Defects in optical images and their correction; Eye and other optical instruments; Wave theory of light; Interference; simple interferometer; Diffraction; Diffraction Grating; Polarisation of light; Elements of spectroscopy.

5. *Electricity and magnetism*

Calculation of electric field intensity and potential in simple cases. Gauss theorem and simple applications; Electrometers; Energy due to a field; Electrical and magnetic properties of matter; Hysterisis permeability and susceptibility; Magnetic field due to electrical current; Moving magnet and moving coil galvanometers; Measurement of current and resistance; Properties of reactive circuit elements and their determination; thermoelectric effects; Electromagnetic induction; Production of alternating currents. Transformers and motors Electronic valves and their simple applications.

Elements of Bohr's theory of atom; Electrons, Cathode rays and X-rays; Measurement of electronic charge and mass.

CHEMISTRY (*Code*—02))

1. *Inorganic Chemistry*

Electronic configuration of elements. Aufbau Principle. Periodic classification of elements. Atomic number. Transition elements and their characteristics.

Atomic and ionic radii, ionization potential, electron affinity and electronegativity.

Natural and artificial radioactivity. Nuclear fission and fusion.

Electronics Theory of valency. Elementary ideas about sigma and pi-bonds, hybridization and directional nature of covalent bonds.

Warner's theory of coordination compounds. Electronic configurations of complexes involved in the common metallurgical and analytical operations.

Oxidation states and oxidation number. Common oxidising and reducing agents. Ionic equations.

Lewis and Bronsted theories of acids and bases.

Chemistry of the common elements and their compounds treated especially from the point of view of periodic classification. Principles of extraction, isolation, (and metallurgy) of important element.

Structures of hydrogen peroxide, diberene, aluminium chloride and the important oxyacids of nitrogen, phosphorous, chlorine and sulphur.

Inert gases; Isolation and chemistry.

Principles of inorganic chemical analysis.

Outlines of the manufacture of Sodium carbonate, sodium hydroxide, ammonia, nitric acid, sulphuric acid, cement, glass and artificial fertilizers.

2. *Organic Chemistry* :

Modern concepts of covalent bonding. Electron displacements—Inductive, mesomeric and hyperconjugative effects Resonance and its application to organic chemistry. Effect of structure on dissociation constants.

Alkanes, alkanes and alkynes Petroleum as a source of organic compounds. Simple derivatives of aliphatic compounds. Alcohols, Aldehydes, ketones, acids, halides, esters ether, acid anhydrides chlorides and amides, Monobasic hydroxy ketonic and amino acids. Organometallic compounds and acetoacetic esters. Tartaric, citric, maleic and fumaric acids. Carbohydrates classification and general reaction. Glucose, fructose and sucrose.

Sterochemistry : Optical and geometrical isomerism, Concept of conformation.

Benzene and its simple derivatives : Toluene, xylenes, phenols, halides, nitro and amino compounds. Benzoic salicylic cinnamic, mandelic and sulphonic acids. Aromatic aldehydes and ketons. Diazo, azo and hydrazo compounds. Aromatic substitution. Napthalene, pyridine and quinoline.

3. *Physical Chemistry* :

Kenitic theory of gases and gas laws. Maxwell's law of distribution of velocities. Van der Waal's equation. Law of corresponding states. Liquefaction of gases. Specific heats of gases. Radio of Cp/Cv.

Thermodynamics. The first law of thermodynamics. Isothermal and adiabatic expansion. Enthalpy. Heat capacities. Thermochemistry—heats of reaction, formation, solution and combustion. Calculation of bond energies. Kirchhoff equation.

Criteria for spontaneous change. Second Law of Thermodynamics. Entropy, Free energy. Criteria of Chemical equilibrium.

Solutions. Osmotic pressure, Lowering of vapour pressures, depression of freezing point elevation of boiling point Determination of molecular weights in solution. Association and dissociation of solutes.

Chemical equilibria. Law of mass action and its application to homogeneous and heterogeneous equilibria. Le Chatelier principle. Influence of temperature on chemical equilibrium.

Electrochemistry : Faraday's laws of electrolysis; conductivity of an electrolyte; equivalent conductivity and its variation with dilution; solubility of sparingly soluble salts; electrolytic dissociation. Ostwald's dilution law; anomaly of strong electrolytes; solubility product; strength of acids and bases; hydrolysis of salts; hydrogen ion concentration; buffer action, theory of indication.

Reversible cells. Standard hydrogen and calomel Electrodes. Electrode and red ox-potentials. Concentration cells. Determination of pH. Transport number. Ion product of water Potentiometric titrations.

Chemical Kinetics. Molecularity and order of a reaction. First order and second order reactions. Determination of order of a reaction temperature coefficients and energy of activation. Collision theory of reaction rates. Activated complex theory.

Phase rule : Explanation of the terms involved. Application to one and two component systems. Distribution law.

Colloids : General nature of Colloidal solutions and their classification; general methods of preparation and properties of colloids. Coagulation. Protective action and gold number. Adsorption.

Catalysis Homogeneous and heterogeneous catalysis Promotors Poisoning.

Photochemistry : Laws of photochemistry. Simple numerical problems.

MATHEMATICS (*Code*—03)

PART A.

Algebra :

Algebra of sets, relations and functions inverse of a function composite function equivalence relation.

Numbers : integers. rational numbers real numbers (statement of properties), complex numbers, algebra of complex numbers.

Group, Sub-groups, normal sub-groups, cyclic and permutation groups, Lagrange's theorem, isomorphism.

De-Moivre's theorem for rational index and its simple applications.

Theory of Equations.—Polynomial equations, transformation of equations, relations between roots and coefficients of a polynomial equation, symmetric function of roots of cubic and biquadratic equations location of roots and Newton's method for finding roots.

Matrices.—algebra of matrices, determinants—simple properties of determinants, product of determinants, adjoint of a matrix, inversion of matrices, rank of a matrix, application of matrices to the solution of linear equations (in three unknowns).

Inequalities : arithmetic and geometric means, Cauchy-Schwarz inequality (only for finite sums).

Analytic Geometry of two and three dimensions.

Analytic Geometry of two dimensions.—Straight lines pair of straight lines, circles, systems of circles, Ellipse parabola, hyperbola (referred to principal axis). Reduction of a second degree equation to standard form. Tangents and normals.

Analytic Geometry of three dimensions.—Planes, straight lines and spheres (Cartesian co-ordinates only).

Calculus and Differential Equation :

Differential calculus : Concept of limit; continuity and differentiability of a function of one real variable; derivative of standard functions, successive differentiation. Rolle's theorem. Means value theorem Maclaurin and Taylor series (proof not needed) and their applications; Binomial expansion for rational index, expansion of exponential. Logarithmic tritrigonometrical and hyperbolic functions. Indeterminate forms, Maxima and Minima of a function of a single variable, geometrical applications such as tangent, normal, subtangent, subnormal, asymptotic curvature (cartesian coordinates only). Enxelope; Partial differentiation. Euler's theorem for homogeneous functions.

Integral calculus.—Standard methods of integration. Riemann definition of definite integral of continuous functions. Fundamental theorem of integral calculus Rectification, quadrature volumes and surface area of solids of revolution. Simpson's rule for numerical integral.

Convergence of sequences and series, test of convergence of series with positive terms. Ratio root and Gauss tests, Alternating series.

Differential equations : Solution of standard first order differential equations. Solution of second and higher order linear differential equations with constant coefficients. Simple application of problems on growth and decay, simple harmonic motion. Simple pendulum and the like.

PART B

Mechanics (*Vector methods may be used*).

Statics.—Representation of a force, parallelogram of force, composition and resolution of forces and conditions of equilibrium of coplanar and concurrent forces. Triangle of forces. Like and unlike parallel forces. Moments, Couples General conditions for equilibrium of coplanar forces. Centre of gravity of simple bodies. Friction-static and limiting friction, angle of friction equilibrium of a particle on a rough inclined plane, simple problems, simple machines (lever, systems of pulleys, gear). Virtual work (two-dimensions).

Dynamics.—Kinematics.—displacement, speed velocity and acceleration of a particle, relative velocity. Motion in a straight line under constant acceleration Newton's laws of motion. Central Orbits. Simple harmonic motion. Motion under gravity (in vacuum). Impulse work and energy. Conservation of energy and linear momentum. Uniform circular Motion.

Astronomy :

Spherical Trigonometry.—Sine and cosine formulae, properties of right-angled spherical triangles.

Spherical Astronomy.—Celestial sphere, coordinate systems and their conversion. Diurnal motion. Sidereal and solar times, mean solar time, local and standard times, equation of time. Rising and setting of the sun and stars, dip of the horizon, astronomical refraction, Twilight, parallax aberration, precession and nutation. Kepler's laws, Planetary orbits and stationary points. Apparent motion of the moon, phases of the moon.

Astronomical instruments, Sextant, transit instrument.

Statistics :

Probability.—Classical and statistical definitions of probability, calculation of probability of combinatorial methods, addition and multiplication theorems, conditional probability. Random variables (discrete and continuous), density function Mathematical expectation.

Standard distributions : Binomial definition, mean and variance, sketwness, limiting from simple application; Poison—definition mean and variance additive property fitting of Poison distribution to given data Normal-simple properties and simple applications, fitting a normal distribution to given data.

Bivariate distribution : Correlation, linear regression involving two variables, fitting of straight line, parabolic and exponential curves, properties of correlation coefficient.

Simple sampling distribution and simple tests of hypothesis : Random sample. Statistics, Sampling distribution and standard error. Simple application of the normal, t, Chi^2 and F distributions to testing a significance of difference of means.

Note.—Candidates will be required to answer compulsorily from Part A of the syllabus one question on each of the 3 topics viz. (1) Algebra, (2) Analytic Geometry of two and three dimensions, and (3) Calculus and Differential Equations. From Part B of the syllabus, it will be compulsory to answer at least one question on any one of the 3 topics *viz.* (1) Mechanics, (2) Astronomy, and (3) Statistics.

BOTANY (*Code*—04)

1. *Survey of the Plant Kingdom.*—Difference between animals and plants : Characteristics of living organism : Unicellular and multicellular organism : Viruses : basis of the division of the plant kingdom.

2. *Morphology.*—(i) Unicellular plants—cell, its structure and contents : division and multiplication of cell.

(ii) *Multicellular plants.*—Differentiation of the body of non-vascular plants and vascular plants : external and internal morphology of vascular plants.

3. *Life history.*—Of at least one member of the following categories of plants :—Bacteria, Synophyceae, Chlorophyceae, Phaeophyceae Rhodophyceae, Phycomnycetes Asocomycetes Basidiomycetes. iverworts. Mosses, Pteridophytes. Gymnosperms and Angiosperms.

4. *Taxonomy.*—Principles of classification, principal systems of classification of angiosperms : distinctive features and economic importance of the following families :—

Graminea Scitaminae. Palmaceae. Liliaceae. Orchidaceae. Moraceae Lorantheceae. Magnoliacae, Lauraceae, Cruciferae, Rosaceae, Leguminoeae, Rutaceae, Meliaceae, Euphorbiaceae. Anacardiacea, Malvaceane, Apocynaceae, Ascalepiadaceae, Dipterocarpaceae, Myrtaceae, Umbeliferae, Libiatae, Solanaceae, Rubiceae, Cucurbitaceae Vercanaceae and Compositae.

5. *Plant Physiology.*—Autotrophy, heterotrophy. Intake of water and nutrients, transpiration, Photosynthesis, mineral nutrition, respiration, growth, reproduction : plants animal relation, symblosis, parasitism enzymes, auxims, hormones photopariodism.

6. *Plant Pathology.*—Cause and cure of plant diseases. Disease organisms. Viruses, deficiency disease; Disease resistance.

7. Plant Ecology.—The basic facts relating to ecology and plant geography with special relation to Indian flora and the botanical regions of India.

8. *General Biology.*—Cytology, genetics, plant breeding Mandelism, hybridvigour. Mutation, evolution.

9. *Economic Botany.*—Economic uses of plants, esp, flowering plants in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products like foodgrains, pulses, fruits, sugars and starches, oilseeds spices, beverages fibres, woods, rubber, drugs and essential oils.

10. *History of Botany.*—A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science.

ZOOLOGY (*Code*—05)

Classification of the animal kingdom into principal groups distinguishing features of the various classes.

The structure habits and life-history of the following non-chordate types :

Amoeba, malarial parasite, a sponge, hydra, liverfluc, tapeworm, roundworm, earth worm, leech, cookroach, housefly-mosquito scorpion freshwater mussel pond snail and starfish (external characters only).

Economic importance of insects, Bonomics and life-history of the following insects; termitelocust, honey bee and silk moth.

Classification of Chordate up to orders.

The structure and comparative anatomy of the following chordate types.

Branchiostoma; Scolidon; frog; Uromastix or any other lizard (skeleton of Varanus); pigeon (Skeleton of fowl); and rabbit, rat or squirrel.

Elementary knowledge of the histology and physiology of the various organs of the animal body with reference to frog and rabbit, Endocrine glands and their functions.

Outlines of the development of frog and chick structure and functions of the mammalian placenta.

General principles of evolution, variations heredity, adaptation; recapitulation hypothesis; Mendalian inheritance; asexual and sexual modes of reproduction; parthenogenesis; metamorphosis alteration of generations.

Ecological and geological distribution of animals with special reference to the Indian fauna.

Wild life of India including poisonous and non-poisonous snakes; game birds.

GEOLOGY (*Code*—06)

1. *General Gelogy* :

Origin, age and interior of the Earth, different geological agencies and their effects on topography, weathering and erosion; Soil types, their classification and soil groups of India; Physiographic sub-divisions of India. Vegetation and topography. Volcanoes, earthquakes, mountains diastrophism.

2. *Structural Geology* :

Common structures of igneous, sedimentary and metamorphic rocks, Dip, strike and slopes; folds faults and unconformities including their effects on outcrops, Elementary ideas of methods of Geological Surveying and Mapping.

3. *Crystallography and Mineralogy* :

Elementary knowledge of crystal symmetry. Laws of Crystallography. Crystal habits and twinning.

Study of important rock-forming including clay minerals with regard to their chemical composition, physical properties, optical properties, alteration occurrence and commercial uses.

4. *Economic Geology*

Study of important economic minerals of India including mode of occurrence. Origin and classification of ore deposits.

5. *Petrology* :

Elementary study of igneous, sedimentary and metamorphic rocks including origin and classification. Study of common rock types.

6. *Stratigraphy* :

Principles of Stratigraphy; lithological and chronological sub-divisions of geological record. Outstanding features of Indian Stratigraphy.

7. *Palaeontology* :

The bearing of palaeontological data upon evolution. Fossils, their nature and mode of preservation. An elementary idea of the morphology and distribution of representative forms of animal and plant fossils.

GEOGRAPHY-(Code—07)

(i) *Elementary Geomorphology.*—Origin of the solar system and the earth; landforms, land sculpture, elementary geology, rocks and soil formation.

(ii) *Climatology.*—Climate and its elements, temperature, pressure, humidity, wind system, elementary knowledge of cyclones and anti-cyclones, precipitation, types of rain.

(iii) *Oceanography.*—Distribution of land and water, movements of ocean-water, tides, currents, salinity, deposits of the ocean beds.

(iv) *Plant Geography.*—Types of vegetation, their relation to geographical environment, forests, grasslands, deserts major natural regions.

(v) *Human Geography.*—Man in environment, races of mankind, man's activities and distribution of population.

(vi) *Economic geography.*—Principal vegetable, animal and mineral products, their distribution and geographical background; principal industries and their localisation; international trade in raw material, food stuffs and manufactured goods.

(vii) *Regional Geography.*—India in detail and the U.S.A. the U.K., the U.S.S.R., China, Japan, South East Asia, the Middle East, Sri Lanka, Burma and Pakistan in outline.

ENGLISH LITERATURE (Code—08)

Candidates will be expected to show a general knowledge of the history of English literature from the time of Spencer to the end of the reign of Queen Victoria with special reference to the works of the following authors :—

Shakespeare, Milton, Johnson, Dickens, Wordsworth Keats, Carlyle, Tennyson and Hardy.

INDIAN HISTORY (Code—09)

India from 1600 to the establishment of Indian Republic, including the constitutional developments during this period.

NOTE.—In this subject candidates should be acquainted with geography in its relation to history and be prepared to draw sketch maps. When a fixed date is given for the beginning of the period candidates will be expected to know in general outline how the initial position was reached.

GENERAL ECONOMICS (Code—10)

Candidates will be expected to have a knowledge of economic theory and should be prepared both to illustrate theory by facts and to analyse facts by the help of theory. Some knowledge of the economic history of India and of England and of economic conditions in these countries will be expected.

POLITICAL SCIENCE (Code—11)

Candidates will be expected to show a knowledge of political theory and its history, political theory being understood to mean not only the theory of legislation but also the general theory of the State. Questions may also be set on constitutional forms (Representative Government, Federalism etc.) and Public Administration, Central and Local, Candidates will be expected to have knowledge of the origin and development of existing institutions.

SOCIOLOGY (Code—12)

Nature and Scope of Sociology : Study of Society; Sociology and its relation to other Social Sciences.

Basic concepts : Status and Role; Primary and Secondary Groups; Social institutions; Social structure; Social control and Deviant behaviour; Social Conflict; Social Change.

Basic Social Structures and Institutions : Marriages; Family and Kinship; Political institutions; Religious Institutions; Social stratification—Caste, Class and Race.

Environment, society and culture.

Sociology of India; Caste and Casteism; Family and Kinship; Village community; Social change in modern India.

PSYCHOLOGY (Code-13)

General Psychology

Definition and subject matter of Psychology; methods of Psychology; Concept of adjustment and behaviour mechanism, Physiological basis of behaviour; (a) receptors—visual and auditory; (b) general idea of the nervous system; (c) effectors :—muscles and glands.

Factors in human development—heredity and environment, maturation and learning.

Motivation and emotion—their nature, kind and development.

Preception and its nature; Perception of form, colour and space.

Learning : its nature, conditioning, insight and trial and error.

Memory and forgetting—factors effecting the processes; efficient method of memorising.

Thinking and reasoning.

Intelligence and abilities—their nature and measurement.

Personality—nature, determinants and measurement.

Abnormal Psychology

Abnormal behaviour—its concept and causes.

Frustration and conflicts; defence mechanisms.

Forms of psychological disorders—neurotic, psychotic, personality and psychophysiological disorders.

General idea of treatment of mental disorders—psychotherapy.

Social Psychology

Group processes; individual and the group; leadership; morale and crowd behaviour.

Propaganda and psychological warfare.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

In addition, to the interview the candidates will be put to Intelligence Tests both verbal and non-verbal, designed to assess their basic intelligence. They will also be put to Group Tests such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs.

APPENDIX II

(Physical Standards for Admission to the Academy/School)

NOTE.—CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARD. THE STANDARD OF MEDICAL FITNESS ARE GIVEN BELOW.

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE THEREFORE ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

A sufficient number of suitable candidates recommended by the Services Selection Board will be medically examined by a Board of Service Doctors. A candidate who is not declared

fit by the Medical Board will not be admitted to the Academy. The very fact that the medical examination has been carried out by a Board of Service Doctors will not mean or imply that the candidate has been finally selected. The proceedings of the Medical Board are confidential and cannot be divulged to anyone. The results of candidates declared, unfit-temporarily unfit are intimated to them along with the procedure for submission of fitness certificate and appeal. No request for the results of Medical Board will be entertained by the President of the Medical Board.

Candidates for the Army are advised in their own interest, that if their division does not come up to the standard, they must bring with them their correcting glasses if and when called for Services Selection Board Interview/Medical Examination.

1. To be passed fit for admission to the Academy/School a candidate must be in good physical and mental health and free from any disability likely to interfere with the efficient performance of duty.

2. It will, however, be ensured that—

(a) there is no evidence of weak constitution, imperfect development, serious malformations or obesity;

(b) there is no maldevelopment or impairment of function of the bones or joints.

NOTE : A candidate with a rudimentary cervical rib in whom there are no signs and symptoms referable to the cervical rib may be considered fit. However, the defect is to be recorded as a minor disability in the medical board proceedings.

(c) There is no impediment of speech;

(d) there is no malformation of the head or deformity from fracture or depression of the bones of the skull.

(e) there is no impaired hearing discharge from or disease in either ear, unhealed perforation of the tympanic membranes or signs of cure or chronic suppurative otitis media or evidence of radical or modified radical mastoid operation.

NOTE : A soundly healed perforation without any impairment of the mobility of the drum and without impairment of hearing should not be a bar to acceptance of a candidate for the Army.

(f) there is no disease of bones or cartilages of the nose or nassal polypus or disease of the naso-pharynx and accessory sinuses.

NOTE : A small asymptomatic trumatic perforation of the nasal septum would not be a cause for outright rejection. But such cases will be referred to the Adviser in Otology for examination and opinion.

(g) there are no enlarged glands in the neck and other parts of the body and that thyroid gland is normal.

NOTE : Scars of operations for the removal of tuberculosis glands are not a cause for rejection provided that there has been no active disease within the preceding 5 years and the chest is clinically and radiologically clear.

(h) there is no disease of the throat, palate, tonsils or gums or disease or any injury affecting the normal function of either mandibular joint;

NOTE : Simple hypertrophy of the tonsils, if there is no history of attacks of tonsilities is not a cause for rejection.

(i) there is no sign of functional or organic disease of the heart and blood vessels;

(j) there is no evidence of pulmonary tuberculosis or previous history of this disease or any other chronic disease of the lungs;

(k) there is no evidence of any disease of the digestive system including any abnormality of the liver and spleen;

(l) there is no inguinal hernia or tendency thereto;

NOTE : (1) Inguinal hernia (unoperated) will be a cause for rejection.

(2) Those who have been operated for hernia may be declared medically fit provided :

(i) One year has elapsed since operation. Documentary proof to this effect is to be produced by the candidate.

(ii) General tone of the abdominal mausculature is good.

(iii) There has been no recurrence of the hernia or complication thereto concerned with the operation.

(m) there is no hydrocele, or definite Varicocele or any other disease or defect of the genital organs.

N.B.—(i) A candidate who has been operated for hydrocele will be accepted if there are no abnormalities of the cord and testicle and there is no evidence of filariasis.

(ii) Undescended inter abdominal testicle on one side should not be a bar to acceptance provided the other testicle is normal and there is no untoward physical or psychological effect due to the undescended testicle. Undescended testis retained in the inguinal canal or the external abdominal ring is, however, a bar to acceptance unless corrected by operation.

(n) there is no fistula and/or fissure of the anus or evidence of haemorrhoids;

(o) there is no disease of the kidneys. All cases of Glycosuria or Albuminuria will be rejected;

(p) there is no disease of the skin unless temporary or trivial scars which by their extent or position cause or are likely to cause disability or marked disfigurement are a cause for rejection.

(q) there is no active, latent or congenital venereal disease;

(r) there is no history or evidence of mental disease of the candidate or his family. Candidates suffering from epilepsy, incontinance of urine or enuresis will not be accepted.

(s) there is no squint or any morbid condition of the eye or of the lids which is liable to a risk of aggravation or recurrence.

(t) there is no active trachoma or its complication and sequelae.

NOTE.—Remedial operation are to be performed prior to entry. No guarantee is given of ultimate acceptance and it should be clearly understood by the candidates that the decision whether an operation is desirable or necessary is one to be made by their private medical adviser. The Government will accept no liability regarding the result of operation or any expense incurred.

3. *Standards for Height, Weight and Chest Measurement*—

(a) *Height*

(i) The height of a candidate will be measured by making him stand against the standard with his feet together. The weight should be thrown on the heels, and not on the toes or outer sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimeters, decimal fraction lower than 0.5 centimetre will be ignored; 0.5 centimetre will be recorded as such and 0.6 cm. and above will be recorded as one.

(ii) The minimum acceptable height for a candidate is 157.5 cm. (157 cm. for the Navy) except in the case of Gorkha, Nepalese, Assamese and Garhwali candidates in whose case the height in correlation table at (b)(i) below may be reduced by 5.0 cm. The minimum height of naval candidates from MANIPUR, NEFA, MEGHALAYA AND TRIPURA may also be reduced by 5 cm and 2 cm in the case of candidates from LACCADIVES.

(b) *Weight*—

(i) Weight will be taken with the candidate fully stripped or with under-pants only. In recording weight, fraction of 1/2 kg. will not be noted. A correlation table between age, height and average weight is given below for guidance :—

Age last birth day	Height without shoes	Weight	
		Average Minimum	Average Maximum
Years	*Centimetres*	*Kgs.*	*Kgs.*
17 to 18	157·5 & under 165·0	43·5	55·0
	165·0 & under 172·5	48·0	59·5
	172·5 & under 183·0	52·5	64·0
	183·0 & upwards	57·0	—
19	160·0 & under 165·0	44·5	56·0
	165·0 & under 172·5	49·0	60·5
	172·5 & under 178·0	53·5	65·0
	178·0 & under 183·0	58·0	69·5
	183·0 & upwards	62·5	—
20 & upwards	160·0 & under 165·0	45·5	56·5
	165·0 & under 172·5	50·0	61·0
	172·5 & under 178·0	54·5	66·0
	178·0 & under 183·0	59·0	70·5
	183·0 & upwards	63·5	—

HEIGHT AND WEIGHT STANDARDS

For Navy Only

Height in Centimetres	Age		
	18 years	20 years	22 years
	Weight in Kilograms		
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	53
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	61	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	78

(ii) It is not possible to lay down precise standards for weight in relation to height and age. The correlation table is, therefore, only a guide and cannot be applied universally. A 10 per cent (±6 kg. for the Navy) departure from the average weight given in the table is to be considered as within normal limits. There may nevertheless be some individuals who according to the above standard may be overweight but from the general build of the body are fit in every respect. The overweight in such cases may be due to heavy bones and muscular development and not to obesity. Similarly for those who are underweight, the criteria should be the general build of the body and proportionate development rather than rigid adherence to the standards in the above table.

(c) *Chest.*—The chest should be well-developed with a minimum range of expansion of 5.0 cm. The candidate's chest will be measured by making him stand erect with his feet together, and his arms raised over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and its lower edge the upper part of the nipples in front. The arms will then be lowered to hang loosely by the sides. Care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum and minimum expansion of the chest will be carefully noted. The minimum and maximum will then be recorded in cm. thus 84/89 and 86/91 etc.

In recording the measurements, decimal fraction lower than 0.5 centimetre will be ignored : 0.5 centimetres will be recorded as such and 0.6 cm. and above will be recorded as one.

For Navy

"X-Ray" of chest is compulsory.

4. Dental Condition—.... ....

It should be ensured that sufficient number of natural and sound teeth are present for efficient mastication.

(a) A candidate must have a minimum of 14 dental points to be acceptable. In order to assess the dental condition of an individual points are allotted as under for teeth in good opposition with corresponding teeth in the other jaw—

(i) Central incisor, lateral incisor, canine, 1st and 2nd per-molar and under developed 3rd molar—1 point each.

(ii) 1st and 2nd molar and fully developed 3rd molar—2 points each.

When all 32 teeth are present, there will be a total count of 22 points.

(b) The following teeth in good functional apposition must be present in each jaw—

(i) any 4 of the 6 anteriors.

(ii) any 6 of the 10 posteriors.

NOTE.—Candidate for direct commission and technical graduates, with well fitting dentures will, however, be accepted for commission.

(c) Candidate suffering from severe pyorrhoea will be rejected. Where the state of pyorrhoea is such that in the opinion of the dental officer it can be cured without extraction of teeth, the candidate may be accepted.

5. *Visual Standard (Army)*

	Better eye	Worse eye
Distant vision (corrected)	6/6	6/18

Myopia of not more than —3.5 D including astigmatism Manifest Hypermetropia of not more than +3.5 D including astigmatism.

NOTE 1. Fundus and Media to be healthy and within normal limits.

2. No undue degenerative signs of vitreous or chorioretina to be present suggesting progressive myopia.

3. Should have good binocular vision, fusion faculty and full field of vision in both eyes.

4. There should be no organic disease likely to exacerbations or deterioration.

Visual Standard (Navy)

(a) Visual Acuity

Standard I	Better eye	Worse eye
Distant Vision	V-6/6	V-6/9
		Correctable to 6/6

Navy (i)—Visual standard I. No glasses will be worn by candidates for the Executive Branch but these standards may be relaxed if permitted by Naval Headquarters, for a limited number of otherwise suitable candidates of Engineering, Electrical and Supply and Secretariat Branches up to 6/18, 6/36, correctable to 6/6 both eyes with glasses.

(ii) Special requirements :

"Night vision standard—only candidates with suspected Xerophthalmia Pigmentary degeneration disturbance of the Chorio-Retina, abnormal iris and pupillary conditions, who are otherwise, fit in all respects will be subjected to detailed NVA test prior to accepting for service in the Navy. Those who fail to secure grade II (eleven) (Della Casa—good/very good) will be rejected.

A certificate as under will be obtained from each candidate if he is not subjected to Della Casa test :—"

'I hereby certify that to the best of my knowledge, there has not been any case of congenital night blindness in our family and I do not suffer from it.

Signature of candidate

Countersignature of the Medical Officer

Colour perceptions

Standard I MLT
(Martin Lantern Test)

Heterophoria

Limits of Heterophoria with the Maddox Rod/Wing tests (provided convergence insufficiency and other symptoms are absent) must not exceed :—

(a) At 6 metres—

Exophoria 8 prism dioptres
Exophoria 8 prism dioptres
Hyperphoria I prism dioptre

(b) At 30 cms—

Exophoria 6 prism dioptres
Exophoria 16 prism dioptres
Hyperphoria 1 prism dioptre

Executed level

Limits of hypermetropia (under homatropine)

	Better Eyes
Hypermetropia . . .	1·5 dioptres
Simple Hypermetropic Astigmatism . .	0·75 dioptre
Compound Hypermetropic Astigmatism .	The error in the more hypermetropic meridian must not exceed 1·5 dioptres of which not more than 0·75 dioptre may be due to astigmatism.
	Worse Eyes
Hypermetropia . . .	2·5 dioptres
Simple Hypermetropic Astigmatism . .	1·5 dioptres
Compound Hypermetropic Astigmatism .	The error in the more hypermetropic meridian must not exceed 2·5 dioptres of which not more than 1·0 dioptre may be due to astigmatism.

Myopia—Not to exceed 0.5 dioptres in any one meridian.

Binocular Vision.

The candidates must possess good binocular vision (fusion faculty and full field of vision in both eyes).

Colour vision.—Inability to distinguish primary colours will not be regarded as cause for rejection but the fact will be noted in the proceedings and the candidate informed. (Not applicable to Navy).

6. *Hearing Standard*—

Hearing will be tested by speech test. Where required audiometric records will also be taken.

(a) *Speech test.*—The candidate should be able to hear a forced whisper with each ear separately standing with his back to the examiner at a distance of 609.5 cm in a reasonably quiet room. The examiner should whisper with the residual air; that is to say at the end of an ordinary expiration.

(b) *Audiometric record.*—The candidate will have no loss of hearing in either ear at frequencies 128 to 4096 cycles per second. (Audiometry reading between plus 10 and minus 10. (Not applicable to Navy).

APPENDIX III

(Brief Particulars of service etc.)

(A) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRA DUN.

1. Before the candidate joins the Indian Military Academy—

(a) he will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) his parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that, if for any reason considered within his control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission, if offered, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay and allowances received, as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training for about 18 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as 'gentlemen cadets'. Gentlemen cadets will be dealt with for ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Indian Military Academy.

3. While the cost of training including accommodation, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses at the Indian Military Academy are not likely to exceed Rs. 55.00 per mensem. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance may be granted by the Government. No cadet whose parent or guardian has an income of Rs. 350.00 per mensem or above would be eligible for the grant of the financial assistance. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should immediately after his son/ward has been finally selected for training at the Indian Military Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will, with his recommendations, forward the application to the Commandant, Indian Military Academy, Dehra Dun.

4. Candidates finally selected for training at the Indian Military Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :—

(a) Pocket allowance for five months at Rs. 55.00 per month.—Rs. 275.00.

(b) For items of clothing and equipment.—Rs. 800.00

Total Rs. 1075.00

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them :—

Pocket allowance for five months at Rs. 55.00 per month—Rs. 275.00.

5. The following scholarships are tenable at the Indian Military Academy :—

(1) PARSHURAM BHAU PATWARDHAN Scholarship.—This scholarship is awarded to cadets from MAHARASHTRA AND KARNATAKA. The value of one scholarship is up to the maximum of Rs. 500.00 per annum for the duration of a cadet's stay at the Indian Military Academy subject to the cadet making satisfactory progress. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholarship.—This Scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and is awarded to an eligible MARATHA cadit who should be a son of ex-serviceman. The Scholarship is in addition, to any financial assistance from the Government.

6. An outfit allowance at the rates and under the general conditions applicable at the time for each cadet belonging to the Indian Military Academy will be placed at the disposal of the Commandant of the Academy. The unexpended portion of this allowance will be—

(a) handed over to the cadet on his being granted a commission; or

(b) if he is not granted a commission, refunded to the state.

On being granted a commission, articles of clothing and necessaries purchased from this allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles will, however, be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

7. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Indian Military Academy. A Gentlemen Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may, with permission of the Government, be discharged. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

8. Commission will be granted only on successful completion of training. The date of commission will be that following the date of successful completion of training. Commission will be permanent.

9. Pay and allowances, pension, leave and other conditions of service, after the grant of commission will be identical with those applicable from time to time to regular officers of the army.

Training :—

10. At the Indian Military Academy, Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of 18 months aimed at turning out officers capable of leading infantry sub-units. On successful completion of training, Gentlemen Cadets are granted permanent Commission in the rank of 2nd Lt. subject to being medically fit in S.H.A.P.E.

II. *Terms and Conditions of Service*

(i) PAY

Rank	Pay scale	Rank	Pay scale
	Rs.		Rs.
2nd Lieut . .	750— 790	Lt. Colonel (Time scale)	1800 fixed
Lieut . . .	830— 950	Colonel	1950—2175
Captain . .	1250—1550	Brigadier	2200—2400
Major . .	1650—1800	Maj. General	2500—125/2 2750
Lt. Colonel (By selection)	1800—1950	Lt. General	3000 p.m.

(ii) ALLOWANCES

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances—

(a) Compensatory (city) and Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p.m.

(c) *Expatriation allowance* : When Officers are serving outside India expatriation allowance ranging from Rs. 50 to Rs. 250 p.m. depending on rank held, is admissible.

(d) Separation allowance : Married officers posted to non-family stations are entitled to receive separation allowance of Rs. 70 p.m.

(iii) POSTING

Army officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

(iv) PROMOTION

(a) *Substantive promotion*

The following are the service limits for the grant of substantive promotion to higher ranks:—

By time scale

Lt. . . .	2 years	of Commissioned Service
Capt. . .	6 years	of Commissioned Service
Major . .	13 years	of Commissioned Service
Lt. Col. from Major (if not promoted by selection)	24 years	of Commissioned Service

By selection

Lt. Col. .	16 years	of Commissioned Service
Col. . .	20 years	of Commissioned Service
Brigadier .	23 years	of Commissioned Service
Major Gen. .	25 years	of Commissioned Service
Lt. Gen. .	28 years	of Commissioned Service
Gen. . .	No restriction	

(b) *Acting promotion*

Officers are eligible for acting promotion to higher ranks on completion of the following minimum service limits subject to availability of vacancies :

Captain	3 years
Major	5 years
Lt. Colonel	6-1/2 years
Colonel	8-1/2 years
Brigadier	12 years
Major General	20 years
Lt. General	25 years

(B) FOR CANDIDATES JOINING THE NAVAL ACADEMY, COCHIN.

1(a) Candidates finally selected for training at the Academy will be appointed as cadets in the Executive Branch of the Navy. They will be required to deposit the following amount with the Officer-in-Charge, Naval Academy, Cochin.

(1) Candidates not applying for Government financial aid:

(i) Pocket allowance for five months @ Rs. 45·00 per month .	Rs. 225·00
(ii) For items of clothing and equipment	Rs. 460·00
Total	Rs. 685·00

(2) Candidates applying for Government financial aid :

(i) Pocket allowance for two months @Rs. 45·00 per month .	Rs. 90·00
(ii) For items of clothing and equipment	Rs. 460·00
Total	Rs. 550·00

(b) (i) Selected Candidates will be appointed as cadets and undergo training in Naval Ships and Establishments as under:—

a) Cadets Training including afloat training for 6 months	1 year
(b) Midshipment afloat Training . .	6 months
(c) Acting Sub lieutenants Technical Courses	8 months
d) Sub-lieutnants—	
A minimum period of 3 months sea service to obtain a watch-keeping certificate.	

(ii) The cost of training including accommodation and allied services, books, uniform, messing and medical treatment of the cadets at the Naval Academy will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will however, be required to meet their pocket and other private expences while they are cadets. When a cadet's parent or guardian has an income less than Rs. 350 per mensem and is unable to meet wholly or partly the pocket expenses of the cadet, financial assistance up to Rs. 40 per mensem may be granted by the Government. A candidate desirous of securing financial assistance may immediately after his selection, submit an application through the District Magistrate of his District, who will, with his recommendations, forward the application to the Director of Personnal Service, Naval Headquarters, New Delhi.

Provided that in a case where two or more sons or wards of a parent or guardian are simultaneously undergoing training at Naval ships/establishments, financial assistance as aforesaid may be granted to all of them for the period they simultaneously undergo training, if the income of the parent or guardian does not exceed Rs. 400 p.m.

(iii) Subsequent training in ships and establishments of the Indian Navy is also at the expense of the Government. During the first six months of their training after leaving the Academy financial concession similar to those admissible at the Academy *vide* subpara (ii) above will be extended to them. After six months of training in ships and establishments of the Indian Navy when Cadets are promoted to the rank of Midshipman they begin to receive pay and parents are not expected to pay for any of their expenses.

(iv) In addition to the uniform provided free by the Government cadets should be in possession of some other items of clothing. In order to ensure correct pattern and uniformity these items will be made at Naval Academy and cost will be met by the parents or guardians of the cadets. Cadets applying for financial assistance may be issued with some of these items of clothing free or on loan. They may only be required to purchase certain items.

(v) During the period of training Service Cadets may receive pay and allowances of the substantive rank held by them as a sailor or as a boy or as an apprentice at the time of selection as cadets. They will also be entitled to receive increments of pay, if any, admissible in that rank. If the pay and allowances of their substantive rank be less than the financial assistance admissible to direct cadets and provided they are eligible for such assistance, they will also receive the difference between the two amounts.

(vi) No cadet will normally be permitted to resign while under training. A cadet who is not considered suitable to complete the full course at the Indian-Naval Ships and establishments may, with the approval of the Government be withdrawn from training and discharged. A service cadet under these circumstances may be reverted to his original appointment. A cadet thus discharged or reverted will not be eligible for re-admission to a subsequent course. Cases of cadets who are allowed to resign on compassionate grounds may, however, be considered on merits.

2. Before a candidate is selected as a cadet in the Indian Navy, his parent or guardian will be required to sign—

(a) A certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if for any reasons considered within the control of the candidate, he wishes to withdraw from training or fails to accept a commission, if offered, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay and allowances received, as may be decided upon by Government.

3. *PAY AND ALLOWANCES*

(a) PAY

Rank	Pay Scale
	General Service
Midshipman	Rs. 560
Ag. Sub. Lieut	Rs. 750
Sub.-Lieut.	Rs. 830—870
Lieut.	Rs. 1100—1450
Lieut. Cdr.	Rs. 1450—1800
Commander (By selection) . . .	Rs. 1750—1950
Commander (By time scale) . .	Rs. 1800 fixed
Captain	Rs. 1950—2400 (Commodore receives pay to which entitled according to seniority as Captain).
Rear Admiral	Rs. 2500—125/2—2750
Vice Admiral	Rs. 3000

(b) ALLOWANCES

In addition to pay, an officer receives the following allowances :—

(i) Compensatory (City) and dearness allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted officers from time to time.

(ii) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p.m.

(iii) When officers are serving outside India expatriation allowance ranging from Rs. 50 to Rs. 250 p.m. depending on rank held is admissible.

(iv) A separation allowance of Rs. 70 p.m. is admissible to—

(i) married officers serving in non-family stations; and

(ii) married officers serving on board I.N. Ships for the period during which they remain in ships away from the base ports.

(v) Free ration for the periods they remain in the ships away from the base ports.

NOTE I.—In addition certain special concessions like hard-lying money, sub-marine allowance, sub-marine pay, survey bounty/survey allowance qualification pay/grant and diving pay are admissible to officers.

NOTE II.—Officers can volunteer for Service in Sub-marine or Aviation Arms. Officers selected for Service in these arms are entitled to enhanced pay and special allowances.

4. PROMOTION

(*a*) *By time scale*

Midshipman to Ag. Sub. Lieut	1/2 year
Ag. Sub. Lieut. to Sub. Lieut.	1 year
Sub. Lieut. to Lieut	3 years as Ag. and confirmed Sub-Lt. (Subject to gain) forfeiture of seniority).
Lieut. to Lieut. Cdr.	8 years seniority as Lieut.
Lieut. Cdr. to Cdr. (if not promoted by selection).	24 years (reckonable commissioned service).

(*b*) *By Selection*

Lieut. Cdr. to Cdr.	2—8 years seniority as Lieut. Cdr.
Cdr. to Capt.	4 years seniority as Cdr.
Capt. to Rear Admiral and above.	No service restriction.

5. *POSTING*

Officers are liable to serve any where in India and abroad.

NOTE.—Further information, if desired, may be obtained from the Director of Personnel Services Naval Headquarters, New Delhi-110011.

(C) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS' TRAINING SCHOOL, MADRAS.

1. Before the candidate joins the Officers' Training School, Madras—

(a) he will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain in the course of or as a result of the training, or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) his parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that, if for any reason considered within his control the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered or marries while under training at the Officers' Training School, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay and allowances received as may be decided upon by the Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training at the Officers' Training School for an approximate period of 9 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as 'gentlemen cadets'. Gentlemen cadets will be dealt with for ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Officers' Training School.

3. While the cost of training, including accommodation, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses during pre-Commission training are not likely to exceed Rs. 55 per month but if the cadets persue any hobbies such as photography, Shikar, hiking etc. they may require additional money. In case, however, the cadet is unable to meet wholly or partly even the minimum expenditure, financial assistance at rates which are subject to change from time to time, may be given provided the cadet and his parent/guardian have an income below Rs. 350 per month. The rate of assistance under the existing orders is Rs. 55 per month. A candidate desirous of having financial assistance should immediately after being finally selected for training submit an application on the prescribed form through the District Magistrate of his district who will forward the application to the Commandant, Officers Training School, MADRAS alongwith his verification report.

4. Candidates finally selected for training at the Officers' Training School will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :—

(a) Pocket allowance for ten months at Rs. 55.00 per month — Rs. 550.00

This amount is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them.

5. Outfit allowance will be admissible under orders as may be issued from time to time.

On being granted a commission articles of clothing and necessaries purchased from this allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles, will, however, be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The articles withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

6. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Officers Training School.

7. A Gentleman Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may with permission of Government be discharged. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

8. Pay and allowances, pension, leave and other conditions of service, after the grant of commission, are given below.

9. *Training*

1. Selected candidates will be enrolled under the Army Act as Gentlemen Cadets and will undergo a course of training at the Officers Training School for an approximate period of nine months. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Short Service Commission in the rank of 2/Lt. from the date of successful completion of training.

10. *Terms and conditions of Service*

(*a*) *Period of probation*

An officer will be on probation for a period of 6 months from the date he receives his Commission. If he is reported on within the probationary period as unsuitable to retain his commission, it may be terminated at any time, whether before or after the expiry of the probationary period.

(*b*) *Posting*

Personnel granted Short Service Commissions are liable to serve any where in India and abroad.

(c) *Tenure of appointment and Promotion.*

Short Service Commission in the Regular Army will be granted for a period of five years. Such officers who are willing to continue to serve in the Army after the period of five years' Short Service Commission may if eligible and suitable in all respects, be considered for the grant of Permanent Commission in the last year of their Short Service Commission in accordance with the relevant rules. Those who fail to qualify for the grant of Permanent Commission during the tenure of five years, would be released on completion of the tenure of five years.

(d) *Pay and Allowances*

Officers granted Short Service Commission will receive pay and allowances as applicable to the regular officers of the Army.

Rates of pay for 2/Lt. and Lieut, are :—
Second Lieut, Rs. 750—790 p.m.

Lieut. Rs. 830—950 p.m.

Plus other allowances as laid down for regular officers.

(e) *Leave* : For leave, these officers will be governed by rules applicable to Short Service Commissioned Officers as given in Chapter V of the Leave Rules for the Service Vol. I—Army. They will also be entitled to leave on passing out of the Officers Training School and before assumption of duties under the provisions of Rule 91 ibid.

(f) *Termination of Commission* : An officer granted Short Service Commission will be liable to serve for five years but his Commission may be terminated at any time by the Government of India—

(i) for misconduct or if services are found to be unsatisfactory; or

(ii) on account of medical unfitness; or

(iii) if his services are no longer required; or

(iv) if he fails to qualify in any prescribed test or Course.

An officer may on giving three months notice be permitted to resign his Commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his Commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity.

(g) *Pensionary benefits*

(i) These are under consideration.

(ii) SSC officers on expiry of their five years' term are eligible for terminal gratuity of Rs. 5,000.00.

(h) *Reserve Liability* ....

On being released on the expiry of the five years Short Service Commission or extension thereof, they will carry a reserve liability for a period of five years or up to the age of 40 years whichever is earlier.

(i) *Miscellaneous* : All other terms and conditions of Service where not at variance with the above provisions will be the same as for regular officers.

APPENDIX IV

The form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri————————son of Shri ———————— of village/town*———————— in District/Division* ———————— of the State/Union Territory* ———————— belongs to the ———————— Caste/Scheduled Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Tribe* under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950*

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971].

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956*

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962*

the Constitution (Pondicherry), Scheduled Castes Order, 1964*.

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*.

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*.

the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968*.

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*.

2. Shri ———————— and/or* his family ordinarily reside(s) in village/towns*———— of ———— District/Division* of the State/Union Territory* of ————————.

Signature.............
**Designation.............
(with seal of office)
State*/Union Territory........

Place...................
Date...................

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term 'ordinarily reside(s)' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Officers competent to issue Caste/Tribe Certificates :

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, Lakshadweep.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976